षष्ठम् माला, खंड 15, अंक 51, शुक्रवार, 5 मई, 1978/15 वैशाख, 1900 (शक)
Sixth Series, Vol. XV, No. 51, Friday, May 5, 1978/Vaisakha 15, 1900 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

11.11.92

सत्यमेव जयते

[खंड 15 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 51, शुक्रवार, 5 मई, 1978/15 वैशाख, 1900 (शक)

No. 51, Friday, May 5, 1978/Vaisakha 15, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या 988, 990, 991, 993 और 994	*Starred Questions Nos. 988, 990 991, 993 and 994	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8	Short Notice Question No. 8	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	19-162
तारांकित प्रश्न संख्या 987, 989, 992 और 995 से 1006	Strarred Questions Nos. 987, 989, 992 and 995 to 1006	
अतारांकित प्रश्न संख्या 9201 से 9314, 9316 से 9368, 9370 से 9380 और 9382 से 9400	Unstarred Questions No 9201 to 9314, 9316 to 9368, 9370 to 9380 and 9382 to 9400	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	162-163
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति-चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Committee on Papers laid on the Table Fourth Report Presented.	163
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 393—	163-166
(1) केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण सम्पर्क सड़क योजना	(i) Centrally sponsored Rural Link Roads Scheme—	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	163
(2) गुजरात में छोटे रेशे की कपास के मूल्य में भारी गिरावट के समाचार	(ii) Reported Sharp Fall in price of Short Staple Cotton in Gujarat—	163
श्री मोतीभाई आर० चौधरी	Shri Motibhai R. Chaudhary	
(3) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के समाचार	(iii) Reported Strike by Employees of Instrumentation Ltd.	163
श्री ए० के० राय	Shri A. K. Roy	
(4) गंगा प्रिंटिंग इंक फैक्ट्री, लिमिटेड हावड़ा (पश्चिम बंगाल)	(iv) Ganges Printing Ink Factory Ltd. Howrah (West Bengal)	

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign †marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	
प्रो० दिलीप चक्रवर्ती	Prof. Dilip Chakravarty	
(5) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के समाचार	(v) Reported Deterioration in Law and Order Situation in Delhi	
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	164
पंच वर्षीय योजना के प्रारुप 1978-83 के सम्बन्ध में प्रस्ताव	Motion re. Draft Five-Year Plan, 1978-83	166-172
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	166
श्री तेज प्रताप सिंह	Shri Tej Pratap Singh	166
श्री रामजीवन सिंह	Shri Ramjiwan Singh	167
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu	168
श्रीमती कमला बहुगुणा	Shrimati Kamala Bahuguna	169
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	170
श्री चन्द्रपाल सिंह	Shri Chandra Pal Singh	172
पुरःस्थापित किये गये विधेयक—	Bills Introduced—	172-177
(1) श्री आर० डी० गट्टानी का मोटर यान (संशोधन) विधेयक (धारा 95 का संशोधन)	(i) Motor Vehicles (Amendment) Bill (Amendment of Section 95) by Shri R. D. Gattani	173
(2) श्री तेज प्रताप सिंह का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नयी धारा 40क का अन्तःस्थापन)	(2) Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill (Insertion of new section 40A) by Shri Tej Pratap Singh	173
(3) श्री कंवर लाल गुप्त का व्यापार तथा पण्य चिह्न (संशोधन) विधेयक (धारा 78, 79 आदि का संशोधन)	(3) Trade and Merchandise Marks (Amendment) Bill (Amendment of Section 78, 79, etc.) by Shri Kanwar Lal Gupta	173
(4) श्री जी० एम० बनतवाला का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 30 का संशोधन)	(4) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 30) by Shri G. M. Banatwalla	
(5) श्रीमती पार्वती कृष्णन का न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक (धारा 2 और 3 का संशोधन)	(5) Minimum Wages (Amendment) Bill (Amendment of section 2 and 3) by Shrimati Parvathi Krishnan	174
(6) श्रीमती पार्वती कृष्णन का बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक (धारा 2, 17 आदि का संशोधन)	(6) Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Amendment Bill (Amendment of Sections 2, 17, etc.) by Shrimati Parvathi Krishnan	
(7) श्री आर० डी० गट्टानी का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 48 और सातवीं अनुसूची का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 48 and Seventh Schedule) by Shri R. D. Gattani	175

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
(8) श्री अर्जुन सिंह भदौरिया का भारतीय ट्रस्टीशिप विधेयक	(*viii*) Indian Trusteeship Bill by Shri Arjun Singh Bhadoria	175
श्री हरि विष्णु कामत का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51 का संशोधन)—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 51) by Shri Hari Vishnu Kamath—	175
परिचालित करने के लिए प्रस्ताव—	Motion for circulation—	
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	175
श्री शंकर देव	Shri Shanker Dev	176
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	177
आयकर (संशोधन) विधेयक—	Income-Tax (Amendment) Bill—	177-181
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	177
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	177
श्री हुकम देव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav	178
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	178
श्री मनोरंजन भक्त	Shri Manoranjan Bhakta	179
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	179
श्री राम नरेश कुशवाहा	Shri Ram Naresh Kushwaha	180
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	180
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	181
संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 23क, 23ख और 23ग का अन्तः स्थापन) ।	Constitution (Amendment) Bill— (Insertion of new Articles 23A, 23B and 23C)	181-183
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	Shri Y. P. Shastri	181
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	183

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 5 मई, 1978/15 वैशाख, 1900 (शक)

Friday, May 5, 1978/Vaisakha 15, 1900 (Sakha)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

EXPORT OF ROSE-WOOD AND SANDAL-WOOD

*988. SHRI ISHWAR CHOUDHRY : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to lay a statement showing :

(a) the parts of the country where rose-wood and sandal-wood are found in abundance and the quantum thereof exported last year (country-wise);

(b) the amount of foreign exchange earned thereby; and

(c) steps taken to increase the export ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) and (b) Rosewood is mainly grown in the States of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Sandalwood is mainly found in the States of Karnataka and Tamil Nadu and production is concentrated mainly in the Mysore region of Karanataka State. A statement showing quantity and value (country-wise) of Rosewood and Sandalwood exported from India during 1976-77 is attached.

(c) Our policy is to increase the export of only value added items such as veneers, plywood of Rosewood and perfumtry items and oil of Sandalwood. As far as Rosewood is concerned quota restrictions have been placed on the exports of logs and sawn form whereas the export of Sandalwood including chips, billets and spent dust flakes is allowed only is the extent of certificates and transit permits issued by the State Forest Authorities concerned. These steps have been taken to discourage the export of wood in raw form with a view to make available larger quantities of raw material in order to develop indigenous industry which is both employment and export oriented.

ROSEWOOD

1976-77

Countries	Unit	Qty.	Value (Rs.)
Australia	CUM		6,728
Belgium		72	1,99,062
Cameroon			1,946
Canada		21	276,943
Denmark		414	17,02,870
Dubai		9	76,145
France		305	23,20,174
German FRP		1,437	1,27,62,780
Greece		6	11,201
Hong Kong		668	9,25,297
Israel		45	1,95,271
Italy		3,065	2,78,83,378
Japan		14,334	5,75,23,850
Mauritius		1	5,433
Oman		14	1,21,355
Nitherlands		196	5,50,170
New Zealand		7	48,666
Norway		79	5,44,542
Saudi Arab		8	48,475
Singapore		14	1,31,604
Spain		214	8,82,467
Sweden		16	95,341
Switzerland		39	2,24,455
U.K.		341	11,01,037
U.S.A.		632	40,68,073
		21,937	11,16,97,263

SANDAL WOOD

1976-77

Countries	Unit	Qty.	Value (Rs.)
Dubai	Tonnes	5	27,940
France		5	1,78,000
Hong Kong		169	61,21,775
Japan		36	17,73,718
Oman		1	38,984
Saudi Arab		14	3,84,022
Singapore		58	27,26,563
Spain		1	12,743
Sudan		66	17,00,106
U.K.		2	53,000
U.S.A.		2	30,103
		3541	130,46,949

SHRI ISHWAR CHOUDHRY : The hon. Minister has clarified the policy of the Government regarding the export of sandal-wood and rose-wood which is allowed for development of indigenous industries but it transpires from the statement of sandal wood export that equal quantity of the wood is being exported to various countries but the rates are different. For instance Rs. 53,000 were charged from Britain whereas Rs. 30,103 were charged from U.S.A. Similarly, Rs. 27,940 were charged from Dubai and Rs. 1,78,000 from France. It seems that this difference might be due to expenditure on concluding export agreement. Did the Central Government give any advice and assistance to the concerned States with a view to ensure consumption of Sandal and rose wood within the country and development of their indigenous industries ? I also want to know from the hon. Minister of Industries the steps taken by them for promoting this programme.

SHRI ARIF BAIG : It is our aim that larger equantity of costly wood is used within our country so that it may provide employment to the people and the products of such wood should be exported in larger quantity so that it may provide us an opportunity to earn foreign exchange. It has been envisaged in our policy on this matter that such valuable wood will be exported not in the form of logs but in the form of furniture and other articles of added value so as to provide employment to a large number of people in our country during the next 3 years.

SHRI ISHWAR CHOUDHRY : I am grateful to the hon. Minister who appreciated our intentions that the raw material available in the country should be used within the country and the goods made of it are exported so that foreign exchange could be earned. But in some states the Forest Departments are not following this policy resulting in misuse of valuable wood like sandal wood. I hope that it would be a cause of concern to the hon. Minister.

With the hon. Minister convene a meeting of representatives of State Forest Departments in the near future and suggest them such steps?

I also want to know whether you propose to set up a factory or to advise the concerned contractors to do so for manufacturing goods out of raw material available in the country and to export the goods manufactured there.

SHRI ARIF BAIG : As I have already stated, it is the policy of the Government to provided employment to the largest number of people. I want to inform the House that this valuable wood has not attracted our attention so far, rosewood trees take 100 to 150 years for their full growth. If we do not pay any attention towards this wood, if would not be available in our country. Its present production is 30,000 cubic metres which may go down by 50 per cent during the next 2-3 years. Therefore the Government are now paying attention to the protection of these trees, the setting up of factories for its wood and for manufacturing articles out of this wood and as such a large number of people may get employment.

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है कि इस लकड़ी के निर्यात को हतोत्साहित किया जा रहा है ताकि उसके स्वदेशी उद्योग के विकास के लिये कच्चे माल के रूप में यह लकड़ी भारी मात्रा में उपलब्ध हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि : (क) कितनी लकड़ी का निर्यात किया गया और (ख) इसके स्वदेशी उद्योग में प्रतिवर्ष कितनी लकड़ी की खपत होती है? क्या यह सच नहीं है कि स्वदेशी उद्योग में उसकी खपत निर्यात की गई लकड़ी से बहुत कम है; परिणामस्वरूप बाजार में मंदी छा गई और उद्योगपतियों को इस लकड़ी के लट्ठे बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहे हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अभी तक ज्यादा से ज्यादा इस लकड़ी के लट्ठों या चिरी लकड़ी का बाहर निर्यात किया जाता था। अब स्थिति यह है कि हमारे सैकड़ों बढ़ई तथा दस्तकार ऐसे हैं जो उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। इसलिये हमने यह किया है कि उसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। 1977-78 में हमने 10,000 घन मीटर लकड़ी के निर्यात की अनुमति दी थी, 1978-79 में यह निर्यात 6,000 घन मीटर और 1979-80 में 3,000 घन मीटर का होगा। उसके पश्चात् हम रोजवुड का लट्ठों के रूप में निर्यात नहीं होने देंगे। परन्तु हमने यह नहीं कहा कि उसकी उपयोगिता बढ़ा कर बाहर निर्यात नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें विदेशी मुद्रा की आमदनी होगी और रोजगार बढ़ेगा। अन्यथा यही लकड़ी यदि लट्ठों के रूप में निर्यात हुई तो उससे हमें अधिक लाभ नहीं मिलेगा। इस के अतिरिक्त, जैसा कि मेरे मित्रों ने ठीक ही कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 31,000 घनमीटर का वर्तमान उत्पादन आगामी चार वर्षों में घट कर 16,000 घन मीटर रह जायेगा। हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा।

ऐसी परिस्थिति में जब ऐसी मूल्यवान वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, देश का प्रयत्न होना चाहिए कि अधिकतम विदेशी मुद्रा कमायी जाये और अपने देशवासियों को ज्यादा-से-ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री मोहन धारिया : इसलिये यह कहना सही नहीं है कि वह बहुत ही सस्ते दामों पर बेची जा रही है।

डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद : मेरा प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवर्ष जितना निर्यात होता है उसकी तुलना में खपत बहुत कम है और उसके परिणामस्वरूप लट्ठों को गोदामों में रखा जा रहा है और कीमतों में भारी गिरावट आयी है।

श्री मोहन धारिया : हमने राज्य सरकारों के संबंधित सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलायी थी हमने उन्हें ये लट्ठे या लकड़ी कटवाने के लिए मना किया था वह केवल हमारी खपत और निर्यात के आधार पर होना चाहिए। सबने सहमति व्यक्त की। यह नीति राज्य सरकारों से काफी विचार-विमर्श के बाद तय की गई। यह लकड़ी बहुत महत्व की है। देश में उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। हम लट्ठों का ही निर्यात कर रहे थे.....

श्री ए० सी० जार्ज : राज्य मंत्री तथा मंत्रिमंडलीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह देखने में सीधा सादा है परन्तु उसके पीछे एक शरारतपूर्ण विचार छिपा है। सर्वविदित है कि रोजवुड केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगायी जाती है। 1975 में वनों के महा-निरीक्षक ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य की सरकारों के प्रतिनिधियों, निर्यातकों तथा उद्योगपतियों की एक बैठक बम्बई में आयोजित की थी। उसमें यह निश्चय किया गया था कि 20 से 25 हजार टन लकड़ी का निर्यात किया जा सकता है। वास्तव में कुछ उद्योगपतियों का शरारतपूर्ण प्रस्ताव है और उन्होंने अपने कच्चे माल को सस्ते दामों पर खरीद लेने के लिये और केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में वन कर्मकारों तथा अन्य लाखों मजदूरों का रोजगार छीन लेने के लिये उपयोगिता बढ़ाने जैसे शब्दों का बहाना बनाया है। मंत्री महोदय कृपया बताएं कि वह इस मामले पर गौर करेंगे कि क्या उद्योगों में इस समय केवल 2,000 टन रोजवुड की खपत है और उपलब्ध केवल 25,000 टन है और इस बहाने से रोजवुड को अत्याधिक सस्ते दामों पर खरीद लेने का विचार है और यह शरारतपूर्ण विचार बम्बई के कुछ उद्योगपतियों का है?

श्री मोहन धारिया : मैं स्पष्ट कर दूं कि यह पहले जैसी सरकार नहीं है जो किन्हीं उद्योगपतियों के फंदे में आ जाये। यह सरकार देश के हित में ही स्वतंत्र रूप से सोच रही है। .....(**अन्तर्बाधा**)। कोई शरारतपूर्ण प्रस्ताव नहीं है। हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। इतनी कम कीमत पर ऐसी ऊंची किस्म की लकड़ी बाहर निर्यात करके हम अधिक विदेशी मुद्रा कमाएंगे। हमने वन संरक्षकों का दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया था। उन सब ने यह सहमति व्यक्त की कि यह गलत प्रस्ताव है। हमें यह लकड़ी लट्ठे के रूप में निर्यात नहीं करनी चाहिए। हमें यहां प्रयत्न करना चाहिए था कि यदि वे उसकी उपयोगिता बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिये उन्हें देश में उपलब्ध न होने वाली मशीन का आयात करने की आवश्यकता है तो उन्हें मदद दें। यदि ऋण की आवश्यकता है तो वह भी उपलब्ध

कराएंगे। चूंकि इस लकड़ी के पेड़ के लिये लगभग 150 वर्ष की जरूरत होती है इसलिये हमें सावधानी रखनी चाहिए। हमारी सरकार ने वे कदम उठाए हैं जो पिछली सरकार ने नहीं उठाए लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्रों ने इसे राजनैतिक रंग दिया है। हम पिछली भूलों को सुधार रहे हैं।

श्री ए० सी० जार्ज : 150 वर्ष की बात उद्योग और निर्यातकों दोनों पर ही लागू होती है।

रूद्राक्ष के दानों का आयात

†990. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रुद्राक्ष के दानों का आयात, इण्डोनेशिया से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1974, 1975, 1976 और 1977 में कितने मूल्य के कितनी मात्रा में ये दानें मंगाये गये;

ग) क्या यह सच है कि रुद्राक्ष पर बहुत आयात शुल्क लगाया गया है;

(घ) क्या जनता से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि आयातक रुद्राक्ष के मामले में चोर-बाजारी करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रुद्राक्ष का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने और उसे सरकारी एम्पोरियम और उपभोक्ता समितियों के माध्यम से वितरित करने का है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1977–78 में रुद्राक्ष के मनकों के आयात के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। किन्तु पुराने आयात लाइसेंस-धारियों के अनुसार उनके द्वारा इण्डोनेशिया मूल के रुद्राक्ष के मनकों का आयात बरास्ता सिंगापुर किया जा रहा है क्योंकि इण्डोनेशिया से सीधे जहाजों से जगह उपलब्ध नहीं होती। इस संबंध में सरकार को और कोई जानकारी नहीं है।

(ख) 1974-78 तक के दौरान जारी किये गये आयात लाइसेंसों का वर्षवार मूल्य निम्नलिखित है :—

1974–75	7,500 रु०
1975–76	20,000 रुपये
1976–77	12,500 रुपये
1977–78	शून्य

इन मूल्यों के आधार पर वास्तव में आयात किये गये रुद्राक्ष के मनकों की मात्रा अलग से दर्ज नहीं की जाती।

(ग) रुद्राक्ष के मनकों के आयात पर शुल्क की विद्यमान दरें बीज रूप में होने पर 75 प्रतिशत तथा तैयार वस्तुओं के रूप में होने पर 120 प्रतिशत है। यह शुल्क टैरिफ के सामान्य ढांचे तथा उसी श्रेणी के माल पर लागू होने वाले शुल्क के अनुरूप है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) रुद्राक्ष के मनके आयात नीति 1978-79 में परिशिष्ट 5 की प्रतिबंधित मद सूची में रखे गये हैं। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कोई आयात करना जरूरी नहीं समझा गया है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या यह सामान्य प्रथा है कि सरकार आयात लाइसेंसों के विरुद्ध आयात की गई मात्रा नोट करती है और यदि हां, तो इस मामले में वास्तव में आयात की गई मात्रा नोट न करने के क्या कारण थे? मैं ऐसे में प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं? पहले पूर्ण जानकारी दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहे प्रश्न पूछे या न पूछें।

डा० वसंत कुमार पंडित : क्या यह सच है कि पुलिस ने अप्रैल, 1978 में 13 लाख रुपये के मूल्य की रुद्राक्ष की लगभग 87 बोरियां पकड़ी थीं और क्या पुलिस केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जरिये मामले की जांच कर रही है जबकि सीमा शुल्क विभाग इसे दबाने की कोशिश कर रहा है? क्या सरकार के ध्यान में ऐसी बात आई है और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री मोहन धारिया : मैं माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं कि मूल्य के साथ-साथ रुद्राक्ष की मात्रा भी दी जानी चाहिए थी। यह 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के बारे में है। दुर्भाग्य की बात है कि रिकार्ड में मात्रा नहीं दी गई। हमने निदेश दे दिये हैं कि भविष्य में मूल्य और मात्रा दोनों ही होनी चाहिए।

यह सच है कि कुछ बोरियां पकड़ी गई थीं जैसा कि मुझे वित्त मंत्री महोदय से पता चला है क्योंकि जहां तक सीमा शुल्क का संबंध है, यह वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इनका आयात भारत साधु समाज द्वारा किया गया था और पकड़े गये माल की वापसी पर उन्हें इन्हें बेचने दिया गया। इसके आगे का ब्योरा मेरे पास नहीं है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या सरकार सदन को यह आश्वासन देगी कि तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी और चूंकि हमें रुद्राक्ष की आवश्यकता है। क्या इनका आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जायेगा और इन्हें सहकारी समितियों के माध्यम से लाभ-हानि रहित आधार पर बेचा जाएगा?

श्री मोहन धारिया : मैं सदस्य महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मंत्रालय के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और कोई चीज दबाई नहीं जा रही है तथा रुद्राक्ष के आयात के बारे में दोषी पाये जाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। हमारी नीति के अनुसार चालू वर्ष में यह सीमित सूची में है और जो भी रुद्राक्ष

का आयात करते हैं, हम देखेंगे कि वे उनका उचित वितरण करते हैं और मुनाफाखोरी नहीं करते हैं। जब तक किसी वस्तु का कोई निर्धारित मूल्य नहीं होता, तब तक उसकी चोर-बाजारी नहीं हो सकती। हम यह ध्यान रखेंगे कि इसमें मुनाफाखोरी न हो।

श्री वसंत साठे : क्या सरकार ने रुद्राक्ष की विशेषता और उसकी विशेष किस्म का पता लगाया है? इसका क्या महत्व है? क्या सरकार के पास नकली और असली रुद्राक्ष का पता लगाने का कोई वैज्ञानिक तरीका है? इसी कारण से तस्करी होती है? क्या आप जानते हैं कि आप नेपाल या कहीं और से असली रुद्राक्ष का ही आयात कर रहे हैं? आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह असल में जरूरतमंद लोगों को ही दिया जा रहा है, यदि इसका दवाई के रूप में या किसी अन्य में विशेष उपयोग है?

श्री मोहन धारिया : इसे सीमित सूची में रखा गया है? हमारा प्रयास होगा कि असली रुद्राक्ष ही आयात और उपलब्ध किये जायें।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The hon. Minister said in his reply that they had issued a permit for its import to the Bharat Sadhu Samaj. May I know the date when the permit was given and the quantity allowed to be imported and whether the imports were distributed in a fair manner and not sold in the black market ? I have got with me a number of press clipping of reports of bungling in the sole of *Rudrakshaw*. Recently a large quantity was seized in Banaras. Will you kindly make enquiry as to why the goods were concealed ? Do you have an idea of the quantity brought and sold clandestively and the persons involved in it? One newspaper report even said that if a proper enquiry was conducted many white collar personalities would be unmarked. Will the hon. Minister kindly take the House into confidence regarding the findings of the enquiry ?

SHRI MOHAN DHARIA : As already stated, the enquiry is in progress. The licences were given by the previous Government. I will request the hon. member to pass on to us the information which is available with him so that I may forward it to the Minister of Finance to facilitate and help the enquiry going on.

(गुजरात राज्य में नए पर्यटन केन्द्र)

*991. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य में कितने पर्यटक केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का गुजरात में नए पर्यटक केन्द्र आरम्भ करने की कोई योजना है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने जिन पर्यटक केन्द्रों में जनता होटल खोलने का निर्णय किया है उनका क्या ब्योरा है; और

(घ) गुजरात में वर्ष 1980 तक पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार कुल कितना धन व्यय करेगी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (घ) राज्य सरकार से प्राप्त हुए पर्यटन विकास के बारे में पर्स्पेक्टिव प्लान पर राज्य की 1978-83 की पर्यटन संबंधी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के समय विचार-विमर्श किया जाएगा और उसी समय यह भी तय किया जाएगा कि कौन-सी

स्कीमों को केन्द्रीय और कौन-सी स्कीमों को राज्यीय क्षेत्र में आरंभ किया जाएगा। परन्तु उनमें से केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा आरंभ की जाने वाली स्कीमों की संख्या साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ग) 1978–83 की पर्यटन संबंधी केन्द्रीय पंचवर्षीय योजना में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के चार महानगरों और ऐसे अन्य चुने हुए पर्यटन केन्द्रों पर, जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण कर लेने के बाद किया जाएगा, जनता होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है, परन्तु यह केन्द्रीय योजना में इस स्कीम के लिये उपलब्ध कराये गये साधनों पर निर्भर करेगा। आरभ में, एक जनता होटल का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है जिसके लिये सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

दूसरी, तीसरी योजनाओं, तीन वार्षिक योजनाओं, चौथी योजना तथा पांचवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में गुजरात में प्रारम्भ की गई पर्यटन स्कीमों को दर्शाने वाला स्कीमों विवरण

दूसरी पंच-वर्षीय योजना

क्र० सं०	स्कीम का नाम	व्यय
1	2	3
1.	अहमदाबाद में पर्यटक ब्यूरो	5,046
	तीसरी पंच-वर्षीय योजना	
भाग-I		
1.	लोथल में जल-सप्लाई	1,07,310
2.	ससन के विश्राम-गृह में सुधार	68,860
3.	केशोद और ससन के बीच तथा सेसने से गिर तक परिवहन सुविधाएं	62,031
भाग-II		
1.	पोरबंदर में निम्न आय-वर्गीय विश्राम-गृह	33,188
2.	चोरवाड में हालीडे होम	50,000
3.	नल सरोवर में कैफेटेरिया	25,000
4.	लोथल में कैंटीन व रिटायरिंग रूम	98,820
		4,45,209

वार्षिक योजना 1966-67

1.	लोथल में जल-सप्लाई (पूर्व योजना का अवशिष्ट)	1,000
2.	लोथल में कैंटीन व रिटायरिंग रूम	31,000
3.	ससनगिर फारेस्ट बंगले का सुधार	13,000
		45,000

1	2	3
	वार्षिक योजना 1967-68	
1.	लोथल में जल-सप्लाई स्कीम (पूर्व योजना का अवशिष्ट)	5,000
2.	लोथल में कैंटीन व रिटायरिंग रूम (वही)	10,000
3.	लोथल के कैफेटेरिया के लिये एप्रोच रोड	30,000
4.	साबरमती में पर्यटक बंगला	6,000
		51,000
	1968-69	
1.	साबरमती में पर्यटक बंगला	73,000
	चौथी पंच-वर्षीय योजना	
1.	साबरमती आश्रम में पर्यटक बंगला	3,63,000
2.	साबरमती आश्रम में सों-एट-लुमिएर शो	12,00,000
3.	गिर वन में विश्राम गृह	9,14,000
4.	गांधीनगर में युवा होस्टल	3,24,000
5.	पोरबंदर में पर्यटक बंगला	5,00,000
6.	गिर के वन्य जीव शरणस्थल के लिये दो मिनी-बसों की व्यवस्था	82,000
		33,83,000
	पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-75	
1.	गांधीनगर में युवा होस्टल	8,085
2.	पोरबंदर में पर्यटक बंगला	3,57,850
3.	ससनगिर में फारेस्ट लाज	1,11,000
		4,76,935
	1975-76	
1.	गांधीनगर में युवा होस्टल	68,295
2.	पोरबंदर में पर्यटक बंगला	1,77,037
		2,45,332
	1976-77	
1.	गांधीनगर में युवा होस्टल	312
2.	पोरबंदर में पर्यटक बंगला	40,380
3.	ससनगिर में फारेस्ट लाज	1,93,354
		2,31,046
	1977-78	
	सेसनगिर में फारेस्ट लाज (भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उपकरणों व साज-सज्जा की व्यवस्था के लिये	6,59,000

SHRI AHSAN JAFRI : I find from the statement that Gujarat has been ignored in development of tourist centres. I had asked for the details of Janata Hotels and tourist centres to be set up in Gujarat by 1980 by the centre but I have been told that the plans received from the State Government would be considered. I may submit that plans have been submitted earlier also. May I know the action taken or proposed to be taken to develop Veeraval complex between Sassangir Somnath and Dwarka as it is a centre of attraction for the local as well as outside tourists ? What have you decided about the plans already received and what amount will be spent thereon ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I have already given the details of expenditure worth Rs. 25 lakhs to be incurred during 1978-79 in the State Sector. As regards the Sixth Plan we shall certainly consider the perspective plan received from the State Government. The suggestion of the hon. Member regarding development of the area near Dwarka will also be considered *inter alia*. As regards Janata Hotels I have already said that areas will be identified after undertaking survey and depending on the resources available. We cannot depend solely or central resources. The State Governments and State Tourism Corporation should also provide resources for the construction of Janata Hotels. I have appealed to the people to help in construction of Janata hotels.

SHRI AHSAN JAFRI : Is Gujarat not covered under your scheme of survey for location of Janata hotels ? Can no centre be developed there ? Surat, Ahmedabad, Gir Forest, Dwarka, Veeraval Complex etc. are centres of big attraction from outside the State ? You are going to spend Rs. 32 lakhs in four cities of Madras, Delhi, Calcutta, etc. Are you not able to decide on construction of a Janata hotel in Gujarat ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : A provision of Rs. 10 crores has been made which is just sufficient for construction of 1250 rooms Janata hotels in the four metropolitan cities only. Achievements and failures will be reviewed every year and reallocation etc. would be made in accordance with the new policy and the rolling plan.

श्री धर्म सिंह भाई पटेल : उत्तर के साथ संलग्न विवरण के पृष्ठ 2 पर कहा गया है कि 1977-78 में ससनगिर में फारेस्ट लाज (भारत पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उपकरणों और साज-सज्जा की व्यवस्था के लिये) की एक योजना है। मैं जानना चाहता हूं कि यह फर्नीचर जो अभी तक नहीं पहुंचा है इसको आप कब तक भेज देंगे ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I will look into it and it would be expedited.

SHRI MOTIBHAI R. CHOWDHRY : May I know the decision taken on the demand made last year to develop Ambaji near Abu as a tourist centre since it is a hill area as well as a centre of pilgrimage.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : As regards centres of pilgrimage I have earlier stated in the House that we are setting up a central society in which we will appeal to the people at large also to provide resources for the purpose in addition to grants-in-aid by the Government. In case of centres of pilgrimage people prefer to stay in *Dharamshalas*. While considering the improvements in Dharamshalas the suggestion made by the hon. member will also certainly be taken into consideration.

श्री हितेन्द्र देसाई : गुजरात में एक काम्पलैक्स है—वेरावल काम्पलैक्स जहां से हम द्वारका, सोमनाथ और गिर जाते हैं जहां का गिर शेर एशिया में प्रसिद्ध है। अतः वेरावल वहां है, अहमदाबाद वहां है। गांधी आश्रम यहां है। क्या सरकार अहमदाबाद या वेरावल में जनता होटल खोलने के बारे में विचार करेगी ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : As I have said we will consider the suggestion given by the hon. Member.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGAGES ACT, 1963 AND RULES MADE THEREUNDER

*993. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether his Ministry/Department has informed its attached and subordinate offices of the provisions of Official Languages Act, 1963 and the rules made thereunder in June, 1976 and have they been asked to implement them;

(b) if so, whether the Ministry/Department have ensured full implementation of the above provisions and rules; and

(c) if not, the reasons therefor and steps being taken to ensure full implementation of Rules relating to Official Languages ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) All efforts are being made to ensure full implementation of the provisions of Official Languages Act and the Rules made thereunder.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : It would have been better had the hon. Minister laid on the Table of the House a statement in this regard.

I think the hon. Minister must have gone through the Official Languages Act and the rules made thereunder...... (*Interruptions.*)

श्री के० गोपाल : अध्यक्ष महोदय, मौखिक प्रश्नों की सूची में हर रोज विभिन्न मंत्रालयों के बारे में एक ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह कपटपूर्ण बात है? इसकी जाँच की जानी चाहिए। (व्यवधान)।

श्री वसंत साठे : अब समय आ गया है जब हिन्दी के प्रति कट्टरता को रोका जाना चाहिए। वास्तव में ये लोग हिन्दी को लाभ के बजाए हानि पहुंचा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : गोपाल जी, यदि आपको कार्यालय के खिलाफ कोई शिकायत है तो आप मुझे बताएं। मैं आपको उसे सिद्ध करने का अवसर दूंगा। लेकिन आप सभा में उठकर यह नहीं कह सकते कि वे छल कर रहे हैं। वे सफाई पेश करने के लिये यहां उपस्थित नहीं हैं। यह ठीक बात नहीं है। यदि कोई परिस्थितियों पर आधारित साक्ष्य है तो मैं उस पर गौर कर सकता हूं। यदि आपकी कोई वाजिब शिकायत है तो मैं मामले की जांच-पड़ताल करने को तैयार हूं किन्तु जो टिप्पणी की गई है मैं उसे पसन्द नहीं करता। खुले सदन में कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप लगाना उचित नहीं है। वे निराश हो जायेंगे। जनमत आज एक के पक्ष में और कल दूसरे के पक्ष में हो सकता है।

श्री के० गोपाल : यह परिस्थितियों पर आधारित साक्ष्य है। आप इसकी जांच कराएं। हर रोज यह कैसे हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है। (व्यवधान)।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, हमें कार्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है किन्तु दक्षिण राज्यों के लोगों के मन में यह बात आती है कि हिन्दी को थोपा जा रहा है क्योंकि एक ही किस्म के प्रश्न सभा में बार-बार पूछे जाते हैं और उन पर चर्चा होती है।

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Sir, before asking any question I would like to tell that we too have a complaint in regard to ballots. But Members are also called there. Therefore you should tell these Members of Opposition, who are complaining, that they should go there and see the ballot. It is very surely that one or two questions come in the ballot and that too only there which we do not want. I will not say more on this point.

May I know whether the hon. Minister has seen in the Official Languages Act and the Rules made thereunder......

अध्यक्ष महोदय : हर एक को यह पता है। आपको नियम बताने की जरूरत नहीं। आप प्रश्न पर आइये।

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : What is the provision in it in regard to A, B and C States and whether Tamil Nadu is out of the purview of Official Languages Act ? May I know what standard you laid down for each category of States ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : Sir, this is the first question that has been asked from my Ministry. At the same time it is also not correct to say that full action is not taken as per the decision of the Government. But we will have to take into consideration the position of the country as a whole. Whenever Hindi is to be introduced it will be introduced without any coercion.

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Had he byone through it he would have seen that nothing has been imposed. During the last thirty years even bilangual sign board I have not been put in the offices. Even this small work has not been done. Are even ordinary things, enumerated here, being done in the offices ? Have you ever enquired it ? Even this small thing is not being enquired and it is said that we want to keep the country. Nobody can harm the country.

SHRI MOHAN DHARIA : As I have already said all the instructions which have been given are implemented in full. Moreover, the House will be pleased to know that the international agreements and protocols are now written in English well as in Hindi and are also signed. Though this was not in the instructions of the Government but we have introduced it. As the same time I would like to tell that this work will be done with the consent of all. Any pressure will do more harm Urdu good to Hindi.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है। क्या उन्हें इस बात का भी पता है कि वाणिज्य विभाग में तृतीय श्रेणी के बहुत से कर्मचारियों को इसलिये पदोन्नत नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने विहित हिन्दी परीक्षा अभी पास नहीं की है? क्या यह बात सच है? यदि हां तो इस श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है?

श्री मोहन धारिया : मैंने इस पहलू पर भी ध्यान दिया है। मैं सभा को विश्वास में लेकर यह बताना चाहता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण 608 कर्मचारियों में से 108 को छोड़कर सभी ने हिन्दी की शिक्षा प्राप्त की है। नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में 236 कर्मचारियों में से केवल 25 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अभी प्रशिक्षण लेना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वे भी प्रशिक्षण ले लें। हमारा यह प्रयास होगा कि सभी हिन्दी भाषा को समझने की कोशिश करें। जहां तक पदोन्नतियों का संबंध है यह कहना सही नहीं है कि हिन्दी न आने के कारण उनकी पदोन्नति रोक दी गई है।

बिड़ला ग्रुप द्वारा आयकर अदा न किये जाने की जांच

*994. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला ग्रुप द्वारा नियंत्रित अनेक फर्मों द्वारा आयकर अदा न किये जाने और आयकर का अपवंचन करने की जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन पर आरोप क्या हैं; और

(ग) यदि जांच पूरी हो गई है तो इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) कर की चोरी और कर से बचने के मामलों का पता लगाने की कार्यवाही एक ऐसी कार्यवाही है जो सतत रूप से चलती रहती है। बिड़ला समूह के मामलों में जांच पड़ताल अभी जारी है।

2. वित्तीय वर्ष 1976-77 और 1977-78 में, अन्य मामलों के अलावा, बिड़ला समूह से संबंधित इन कंपनियों के मामलों की जांच की गई है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैदराबाद एस्बस्टास सीमेंट प्रोडक्टस लिमिटेड, इंडिया स्टीमशिप

कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड, ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यू-फैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, केशोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड और टैक्समको लिमिटेड। कर से बचने और कर की चोरी करने के वभिन्न उपायों का पता लगा है जिनमें ये उपाय शामिल हैं। जाली बिक्री के कमीशन का दावा करना, खरीद को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाना, अपेक्षाकृत अधिक विकास छूट और मूल्य ह्रास का दावा करने के लिये अत्यधिक पूंजीकरण, डूबी रकमों के लिये गलत दावा करना, बकाया माल (क्लोजिंग स्टाक) का कम मूल्य लगाना, पूंजीगत परिव्यय की राजस्व व्यय, आदि के रूप में मंजूर करना। जिन मामलों में छूट देना आवश्यक नहीं है उन्हें हसाब में लेने और रकमों में आवश्यक वृद्धि करने के बाद कर निर्धारण कर लिये गये हैं और किये जा रहे हैं और जिन मामलों में जरूरी समझा गया है, उनमें दण्ड लगाने संबंधी कार्यवाही शुरू की जा रही है।

SHRIMATI MRINAL GORE : Sir, I can understand that the cases of the Birla Group continue to be under investigation and ought to be. It appears from the answer of the hon. Minister that they have not left any device of tax evasion. Many a time questions in this regard have been asked in this House and the answer has always been given that investigation is continuing and the results of the investigation will be laid on the Table of the House. In reply to part (b) and (c) of question No. 2911 of Shri Hukam Narain Deo asked on 8th July, 1978 regarding customs and excise duty the hon. Minister had said that the information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course. Therefore there is no that investigation will always continue but my question is whether Government cannot give any figures regarding tax evasion or punishment awarded to any company as a result of investigation made against the companies mentioned above during the year 1976—77 ?

श्री एच० एम० पटेल : ऐसा लगता है कि कोई गलत फहमी हो गई है। निरन्तर जांच का यह अर्थ नहीं है कि इन कंपनियों से कर वसूल नहीं किया जाता है। मैं समझता हूं कि बिड़ला ग्रुप की कंपनियां नियमित रूप से कम से कम 50–60 करोड़ रुपये हर वर्ष कर के रूप में देती हैं। जांच का यह अर्थ नहीं है कि वसूली नहीं की जाती।

आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को ही ले लीजिए। जिस प्रकार की चीजें पाई गई और जो कुछ किया जा रहा है मैं उसका उल्लेख करता हूं। ऐसा दावा किया गया था कि विभिन्न व्यक्तियों को चैक से काफी कमीशन दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को इससे पता नहीं चलेगा। ऐसा आरोप है कि उन लोगों ने राज्य विद्युत् बोर्डों और अन्य पक्षों से क्रयादेश प्राप्त करने के लिये सेवा की है। विद्युत् बोर्डों तथा अन्य पक्षों से जांच करने पर पता चला है कि उन लोगों ने कोई सेवा नहीं की और कुछ व्यक्ति अस्तित्व में ही नहीं पाए गए। कमीशन का सारा दावा झूठा है इसलिए उसे अस्वीकार करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिये फिर से खोले गए उनके निर्धारण में इस कारण 1971-72 के निर्धारण वर्ष में 6 लाख 81 हजार रुपये और जोड़ने का प्रस्ताव है। अन्य क्षेत्रों में ऐसे दावों की जांच की जा रही है।

हैदराबाद ऐस्बेस्टास सीमेंट प्रोडक्टस लिमिटेड के मामले में कम्पनी ने नेपाल में खनन व्यय का दावा किया था जो जांच करने पर पता चला कि खोज पर किया गया व्यय है। यह भी पता चला कि खानों का वाणिज्यिक रूप से अन्वेषण नहीं किया गया है।

कम्पनी ने कराधान के लिये 47 लाख रुपये का दावा छोड़ दिया। उसी कम्पनी ने भारतीय खानों के संबंध में पर्याप्त खनन व्यय का राजस्व व्यय के रूप में दावा किया।

जांच करने पर यह पता चला कि वह विकास और खोज संबंधी व्यय था। वह पूंजीगत व्यय की तरह का व्यय था। 1964–65 से 1972–73 तक के निर्धारण वर्षों के दौरान 42 लाख रुपये की राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में आंका गया था। अभी कुछ और निर्धारण करने बाकी हैं। निर्धारण वर्ष 1973–74 में ऐसे कई मामलों में जिनमें छूट देना आवश्यक नहीं है हिसाब में लिया गया है। कम्पनी ने भी ऐसी कमीशन का दावा किया है जो कतिपय सम्बद्ध समुत्थानों को दिया गया है। ऐसा पाया गया कि भुगतान प्रापक द्वारा किसी भी सेवा के न किये जाने के लिये किया गया।

AN HON. MEMBER : Is he reading again?

श्री एच० एम० पटेल : मैं केवल बतला रहा हूं। दोबारा नहीं पढ़ रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूं आप उसे समझ रहे हैं।

इण्डिया स्टील कम्पनी लिमिटेड/नौवहन कंपनियां पूरी लागत के साधारण अवमूल्यन के अलावा जहाज की कुल क्रय लागत की 40 प्रतिशत विकास छूट मिलती है। अतः....

SHRIMATI MRINAL GORE : Sir, it would have been better had the hon. Minister laid on the Table of the House this statement. Reading the statement will consume considerable time and we will not get a chance to ask questions.

श्री एच० एम० पटेल : मैं समझता हूं कि आप के लिये यह जानना जरूरी है। मैं आपके दूसरे प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूं।

लेकिन इसका आपके लिये जानना अच्छा है। अतः 100 रुपये के पूंजी व्यय के लिये नौवहन कम्पनियों की कुल कटौती छूट जो बैठती है वह है...... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यह बहुत लम्बा विवरण है। ऐसा मालूम देता है कि इस कम्पनी के लिये एक अलग आयकर विभाग की जरूरत है।

श्री एच० एम० पटेल : यही कारण है कि हमने दिल्ली में उसके लिये एक सैल बनाया है। चूंकि मुझे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते इसलिये यह जानकारी एक विवरण के रूप में नहीं दिये जा सके। इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में अतिरिक्त जानकारी दी है जो दिलचस्पी वाली है।

श्री कृष्ण कान्त : ब्योरा सदन के पटल पर रख दिया जाना चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल : यह विशद नहीं है। (अन्तर्बाधाएं)।

SHRIMATI MRINAL GORE : In this way I would not get time to ask the next question. At first I asked as to what action had been taken against the Company.

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गोरे, मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न के बाद बाकी बातों के लिये आधे घंटे की चर्चा रखी जायेगी।

श्री एच० एम० पटेल : आधे घंटे की चर्चा का कोई फायदा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यधिक महत्व का मामला है।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे आधे घंटे की चर्चा में कोई आपत्ति नहीं है। **(अन्तर्बाधाएं)** आपको ज्ञात होगा कि बिड़ला समूह के अन्तर्गत बहुत सी कंपनियां हैं। उदाहरण के लिये औद्योगिक लाइसेंस नीति समिति के प्रतिवेदन, 1969 में बिड़ला औद्योगिक घराने के अन्तर्गत

203 कम्पनियां गिनाई गई हैं। उक्त प्रतिवेदन में इनके अलावा 73 कंपनियां और गिनाई हैं जो बिड़ला समूह की दूसरी पंक्ति वाली कंपनियों की श्रेणी में हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : बिड़ला साम्राज्य।

श्री एच० एम० पटेल : अब निश्चय ही ऐसी कम्पनियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं आपको कुछ प्रमुख कंपनियों का उदाहरण दे रहा था। इस बारे में पूरे विवरण का अर्थ होगा कि कई ग्रंथ लिखने होंगे जिसके लिये इस सदन के पास समय नहीं है। परन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इन सभी मामलों की छानवीन चल रही है और किसी को भी... (अन्तर्बाधाएं)।

श्री सी० एम० स्टीफन : सारे विषय पर लोकलेखा समिति के एक प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया है। यह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य अब यह कह रहे हैं। परन्तु उन्हें मालूम होना चाहिए कि कितने वर्षों से सरकार आयोग जो उन्होंने बहुत वर्ष पहले नियुक्त किया था, इस मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने इसमें क्यों इतना समय लगने दिया।

SHRIMATI MRINAL GORE : As you said it will required witness but still we will not be able to detect bungling in Birla companies. I would like to know whether you have taken any action in regard to be investigation.

श्री एच० एम० पटेल : हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

श्रीमती मृणाल गोरे : क्या आपने मुकदमा चलाया है?

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार से मुकदमे का सवाल एक निश्चित अवस्था आने पर पैदा होता है। उससे पहले अनेक मामले हैं जिनमें न्यायालय आदेशों के अन्तर्गत कम्पनी के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही रोकनी पड़ी है। उदाहरण के लिये श्री राज बल्देव दास बिड़ला, जयपुर, और श्री संतोष पिलानी, के ऊपर 1970-71 से 1974-75 तक हर वर्ष लगभग 11 लाख रुपये बकाया थे। कलकत्ता उच्च-न्यायालय ने इसकी वसूली रोक दी है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि कितने मामलों में कार्यवाही कर सके हैं।

श्री एच० एम० पटेल : कार्यवाही का केवल यह अर्थ है कि आप किन्हीं आवश्यक बातों को न होने दें और देय कर की रकम बढ़ जाती है जो वे तुरन्त अदा कर देते हैं। वसूल हो जाने पर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती। अतिरिक्त जुर्माने की रकम वसूल हो जाने के बाद समूची प्रक्रिया पूरी हो जाती है।

एक माननीय सदस्य : तिहाड़ जेल क्यों नहीं?

SHRI VIJAY KMAR MALHOTRA : Mr. Speaker, the hon. Mnister has stated that in some cases investigation is in progress and in some other cases court's decision is pending or stay orders have been passed by the courts. As such it appears that no action is being taken against the concerned parties. In view of the fact that cases against Birlas have been pending few a long period, will a special benefit be appointed for their disposal. I want to know whether the hon. Minister is aware that a large number of the persons deployed for investigation have accepted employment from Birlas on big salaries and they have spoiled the cases. What steps have been taken to prevent influence by Birlas on investigation and whether it would be feasible to appoint a Committee of Members of Parliament to go into this matter ?

AN HONOURABLE MEMBER : All parties should be represented in that Committee.

श्री एच० एम० पटेल : मेरे विचार से माननीय सदस्य बेकार की आशंका में हैं। हरेक का विश्वास है कि बिडला साम्राज्य की कोशिश यह रहती है कि बहुत से लोग उनके.. में हों। लेकिन जहां तक आयकर आयुक्तों और इन जांचों का संबन्ध है मैं आश्वासन देता हूं कि हम इस बात की सावधानी रखेंगे कि वे लोग उनके प्रभाव में न आएं। हम इसे रोक ही सकते हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या सेवा निवृत्त होने के बाद ये सभी लोग बिड़ला समूह में रोजगार लिये हुए हैं। हम ये जांच सेवा निवृत्त हुए या सेवा निवृत्त होने वाले लोगों से नहीं करा रहे हैं। चूंकि जांच काफी वर्ष चलती है इसलिये वह काफी नौजवान व्यक्तियों से कराई जाती है।

अध्यक्ष महोदय : सभा को चिन्ता यह है कि वर्षों तक जांच चलने के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है।

श्री एच० एम० पटेल : कोई ठोस काम नहीं हो रहा, यह कहना सही नहीं है। यही कारण है कि किसी भी वर्ष में उनसे 50 करोड़ रुपये से कम कर वसूल नहीं हुआ। कुछ बातों में फैसला कर लिया गया है और कुछ नई बातें उठी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में व्यापक चर्चा की संभावना पर विचार करूंगा।

श्री वयालर रवि: श्रीमान्, मैं नियम 376(2) के अन्तर्गत मामला उठाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने आपको निदेश 115 के अन्तर्गत एक पत्र लिखा था पर उसका उत्तर नहीं मिला। मंत्री महोदय निदेश 115 के अन्तर्गत शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितना समय लगेगा? क्या वह सदस्य को गुमराह करते रहेंगे। उत्तर के लिये वह दो-तीन सप्ताह नहीं लगा सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल फिर याद दिलाते हुए पत्र लिखा है।

DEATHS DUE TO KALA-AZAR

8. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) the total number of deaths which have occurred due to Kala-azar in the country during the last one year;

(b) whether reports of incidence of Kala-Azar are still coming in from the different parts of the country; and

(c) the steps taken by Government to check the spread of Kala-Azar ?

MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV) : (a) Deaths due to Kala-Azar have been reported from the State of Bihar. 229 deaths have been reported in Bihar in 1977 and 6 deaths during this year.

(b) Reports of new cases of Kala-Azar are being reported from Bihar from districts other than Vaishali, Muzaffarpur, Samastipur and Sitamarhi where anti Kala-Azar measures have been taken. No such report has been received from other States.

(c) A statement indicating the steps taken by Government to check spread of Kala-Azar is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

The following measures have been taken to check the spread of Kala-Azar :—

1. In Bihar DDT spray has been given in the areas to control the Sand Fly population which is the carrier of the disease in the four districts of Bihar which were worst affected. A comprehensive control programme for the whole State of Bihar for 1978-79 has been drawn up. The Control programme includes DDT spray

(2 rounds in the affected areas), case detection and treatment, training of personnel and undertaking of research programmes. A total outlay of Rs. 134.85 lakhs has been made for 1978-79 for assistance by the Central Government. In addition the State Government would provide drugs for the treatment of cases.

2. The Central Government have set up a Central Survey Team at the Directorate of National Malaria Eradication Programme for carry out Kala-Azar services in States other than Bihar.

3. Antimony drugs have been provided by the Government of Bihar to the Primary Health Centres for giving treatment to the affected cases.

4. Adequate amount of Pentamadine and Lomidine, which are required for cases which are resistant to Antimony drugs have been procured and provided to Bihar and other States by the Health Ministry.

5. Union Minister of State for Health and Family Welfare himself visited Kala-Azar affected areas of district of Muzaffarpur, Vaishali, Samastipur, Sitamarhi and Saharsa and supervised the Programme.

6. Central Teams from the National Institute of Communicable Diseases, Delhi have paid repeated visits to supervise the field activities in Bihar.

7. Training of medical and para-medical staff in diagnosis and control of Kala-Azar has been taken up.

8. Research is being undertaken to outline steps to prevent the recurrence of the disease.

SHRI RAM VILAS PASWAN : I raised this matter long ago but nobody took notice of it. At that time Government stated that there had been only 7 deaths due to Kala-azar. I had challenged the Government that there had been 2000 deaths in Vaishali district only and I would resign from the membership of the House, in case Government's report is correct. It is regrettable that such misleading report is given. The hon. Minister just reads out the information made available to him. Shri Yadav stated in a Press Conference on 25th September that 4000 deaths had taken place due to Kala-azar in Bihar.

The National Institute of Communicable Diseases in Delhi conducted a survey of the districts Vaishali, Muzaffarpur, Samastipur and Sitamarhi in Bihar during last August and on conclusion of the survey they reported that there were 60 to 70 thousand people suffering from Kala-azar and 8 thousand people had died thereof. A report appeared in a newspaper on 1st September that Dr. (Smt.) S. Triky, the Director of Health Services in Bihar had visited to Hazipur and stated that in Vaishali district alone 800 villages were in the grip of Kala-azar. I had demanded that W.H.O. experts should be called for. A Central Committee and a W.H.O. experts team visited Bihar for a survey. Being the custodian of this House you may please guide us how we should act. I would like to know whose report about the incidence of the desease and toll of life is correct.

I want to know what steps are being taken to prevent the Kala-azar. I want to tell you that Kala-azar is a developed form of maleria. It is reported that incidence of malaria has increased six times in Delhi. If the Government is not able to check malaria, it will not be successful in checking even Kala-azar. The cases of malaria have increased six times and as reported in Press on 29th April Kala-azar has broken out again in north Bihar and ten thousand persons are in its grip. Hence Government should act on war footing to check this disease.

The second point is that he has tried to show that Malaria and Kala-azar are same. But the virus of Malaria is different whereon the virus of Kala-azar is Saint fly. It does not fly whereon the saint fly flies. As far as the preventive measures are concerned, D.D.T. is used in both case. I have tried to meet the requirements of D.D.T. Other medicines have also been made available. I have taken all possible measures. I think I have furnished full information in the statement. We have chalked out a programme to spend Rs. 134.86 lakhs during 1978-79. We have made arrangements for spray pumps and medicines sprays have already undertaken in 2 or 3 districts. We have made full preparations.

AN HONOURABLE MEMBER : How many persons have died ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : It is very difficult to furnish correct figures of deaths. I have sent an official to find out the figures. The honourable member was also to visit the places where deaths in thousands have been reported. But he did not reach there. The Government data indicates that in 1977, 229 persons have died. Some statistics are not available. We will send an officer to collect the same, if the honourable member tries to give information, we will readily receive it.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Mr. Speaker Sir, I am all praise for the minister that he has undertaken the work on warfooting. But I want to know that whether the reply of the honourable Minister that 4000 persons have died was correct or what he has said in the Government report that 270 persons have died is correct ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह एक अनुमान मात्र था। जांच करने के बाद उन्होंने सही तथ्यों का पता लगाया है। आप अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

SHRI RAM VILAS PASWAN : My second question is : The situation is so grave that four thousands persons have died and the honourable minister has confirmed this figures. I want to ask whether only four districts of Bihar are in the grip of Kala-azar or whether it is spreading in Haryana, Uttar Pradesh and in other States. If it is spreading there, what steps are being taken by Government to contain it on war footing ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : In 1978, we have not received information from other States. But in 1977, some cases were reported from Bengal, Meghalaya and certain other States. But these cases were due to communicable diseases. For example, two persons belonging to Bihar came to Willingdon hospital for treatment. They went back to Bihar. In 1978, we have not received any report from any State except Bihar. In Bihar, we have examined all the 31 districts and we have undertaken spraying work there. We have taken all preventive measures to check Malaria as well as Kala-azar, work in this regard is going on at warfooting.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Mr. Speaker Sir, 500 persons have died of Kala-azar in Sonbarsa block in Saharsa district last year. Honourable Minister has also paid a visit to that block but nothing has been done there even after that. The result has been that Kala-azar is spreading in Saharsa district and hundreds of persons have died due to it. I want to know the reasons why no action has been taken even after the honourable member visited the affected district.

It is said that D.D.T. is not effective for killing mosquitoes. Will the Minister enquire into this matter ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : As far as Saharsa is concerned, 455 cases were reported in 1977 and there were 1464 cases in 1977 and 1978 and three persons have died.

As far as the D.D.T. sprays are concerned, the malaria virus has, developed resistance to it. Therefore, substitutes such as B.H.C. or Malathian are being used. But it has not been reported from anywhere that sand fly has also developed resistance to D.D.T. As far as spraying is concerned, it is going on. Four districts of Vaishali, Muzaffarpur, Samastipur and Saharsa of Bihar have been sprayed twice.

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV : Spraying has not been done. If it has been done, the mosquitoes do not die.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : The time has come when the spraying operations will be undertaken.

SHRI MRITUNJAY PRASAD : I had suffered from Kala-azar in 1920 and I took some medicine and was cured of it—But I have forgotten the name of that medicine.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि दवाइयों के बिना अच्छा रहता है।

SHRI MRITUNJAY PRASAD : The effect of that medicine has been that I was cured of Kala-azar but that disease has still its effect on my health. The medicines cure the disease but adversely affect the health. May I ask the Minister that what arrangements are being made to check this adverse effect ?

अध्यक्ष महोदय : यह विचार करने के लिये सुझाव है।

SHRI YUVRAJ : Mr. Speaker Sir, the menace of Kala-azar is not only in Bihar but also in Eastern Uttar Pradesh, West Bengal, and Tamil Nadu. The Health Department had asked for Rs. 2 crores 11 lakhs from the Planning Commission and the Planning Commission has refused it on the ground that it is a State subject. Whether it is because of shortage of funds that proper medical facilities are not available in the Kala-azar areas and the proper surveys have also not been conducted there.

Government is also not aware of the number of deaths from Kala-azar. Therefore, I want to know that the Planning Commission refused to grant money on the plea that it was a State subject ?

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Sir, it has not happened during the rule of Janata Party. A demand was made during the Congress regime and the Planning Commission did not accept it on the plea that it was a State subject. But when the menace of Kala-azar became acute, we approached the Planning Commission and they accepted our request. I would like to inform the honourable member that we are forulating a 134.86 lakh programme and it will be implemented in Bihar and we will not allow anybody to die due to the money or medicine shortage.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

एयर इंडिया तथा ब्रिटिश एयरवेज द्वारा नई दिल्ली से लंदन तक की पूर्ण-मालवाहक नई विमान सेवाएं

*987. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया और ब्रिटिश एयरवेज ने कई नई दिल्ली से लन्दन तक की कुछ पूर्ण मालवाहक नई विमान सेवाएं आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इसकी सेवाएं पूर्व में भारत, टोकियो और कुआलालम्पुर होकर तथा पश्चिम में बगदाद होकर कुछ नये स्थान से भी होकर जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। अप्रैल, 1978 से, ब्रिटिश एयरवेज ने भारत से होते हुए कुछ अनुसूचित सेवाएं चालू की हैं जो पूर्व में टोकियो तथा कुआलालम्पुर और पश्चिम में बगदाद होते हुए चलती हैं।

(ग) :—

क्र० सं०	उड़ान सं०	मार्ग	विमान की किस्म	परिचालन के दिन
1.	बी० ए० 003	लंदन/फ्रैंकफर्ट/दिल्ली/कुआलालम्पुर/हांगकांग	बी—747	शनिवार
2.	बी० ए० 021	लंदन/डोहा/दिल्ली/हांगकांग/टोक्यो	वीसी—10	मंगलवार
3.	बी० ए० 022	टोक्यो/हांगकांग/दिल्ली/डोहा/लंदन	वीसी—10	सोमवार
4.	बी० ए० 221	लंदन/बेरूत/बगदाद/दिल्ली	वीसी—10	बुधवार व रविवार
5.	बी० ए० 220	दिल्ली/बगदाद/बेरूत/लंदन	वीसी—10	सोम व गुरुवार

गांधीनगर, गुजरात में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता

*989. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की राजधानी, गांधीनगर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और कितनी मात्रा में और किस आधार पर तथा किस हिसाब से;

(ग) क्या उक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अब भी विशेष भत्ता मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को कितना प्रतिपूर्ति भत्ता मिल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ) गुजरात की नई राजधानी गांधीनगर के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में वहां की रहन-सहन की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए, वहां पर काम कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1-6-1969 से वेतन का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर पर, किन्तु अधिक से अधिक 100 रु० प्रतिमास, प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किया गया था। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में किये गये ऊर्ध्वमुखी संशोधन के फलस्वरूप 1-4-74 से उक्त भत्ते की दर घटाकर वेतन का 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 100 रुपये प्रतिमास कर दी गई थी। उपर्युक्त दरों पर यह भत्ता गांधीनगर में काम कर रहे सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 31 मार्च, 1978 तक के लिये मंजूर किया गया है। इस भत्ते को उक्त तारीख से आगे बढ़ाया जाए अथवा नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति सम्बन्धी समिति

*992. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार करने के लिये समिति गठित की है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने अपने पहले निर्णय को अब बदल दिया है और पर्यटन के संबंध में राष्ट्रीय नीति के बारे में कोई औपचारिक समिति गठित नहीं की जा रही है। तथापि, पर्यटन के संबंध में राष्ट्रीय नीति शीघ्र ही घोषित कर दी जायेगी।

CONSTRUCTION OF AIRSTRIP AT NAVRANGPUR DEWAS

*995. SHRI KESHAVRAO DHONDGE : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether a request has been made to the Central Government and the State Government of Maharashtra to construct an air strip at Navrangpur Dewas in place of Kandhar Taluka in Nanded district in Maharashtra;

(b) the decision taken by the Government thereon;

(c) whether this demand has been accepted; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The proposal could not be accepted as no scheduled or non-scheduled airlines evinced interest to operate air services to Navrangpur Dewas or Kandhar due to poor traffic potential.

ALLEGED MISUSE OF IMPORT LICENCES BY SHRI RAM RAYONS, KOTA (RAJASTHAN)

*996. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4972 on the 23rd December, 1977 regarding alleged misuse of import licences by Shri Ram Rayons, Kota (Rajasthan) and state :

(a) whether investigations still continue against M/s. Shriram Rayons, Kota (Rajasthan);

(b) if so, details thereof; and

(c) the action taken against the firm and whether papers in this regard will be laid on the Table ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) to (c) The matter is yet under investigation.

बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव का अध्ययन

*997. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या वित्त मंत्री बड़े करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में 24 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 598 के ऊपर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े नोटों के विमुद्रीकरण का प्रभाव संबंधी अध्ययन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यवाही के प्रभाव और परिणाम के बारे में विस्तृत विवरणपत्र सभा पटल पर रखा जाएगा;

(ग) क्या उक्त कार्यवाही से वह प्रयोजन पूरा हो गया है, जिसे सरकार पूरा करना चाहती थी; और

(घ) यदि नहीं, तो स्पष्ट स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) सारे पहलुओं पर इस उपाय के प्रभाव का अभी तक अध्ययन किया जा रहा है।

जहां तक आयकर विभाग का संबंध है, जैसा आवश्यक है, बदलवाने के लिये पेश किये गए उच्च मूल्य वर्ग के नोटों के स्रोतों में जांच पड़ताल की जा रही है।

इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 क और धारा 131 के अन्तर्गत 12883 घोषणाओं के संबंध में जांच की जा रही है। जहां कहीं पर भी मुनासिब है धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी और जब्ती की कार्यवाही भी की गई है। इकट्ठे किये गये साक्ष्य से यह साबित होता है कि बहुत से मामलों में उल्लेखनीय ढंग पर कर की चोरी हुई है।

बिजली पर उत्पादन शुल्क वापिस लेने के बारे में केरल द्वारा अभ्यावेदन

*998. **श्री के० ए० राजन**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें बिजली पर उत्पादन शुल्क वापस लेने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) शुल्क वापिस लेने के समर्थन में अभ्यावेदनकर्ताओं ने यह अनुरोध किया था कि उद्योगों के लिये उस राज्य में मुख्य आकर्षण सस्ती बिजली का है; शुल्क लगने से यह सुविधा खत्म हो जाती है। राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है; नया शुल्क लगने से बोर्ड अपने लिये संसाधन जुटाने के लिये अपनी निश्चित दरों में कोई वृद्धि करने का विचार नहीं कर सकता।

राज्य में मिलने वाली अपेक्षाकृत सस्ती बिजली का तुलनात्मक लाभ वही रहेगा क्योंकि सारे भारत में बिजली पर एक समान शुल्क लगाया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि केवल उत्पादन शुल्क लगाने से बिजली बोर्ड को अपनी निश्चित दरों में वृद्धि करने में कोई बाधा पहुंचेगी।

बिजली पर उत्पादन शुल्क सारे देश में लगाया गया है, इसलिये प्रार्थियों द्वारा दिये गये कारणों से इसे वापिस नहीं लिया जा सकता।

ब्रांड नाम वाली बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाप्त करने के लिये अभ्यावेदन

*999. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बाजार में नकली बीड़ियों के कारण मार्च, 1975 में प्रति 1000 ब्रांड नाम वाली बीड़ियों पर 1/2 रुपये का केन्द्रीय उत्पादनशुल्क लगाये जाने से ब्रांड नाम वाली बीड़ी की बिक्री कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें ब्रांड नाम वाली बीड़ियों पर इस शुल्क को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तम्बाकू उत्पादनशुल्क टैरिफ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सन् 1975 के बजट में हाथ से बनी ब्रांड-युक्त बीड़ियों पर प्रति 1000 एक रु० की दर से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क लगाया गया था। गैर-ब्रांड वाली बीड़ियों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया था। सन् 1977 के बजट में यह दर बढ़ाकर प्रति 1000 बीड़ियों पर दो रुपये कर दी गई थी। किन्तु, गैर-ब्रांड वाली

बीड़ियों पर छूट जारी रही। कुछ रिपोर्टें मिली हैं कि गैर-ब्रांड वाली बीड़ियों पर छूट के परिणामत: ऐसा लगता है कि ब्रांड-युक्त बीड़ियों से हट कर गैर-ब्रांड वाली बीड़ियों का कारोबार शुरू हो गया है;

(ख) जी, हां।

(ग) ब्रांड-युक्त बीड़ियों पर से शुल्क हटाने के अनुरोध को मानना संभव नहीं हो पाया है।

GOYAL COMMITTEE REPORT ON ISSUE OF LICENCES FOR IMPORT OF EDIBLE OILS

*1000. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the Goyal Committee has indicated in its report that M/s. Jamanadas Madhavji and Co., a famous company of Bombay and Jamnagar, had obtained edible oils import licences in different names;

(b) whether Tanna Export Private Ltd., International Exporters and Estate Agency; Tanna Trading Corporation; Deepak Enterprises; Jamanadas Madhavji & Co., Jamanadas & Sons; Usha Transport & Trading Co., and Tanna & Sons, Jamnagar, all are stated to be the associate companies of the above company and use the same letter pad with 11-A, Nathalal Parikh Marg, Bombay as their address; and

(c) if so, the value and quantity of edible oils, etc., for which import licences have been obtained so far by M/s. Jamanadas Madhavji & Co., in the names of the companies mentioned in part (b) above and when and what inquiry was made in this regard and the action taken for irregularities committed or what and when action is proposed to be taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) and (b) The Hon. Member is perhaps referring to the report of the Indian Institute of Public Administration. Mention has been made in the report of the group of concerns referred to by the Hon. Member, as an instance of inter-connected licensees of large size.

(c) A statement showing the details of licences issued to these concerns is attached. The enquiries made so far have not brought out anything against these parties.

STATEMENT

Sl. No.	Name of the firm	Quantity for which licence is issued	Value of the licences issued
1.	M/s. Jamnadas Madhavji & Co., Bombay	19,100 M/T	Rs. 9,19,39,916
2.	M/s. Tanna Export Pvt. Ltd., Bombay	3,276 M/T	Rs. 1,91,83,159
3.	M/s. international Export and Estate Agency, Bombay	349,492 MT	Rs. 2,83,48,785
4.	M/s. Tanna Trading Corporation Bombay	8,959 MT	Rs. 6,16,64,594
5.	M/s. Deepak Enterprises, Bombay	5,685 M/T	Rs. 3,73,37,352
6.	M/s. Jamnadas & Sons, Bombay	5,220 M/T	Rs. 3,47,48,812
7.	M/s. Usha Transport & Trading Co., Bombay	4,052 M/T	Rs. 2,65,11,777
8.	M/s. Tanna & Sons, Jamnagar	—	Rs. 49,00,000
9.	M/s. Jamnadas Madhavji & Co., Jamnagar	—	Rs. 7,26,97,500

मोहन मीकीन ब्रीवरीज द्वारा लाइसेंस के बिना कार्बन डायाक्साइड का निर्माण

*1001. श्री सी० आर० महाटा
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोहन मीकिन ब्रीवरीज, मोहन नगर, गाजियाबाद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अपेक्षित लाइसेंस लिये बिना नवम्बर, 1972 से कार्बन डायआक्साइड गैस का निर्माण कर रही थी और उसे बियर बनाने में प्रयोग कर रही थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत, दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के न्याय-निर्णय आदेश में कानपुर के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता ने निर्णय दिया है कि मोहन मीकिन ब्रीवरीज लिमिटेड, मोहन नगर, गाजियाबाद द्वारा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कानून के उल्लंघन के निम्नलिखित मामले सिद्ध हो गये हैं:—

(क) यह कि 1–11–1972 और 12–7–1976 के बीच, उन्होंने 19 लाख किलोग्राम से अधिक कार्बन डायआक्साइड गैस का जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगने योग्य थीऔर जिसके निर्माण के लिये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस की जरूरत थी, शुल्क की अदायगी किये बिना अथवा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क लाइसेंस के लिये आवेदन किए बगैर प्रयोग किया और निकासी की;

(ख) यह कि 13–7–1976 और 20–6–1977 के बीच, उन्होंने 6 लाख किलोग्राम से अधिक कार्बन डायआक्साइड गैस का केन्द्रीय उत्पादनशुल्क लाइसेंस के लिये आवेदन करने के बाद परन्तु इस उत्पादन को कानूनी बहीखातों में हिसाब में लिये बिना अतिरिक्त निर्माण किया जिस पर उत्पादनशुल्क की अदायगी नहीं की गयी।

(ग) यह कि 21–6–77 और 27–10–1977 के बीच, उन्होंने 2 लाख किलोग्राम से अधिक की कार्बन डायआक्साइड गैस की अतिरिक्त मात्रा का निर्माण किया था। यद्यपि उन्होंने इसके निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्त किया था परन्तु उन्होंने 4000 किलोग्राम से भी कम मात्रा को हिसाब में दिखाया और उस पर शुल्क अदा किया। समाहर्ता ने विचाराधीन अवधि में बिना शुल्क अदायगी के निकास की गयी गैस पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का निर्धारण करके 27,79,799.87 रु० (सत्ताइस लाख उनासी हजार सात सौ निन्यानवे रुपये सत्तासी पैसे) के शुल्क की कम्पनी से मांग की। समाहर्ता ने यह भी निर्णय दिया कि कम्पनी ने लम्बे अर्से तक जानबूझकर कानून की अवज्ञा की, जिससे केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमों का उल्लंघन हुआ और सरकारी राजस्व की बड़ी भारी रकम का घोटाला किया गया। इसलिये समाहर्ता ने कम्पनी पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 क्यू के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये का दण्ड लगाया। उसी नियम के तहत, समाहर्ता ने कार्बन डायआक्साइड गैस के निर्माण, भण्डारण आदि में प्रयुक्त भूमि, इमारतों, संयंत्र और मशीनों की जब्ती का आदेश दिया, जिसमें कम्पनी को यह विकल्प दिया गया कि वे 50 लाख रुपये के जुर्माने की अदायगी करके उन्हें छुड़वा सकते हैं। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की धारा 33 में व्यवस्था है कि विभागीय अधिकारी अपराधों का न्याय-निर्णय करेंगे और यह अधिकार उन्हें अधिनियम के अधीन प्राप्त हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी शुल्क की चोरी करता है अथवा उस धारा में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य अपराध करता है तो उक्त अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही करने की व्यवस्था है। इस मामले में न्यायनिर्णय पहले ही हो चुका है, जिसके ब्यौरे अभी बताए गए हैं। कम्पनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका

दायर की है। उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के दिनांक 24 अप्रैल, 1978 के आदेश के अनुसार :—

(i) आवेदक कम्पनी समाहर्ता के आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के पास एक अपील दाखिल करेगा।

(ii) अपील का निपटान नहीं हो जाने तक उत्पादन-शुल्क तथा अर्थदण्ड की वसूली नहीं की जायेगी;

(iii) यदि आवेदकों के बारे में इस्तगासे की कार्यवाई पर कोई विचार-विमर्श करना हो तो न्यायालय को तथा उसकी मार्फत आवेदक को सूचना दी जाएगी;

(iv) आगामी अवधियों के लिये अनंतिम शुल्क निर्धारण किये जा सकते हैं; और यदि आवेदन प्रतिभूति-बंधपत्र प्रस्तुत करे तो इस प्रकार निर्धारित शुल्क की रकमों की वसूली नहीं की जायेगी।

इसके अतिरिक्त यदि समाहर्ता द्वारा और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही की जानी हो तो वह कार्यवाही कानून और मामले के गुण-दोषों के अनुसार तथा उच्च न्यायालय के आदेश की परिधि के अन्दर रह कर की जायेगी।

मैसर्स दिल्ली बोटलिंग कंपनी द्वारा उत्पादन-शुल्क अधिकारियों को दिया गया बयान

*1002. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि मैसर्स दिल्ली बोटलिंग कम्पनी के नाम से शीतल पेय निर्माताओं ने उत्पादन-शुल्क अधिकारियों को यह बताया है कि 'कोला नट्स' का सार उनके पेय 'थम्स अप' में प्रयोग नहीं होता है परन्तु साथ ही वे समाचारपत्रों, विज्ञापनपटों और अन्य संचार माध्यमों में यह विज्ञापन दे रहे हैं कि यह कोला है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे झूठा बयान देकर उत्पादन शुल्क देने से बच नहीं रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो दोषी कम्पनी के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां; निर्माता ने अपनी मूल्य सूची में घोषणा की है कि "थम्स अप" तथा अन्य पेयों के निर्माण में कोला नट के सार का इस्तेमाल नहीं होता है। निर्माता अखबारों में यह विज्ञापन दे रहा है कि "थम्स अप" स्फूर्तिदायक कोला है।

(ख) और (ग) जिन वातित जलों में कोला नट्स का सार नहीं होता और जो केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क टैरिफ की मद संख्या 1घ की उपमद (2) के अन्तर्गत आते हैं उनको 1977—78 के बाद के किसी वित्त वर्ष के दौरान एक अथवा अधिक कारखानों से किसी निर्माता द्वारा अथवा उसकी ओर से देश के अन्दर खपत के लिये 50 लाख से अनाधिक बोतलों की प्रथम निकासियों के संबंध में शुल्क के उतने भाग से छूट दी गयी है जो मूल्यानुसार 25 प्रतिशत अधिक हो। कोला नट्स सारयुक्त वातित जलों पर मूल्या-

नुसार 55 प्रतिशत की टैरिफ दर से शुल्क लगता है। समाहर्तालय द्वारा "थम्स अप" का शुल्क निर्धारण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम के नियम 9ख के अन्तर्गत अनन्तिम रूप से किया जा रहा था और पेय के विश्लेषण के बारे में रसायन परीक्षक की रिपोर्ट मिलने पर इसे अन्तिम रूप दिया जाना था संबंधित समाहर्ता को रसायन परीक्षक की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और इस बात की पुष्टि हो गयी है कि "थम्स अप" में कोला नट सार नहीं है। इस रिपोर्ट को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि शुल्क निर्धारितियों ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग को गलत घोषणा दाखिल की है अथवा उत्पादन-शुल्क की चोरी की है।

IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS OF 'RAJ' COMMITTEE' ON TAXES ON AGRICULTURAL LAND HOLDINGS

†*1003. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have advised the State Governments to implement within a specified period the recommendations made by Raj Committee on taxes on agricultural land holdings;

(b) whether any State has requested the Central Government to re-examine these recommendations; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The Report of the Committee on Taxation of Agricultural Wealth and Income (Raj Committee) was forwarded to the State Governments in November 1972 for expeditious examination and processing the recommendations for implementation.

(b) Some State Governments reported that the methodology of computation of agricultural holdings tax as suggested by the Raj Committee was very cumbersome and that they would prefer simpler ways to tax the agricultural incomes.

(c) In the Draft Five Year Plan 1978-83, it has been suggested that the State Governments should once again consider imposition of a progressive agricultural holdings tax in the form recommended by the Raj Committee but, if it is not considered feasible, surcharges at graduated rates should be added to the land revenue in all States in order to introduce progression in the system of agricultural taxation and to mobilise resources from the agricultural sector.

'फिलामेंट यार्न' से निर्मित वस्तुओं पर मूल्य नियन्त्रण

*1004. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने वास्तविक प्रयोक्ताओं को पोलिएस्टर, फिलामेंट यार्न की भारी मात्रा सीधे ही आयात करने की अनुमति दी थी और क्या वह अतिरिक्त मात्रा वर्ष 1976–77 के दौरान 1100 टन से 400 टन अधिक थी;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने चढ़ाने-उतारने के खर्च के रूप में कुछ प्रतिशत लेने के बाद कुछ फर्मों को आयातित यार्न आवंटित किया था हालांकि पोलिएस्टर यार्न पर लगभग 300 प्रतिशत का प्रीमियम था;

(ग) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं और इसकी कितनी मात्रा आवंटित/आयात की गई;

(घ) क्या इस यार्न से निर्मित वस्तुओं पर कोई मूल्य नियंत्रण है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस यार्न की इतनी अधिक मात्रा के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग)

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) 1977–78 के दौरान राज्य व्यापार निगम से कहा गया था कि वह पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न का आयात करने की व्यवस्था करे ताकि स्वदेशी उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके तथा इसे वास्तविक प्रयोक्ताओं को उचित कीमतों पर मुक्त रूप से उपलब्ध किया जा सके।

भारतीय फिल्म प्रिंटों की तस्करी के विरुद्ध कार्यवाही

*1005. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बम्बई के सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने भारतीय फिल्म प्रिन्टों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अपराध के लिए सीमा-शुल्क कर्मचारियों द्वारा किन-किन और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) इस तरह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, बम्बई स्थित सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 5 जनवरी, 1978 को एक विदेशी यात्री के असबाब में से विभिन्न फिल्मों की 25 रीलें उस समय पकड़ीं जब वह उन्हें भारत से बाहर चोरी छिपे ले जाने का प्रयास कर रहा था। पकड़ी गई फिल्मों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

फिल्म का नाम	रीलों की संख्या
देवदास (हिन्दी)	5
तलाक (हिन्दी)	4
पति-पत्नी (हिन्दी)	4
कारीगर (हिन्दी)	4
आसरा (हिन्दी)	4
अण्डर कैप्रीकॉन (अंग्रेजी)	3
द मैन हू न्यू टू मच (अंग्रेजी)	1
कुल	25

(ग) एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसका नाम राबर्ट जोहन्स्टन है बाद में उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया था।

(घ) उक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही शुरु कर दी गई है और न्यायालय में विचाराधीन है। आगे जांच-पड़ताल चल रही है।

स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम्यूटेड पेंशन

*1006. **श्री एस० ननजेश गौडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें मैडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के बाद अपनी पेंशन 'कस्यूट' कराने का हक है जबकि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए बिना अपनी पेंशन 'कम्यूट' करा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस असंगति को दूर करने का है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पेंशन के सारांशीकरण के प्रयोजन के लिए की जाने वाली डाक्टरी जांच का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना होता है कि क्या पेंशनभोगी का स्वास्थ्य सामान्य है अथवा नहीं। कार्यविधि के सरलीकरण के एक उपाय के रूप में, अधिवर्षता पर सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को बिना डाक्टरी जांच के, पेंशन के सारांशीकरण की अनुमति देने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं क्योंकि उनके मामले में निश्चित रूप से यह मान लिया जा सकता है, कि उनका स्वास्थ्य सामान्य है। इन आदेशों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों पर लागू करने का विचार नहीं ह क्योंकि ऐसे सभी मामलों में निश्चित रूप से यह नहीं माना जा सकता कि उनका स्वास्थ्य सामान्य है।

नये विकसित पर्यटन केन्द्रों के लिये नये हवाई मार्ग

9201. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य बातों के साथ-साथ देश में भावी और नए विकसित पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने के लिए सरकार का विचार नए हवाई मार्ग आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) पर्यटन तथा अन्य दृष्टियों से महत्वपूर्ण छोटे नगरों तथा स्थानों को "थर्ड लेविल" परिचालनों से जोड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा तैयार की गयी एक प्रारंभिक "प्राजेक्ट रिपोर्ट" की इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए गठित की गयी एक समिति द्वारा जांच की जा रही है।

रत्नों तथा जेवरात के व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाना

9202. **श्री राम किशन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में मध्यम बहुमूल्य पत्थरों पर प्रत्येक बिन्दु पर 3 प्रतिशत शुल्क लगता है जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में उन पर कोई बिक्री कर नहीं लगता है, जिसके परिणामस्वरूप तैयार मध्यम बहुमूल्य पत्थरों का मूल्य 30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान में एक वर्ष या इससे अधिक समय में 5,000 रुपए की बिक्री वाले निर्माताओं और व्यापारियों को बिक्री कर के लिए अपने आपको पंजीकृत कराना पड़ता है जबकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यह सीमा एक लाख रुपए और बम्बई में 50,000 रुपए है, तथा इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हुआ है ; और

(ग) इन रुकावटों को दूर करने और रत्नों तथा जेवरात के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) किसी भी राज्य के अन्दर माल की ख़रीद अथवा बिक्री पर कर लगाना राज्य सरकार का अधिकार है। राजस्थान में नगीनों, जवाहरातों और उप-रत्नों पर बहुस्तरीय आधार पर 3 प्रतिशत की दर से बिक्री-कर लगता है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी नगीनों और जवाहरातों पर बिक्री-कर लगता है ; परन्तु गुजरात में नकली नगीनों और हीरों को कर से छूट मिली हुई है।

(ख) राजस्थान में बिक्री-कर के प्रयोजन से रजिस्टरशुदा निर्माता माने जाने के लिए उस निर्माता का साल भर का व्यापार 5,000/- रुपए का होना चाहिए। महाराष्ट्र में जिन निर्यातकों और आयातकों का कुल मिला कर वार्षिक व्यापार 10,000/- रुपए का होता है, तथा आगे माल बेचने वालों का कुल मिला कर वार्षिक व्यापार 30,000/- रुपए का होता है, उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। दिल्ली में जिन निर्माताओं का कुल मिला कर वार्षिक व्यापार 30,000/ रु० का और जिन व्यापारियों का कुल मिलाकर व्यापार 1,00,000/- रुपए का होता है, उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। थोक बिक्री के स्तर पर नियोजन की क्या स्थिति है, इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) पता चला है कि राजस्थान सरकार, नगीनों और रत्नों के व्यापार में लगे लोगों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त कर रही है, और उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान सरकार इस बाबत कुछ न कुछ निर्णय करेगी।

REPAYMENT OF LOAN ADVANCED BY SULTANPURI RESETTLEMENT COLONY (DELHI) BRANCH OF S.B.I. FOR CONSTRUCTION OF HOUSES.

9203. SHRI PIUS TIRKEY
SHRI K. LAKKAPPA
: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether talks were held with bank officials for reduction of the amount of monthly instalment in respect of repayment of loan advanced by the Sultanpuri Resettlement colony (Delhi-41) branch of the State Bank of India for construction of houses; and

(b) if so, whether on the basis of the memorandum submitted by the Association of the colony, the amount of instalment has been reduced from Rs. 60/- to Rs. 30/- and if not, whether Government propose to reconsider the case ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) The State Bank of India had granted loans upto a maximum of Rs. 2,500/- to the residents of Sultanpuri for completion of their houses in this resettlement colony. The repayment instalments were not uniformly fixed at Rs. 60/-, the loan amounts being different in individual cases. Although originally the period of repayment of loans was fixed at 2-3 years, it has now been extended upto a maximum of 5 years provided the borrower, alongwith his guarantors, approaches the Bank for it and completes the necessary formalities connected therewith.

The State Bank of India has reported that it had received a representation from the President, Sultanpuri Welfare Association, requesting for rephasing of the repayment schedules whereupon its Sultanpuri Branch Manager met the President of the said Association on March 31, 1978, and explained to the latter's satisfaction the Bank's policy in the matter.

कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिये नियम बनाया जाना

9204. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा अपने कर्मचारियों के सेवा मामलों के बारे में अपनाए गए नियमों के बारे में 17 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3294 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद् /एजेंसी ने अब तक कोई व्यापक सेवा नियम नहीं बनाए हैं चूंकि वह प्रतिनियुक्ति के लिए अपने नियम बनाने में असमर्थ रही है, और वह केन्द्रीय सरकार के नियमों का अनुसरण कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्य विभागों से कितने कर्मचारी उक्त परिषद्/एजेंसी में अब तक खपाए जा चुके हैं और परिषद्/एजेंसी के कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में खपाए गए हैं, उनके खपाए जाने की शर्तें क्या हैं और क्या उनमें से किसी को पिछली सेवा के लाभ दिए गए हैं जैसी कि केन्द्रीय सरकार के आदेशों में व्यवस्था है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफबेग): (क) निर्यात निरीक्षण परिषद के निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियम तैयार कर लिए हैं। चूंकि परिषद, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए गए प्रतिनियुक्ति नियमों, आदेशों तथा अनुदेशों को अपना रही है, अतः इस प्रयोजन के लिए अलग नियम तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई है।

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण में अन्य विभागों के 21 कर्मचारी खपा लिए गए हैं तथा निर्यात निरीक्षण परिषद्/निर्यात निरीक्षण अभिकरण के 5 कर्मचारी अन्य संगठनों में खपा लिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों, आदेशों अनुदेशों आदि तथा सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर शर्तें निर्धारित की जाती हैं।

सुपर बाजार के माध्यम से और अधिक वस्तुओं की बिक्री करने का प्रस्ताव

9205. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजार के माध्यम से और अधिक वस्तुओं की बिक्री कर इसे व्यापक आधार देने का निर्णय लिया है जिससे समाज के निचले वर्गों को भी प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुएं उपलब्ध हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुपर बाजार खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि इसे वास्तव में व्यापक आधार प्रदान किया जा सके?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता सहकारी समितियों के आधार ढांचे से मिलने वाले लाभ शहरी समुदाय के कमजोर वर्गों, विशेषकर उन्हें जो गंदी बस्तियों, अनुसूचित जातियों के रिहायशी इलाकों तथा उन इलाकों में रहते हैं जिनमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर बसते हैं, तक पहुंचे, यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत मुख्य बल समाज के कमजोर सबसे कमजोर वर्गों के लाभ के लिए बहुत बड़ी संख्या में लघुलघुतर शाखाएं खोलने पर दिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को ऐसी यूनिटों की स्थापना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत परिचालित किए गए हैं।

(ख) देहाती इलाकों में ग्राम स्तर के वर्तमान सहकारी ढांचे और उच्च स्तर के विपणन तथा उपभोक्ता सहकारी ढ़ांचे के माध्यम से आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं के वितरण को बढ़ावा तथा सहायता देने की दृष्टि से, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने ग्राम तथा मंडी स्तरों की चुनी सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सहकारी समितियों को देहाती इलाकों में नियंत्रित तथा अनियंत्रित वस्तुओं का वितरण कार्य करने के लिए सहायता दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशेष तेल सुविधा दिया जाना

9206. **श्री सरत कार:** क्या **वित्त** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में भारत सहित विकासशील देशों को सहायता-प्राप्त दरों पर विशेष तेल सुविधा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत भारत को कितने ऋण की आशा है और आगामी वर्ष के दौरान भारत के सकल तेल आयात बिल पर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का आशय उस 'आर्थिक सहायता खाते' से है जिसकी स्थापना 1 अगस्त, 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकासशील सदस्य देशों को तेल सुविधा, 1975 के उपयोग के खर्च को पूरा करने के लिए सहायता देने के लिए की गई थी। तेल सुविधा 1975 के उपयोग पर पहले 3 वर्षों में 7.625 प्रतिशत वार्षिक की दर से, चौथे वर्ष में 7.75 प्रतिशत और अंतिम 3 वर्षों में 7.875 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगता है। 'आर्थिक सहायता खाता' का उद्देश्य उक्त सुविधा के अंतर्गत देय वार्षिक प्रभावी दर में लगभग 5 प्रतिशत वार्षिक की कमी करना है। भारत को, जिसने अगस्त, 1975 में तेल सुविधा, 1975 के अन्तर्गत 2013.4 लाख एस० डी० आर० के बराबर रकम निकाली थी, अभी तक

'आर्थिक सहायता खाता' से 17,300,937 एस० डी० आर० के बराबर (लगभग 17.69 करोड़ रुपए) की रकम प्राप्त हुई है । इसके लिए वर्ष 1978-79 के बजट में और 10 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान दिखाया गया है।

तमिलनाडु के आयकर विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित स्थानों का भरा जाना

9207. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर विभाग में भर्ती नियमों के अनुसार ग्रेड-I और ग्रेड-II के परिवीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु क्या अर्हताएं निर्धारित की गई हैं ;

(ख) वर्ष 1975, 1976, 1977 और 1978 में तमिलनाडु में आय-कर विभाग में ग्रेड-I और ग्रेड-II के परिवीक्षकों के कितने पद मंजूर किए गए हैं और भरे गए हैं ;

(ग) 40-सूत्री रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए परिवीक्षक ग्रेड-I और ग्रेड-II के कितने पद आरक्षित होने चाहिए थे ; और

(घ) यदि पहले भी कोई आरक्षित पद नहीं भरे गए तो उनकी संख्या कितनी है और इसके कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

पड़ौसी देशों को ऋण और सहायता दिया जाना

9208. **श्री प्रद्युम्नवाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पडौसी देशों को ऋण और सहायता देने के लिए कोई नीति अपनाई गई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई नीति अपनाई जाएगी ?

वित्तमंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) विदेशों को इन देशों से अपनी प्राथमिकता प्राप्त आवश्यकताओं की वित्तपूर्ति के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर सहायता दी जाती है इस सामान्य नीति के ढांचे के अन्तर्गत और पड़ौसी देशों के साथ घनिष्टतर आर्थिक और अन्य संबंधों का विकास करने की प्रस्तावित नीति के अनुसार इन देशों की सहायता के लिए अधिकतम संभव-साधन आबंटित करने का प्रयत्न किया जाता है।

व्यय में कमी करने तथा दक्षता लाने के विचार से एक चेयरमैन की नियुक्ति

9209. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया तथा इंडियन एयर लाइन्स का एक चेयरमैन नियुक्त करने का प्रयोजन क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार का मुख्य प्रयोजन प्रशासनिक व्यय कम करना तथा दोनों संगठनों की दक्षता को सुधारना है ; और

(ग) यदि हां, तो उस दिशा में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) दोनों कारपोरेशनों के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करने तथा आधारभूत सुविधाओं का दोनों कारपोरेशनों के अधिकतम लाभ के लिए उपयोग करने के लिए एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स का एक साझा चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

(ग) संयुक्त रूप से समयावलियां तैयार करना, विमान बेड़े की संयुक्त रूप से योजनाएं तैयार करना इंडियन एयर लाइन्स तथा एयर इंडिया दोनों द्वारा परिचालित स्टेशनों पर सुविधाओं का साझा उपयोग: त्रिवेन्द्रम में स्थापित की जाने वाली भूमिगत (ग्राउण्ड) सुविधाएं।

CENTRAL REVENUE SPENT ON TOURISM DEVELOPMENT IN BIHAR

9210. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the amount of Central revenue spent on tourism development during 1975-76, 1976-77 and 1977-78; and

(b) the amount out of it spent in Bihar during the same period indicating the percentages thereof to the total amount spent ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The expenditure incurred in the Central sector on developmental schemes in various States/Union Territories during the financial years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 was Rs. 3,81,05,933, Rs. 2,76,91,048 and Rs. 3,76,12,156 respectively.

(b) The expenditure incurred in Bihar during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 was Rs. 36,30,000, Rs. 17,80,000 and Rs. 4,29,000 respectively. The percentage to the total amount spent thus works out to 9.5%, 6.43% and 1.14% respectively for the 3 years.

LIMITS RAISED BY NATIONALISED BANKS IN RESPECT OF DAILY "AVANTIKA" AND MEHTA PRINTING PRESS, UJJAIN

†9211. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the proprietors of the daily "Avantika" and the Mehta Printing Press, Ujjain, had been getting their limits raised by the nationalised banks by producing wrong and bogus bills and if so, whether some prominent persons of the town had made complaints to this effect to the previous Government and if so, the action taken in this regard;

(b) whether these proprietors have been receiving money from the State Bank of India, Bank of India and the Central Bank of India from time to time against the newsprint allocation of the Daily "Avantika" and if so, the amount of money so drawn, bank-wise and date-wise; and

(c) whether withdrawal of money from banks against the newsprint amounts to co-operation to the Daily by the banks and if so, whether Government propose to take action under relevant rules to check this practice ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तीसरे देशों में परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु भारत की भागीदारी

9212. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के साथ भारत की भागीदारी से तीसरे देशों में परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु को मार्ग दर्शीय सिद्धांत बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तीसरे देशों की परियोजनाओं के लिए भारतीय उद्यमियों के साथ सहयोग करने के लिए अधिक विकसित देशों का साथ प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरीफ बेग) : (क) से (ग) यद्यपि, भारत की भागीदारी से तीसरे देशों में परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की लिए अलग से कोई विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं बनाए गए हैं, फिर भी विभिन्न देशों के साथ संयुक्त आयोग/संयुक्त समिति की बैठकों में ऐसे सहयोग की सम्भाव्यताओं का पता लगाया गया है। वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सहयोग के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ है और कुछ मामलों में कार्यान्वियन की प्रक्रिया को मानिटर करने के लिए संयुक्त मशीनरी भी स्थापित की गई है । इसके अतिरिक्त, तीसरे देशों में परियोजनाओं के लिए भारतीय उद्यमियों के सहयोग को सुकर बनाने के लिए कतिपय देशों के लिए केन्द्र बिन्दुओं का पता लगाया गया है ताकि औद्योगिक सहयोग तथा तीसरे देशों में संयुक्त उद्यम बढ़ाने की सम्भावनाओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सके और कार्यवाही की जा सके।

मोकलबाड़ी कानोई 'टी' एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के निदेशकों द्वारा विदेशी मुद्रा में व्यय की गई धनराशि

9213. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोकलबाड़ी कानोई 'टी' स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता के निदेशकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा वर्ष 1977 में विदेशी मुद्रा किए गए अनधिकृत व्यय के बारे में विस्तार से जांच करने के आदेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच से बचने के लिए कम्पनी के निदेशकों ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को सूचना दी है कि उनके परिपत्र खो गए हैं और वे पुलिस स्टेशन की जाली एफ० आई० आर० लाए हैं :

(ग) यदि हां, तो यह प्रमाणित करने के लिए कि उनके पारिपत्र वास्तव में खो गए हैं इन निदेशकों के विरूद्ध क्या कदम उठाए गए हैं तथा निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों के पारिपत्र खोने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) जांच की विस्तृत रिपोर्ट तथा स्रोत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी हां, ।

(ख) मोकलबाड़ी कानोई टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के केवल एक निदेशक अर्थात् श्री मुरलीधर कानोई ने अपना पासपोर्ट खो जाने के बारे में प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया है तथा इस संबंध में पुलिस स्टेशन में दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) की एक फोटोस्टेट प्रति भी भेजी गई है। पुलिस से की गई पूछताछ

से पता चला है कि पासपोर्ट खो जाने के बारे में वस्तुतः पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोस्टेट प्रति कोई जाली दस्तावेज सिद्ध नहीं हुआ है, पासपोर्ट खो जाने के बारे में आगे और कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) लोकहित को ध्यान में रखते हुए सूचना का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा जारी किये गये अनुदेश

9214. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड ने जाली टी० पी० आई० परमिटों की बुराई रोकने के लिए क्या अनुदेश जारी किए हैं और इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए वे कहां तक कारगर सिद्ध हुए हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : प० प०-1 के रुप में ज्ञात फार्म में परिवहन परमिट केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, नियम, 1944 के नियम 25, 32 और 33 के अन्तर्गत निर्धारित सांविधिक परिवहन परमिटों में से एक है। परिवहन परमिट का यह फार्म शुल्क प्रदत्त अनिर्मित तम्बाकू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए निर्धारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति वैध प० प०-1 परमिट के बिना ऐसे तम्बाकू को ले जाता, ढोता अथवा प्राप्त करता है अथवा किसी ऐसे तम्बाकू के संबंध में परमिट में कोई विवरण दर्ज करता है, जो असत्य है अथवा जिनके असत्य होने का विश्वास करने का उसके पास कारण हो, उस पर दण्ड लगाया जा सकेगा, जो 2 हजार रुपए से अधिक नही हो और जिस तम्बाकू के बारे में अपराध किया जाता है, वह जब्त किया जा सकेगा। ऐसे परिमिटों का दुरुपयोग रोकने के लिए सन् 1974 में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के सभी समाहर्ताओं को गोपनीय आदेश जारी किए गए थे कि वे निवारक नियंत्रण को कसें और यह सुनिश्चित करें कि गैर-शुल्क प्रदत्त तम्बाकू ऐसे प प०-1 परमिटों के सहारे नहीं ढोया जाये। केन्द्रीय उत्पादनशुल्क अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले कतिपय निवारक उपायों का उल्लेख भी अनुदेशों में किया गया था।

2. केन्द्रीय उत्पादनशुल्क अधिकारियों को जारी किए गए गोपनीय अनुदेशों का प्रचार करना जनहित में नहीं होगा क्योंकि इस का यह असर होगा कि निर्धारित जांच कम प्रभावी हो जाएगी। निस्संदेह, इन नियंत्रणों से बेइमान तत्वों के लिए विगत में हुए अपवंचन के मामलों की पुनरावृत्ति करना अधिक कठिन हो गया है।

भूमि उपकरणों के मूल्य

9215. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री टैंडरों को प्राप्त किए बिना इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा उपकरणों के लिए क्रयादेश देने के बारे में 31 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5044 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेंडर आमन्त्रित किए बिना यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि भूमि उपकरणों का मूल्य सही है विशेषकर जबकि प्रबन्धकों को बाजार में ऐसे उपकरणों के इससे कम प्रचलित मूल्यों, जो 16 प्रतिशत से अधिक कम थे के बारे में पूरी तरह से ज्ञान था;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों ने अधिक ऊंचा मूल्य देना क्यों ठीक समझा;

(ग) क्या यह भी आवश्यक नहीं है कि इन उपरकरणों को आई० ए० टी० ए० और ए० टी० ए० के मानक और विशिष्ट विवरण के भी अनुरूप होना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में यह निर्धारित परिपाटी क्यों नहीं अपनाई गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स ने 1975 में 13,550/- रुपए प्रति डालों के हिसाब से डाँलियों का आदेश दिया था। इंडियन एयरलाइन्स ने अब 1978 में उसी सप्लायर को 1975 की दरों पर ही उसी प्रकार की डाँलियों के लिए फिर आदेश दिया है। यह कहना ठीक नहीं है कि इसी किस्म एवं इसी क्वालिटी की ऐसी ही डाँलियों की चालू मार्किट कीमत 16 प्रतिशत घट गयी है। वस्तुत: कच्चे माल तथा पारिश्रमिक के मूल्य लगभग 12 से 15 प्रतिशत बढ़ गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पैल्लेट डाँलियों के प्रथम बैच के टैंडर मंगाते समय इंडियन एयरलाइन्स ने यह शर्त लगायी थी कि यह व्यापक रूप से स्वीकृत ड्राइंगों तथा स्पीसिफिकेशन्स के आधार पर होनी चाहिएं जैसी कि अंतरराष्ट्रीय परिचालकों द्वारा प्रयोग में लायी जा रही हैं। इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्राप्त की गयी डाँलियां उन्ही ड्राइंगों तथा स्पीसिफिकेशन्स के अनुरूप थी जिनका कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय परिचालकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा था और इन डाँलियों का कार्य एक वर्ष से भी अधिक अवधि के लिए इनके अत्यधिक प्रयोग के दौरान भी संतोषजनक रहा और इन्होंने कोई तकलीफ नहीं दी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक बैंकों की जमा करने और ऋण देने की दरें

9261. **श्री डी० अमात :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आँफ इंडिया ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा करने और ऋण देने की दरों में कमी करने के निदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज की दर के ढ़ांचे में 1 मार्च, 1978 प्रभावी किये गये संशोधनों विषयक सूचना अनुबन्ध 1 और 2 में दी जा रही है।

विवरण-I

1 मार्च, 1978 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा दरों में किये गये परिवर्तन

1. जमा दरें	प्रतिशत प्रति वर्ष	
	1 मार्च, 1978 से पहले की दरें	नयी दरें
चालू खाते	नहीं	नहीं
बचत खाते	चैक सुविधा वाले बचत खातों पर 3 प्रतिशत वार्षिक तथा बिना चैक सुविधा वाले खातों पर 5 प्रतिशत वार्षिक दर	4½ प्रतिशत
सावधिक जमाएं (आवर्ती जमाओं तथा संचयी जमाओं आदि को मिला कर)।		
(क) 15 से 45 दिन तक	3	2½
(ख) 46 से 90 दिन तक	3½	3
(ग) 91 दिन से अधिक लेकिन 6 माह से कम तक	4	4
(घ) 6 माह से अधिक लेकिन 9 माह से कम तक	4½	4½
(ङ) 9 माह से एक वर्ष से कम तक	5	5
(च) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	6	6
(छ) 3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	8	7½
(ज) 5 वर्ष से अधिक	10	9

जिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा देयता 25 करोड़ से कम हैं, उन्हें बचत खातों तथा 5 वर्ष तक की साविधिक जमाओं पर 1/4 प्रतिशत वार्षिक अधिक देने की इजाजत है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की बचत खातों तथा 5 वर्ष तक की सावधिक जमाओं पर 1/2 प्रतिशत अधिक देने की छूट दी जाएगी।

2. चक्रवृद्धि ब्याज की दरों के प्रयोजनों के लिए, तीन माह या अधिक की अवधि होगी।

3. 1 मार्च, 1978 से पहले की सभी सावधिक जमाओं पर परिपक्वता अवधि के बेचे भाग पर करार की दर के अनुसार ही ब्याज देय होगा।

विवरण--II

1 मार्च, 1978 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की दरों में किये गये परिवर्तन

ऋणों पर ब्याज की दरें

1. अग्रिमों पर अधिकतम ब्याज दर : बैंकों द्वारा अल्पावधि ऋणों पर वसूल की जाने वाली अधिकतम ब्याज दर (दंडात्मक प्रभार को छोड़कर) निम्नलिखित होंगी।

निम्नलिखित मांग और सावधिक दायित्वों वाले बैंकों के बारे में	1 मार्च, 1978 से पूर्व	नई दरें
	प्रतिशत	प्रतिशत
(क) 50 करोड़ रुपये से अधिक वाले बैंक और विदेशों में निगमित बैंक	$16\frac{1}{2}$	15
(ख) 25 करोड़ रुपये और 50 करोड़ के बीच	$17\frac{1}{2}$	15
(ग) 25 करोड़ रुपये से कम	कोई सीमा नहीं	16

2. खाद्यान्न ऋण : सरकार और सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा खाद्यान्न वसूली के लिये दिये गये ऋणों पर, बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दर 12 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशत कर दी जायेगी।

3. सावधिक ऋण : प्राथमिकता प्राप्त प्रयोजनों के लिये सावधिक ऋणों पर ब्याज की दर पिछले दिनों कम कर दी गई है। अतः इनमें अब और कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी युक्तिसंगत बनाने के उपाय के रूप में सावधिक ऋणों की योजना को नीचे लिखे अनुसार कुछ समायोजित कर दिया गया है।

	1 मार्च 1978 से पूर्व	नई दरें
	प्रतिशत	प्रतिशत
(क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश के लिये 3 वर्ष से अधिक के सावधिक ऋण	12.50	12.50
(ख) अन्य सभी प्रयोजनों के लिये 3 वर्ष से अधिक के सावधिक ऋण		
(1) 3 और 7 वर्ष के बीच	15.00 14.00	14.00

4. उपर्युक्त निर्दिष्ट अधिकतम ब्याज दरें चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अध्यधीन वस्तुओं पर दिये गये ऋणों पर भी लागू होगी।

5. ब्याज की चक्रवृद्धि दरों के लिये तिमाही या इससे अधिक की अवधि गिनी जायेगी।

6. बैंक दर 9 प्रतिशत ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परन्तु खाद्यान्न ऋणों के लिये दी गई पुनर्वित्त सहायता पर रिजर्व बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया जा रहा है।

उपर्युक्त निर्धारित ब्याज की दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप बैंकों से ब्याज की दरों में मुख्यतः निम्नलिखित रूप से कमी करने के लिए कहा गया है:—

(क) 25 करोड़ रुपये से अधिक जमा दायित्वों वाले बैंकों के सम्बन्ध में $16\frac{1}{2}$ प्रतिशत और इससे अधिक की सभी दरों को कम करके 15 प्रतिशत कर दिया जाये। 25 करोड़ रुपये से कम के जमा दायित्वों वाले बैंकों के सम्बन्ध में ऊंची दरों को इसी प्रकार कम करके 16 प्रतिशत कर दिया जाये।

(ख) $13\frac{1}{2}$ और 15 प्रतिशत के बीच वर्तमान दरों में एक प्रतिशत की औसतन कमी की जानी चाहिये, तथा यह कमी ऊपरी स्तर पर इस औसत से अधिक की होनी चाहिये।

(ग) $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक और $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक वर्तमान ब्याज की दरों की कम करके $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत के आस पास कर दिया जाना चाहिये, और यदि यह कमी $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत (अर्थात् न्यूनतम ब्याज-दर) से कुछ कम भी होती है तो बैंक ऐसा कर सकते हैं और तदनुसार रिज़र्व बैंक को सूचित कर सकते हैं।

(घ) $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और इससे कम की वर्तमान दरों में कुछ कमी की जानी चाहिये।

(ङ) विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली ब्याज की वर्तमान दरें अपरिवर्तित रही है।

(च) छोटे पैमाने के उद्योगों, कृषि आदि के लिये और 12 दिसम्बर, 1977 को उद्घोषित 2500 रुपये से कम के फसल-ऋणों के लिये सावधिक ऋणों पर रियायती ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(छ) चयनात्मक ऋण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं पर दिये गये ऋणों के बारे में 14 से 15 प्रतिशत तक की न्यूनतम ब्याज़ दरें, जैसी इस समय हैं वैसी ही रहेंगी, ऐसे ऋणों पर भी ब्याज की नई ऊपरी सीमा का ध्यान रखा जायेगा।

खाद्यान्न ऋण

खाद्यान्न ऋणों पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशत कर दी गयी है। रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई पुनर्वित्त सुविधाओं पर ब्याज़ की दरों का जहां तक सम्बन्ध है, खाद्यान्न पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया है।

निर्यात ऋण

जहाज पर लदान-पूर्व ऋणों पर ब्याज दरें $\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक घटाई गयी है, अर्थात् $11\frac{1}{2}$ और $13\frac{1}{2}$ प्रतिशत से क्रमशः 11 और 13 प्रतिशत कर दी गयी है तथा जहाज पर लदान बाद ऋणों पर ब्याज की दर $11\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 11 प्रतिशत कर दी गयी है । अस्थगित भुगतान निर्यातों पर ब्याज की दरें जो इस समय 8 प्रतिशत हैं वही रहेंगी । निर्यात पुनर्वित्त पर ब्याज की दर भी 10 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दी जायेगी ।

आय-कर से छूट

9217. **श्री महीलाल**
श्री धर्मवीर वशिष्ट } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय-कर प्रयोजन के लिये पत्नी और पति की आय को जोड़ा नहीं जाता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आय-कर प्रयोजन के लिये बचत; लाभांश आदि पर ब्याज से आय पर 3000 रुपए तक छूट हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवास सम्पत्ति से आय पर भी इस सीमा तक छूट देने का है विशेष कर जबकि सरकार निर्माण कार्य को प्रोत्साहित कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, किसी व्यष्टि को प्राप्त आय उसकी पत्नी अथवा उसके पति की आय में शामिल नहीं की जाती हैं :—

(i) जहां किसी व्यष्टि के पति अथवा पत्नी को, कारोबार चला रही किसी ऐसी फर्म की सदस्यता से आय प्राप्त होती है जिसमें उक्त व्यष्टि भी एक भागीदार है ;

(ii) जहां किसी व्यष्टि के पति अथवा पत्नी को किसी ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान से, जिसमें इस प्रकार के व्यष्टि का पर्याप्त हित हो, वेतन, कमीशन, फीस अथवा किसी भी अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में, चाहे वह मुद्रा अथवा माल के रूप में हो, आय होती हो ; परन्तु इन में वे मामले शामिल नहीं हैं जहां पति अथवा पत्नी को तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यताएं प्राप्त हैं और ऐसी आय उस पति अथवा पत्नी के तकनीकी अथवा व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव के प्रयोग से हुई हैं ;

(iii) जहां किसी व्यष्टि के पति अथवा पत्नी को, इस प्रकार के व्यष्टि द्वारा अपने पति अथवा पत्नी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्तरित परिसम्पत्तियों से आय होती हो लेकिन उक्त अन्तरण पर्याप्त प्रतिफल के लिये नहीं हो अथवा पति-पत्नी के अलग रहने के करार के सम्बन्ध में नहीं हो ;

(iv) जिन मामलों में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को किसी व्यष्टि द्वारा प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः उक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को (वाजिब मुआवजा पाये बिना) हस्तांतरित की गयी परिसम्पत्तियों से जो आय उद्भूत

होती है, उस आय का उतना अंश जो ऐसे व्यष्टि के पति अथवा पत्नी के तत्काल अथवा स्थगित लाभ से लिए हो ।

(v) जहां कोई व्यष्टि अपनी पृथक सम्पत्ति को ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति में बदल लेता है जिसका वह सदस्य हो और, उसके बाद किसी भी समय, उस हिन्दू अविभाजित परिवार का विभाजन हो जाता है, तो उक्त व्यष्टि की पत्नी द्वारा विभाजन के समय प्राप्त की गई बदली हुई सम्पत्ति में उसके हिस्से से प्राप्त होने वाली आय ।

(ख) जी, हां। आयकर अधिनियम की धारा 80-ठ के अधीन, वित्तीय परिसम्पत्तियों की निर्दिष्ट श्रेणियों में पूंजी निवेशों से, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों, भारतीय कम्पनियों में शेयरों, बकों में जमा रकम से कर दाता को होने वाली आय पर, कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय, कुल 3,000 रु० की रकम तक कटौती मिलती है।

(ग) और (घ) : सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन, नव-निर्मित्त गृह सम्पत्ति से होने वाली आय का हिसाब लगाते समय, प्रत्येक रिहायसी मकान के सम्बन्ध में उसका वार्षिक मूल्य, निर्माण पूरा होने की तारीख से कुल पांच वर्ष की अवधि के लिए, 1200 रुपये की रकम तक का कम कर दिया जाता है। वित्त विधेयक, 1978 का उद्देश्य उन भवनों के सम्बन्ध में कटौती को 1200 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये करना है जिनका निर्माण 31 मार्च, 1978 के बाद पूरा किया जाता है।

OPENING OF BRANCHES OF NATIONALISED BANKS IN RAJASTHAN

†9218. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of branches of nationalised banks opened in Rajasthan to help rural development programmes;

(b) the number of rural banks (lead banks) set up in Kota, Jhalawar and Bundi districts by the Central Bank of India and in case no banks have been opened, the reasons for not complying with by this bank the national policy of advancing loan to rural areas; and

(c) the action proposed to be taken by the Ministry in this regard ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) In Rajasthan, the commercial banks had 479 branches functioning at rural centres as at the end of June 1977. Of these, 224 branches were of the S.B.I. Group, 146 of the nationalised banks and 60 of the Regional Rural Banks.

(b) Under the Lead Bank Scheme, the Central Bank of India has the 'Lead' responsibility for the districts of Kota and Jhalawar while that for the district of Bundi rests with the Bank of Baroda.

Available district-wise information about the spread of the branch network of the commercial banks and of the concerned lead banks in these districts is set out below :

As on 30-6-1977

District	Total No. of bank branch	Of which rural	No. of branches of the Lead Bank	Of which rural
Kota . . .	55	19	8	5
Jhalawar	21	13	8	6
Bundi . . .	15	10	6	5

Both Central Bank of India and Bank of Baroda, as integral parts of the public sector banking system are endeavouring to achieve the objectives set before them in respect of opening branches in underbanked areas and enlarging the flow of credit to small borrowers in the neglected sectors, particularly in the rural areas.

(c) Does not arise.

FUNCTIONING OF BRANCHES OF NATIONALISED BANKS

†9219. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the branches of nationalised banks at Khajauli, Benipathi, Visfi, Harlaravi and Rahika blocks in Madhubani district of Bihar are not functioning satisfactorily and the rural folks seeking loan from them are harassed; and

(b) the number of applications received for loan in 1976 and 1977 by these branches and the number of them accepted and of those rejected ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) Information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House.

उचित दर दुकानें/उपभोक्ता सहकारी समितियां

9220. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों तथा कस्बों में कितनी उचित दर दुकान/उपभोक्ता सहकारी समितियां होती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी;

(ख) नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत कितने परिवार अथवा व्यक्ति आते हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों के वित्त पोषण किस प्रकार किये जाते हैं और यहां बेची जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के नियमित भंडार किस प्रकार सप्लाई किये जाते हैं।

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णकुमार गोयल) : (क) लगभग 2,38,569 उचित दर की दुकानें हैं (इनमें उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही दुकानें भी शामिल हैं) इनमें से 1,84,006 ग्रामीण इलाकों में हैं और 54,563 शहरी इलाकों में हैं। इनके अन्तर्गत 4,394.9 लाख ग्रामीण आबादी और 1,490.6 लाख शहरी आबादी आती है।

(ख) शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक उचित दर की दुकान के अन्तर्गत आने वाले परिवारों/व्यक्तियों की औसत संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग-अलग हैं।

(ग) यद्यपि उचित दर की दुकानों को स्टाक की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य अभिकरणों द्वारा की जाती है, तथापि उचित दर की दुकानों के कार्य के लिए धन की व्यवस्था लाइसेंसधारियों द्वारा अथवा सामान्य व्यापार माध्यमों अथवा व्यापारिक बैंकों से की जाती है। सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रहीं उचित दर की दुकानों के मामले में, धन आमतौर पर सहकारी बैंकों द्वारा दिया जाता है।

प्रोजैक्ट इंडिया

9221. **श्री नाथू सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'प्रोजैक्ट इंडिया' का, जिसे हाल ही में इन्टरनेशनल ट्रेड सेंटर (जिनीवा) अंक्टाड/गेट के साथ अन्तिम रूप दिया गया है, क्या ब्यौरा है, और इसके अन्तर्गत किस प्रकार की गतिविधियां होंगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र गाट/अंकटाड, जेनेवा (आई० टी० पी०) का भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के साथ व्यापार संवर्धन में तकनीकी सहयोग के बारे में तीन वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम है। आई० टी० सी० के अन्य विकासशील देशों के साथ भी इसी प्रकार के कार्यक्रम हैं यद्यपि जो कार्यक्रम भारत के साथ हैं, वह सबसे बड़ा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1977 लेकर 30 जून, 1980 तक की तीन साल की अवधि के दौरान आई० टी० सी० कुल मिलाकर 46.2 लाख अमरीकी डालर प्रदान करेगा जो कि उसकी न्यास निधि को स्वेडिस अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा) द्वारा उपलब्ध की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत आरम्भ किये जाने वाले कार्यकलापों के कार्यक्रम को वार्षिक आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है।

2. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विभिन्न निर्यात संवर्धन तथा सर्विसिंग संगठनों को व्यापार संवर्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाओं, निर्यात सेवाओं, प्रलेखन और शिक्षण साधनों के रूप में अन्तर्निविष्ट साधनों की व्यवस्था करता है ताकि वे व्यापार अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यकलाप आरम्भ कर सकें। 1 जुलाई, 1977 से 30 जून, 1978 तक के पहले वर्ष के दौरान व्यापार विकास प्राधिकरण, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, साधित खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन परिषद, मसाले निर्यात संवर्धन परिषद, इलायची बोर्ड, समद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद और अखिल भारतीय हस्तशिल्प एसोसिएशन जैसे 12 संगठनों द्वारा आरम्भ किये जाने वाले इन कार्य-कलापों के लिये 14.8 लाख अमरीकी डालर का आबंटन किया गया है। जो कार्यकलाप आरम्भ किये जा चुके हैं। यह 1977-78 में आरम्भ किए जाने वाले, उसमें ये शामिल हैं।

विवरण

(क) व्यापार कार्यकलाप जैसे अमरीका में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, चुने हुए देशों में बाजार अभिमुखी दौरे और चुने हुए उत्पादों के लिये बिक्री सह अध्ययन दौरे।

(ख) अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलाप जैसे चुने हुए देशों में चुने हुए उत्पादों के बाजार सर्वेक्षण तथा निर्यात अवस्थापना के बारे में अध्ययन ;

(ग) प्रशिक्षण कार्यकलाप जैसे निर्यात प्रबन्ध में प्रशिक्षकों के लिये वर्कशापों तथा निर्यातक एककों में प्रबन्ध सम्बन्धी कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

3. वाणिज्य विभाग का उद्देश्य कार्यकलापों के क्षेत्र का और साथ ही इस कार्यक्रम में अन्तर्ग्रस्त संगठनों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1978-79 के दौरान इस प्रकार के कार्यकलाप के अन्तर्गत 16 निर्यात संवर्धन तथा सर्विसिंग संगठन आ जायेंगे ।

आसाम के बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक खोलना

9222. **श्री अहमद हुसैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा आसाम सरकार के इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की जा रही है कि आसाम के प्रत्येक खण्ड मुख्यालय में जहां अभी तक कोई बैंक नहीं है, कम से कम एक बैंक खोला जाये ;

(ख) आसाम के उन खण्ड मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक की एक-एक शाखा खोली जायेगी ;

(ग) क्या सरकार ने आसाम सरकार के इस प्रस्ताव को मान लिया है कि सीमान्त किसानों को दिये गये अल्पावधि के ऋणों की वापस अदायगी की अवधि को एक फसल के बजाय दो फसल कर दी जाये ;

(घ) आसाम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीकृत बैंक अपनी शाखायें क्यों नहीं खोल रहे हैं और इस क्षेत्र के बारे में उनकी भावी योजनायें क्या हैं ; और

(ङ) आसाम के बैंक इस समय किस प्रकार के ऋण दे रहे हैं और क्या पशु अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक आदि खरीदने के लिये तथा बाढ़ के कारण भूमि कटाव के कारण संतप्त हुए लोगों को उदार शर्तों पर ऋण देने के निर्देश जारी किये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कम बैंक वाले क्षेत्रों में न्यूनतम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के कार्यक्रम के एक अंश के रूप में, बैंकों से यह कहा गया है कि वे जून, 1978 तक प्रत्येक बैंक रहित सामुदायिक विकास खण्ड में कम से कम एक शाखा खोल दे। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपना शाखा विस्तार कार्यक्रम बनाते समय बैंक रहित खण्ड मुख्यालयों को प्राथमिकता प्रदान करें।

(ख) चालू वर्ष के लिये बैंकों की शाखा विस्तार योजनाओं की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है। फिर भी आसाम राज्य के उन 15 बैंक रहित खण्डों के नाम अनुबन्ध में प्रस्तुत है जहां जून, 1978 से पहले बैंकिंग सुविधाएं सुलभ करा दी जायेंगी।

(ग) रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि जहां बहुत सी फसलें प्रचलित है या दो मौसमी फसलों में से एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है वहां फसल ऋण की वापसी की तारीख मुख्य फसल की बिक्री के समय से सम्बद्ध कर दी जानी चाहिये ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक असम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और शाखायें खोलने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट होगा, कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या दिसम्बर, 1970 के अन्त में 151 से बढ़कर दिसम्बर, 1977 के अन्त तक 561 हो गयी। इनमें से 459 शाखायें सरकारी क्षेत्र के बैंकों की थी। दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार बैंकों के पास उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शाखायें खोलने के लिये 103 लायसेंस थे। इनमें से 69 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास थे।

(ङ) और स्थानों की तरह असम में भी वाणिज्यिक बैंक मौसमी कारोबार के वित्त पोषण के लिए अल्पावधि ऋण और दूधारु पशु, छोटी सिंचाई, मुर्गी पालन/डेरी विकास आदि से लिए सावधिक ऋण मन्जूर करते हैं। बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक विपत्तियों के शिकार व्यक्तियों को

ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे ऋणों की वापसी के कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण की दिशा में समुचित कार्रवाई करें ताकि प्रभावित कर्जदारों को राहत मिल सके और आगामी वर्षों में वे नये वित्त पोषण के अधिकारी हो सकें ।

विवरण

असम के उन बैंक रहित खण्डों की सूची जहां बैंक 30 जून, 1978 से पहले शाखायें खोलना चाहते हैं ।

जिले का नाम	खण्ड का नाम	स्थान का नाम	बैंक का नाम
कछार	1. कटलीचेरा	कटलीचेरा	यूनियन बैंक आफ इंडिया
गोलपाज	2. मटिया	मटिया	प्रागज्योतिष गांवोलिया बैंक
	3. गोइटामारी	गोइटामारी	—तदैव—
कामरूप	4. मण्डिया	मणिडया	—तदैव—
	5. बोरीगोग	बोरीगोग	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
नौगांव	6. जूरिया	जूरिया	पंजाब नेशनल बैंक
	7. भूरबंधा	भूरबंधा	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
शिवसागर	8. सैन्ट्रल जोरहाट	काकोजान	—तदैव—
	9. ईस्टर्न जोरहाट	नाथाचारी	—तदैव—
मिकिर हिल्स	10. डांकोमोकम	डांकोमोकम	भारतीय स्टेट बैंक
	11. निलिप	सोखुआल्ला	—तदैव—
	12. आमरी	उल्लुकांची	—तदैव—
	13. सूचांग	जोरीकिंगडिंग	—तदैव—
नार्थ कछार हिल्स	14. डियुंग वैली	माहुर	—तदैव—
	15. हरंग जाओ	हरंगजाओ	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

निर्यात निरीक्षण परिषद/एजेंसी में भर्ती के नियम

9223. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किस्म नियन्त्रण अधिनियम के अधीन निर्यात निरीक्षण परिषद/एजेंसी के भर्ती नियमों को अधिसूचित करना निर्यात निरीक्षण परिषद के लिये आवश्यक हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वह सुनिश्चित कर सकते हैं कि निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस समय लागू भर्ती नियमों के अनुसार ही भर्ती की जाये और नियम बाह्य कुछ नहीं किया जाये ; और

(ग) क्या इस समय लागू भर्ती नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा भर्तियां अपने भर्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं। तथापि, जब इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं तो मामले पर विचार किया जाता है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ग) निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरण के वर्तमान भर्ती नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती हैं [ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० –2247/78]।

त्रिपुरा में पर्यटक स्थल के रूप में अगरतला में नीरमहल का विकास

9224. **श्री किरत विक्रम देव बर्मन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पर्याटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु नीरमहल, अगरतला को एक सुन्दर और आकर्षक स्थल के रूप में उपयुक्त माना गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कोई योजना पेश की गई है ; यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा और तत्सम्बन्धी लागत क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस योजना का अनुमोदन कर लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां।

(ख) नीरमहल का एक पर्यटन स्थर के रूप में विकास करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु, पता चला है कि राज्य सरकार ने नीरमहल में सुधार कार्य करने के लिए पहले ही कार्यवाही आरंभ कर दी है और इसके लिए राज्य की 1978-79 की वार्षिक योजना के पर्यटन क्षेत्र में 1.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजीगत सामान के आयात शुल्क में कमी और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के सामान्य अधिभार का लगाया जाना

9225. **श्री रामदेव सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजीगत सामान के आयात शुल्क में हाल की कमी और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं पर 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क के सामान्य अधिभार के लगाये जाने का आशय स्थानीय रूप से उत्पादित मशीनरी की अपेक्षा आयातित मशीनरी के अधिक उपयोग को बढ़ावा देना था ; और

(ख) आयात शुल्क न बढ़ाये जाने के और उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व पर कम निर्भर होने तथा आयात शुल्क से राजस्व में वृद्धि करने के निर्बाध सामान्य लाइसेंसिंग पद्धति रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं। पूंजीगत उपस्कर की केवल किन्हीं निर्दिष्ट मदों पर जिनका उत्पादन देश में नहीं होता, पूंजीगत लागत को कम करने की दृष्टि से, आयात शुल्क 40% से घटाकर 25% किया गया है। यह निर्णय सीमाशुल्क के बारे

में झा समिति द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आयात शुल्क में इस कटौती से देश में उत्पादित मशीनरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

1978 के बजट के अंग के रूप में अधिक राजस्व जुटाने के उपाय के रूप में मूल उत्पादन शुल्क के 1/20वें भाग की दर पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाया गया है। पूंजीगत उपस्कर आदि की जिन मदों पर आयात शुल्क घटाया गया है, वे ऐसी हैं, जिनका देश में उत्पादन बहुत कम होता है अथवा होता ही नहीं। इसलिए, विशेष उत्पादन शुल्क के इसी प्रकार के देशी माल पर असर डाले जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ख) चूंकि आशय, पूंजीगत लागत कम करना है, इसलिए, यह प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र स्थित सरकारी उपक्रमों में चोरी तथा हड़ताल से हुई हानि

9226. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान केन्द्र सरकार के प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम में चोरियों तथा हड़तालों के कारण कितनी हानि हुई ; और

(ख) ऐसी हानि को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी निगमों के महाराष्ट्र राज्य में स्थित विनिर्माणकारी संगठनों के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

तोरिया और तोरिये के तेल के आयात में हुई हानि

9227. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा से तोरिया और तोरिये का तेल आयात करने के मामले में विभिन सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में कमी और राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सरकार को हाल ही में 3.86 करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों में क्लर्कों तथा अधिकारियों की भर्ती प्रणाली

9228. **श्री आर० कोलनथाइवेलू**
श्री पी० एस० रामलिंगम } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों में क्लर्कों तथा अधिकारियों की भर्ती के लिये क्या प्रणाली है ;

(ख) क्या इन पदों का विज्ञापन समस्त देश में निकालना अनिवार्य है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त प्रत्येक बैंक के लिये क्लर्कों तथा अधिकारियों के पदों के लिये हाल ही में दिये गये विज्ञापन की नवीनतम तिथि क्या है तथा विज्ञापन किस समाचार पत्र में दिया गया; और

(ङ) भर्ती के लिये एक कामन एजेंसी सम्बन्धी प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम पटेल) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारियों की भर्ती, अखिल भारतीय आधार पर, समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा प्रार्थना पत्र मंगाकर, की जाती है तथा प्राथियों का चयन एक लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के बाद किया जाता है। क्लर्कों की भर्ती, आमतौर पर क्षेत्रीय आधार पर, रोजगार दफ्तरों को पदों की संख्या सूचित करने के बाद तथा साथ ही साथ स्थानीय पत्रों में भर्ती के लिए विज्ञापन देकर की जाती है ।

क्लर्कों के पदों के लिए प्राथियों का चयन, एक लिखित परीक्षा तथा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्राथियों के साक्षात्कार के बाद होता है।

(घ) यथा सम्भव सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्कों की भर्ती

9229. **श्री के० ए० राजू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक ने क्लर्कों की भर्ती के लिये 6 फरवरी, 1978 को कोई परीक्षा ली थी;

(ख) कितने लोग परीक्षा में बैठे और कितने लोग साक्षात्कार के लिये परीक्षा में उत्तीर्ण हुए;

(ग) साक्षात्कार के लिये बुलाने हेतु क्या मापदण्ड अपनाया गया;

(घ) क्या यह सच है कि जो स्नातक नहीं थे यद्यपि अन्य सभी प्रकार से योग्य थे उन्हें लिखित परीक्षा में उनकी स्थिति काफी अच्छी होने पर भी अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पदों के लिये विज्ञापन तथा अन्तिम परिणाम प्रकाशित होने के बीच इतने बड़े समय अन्तराल का क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां, 25 और 26 दिसम्बर, 1977 को आरक्षित वर्ग के प्राथियों के लिए तथा 23 जनवरी, तथा 7, 8 व 9 फरवरी, 1978 को सामान्य वर्ग के प्राथियों के लिए परीक्षा ली गई थी।

(ख) परीक्षा में बैठने वाले, आरक्षित वर्ग के प्राथियों की संख्या 1609 थी तथा साधारण वर्ग के प्राथियों की संख्या 8435 थी। इन दोनों वर्गों में से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्राथियों की संख्या क्रमशः 189 और 2812 थी।

(ग) आरक्षित वर्ग के प्रार्थियों के मामले में, बैंक ने उन सभी प्रार्थियों को बुलाया था जोकि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जबकि, साधारण वर्ग में से, पदों की संख्या के तीन गुने के बराबर प्रार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) केवल आरक्षित वर्ग के प्रार्थियों का परिणाम घोषित किया जा चुका है । कुछ बात जैसे प्रार्थियों को आवेदन के लिये पर्याप्त सूचना देना, आवेदन पत्रों की जांच तथा इतने अधिक प्रार्थियों की परीक्षा लेना ऐसे कारण हैं जो कि पदों के लिए दिये गये विज्ञापन तथा अन्तिम परिणाम प्रकाशित होने के बीच इतने लम्बे अन्तराल के लिए जिम्मेदार हैं ।

आयकर विभाग में विभिन्न श्रेणियों के मुसलमान अधिकारी

9230. **श्री मुहम्मद हसन खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग में आय-कर आयुक्तों की कुल संख्या कितनी है और उनमें मुसलमान कितने हैं ।

(ख) आय-कर सहायक आयुक्तों की कुल संख्या कितनी है और उनमें मुसलमान कितने हैं ;

(ग) आय-कर अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें मुसलमान कितने हैं ; और

(घ) आयकर निरीक्षकों की कुल संख्या कितनी है और उनमें मुसलमान कितने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) :

(क)	आयकर आयुक्तों की कुल संख्या	मुसलमान आयकर आयुक्तों की संख्या
	59	3
(ख)	सहायक आयकर आयुक्तों की कुल संख्या	मुसलमान सहायक आयकर आयुक्तों की संख्या
	551	12
(ग)	आयकर अधिकारियों की कुल संख्या	मुसलमान आयर्कर अधिकारों की संख्या
	3689	89

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

शिक्षित बेरोजगारों और स्वनियोजित व्यक्तियों को ऋण देने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांत

9231. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों, कमजोर वर्गों के स्व-नियोजित व्यक्तियों और लघु उद्योगपतियों को ऋण देने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसी श्रेणी के लोगों को ऐसे अनुदानों के लिये भारी कठिनाई हो रही है ;

(घ) क्या सरकार का विचार नियमों को और उदार बनाने का है ताकि इन श्रेणियों के वास्तविक व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र ऋण मिल सके ; और

(ङ) भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने (राज्यवार और बैंकवार) जनवरी से अप्रैल, 1978 के दौरान ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों को ऐसे कितने ऋणों की मंजूरी दी और उन्हें ऋण दिये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) और (ख) लाभदायक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये सरकार की स्वीकृत नीति के अनुसरण में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह कहा गया है कि वे उपेक्षित क्षेत्रों को अपने ऋणों की गति की इस सीमा तक बढ़ायें कि मार्च, 1979 तक उनके कुल ऋणों का प्रतिशत इस क्षेत्र में 33.3 प्रतिशत तक पहुंच जाये। छोटे और कुटीर उद्योगों के विकास को और तेज करने के लिये, उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में एक नयी योजना बनाई है जो राज्य सरकारों को उन छोटे एककों के वास्ते मार्जिन मनी का प्रावधान करने के लिये सहायता प्रदान करती है, जिनके संयंत्रों और मशीनों में निवेश एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से भी कहा गया है कि वे इस योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप में भाग लें।

(ग) और (घ) ऋण आवेदन पत्रों के तेजी से निपटान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 10,000/- रुपये तक ऋण सीमा वाले आवेदन पत्रों की उनकी प्राप्ति की तारीख से 3 से 4 सप्ताह के भीतर और 10,0000/- रु० और इससे अधिक के आवेदन पत्रों को उनकी प्राप्ति की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर ही निपटा दें।

(ङ) दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार रोजगार प्रोत्साहक कार्यक्रमों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों की बकाया राशि अनुबंध-I और II में दी जा रही हैं।

विवरण– 1

दिसम्बर, 1977 के अन्त की स्थिति के अनुसार रोजगार प्रोत्साहक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ऋणों की बकाया राशि :—

बैंक का नाम	आवेदन पत्रों की संख्या स्वीकृत	बकाया राशि (लाख रु० में)
(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया	23350	2242.82
(ख) भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंक	7063	475.39
(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक :		
1. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	5899	514.91
2. बैंक आफ इंडिया	6601	1504.61
3. पंजाब नेशनल बैंक	3178	1029.82
4. बैंक आफ बड़ौदा	1880	290.18
5. यूनाइटिड कर्मशियल बैंक	3013	616.95
6. केनरा बैंक	11248	630.68
7. यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया	4524	995.00
8. देना बैंक	1862	217.98
9. सिडीकेट बैंक	2626	573.40
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया	1806	201.43
11. इलाहाबाद बैंक	1472	200.92
12. इंडियन बैंक	730	39.20
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	3843	309.22
14. इंडियन ओवरसीज बैंक	3134	171.74
जोड़	82229	10014.25

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

विवरण–2

रोजगारोन्मुख कार्यक्रम के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की दिसम्बर, 1977 के अन्त की राज्यवार स्थिति :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवेदन पत्रों की संख्या स्वीकृत	बकाया राशि (लाख रु० में)
1. आन्ध्र प्रदेश	11237	541.82
2. असम	882	109.15
3. बिहार	11202	1091.58
4. गुजरात	1834	155.35
5. हरयाणा	355	99.37
6. हिमाचल प्रदेश	23	5.62
7. जम्मू और काश्मीर	1040	69.93
8. कर्नाटक	4558	1015.82
9. केरल	4204	156.36
10. मध्य प्रदेश	3257	595.78
11. महाराष्ट्र	24672	2124.88
12. मणीपुर	180	64.89
13. मेघालय	46	13.94
14. नागालैंड	1	0.08
15. उड़ीसा	341	82.81
16. पंजाब	742	158.87
17. राजस्थान	660	208.10
18. तमिलनाडु	4514	115.20
19. त्रिपुरा	127	7.76
20. उत्तर प्रदेश	2673	433.14
21. पश्चिम बंगाल	8376	2172.49
संघ राज्य क्षेत्र :		
22. अण्डमन और निकोबार द्वीप समूह	—	—
23. अरुणाचल प्रदेश	—	—
24. चण्डीगढ़	39	85.85
25. दादरा और नागर हवेली	—	—
26. दिल्ली	1202	696.05
27. गोआ, दमन और दीव	55	1.43
28. लक्ष्य द्वीप	—	—
39. मिजोरम	—	—
30. पांडिचेरी	9	8.18
जोड़	82229	10014.25

(आंकड़े अनंतिम हैं)

जयपुर के महलों में आय-कर अधिकारियों के छापों के बारे में 'धर्मयुग' में प्रकाशित लेख

9232. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 से 11, 12 से 18 सितम्बर, 1976 तक की अवधि में जयपुर के महलों में आय-कर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों और ली गई तलाशियों के सम्बन्ध में हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका 'धर्मयुग' के विभिन्न अंकों में प्रकाशित कुछ लेखों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त लेखों में दिया गया ब्यौरा सरकारी रिकार्ड के सिवाय किसी अन्य माध्यम से साधारण रूप में नहीं मिल सकता;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन लेखों के लेखक का एक निकट सम्बन्धी उनके मंत्रालयों में एक वरिष्ठ अधिकारी है; और

(घ) क्या इन लेखों के लेखक को सरकारी गुप्त बातों का पता चल गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) यह सही नहीं है। हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका "धर्मयुग" में प्रकाशित लेख स्पष्टतः पत्रकार की एक कल्पनात्मक कहानी के अंश हैं। इन लेखों में गुप्त अथवा गोपनीय स्वरूप की सूचना नहीं है जो सरकारी रिकार्डों में दर्ज है। जिस प्रकार की सूचना इन लेखों में दी गई है, वह विभिन्न स्त्रोतों से आसानी से इकट्ठी की जा सकती है, जैसे प्रचार माध्यमों में तलाशियों के सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रचार से और इस विषय पर संसद में समय-समय पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों से तथा विचार-विमर्श से इकट्ठी की जा सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

CONSTRUCTION OF HOUSE BY CHAIRMAN JAIPUR NAGAUR ANCHALIK RURAL BANK

9233. SHRI RAM KANWAR BERWA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state whether after taking over as Chairman of Jaipur Nagaur Anchalik rural Bank, Shri Shanti Lal Jain has constructed his personal house costing about 2 lakhs rupees in Indore ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : No, Sir. Shri Shantilal Jain has not constructed any house after taking over as Chairman of the Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank, Jaipur in October, 1975.

SEIZURES DURING RAIDS IN PURVIA TOLA OF ETAWAH DISTRICT (U.P.)

9234. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Income Tax authorities took all the documents in their possession, relating to the 79 boxes of silver and gold seized during the raids conducted in Purvia Tola of Etawah district of Uttar Pradesh in April, 1969;

(b) whether property to the tune of lakhs of rupees in the names of persons and families, whose premises were raided in 1969, were lying deposited in the various banks of Etawah city but neither any enquiry was conducted into the matter nor pass books thereof were seized;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the details of the documents in respect of jewellery seized by Government and the deposits with the banks as per the bank documents and the details thereof; and

(d) the action taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) to (d) In April 1969, Income-tax authorities searched the premises of M/s Ram Narain and Badri Prasad and their family members in Purvia Tola, Etawah District. Gold and silver ornaments worth over Rs. 18.52 lakhs besides books of account and documents relating to assessment years 1948-49 and 1954-55 to 1969-70 were seized. No bank passbooks were seized. On the basis of the seized material, information furnished by the assessee and investigations made by the Department, including, inter-alia, enquiries regarding deposits in banks, assessments for the assessment years 1954-55 to 1969-70 were completed. The concealed income was determined at Rs. 26 lakhs and was assessed in the assessment years 1956-57 to 1969-70. These assessments resulted in a demand of over Rs. 23 lakhs.

Over Rs. 13 lakhs has already been paid towards the demand raised. Some of the seized assets have been released. The remaining assets have been kept as security against the outstanding demand including penalty and the interest levied subsequent to the assessments.

विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड, बिहार पर आयकर अधिकारियों का छापा

9235. **श्री पालस वर्मन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 19/20 अगस्त, 1976 को आय कर की प्रवर्तन शाखा ने विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड, गोपालगंज, बिहार, 21, चक्रबेरिया लेन, कलकत्ता 20 में और मिल के गिलेन्डर हाउस, कलकत्ता स्थित मुख्यालय पर एक साथ छापे मारे थे;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त स्थानों से लेखा बाह्य धन, बहुमूल्य जेवरात और रिकार्ड पकड़े गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) आय-कर-प्राधिकारियों ने 19/20 अगस्त, 1976 को कलकत्ता, गोपालगंज तथा जसीडीह (बिहार) में मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लि० के परिसरों पर तथा उससे सम्बन्धित मामलों में तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही की। इन कार्यवाहियों के परिणामत: 55,000 रु० की नकदी, 2 लाख रु० के मूल्य के जवाहिरात और बहीखाते तथा दस्तावेज पकड़े गये।

आय-कर अधिनियम की धारा 132(5) के अन्तर्गत, नकदी के स्रोत के लिये दिये गये स्पष्टीकरण को विधिवत जांच पड़ताल के बाद स्वीकार कर लिया गया, किन्तु नकदी को कर की वर्तमान देनदारियों की भुगतान के प्रति समायोजित कर दिया गया। जवाहिरात का हिसाब किताब विधिवत रखा गया था और धन कर के प्रयोजनों के लिये घोषित किया गया था, और इसलिये उन्हें छोड़ दिया गया।

पकड़े गये बहीखातों तथा दस्तावेजों की छानबीन की गई है। अपेक्षित पूछताछ की जा रही है।

TAXES OUTSTANDING AGAINST BUSINESS HOUSES

9236. SHRI VINAYAK PRASAD YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number and names of business houses in the country with assets of Rs. 1 crore to 5 crores and the amount of various types of taxes outstanding against each of them; and

(b) the number and names of business houses with the assets of more than Rs. 5 crores to 15 crores and the amount of various types of Government taxes outstanding against each of them and the action taken by Government to realise this amount indicating the names of the business houses in this respect?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) & (b) Information is not readily available in respect of the business houses described in parts (a) and (b) of the Question. Collection of information regarding the number, names and various taxes outstanding against business houses which would be covered by the Question will take sufficiently long time. However, information is readily available in respect of cases belonging to large industrial houses where gross income-tax arrears exceeded Rs. 10 lakhs in each case as on 31-3-1977. Out of the gross income-tax demand of Rs. 26.17 crores outstanding in 63 such cases as on 31-3-1977, an amount of Rs. 7.15 crores has been collected/reduced upto 31-12-77, leaving a balance of Rs. 19.02 crores. The net arrears of income-tax comprised therein amount to Rs. 10.19 crores.

विश्व बैंक से ऋण लेने वाले राज्यों के नाम

9237. **श्री बाला साहेब विरवे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने विश्व बैंक से ऋण लिये हैं और 1976-77 और 1977-78 के दौरान किन-किन योजनाओं/परियोजनाओं के लिये ऋण लिये गये हैं; और

(ख) राज्यों द्वारा लिये गये ऋणों की कितनी राशि का उपयोग उन योजनाओं पर किया गया है जिनके लिये वह ऋण लिये गये थे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकार विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ समूह से सीधे ऋण नहीं लेती। एक अनुबन्ध संलग्न है जिसने राज्यों में बैंक समूह की सहायता से चलाई जाने वाली परियोजनाओं, जिनके लिये वर्ष 1976-77 और 1977-78 में ऋण मंजूर किये गये थे और 31 मार्च 1978 तक इन परियोजनाओं के लिये इस्तेमाल की गई सहायता के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। जब इन परियोजनाओं पर खर्च कर दिया जाता है, तब सहायता की रकम प्रतिपूर्ति के आधार पर प्राप्त की जाती है।

विवरण

राज्यों और परियोजनाओं के नाम जिनके लिये अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 1976-77 और 1977-78 में ऋणों की मंजूरी दी है।

(लाख अमरीकी डालर)

क्रम सं०	राज्य का नाम	परियोजना का नाम और स्त्रोत	रकम	करार पर हस्ताक्षर किये जाने का वर्ष	मार्च 1978 के अन्त तक संवितरित रकम
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक)	1450	1976-77	43
2.	असम	असम कृषि विकास (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ)	80	1977-78	शून्य

1	2	3 4	5		6
3.	बिहार	अनुसंधान और विस्तार	80	1977-78	शून्य
4.	गुजरात	गुजरात मीम उद्योग*	180	”	”
5.	केरल	केरल कृषि विकास (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ)	300	”	”
6.	महाराष्ट्र	बम्बई नगर परिवहन (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक)	250	1976-77	28**
7.	”	महाराष्ट्र सिंचाई (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ)	700	1977–78	शून्य
8.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश सिंचाई (तदैव)	100	”	”
9.	उड़ीसा	उड़ीसा कृषि विकास (तदैव)	200	”	2
10.	”	उड़ीसा कृषि (तदैव)	580	”	शून्य
11.	राजस्थान	राजस्थान कृषि विस्तार (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ)	130	”	”
12.	तमिलनाडु	पेरियार बेगई (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ)	230	”	”
13.	”	मद्रास नगर विकास (तदैव)	240	”	6
14.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल कृषि विकास (तदैव)	120	1976-77	शून्य
15.	”	कलकत्ता नगर विकास II (तदैव)	870	1977-78	”

*अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 40 लाख डालर और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक 140 लाख डालर

**फरवरी 1978 के अन्त तक।

EXCHANGE OF SOILED CURRENCY NOTES BY PERSONS IN RESERVE BANK OF INDIA

†9238. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether many persons in the Reserve Bank of India give new currency notes in exchange of soiled currency notes by taking some money in the Reserve Bank of India;

(b) whether this practice is going on under the very nose of the bank employees; and many people are engaged in this trade;

(c) if so, whether this is a legal practice; and

(d) if so, the full details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) & (b) Government is not aware of any such malpractice.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, फैडरल बैंक के प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिये प्रक्रिया

9239. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा**
श्री मनोहर लाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अलवाय स्थित स्टाफ ट्रेनिंग कालेज, फेडरल बैंक के प्रिंसीपल की नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं और प्रक्रिया है;

(ख) क्या यह सच है कि तीसरी श्रेणी के एक स्नातक को, जो कि वर्तमान चैयरमैन का बेटा है और केवल 18-20 साल का है, प्रिंसिपल के पद को भरने के लिये निर्धारित नियमों और विनियमों की उपेक्षा करके इस स्टाफ ट्रेनिंग कालेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया और उसने अनेक कर्मचारियों का अधिलंघन किया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे व्यक्ति को पदावनत करके वाइस-प्रिंसिपल बना दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) फेडरल बैंक लि० से यह मालूम हुआ है कि अलवाय स्थित उनके स्टाफ ट्रेनिंग कालेज में प्रिंसिपल का कोई पद नहीं है। बैंक के अध्यक्ष ही इसके "प्रधान" के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा मुख्य अनुदेशक (चीफ इंस्ट्रक्टर) के पद पर नियुक्त बैंक का एक अधिकारी रोजमर्रा के कार्यों में उनकी सहायता करता है। फेडरल बैंक ने यह भी सूचित किया है कि अपने अध्यक्ष के पुत्र को, स्टाफ ट्रेनिंग कालेज में तैनात करने का बैंक का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक को आयकर निर्धारण का रिकार्ड भेजा जाना

9240. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री मोहन लाल पिपिल : क्या **वित्त** मंत्री यह गताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर उनके पास आय कर निर्धारण के रिकार्ड भेजे जाने के बारे में सरकार के क्या अनुदेश हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य श्री आई० पी० गुप्त और उसके हिन्दू संयुक्त परिवार के आय कर निर्धारण के रिकार्ड नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक को दो वर्ष तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे; और

(ग) यदि यह सही है तो भविष्य में ऐसे विलम्ब को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जब किसी आयकर कार्यालय की स्थानीय लेखा परीक्षा की जाती है, तो लेखा-परीक्षा दलों द्वारा फाइलों की मांग की जाती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की हिदायतों तथा इस सम्बन्ध में अपनाई जा रही परिपाटी के अनुसार, लेखा-परीक्षा के लिये मांगी गई फाइलें अविलम्ब उपलब्ध की जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी कारणवश, आयकर अधिकारी के पास मांगी गई फाइल उस समय उपलब्ध नहीं होती है, तो लेखा-परीक्षा दल को वस्तुस्थिति बता दी जाती है और

वह फाइल उस लेखा परीक्षा को अथवा उस आयकर कार्यालय की अगली लेखा परीक्षा को यथासम्भव शीघ्र उपलब्ध की जाती है।

(ख) जहां तक व्यष्टि की हैसियत में श्री आई० पी० गुप्त के मामले का सम्बन्ध है, यह पाया गया है कि महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के प्राप्ति लेखा-परीक्षा अधिकारी ने श्री आई० पी० गुप्त के कर-निर्धारण सम्बन्धी रिकार्ड को "सन्दर्भ तथा वापसी" के प्रयोजन से मंगाने के लिये शुरू शुरू में 16-4-1977 को एक मांग पर्ची भेजी थी। उस समय प्राप्ति लेखा परीक्षा की कोई लेखा परीक्षा नहीं चल रही थी, इसलिये सम्बन्धित आयकर अधिकारी ने वरिष्ठ उप महालेखाकार से 30-4-1977 को अनुरोध किया कि मामले में उठाई गई लेखा परीक्षा आपत्तियां आयकर अधिकारी को भेज दी जायें, जिससे रिकार्ड के सन्दर्भ में उनकी छानबीन की जा सके। आयकर अधिकारी को वरिष्ठ उप महालेखाकार से कुछ समय तक कोई उत्तर नहीं मिला। बाद में, कुछ पत्र व्यवहार के पश्चात् सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्ति लेखा परीक्षा को 1-4-1978 को भेज दिया गया था।

मैसर्स आई० पी० गुप्त (हिन्दू अविभाजित परिवार) का कर-निर्धारण, कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 से नियमित रूप से डिस्ट्रिक्ट (8) में होता है। महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के प्राप्ति लेखा-परीक्षा कार्यालय ने वर्ष 1972-73 से 1976-77 तक की अपनी वार्षिक लेखा-परीक्षा के दौरान मैसर्स आई० पी० गुप्त (हिन्दू अविभाजित परिवार) की फाइल की कभी भी मांग नहीं की। लेकिन, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली के प्राप्ति लेखा-परीक्षा अधिकारी ने 5-8-1976 को सम्बन्धित आयकर अधिकारी को एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि उन्हें ये रिकार्ड "उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाने वाली कुछ सूचना के सम्बन्ध में" चाहिये। लेखा परीक्षा अधिकारी ने यह नहीं बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा किस प्रकार की सूचना मांगी गई थी। कुछ पत्र-व्यवहार के बाद कर-निर्धारण का संबंधित रिकार्ड 9 मार्च, 1978 को लेखा परीक्षा को दे दिया गया था।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विषय पर स्थाई आदेश पहले से मौजूद हैं, उन्हें सब को फिर से दोहरा दिया जायगा।

जीवन बीमा निगम तथा नेशनल फेडरेशन आफ फील्ड वर्कर्स एसोशियेशन के बीच बातचीत द्वारा हुआ समझौता

9241. **श्री रेणुपद दास**
श्री रामसेवक हजारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वेतन-मान न्यूनतम कार्य तथा अन्य सेवा-शर्तों के पुनरीक्षण के बारे में जीवन बीमा निगम तथा नेशनल फेडरेशन आफ फील्ड वर्कर्स एसोसियेशन के बीच बातचीत के फलस्वरूप हुए समझौते की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समझौते से निकले निष्कर्षों को लागू कर दिया गया है अथवा नहीं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) विकास अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से मानदण्ड तैयार करने के लिये नेशनल फैडरेशन आफ फील्ड वर्कर्स के साथ बातचीत की जा रही है।

डेवलपमेंट बैंकिंग सेंटर में नये कर्मचारियों की भर्ती

9242. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा प्रायोजित डेवलपमेंट बैंकिंग सेन्टर ने नये कर्मचारियों की भर्ती के लिये इन्टरव्यू लिये थे;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितने उम्मीदवार आये तथा किन-किन राज्यों से आये;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन्टरव्यू तथा मौखिक परीक्षा लेने वाले अधिकारियों ने निम्नलिखित प्रश्न पूछा, 'दि इंस्ट्रक्शनस आन चरण सिंह इकनामिक थाट आन दि इंडियन इकनामी" (भारतीय अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह के विचारों के बारे में राय दीजिये);

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा प्रश्न पूछने की अनुमति है जो आवेदक को परेशानी में डाल दें?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) प्रबन्ध विकास संस्थान के विकास बैंकिंग केन्द्र द्वारा अनुसन्धान सहायकों की भर्ती के लिये 17 और 18 मार्च, 1978 को साक्षात्कार हुए थे।

साक्षात्कार के लिये आने वाले 39 आवेदकों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

आन्ध्र प्रदेश	6
असम	1
बिहार	2
दिल्ली	8
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	2
कर्नाटक	2
केरल	1
उड़ीसा	1
पंजाब	2
राजस्थान	4
तमिलनाडु	3
उत्तर प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	3
जोड़	39

5—222LSS/78

चार सदस्यों वाले बोर्ड द्वारा पूछे गये कई सौ प्रश्नों का कोई पहले से तैयार किया गया पाठ अथवा निर्धारित रूप नहीं था। प्रश्न, उम्मीदवारों की इन योग्यताओं का मूल्यांकन करने के आशय से किये गये थे :—

सामान्य ज्ञान, भारतीय अर्थ-व्यवस्था में हाल ही में हुए सामाजिक आर्थिक विकासों की जानकारी, विश्लेषणात्मक योग्यता, अनुसन्धान के यंत्रों और तरीकों की, विशेष रूप से आंकड़ों के एकत्रीकरण और विश्लेषण करने की पकड़ और विशेषज्ञता के क्षेत्र में गहन अध्ययन। हो सकता है कुछ आवेदकों से श्री चरण सिंह के आर्थिक विचारों पर टिप्पणी करने के लिये भी कह दिया गया हो। इन प्रश्नों के पूछने का मुख्य प्रयोजन यह पता लगाना था कि वे अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में विचारों के हाल के विकास की जानकारी रखते हैं अथवा नहीं। किसी उम्मीदवार को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं था।

राज्यों में निर्मित किये गये "यूथ होस्टलों" का उपयोग

9243. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में निर्मित किये गये "यूथ होस्टलों" का पूरी तरह से उपयोग उस प्रयोजन के लिये ही हो रहा है जिसके लिये वे निर्मित किये गये थे;

(ख) क्या जिन राज्यों में ये "यूथ होस्टल" निर्मित किये गये हैं, वहां की राज्य सरकारों से कोई वार्षिक रिपोर्ट भी मांगी जाती है; और

(ग) क्या सरकार ट्रेकिंग पार्टियों/अभियान-यात्रा पार्टियों को इन होस्टलों में आवास की जरूरत पड़ने पर इसमें रियायत भी देती है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अब तक कार्य कर रहे 14 युवा होस्टलों को, जयपुर स्थित होस्टल को छोड़ कर और सबको 1975-76 के बीच ही चालू किया गया है। इसलिये इन होस्टलों की लाग कम रही है।

सरकार ने इन युवा होस्टलों के कार्य-चालन का निरीक्षण करने तथा दोषों व त्रुटियों का पता लगाने के लिए और लाग में वृद्धि करने तथा युवा क्रियाकलापों के केन्द्र के रूप में इन होस्टलों के बनाने के उद्देश्य की पूर्ति करने की दृष्टि से जहां कहीं आवश्यक हो उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है।

(ख) इन युवा होस्टलों के वार्डन अपने नियंत्रणाधीन होस्टल के सम्बन्ध में मासिक एवं वार्षिक कार्य-निष्पत्ति रिपोर्टें भेजते हैं।

(ग) जी, नहीं। यह विचाराधीन है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को देश के बाहर रहने की अनुमति देना

9244. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का बजट तैयार किये जाने और लोक सभा में उसके पेश होने और उस पर चर्चा किये जाने से सम्बद्ध रहने का समग्र दायित्व नहीं है; और

(ख) सरकार को बाध्य करने वाली वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से उसने केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को उस समय देश से बाहर बने रहने की अनुमति दी, जबकि उसे भारत में होना चाहिये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित बजट के सभी कामों से अत्यधिक सम्बन्ध है और वे वास्तव में पूरी तरह उनसे सम्बद्ध थे।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये अधिकारियों को विदेशों में भेजते समय, सरकार देश में आवश्यक पूर्वनिश्चित कार्यों और विदेश में भेजे जाने के महत्व पर ध्यानपूर्वक विचार करती है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक औषधि-द्रव्य आयोग का अधिवेशन, भारत के लिये अत्यधिक महत्व रखता है और सरकार ने यह आवश्यक समझा कि अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करें। इसके बावजूद, बजट विषयक उनकी पूर्विकताओं के कारण, उन्हें विलम्ब से रवाना होना पड़ा और वे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के केवल दूसरे सप्ताह के लिये ही भारतीय प्रतिनिधि मण्डल में शामिल हो सके।

SMUGGLED GOLD

9245. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the quantity of gold smuggled in 1977-78 as compared to that in 1976-77 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : It is not possible to estimate the quantity of gold smuggled into the country. However, during 1977, the Customs authorities seized 264 Kgs. of contraband gold valued at Rs. 160 lakhs as compared to seizure of 175 Kgs. of contraband gold valued at Rs. 83 lakhs, during 1976.

सरकारी क्षेत्र में कम्पनियां

9246. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें सरकार ने कितनी पूँजी लगाई हुई है;

(ख) कितनी कम्पनियों में घाटा हो रहा है और ऐसी घाटे वाली कम्पनियों को वर्ष 1976-77 और 1977-78 में कुल कितनी हानि हुई;

(ग) कितनी कम्पनियों ने गत दो वर्षों में अपना हिसाब समय पर प्रस्तुत नहीं किया; और

(घ) उनमें से प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) इस समय पूर्ण परीक्षित लेखे 1976-77 वर्ष तक के ही उपलब्ध हैं। उस वर्ष 158 केन्द्रीय सरकारी उद्यम थे। 31-3-1977 को इन कम्पनियों में सरकार द्वारा सामान्य शेयर पूंजी और ऋणों के रूप में 9816 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया था। वर्ष के दौरान 43 कम्पनियों को 146.91 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 1976-77 वर्ष के पूर्ण परीक्षित लेखे इस वर्ष के अन्त तक उपलब्ध हो जायेंगे।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य-चालन की वार्षिक रिपोर्ट (1976-77) जो, सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा तैयार की गई थी और फरवरी, 1978 में सदन-पटल पर रख दी गई थी, उसमें शामिल करने के लिये दो कम्पनियों ने अपने परीक्षित लेखे ठीक समय पर नहीं भेजे। इन कम्पनियों से कहा गया है कि भविष्य में वे अपने खाते और उनकी लेखा परीक्षा ठीक समय पर पूरी करा लिया करें।

भारत पर्यटन विकास निगम के पूर्वी क्षेत्र में परिवहन विभाग बन्द किया जाना

9247. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़ी निजी परिवहन एजेंसियों को लाभ पहुंचाने के लिये भारत पर्यटन विकास निगम के पूर्वी क्षेत्र में परिवहन विभाग को बन्द करने के षडयंत्र के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या सरकार जानती है कि 1977-78 में भारत पर्यटन विकास निगम के पूर्वी क्षेत्र को लगभग 1.5 लाख रुपयों की हानि हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार जानती है कि भारत पर्यटन विकास निगम की सात वातानुकूलित कारों में से छह कारें कलकत्ता में गैराज में बेकार पड़ी हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में व्याप्त कदाचार, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की ओर सरकार का ध्यान गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन बातों को रोकने के लिये सरकार ने कया कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन विकास निगम के परिवहन प्रतिष्ठान को बन्द करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) निगम पूर्वी क्षेत्र में पटना, वाराणसी तथा भुवनेश्वर में अपनी परिवहन यूनिटों का परिचालन कर रही है। इनमें से पटना और वाराणसी में लाभ हुआ है और भुवनेश्वर से हानि। पूर्वी क्षेत्र में 1976-77 के दौरान कुल मिलाकर हुई 2.81 लाख रुपये की शुद्ध हानि 1977-78 में घट कर 1.65 लाख रुपये हो गई।

परिवहन बेड़े के अधिकतम उपयोग तथा इसके परिचालन की अधिकतम लाभप्रदता को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो परिवहन डिविजन के कार्य की जांच करेगी और आवश्यक उपचारी उपायों के बारे में सुझाव देगी।

(ग) कलकत्ता परिवहन यूनिट के बेड़े में 7 वातानुकूलित आयातित विदेशी कारें शामिल हैं जो 6-8 वर्ष पुरानी हैं। इनमें से दो कार्य कर रही हैं तथा अन्य तीन मरम्मत

के पश्चात मई, 1978 के अन्त तक परिचालन के लिये उपलब्ध हो जायेंगी। बाकी दो में गैर किफायती और बहुत बड़े पैमाने पर मरम्मत की जरूरत है, इसलिये उन्हें बेच देने अथवा उन्हें किसी अन्य प्रयोग में लाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) किन्हीं विशिष्ट आरोपों के उल्लेख के अभाव में सूचना तथ्यों को पेश कर सकना सम्भव नहीं है। कदाचार, भ्रष्टाचार, तथा भाई-भतीजावाद से संबंधित सभी आरोपों की भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धक द्वारा ध्यान पूर्वक जांच की जाती है तथा समय-समय पर उचित उपचारी कार्यवाही की जाती है।

भारत सरकार टकसाल, अलीपुर, कलकत्ता के कर्मचारी

9248. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एल० जी० टकसाल अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति कर्मचारी परिषद कलकत्ता-53 के अध्यक्ष श्री ए० के० बिस्वास से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें भारत सरकार टकसाल, अलीपुर, कलकत्ता के कर्मचारियों को न्याय दिलाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस बारे म क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्ला) : (क) जी हां, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) 1976 में भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता के कुछ कर्मचारियों ने, कलकत्ता के उच्च न्यायालय में दावा दायर किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक कनिष्ट साथी की कथित अवैध पदोन्नति के विरुद्ध भी चाराजोई की थी। दिनांक 23 फरवरी, 1978 के अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि टकसाल के प्राधिकारी आवेदकों की वरिष्टता को अन्य उच्च श्रेणी लिपिकों के साथ उच्च श्रेणी के लिपिक के संवर्ग में की गई लगातार सेवा की अवधि के आधार पर समायोजित करें और एक नई वरिष्टता सूची तैयार करें।

(ग) टकसाल के प्राधिकारियों को यह आदेश दे दिया गया है कि वे उच्च श्रेणी के लिपिकों की वरिष्टता सूची को 22-12-1959 से पहले की सेवा की अवधि के आधार पर फिर से संशोधित करके तैयार करें।

DEPARTMENTAL ENQUIRIES AGAINST INSPECTORS IN CENTRAL EXCISE OFFICE, KANPUR

9249. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of Inspectors in Central Excise Office, Kanpur against whom departmental enquiries are going on for a period of more than 6 years; and

(b) the extent to which the concerned Inspectors have been put to monetary loss and their promotion have been held up on account of the enquiries going on in the said cases for such a long time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) Departmental proceedings are going on against Inspectors of Kanpur Central Excise Collectorate for a period of more than 6 years. Enquiry has been completed against 3 of these and is in progress against the fourth Inspector.

(b) Since the disciplinary proceedings have not yet been finalised aaginst the concerned Inspectors, it is not possible to either work out the extent to which they have been put to monetary loss or the extent to which their promotion has been held up because of these proceedings.

उड़ीसा की खानों से निर्यात किया गया लौह अयस्क

9250. **श्री गंगनाथ प्रधान : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में और वर्ष 1978 की प्रथम तिमाही में उड़ीसा की खानों से कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात हुआ ;

(ख) पारादीप पत्तन, हल्दिया पत्तन और विशाखापत्तनम से (अलग-अलग) कितने प्रतिशत ऐसे अयस्क का निर्यात किया गया है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा से लौह अयस्क के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) उड़ीसा/बिहार स्थित खानों में उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात पारादीप तथा हल्दिया के पत्तनों से किया जाता है। पारादीप तथा हल्दिया पत्तनों से होकर जाने वाले उड़ीसा के लौह अयस्क के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते। तथापि पारादीप तथा हल्दिया से निर्यात किया जाने वाला 60 से 70 प्रतिशत लौह अयस्क उड़ीसा स्थित खानों से आता है।

नीचे दी गई सारणी में 1977 तथा 1978 की पहली तिमाही के दौरान पारादीप तथा हल्दिया पत्तनों से किये गये निर्यात दर्शाये गये हैं :

पत्तन	मात्रा	मूल्य
	दस लाख मे० टन	रु०/करोड़
पारादीप : 1977	2.479	33.80
1-1-1978 से 31-3-78	0.450	6.45
	2.929	40.25
हल्दिया : 1977	0.093	1.35
1-1-78 से 31-3-78	0.039	0.56
	0.132	1.91

उड़ीसा/बिहार की खानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से निर्यात नहीं किया जाता।

(ग) पारादीप तथा हल्दिया पत्तनों से 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान किये गये निर्यातों से कमाई गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

पत्तन	1976-77	1977-78
	रु०/करोड़	रु०/करोड़
पारादीप	35.16	36.37
हल्दिया	—	1.94

वर्ष 1978-79 में लौह अयस्क के निर्यात लक्ष्य में कमी

9251. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के लिये लौह अयस्क के निर्यात लक्ष्य में कमी कर गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) तथा (ख) 1978-79 के लिये लौह अयस्क का निर्यात लक्ष्य सरकार के विचाराधीन है।

LOANS GIVEN TO SMALL, MIDDLE AND BIG FARMERS BY NATIONALISED BANKS

9252. SHRI AGHAN SINGH THAKUR
SHRI RAMANAND TIWARY } : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount of loans given to small, middle and big farmers by nationalised banks for the development of agriculture during the last five years;

(b) the amount realised as repayment of loans and the actual amount that should have been realised; and

(c) the total amount written off during the said period ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The data on holding-wise distribution of direct finance to farmers and outstanding as on the last Friday of March 1973 to 1977 is furnished in the attached statement.

(b) The date on recoveries in respect of direct finance granted to agriculturists is complied on an annual basis at the end of June. The demand and recovery position relating to the years ended June 1973 to 1977 is furnished in the statement attached.

(c) The nationalised banks usually make provisions, out of their annual income, for bad and doubtful debts to the satisfaction of their auditors and write off from such provisions the debts which are considered by their managements as ultimately irrecoverable. Under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, banks are given statutory protection from disclosing the quantum or particulars of bad and doubtful debts for which provision has been made to the satisfaction of their auditors.

STATEMENT 1

Holding-wise distribution of direct finance to farmers (both short-term and medium/long term) granted by the public sector banks and outstanding as on the 1st Friday of March 1973 to March 1977

(Rs. in crores)

Size of Holdings	State Bank of India Group		Nationalised Banks		Total	
	No. of A/Cs	Amount	No. of A/Cs	Amount	No. of A/Cs.	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
March 1973						
Upto 5 acres	182623	27·63	328947	35·11	511570	62·74
Above 5 acres upto 10 acres	61184	13·00	120830	33·56	182014	46·56
Above 10 acres	62965	28·91	150785	88·74	213750	117.65
TOTAL	306772	69·54	600562	157·41	907334	226·95
March 1974						
Upto 5 acres	289661	32·84	448145	52·59	737806	85·43
Above 5 acres upto 10 acres	86846	18·79	163124	45·21	249970	64·00
Above 10 acres	81717	47·02	198755	127·47	280482	174·49
TOTAL	458224	98·65	810034	225·27	1268258	323·92
March 1975						
Upto 5 acres	409480	52·31	576892	73·01	986372	125·32
Above 5 acres upto 10 acres	116201	26·75	178771	57·43	294972	84·18
Above 10 acres	99833	67·28	208101	148·71	307934	215·99
TOTAL	625514	146·34	963764	279·15	1589278	425·49
March 1976						
Upto 5 acres	607708	90·74	854453	112·11	1462161	202·85
Above 5 acres upto 10 acres	163089	37·16	228168	72·92	391257	110·08
Above 10 acres	140834	83·38	240363	183·11	381197	266·49
TOTAL	911631	211·28	1322984	368·14	2234615	579·42
March 1977						
Upto 5 acres	972592	137·34	1150693	157·33	2123285	294·67
Above 5 acres upto 10 acres	252596	55·84	295109	97·23	547705	153·07
Above 10 acres	190154	122·49	280628	221·37	470782	343·86
TOTAL	1415342	315·67	1726430	475·93	3141772	791·60

Statement 2

Statement showing the recovery position of direct finance granted by public sector banks to agriculturists relating to the years ended June 1973 to 1977

(Rs. in crores)

	Demand	Reco-very	percentage of recovery to demand
June 1973			
SBI Group	40·43	19·23	47.6
Nationalised Banks	41·32	23·81	57.6
TOTAL	81·75	43·04	52.7
June 1974			
SBI Group	55·22	28·37	51.4
Nationalised Banks	149·37	70·23	47.0
TOTAL	204·59	98·60	48.2
June 1975			
SBI Group	95·18	55·04	57.8
Nationalised Banks	201·98	94·13	46.6
TOTAL	297·16	149·17	50.2
June 1976			
SBI Group	115·03	64·92	56.4
Nationalised Banks	265·28	128·71	48·5
TOTAL	380·31	193·63	50.9
June 1977			
SBI Group	164·97	91·20	55.3
Nationalised Banks	343·27	155·93	45.4
TOTAL	508·24	247·13	48.6

FUNCTIONING OF COOPERATIVE SOCIETIES

9253. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether cooperative societies in the country are not functioning satisfactorily;

(b) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government to speed up their functioning; and

(c) the arrangements proposed to be made regarding prevention of irregularities in public distribution system through cooperative societies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) Cooperative institution in the country have continued to make steady progress in various sectors, although in some cases, their functioning was not quite satisfactory.

(b) The reasons for unsatisfactory working of some of the cooperative institutions may be largely attributed to deficiency in the management, lack of professionalised management, weak capital structure, failure to adopt business oriented policies and procedures, lack of

members' loyalty, growth of vested interests etc. Steps required to be taken for streamlining and development of cooperatives on sound basis are discussed in the Annual Conferences of State Registrars of Cooperative Societies and State Ministers of Cooperation. The Government of India have recently suggested an action programme requesting the State Governments to gear up the cooperative administration and to take up effect action programme to remove their deficiencies and undertake effective measures for the proper functioning of cooperatives.

(c) The Central Government have suggested to the State Governments that priority should be given to cooperatives in the allotment of Fair Price Shops and that cooperatives should be developed for distribution of consumer articles. Steps have also been taken to provide necessary financial and technical assistance to cooperatives, so that they may play their due role in the public distribution system.

पालम हवाई अड्डे से विमानों की उड़ान में विलम्ब

9254. **श्री राजे विश्वेश्वर राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इन दिनों एक भी विमान पालम हवाई अड्डे से समय पर रवाना नहीं होता है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी नहीं। 1 अप्रैल से 25 अप्रैल, 1978 की अवधि में इंडियन एयरलाइन्स की 561 उड़ानों में से 464 उडानों अनुसूचित समय पर हुई तथा 97 उड़ानों में 15 मिनट से अधिक का विलम्ब हुआ। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, 1978 तक की अवधि में एयर इंडिया की 71 उड़ानों में से 9 अनुसूचित समय पर हुई तथा 40 उड़ानों में 15 मिनट से अधिक का विलम्ब हुआ।

अधिकतर विलम्ब ऐसे परिणामी कारणों से हुए जैसे विमानों का दिल्ली देर से पहुंचना तथा इंजीनियरी ट्रैफिक की समस्यायें आदि।

(ग) सरकार ने एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा परिचालित अनुसूचित सेवाओं के आने तथा जाने में विलम्बों की जांच करने के लिये नागर विमानन के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, नागर विमानन विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं।

RESTRICTIONS ON FOREIGN TOURISTS VISITING SIKKIM

9255. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA
SHRI K. B. CHETTRI
: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether there were certain restrictions on visit to Sikkim by foreign tourists;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether those restrictions have been relaxed to some extent; and

(d) if so, full facts in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Yes, Sir.

(b) Since Sikkim is a protected area under the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958 foreign tourist groups were being permitted to visit only Gangtok and Rumtek for two days.

(c) Yes, Sir.

(d) Individual foreign tourists can now visit Gangtok for two days and if they wish to visit Phodang and Rumtek for 4 days. Foreign tourists travelling in groups of 20 conducted by travel agents recognised by Department of Tourism are also permitted to trek in the Zongri area, Western Sikkim for a period of 10 days including journey time, provided they travel upto Bagdogra by air and follow the prescribed routes for trekking.

रंग-रोगन बनाने वाले लघु एककों से शुल्क की वापसी के लिये आवेदन-पत्र

9256. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :- क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा फरवरी, 1978 में 1978-79 के बजट में घोषित रियायतों के बावजूद रंग रोगन बनाने वाले अनेक लघु एककों से, जो सरलीकृत प्रक्रिया से अन्तर्गत कार्य कर रहे थे, अप्रैल, 1978 के लिये शुल्क अदा करने के लिये कहा गया था;

(ख) क्या इन एककों ने शुल्क वापिस करने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन आवेदनपत्रों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(घ) उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शुल्क कब तक वापिस किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ङ) सूचना विभिन्न समाहर्तालियों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जायेगी।

बम्बई स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों में राष्ट्रीय विकास बांडों का उपलब्ध न होना

9257. **श्री बापू कालदाते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और नई दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों में राष्ट्रीय विकास बाण्ड उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां तो गत 6 महीनों में बम्बई में अपने कार्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा बेचे गये राष्ट्रीय विकास बाण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंकों का, शाखाकार, ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख) बम्बई में राष्ट्रीयकृत बैंकों में राष्ट्रीय विकास बांड उपलब्ध हैं । परन्तु नई दिल्ली के कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास ये बांड इस समय उपलब्ध नहीं हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों में इन बांडों की पर्याप्त प्रतिभूतियां रखी हुई हैं और नई दिल्ली में बैंकों क यह सलाह दी गई है कि वे जनता की मांग को पूरा करने के लिये अपनी आवश्यकतायें वहां से पूरी करें।

(ग) और (घ) अब तक जितनी सूचना उपलब्ध हुई है उसके अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने बम्बई स्थित कार्यालयों के माध्यम से अक्तूबर 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि में बेचे गये राष्ट्रीय विकास बांडों की बैंक शाखा बार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

बम्बई में सरकारी क्षेत्र के बैंक	**आंकड़े रूपयों में**
1	2
1. भारतीय स्टेट बैंक	**1,21,050**
(i) कुफ्फे परेड	1,000
(ii) बार्क ट्राम्बे	1,000
(iii) बम्बई मुख्य ब्रांच	92,250
(iv) शिवाजी पार्क	4,000
(v) आई० आई० टी० पवई	6,800
(vi) गिरगांव	11,000
(vii) मलाड (पूर्वी)	5,000
2. बैंक आफ बड़ौदा	**97,500**
(i) कंदीवली	7,300
(ii) सर पी० एम० रोड़	7,400
(iii) शिवाजी पार्क	37,800
(iv) अम्बेडकर रोड़	2,000
(v) सिओन	2,000
(vi) बोरी बंदर	4,000
(vii) खार	1,000
(viii) मेरीन ड्राइव	31,000
(ix) कोलाबा	5,000
3. सिंडीकेट बैंक	**43,700**
(i) पाली हिल बांदरा	30,000
(ii) चेम्बूर	8,700
(iii) तारडियो	1,000
(iv) न्यू मेरीन लाइन्स	4,000
4. इण्डियन बैंक,	**17,000**
(1) किंग्स सर्कल	7,000
(2) चेम्बूर	5,000
(3) मलाड	3,000
(4) बम्बई फोर्ड	2,000
(5) सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया	**94,110**
(1) बम्बई मुख्य कार्यालय	43,650
(2) बडाला	35,000

1	2
(3) दादर (बी० एस० रोड़)	6,000
(4) चेम्बूर . .	5,050
(5) ओपेरा हाउस	210
(6) प्रभादेवी . .	4,000
(7) नई गाम . .	200
(6) पंजाब नेशनल बैंक आफ इण्डिया	**4,000**
(1) अंधेरी .	4,000
(7) इलाहबाद बैंक . .	35,000
(1) खार बम्बई	35,000
(8) केनरा बैंक .	40,800
(1) तेमेरिड लेन बम्बई	5,000
(2) फोर्ट बम्बई .	3,200
(3) मतुंगा (पूर्वी)	5,130
(4) सिओन, बम्बई .	8,020
(5) सिंधी समिति चेम्बूर .	15,000
(6) गोरेगांव पश्चिम	4,450
(9) बैंक आफ इण्डिया . .	**2,11,470**
(1) बम्बई कार्यालय	51,000
(2) विले पारले	600
(3) चर्चगेट	6,870
(4) वारसोआ . .	3,000
(5) म्यूजियम सेविंग्ज . . .	22,000
(6) गोरे गांव	500
(7) हिल रोड़ बांदरा	8,000
(8) मलंद पूर्वी	4,500
(9) वार्ली नाका	300
(10) इलैक्ट्रिक्स हाउस	2,000
(11) घाटकोपर	7,500
(12) प्रभादेवी	49,500
(13) अंधेरी	10,000
(14) फार्ट	5,000
(15) केसरों बाग	30,000
(16) वोडे हाउस रोड़	4,200
(17) दादरा (पश्चिम)	6,500

1	2
(10) यूनियन बैंक ग्राफ इण्डिया	**41,170**
(1) नरीमन प्वाइंट	100
(2) नेपिसन सी रोड़	1,500
(3) बी० एस० मार्ग	70
(4) ए० ग्रार० स्ट्रीट .	3,500
(5) बोरी बोली (पश्चिम)	500
(6) मुतुंगा	500
(7) दहीसार	34,000
(8) भिवंडी	1,000
(11) बैंक आफ महाराष्ट्र	**1,18,009**
(1) फोर्ट बम्बई	10,000
(2) बोरीवीली (पूर्वी) .	300
(3) बोरीवीली (पश्चिम)	9,500
(4) चेम्बूर .	15,800
(5) बांदरा (पूर्वी)	4,100
(6) लालबाग .	4,000
(7) विले पार्ले (पूर्वी)	7,300
(8) वोर्ली (पूर्वी)	22,000
(9) बम्बई सैंट्रल	20,000
(10) मलंद	5,000
(11) ठाकुरद्वारा .	5,000
(12) कंदीवली .	5,000
(13) मजगांव . . .	10,000
कुल जोड़	8,23,800

बिहार के धनबाद में हवाई ग्रड्डे के लिये मांग

9258. **श्री ए० के० राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स द्वारा वाणिज्यिक उड़ान के लिये धनबाद, बिहार में हवाई ग्रड्डे के लिये लगातार मांग की जाती रही है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या यह सच है कि धनबाद में ग्रनेक केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा मुख्यालय होने के बावजूद केन्द्र के साथ वह द्रुत संचार से नहीं जुड़ा हुग्रा है;

(ग) क्या यह सच है कि रांची और जमशेदपुर जैसे सभी औद्योगिक केन्द्रों में वाणिज्यिक उड़ानें रूकती है ; और

(घ) यदि हां, तो धनबाद के प्रति ऐसा भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोतम कौशिक) : (क) से (घ) धनबाद में एक विमानक्षेत्र के लिये मांग आई है। इंडियन एयरलाइन्स अथवा गैर-अनुसूचित परि-चालकों ने धनबाद के लिये विमान सेवायें परिचालित करने में कोई रूचि नहीं दिखाई है। धनबाद में एक विमान क्षेत्र का विकास करने की कोई योजना नहीं है। इंडियन एयर लाइन्स इस समय रांची के लिये एक दैनिक बोइंग 737 सेवा परिचालित कर रहे हैं। जमशेदपुर के लिये कोई अनुसूचित विमान सेवायें परिचालित नहीं की जाती हैं।

चीनी और प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के लिए राज सहायता

9259 श्री जार्ज मैथ्यू : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी और प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के लिये राज सहायता में अन्तर के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है ;

(ख) अगस्त, 1977 में आर० एम० ए०-1 एक्स शीट (प्राकृतिक रबड़) का मूल्य 655 रुपये प्रति क्विटल किस आधार पर निर्धारित किया गया था; और

(ग) क्या सरकार देश में डेढ़ लाख छोटे उत्पादकों को न्यूनतम लाभप्रद मूल्य देने की इच्छुक है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन जिसका भारत द्वारा अनुसमर्थन किया गया था, भारत के लिये चीनी के निर्यातकों का एक कोटा निर्धारित किया गया है । यह वचनबद्ध निर्यात, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया जाता है। चूंकि इस निर्यात सौदे में कतिपय हानि अन्तर्ग्रस्त है, अतः सरकार द्वारा एक उपदान की व्यवस्था की गई है। जहां तक प्राकृतिक रबड़ का सम्बन्ध है, सरकार, समय-समय पर केवल निर्यात के लिये बेशी रबड़ खरीदने के वास्ते राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत करती है, और इस प्रकार के निर्यात कार्य वाणिज्यिक आधार पर किये जाते हैं ।

(ख) तथा (ग) अन्तर्निवेश की कीमत बढ़ जाने के फलस्वरूप रबड़ की न्यूनतम कीमत में संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और अन्य ग्रेडों की रबड़ की कीमतें भिन्न-भिन्न रखते हुए ग्रेड-1 रबड़ की न्यूनतम कीमत प्रति क्विटल 520 रु० से बढ़ाकर 655 रु० कर दी गई थी। न्यूनतम कीमत में संशोधन करते समय विशेषतः छोटे उपजकर्त्ताओं को उचित कीमत दिलाने और सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को उचित स्तरों पर बनाये रखने की आवश्यकता को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया था। ये कीमतें 6 अगस्त, 1977 को अधिसूचित की गई थीं और 31 मई, 1978 तक प्रभावी रहेंगी। इस बीच स्थिति पर फिर से विचार किया जा रहा है।

INDIAN EMPORIA ABROAD

9260. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the number of Indian Emporia abroad, country-wise at present and the number of Indian and foreign employees working therein, separately;

(b) whether some new emporia were also opened in foreign countries last year in order to popularise Indian articles; and

(c) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) HHEC is having 4 foreign emporia in New York, Paris, Nairobi and Tokyo. The number of Indian and foreign employees working in these emporia are given below :—

	Indian employees	*Foriegn Regular*	*employees Part-time*
1. New York-Sona Shop and warehouse	7	2	1
2. Paris-Sona shop and warhouse . .	2	4	2
3. Nairobi-Sona shop	2	3	—
4. Tokyo-Sona shop . . .	1	1	2

(b) and (c). No new emporium was opened by HHEC in any foreign country last year.

रेणीगुंटा और तिरुपति में हवाई अड्डों का विकास

9261. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेणीगुंटा और तिरूपति में हवाई अड्डों के विकास के लिये कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) उन्हें कब कार्यान्वित किया जायेगा?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ग) तिरूपति टाउन के निकट रेणीगुंटा में पहले ही एक विमानक्षेत्र मौजूद है । इंडियन एयरलाइन्स तिरूपति/रेणीगुंटा के लिये एक दैनिक एच० एस०-748 सेवा परिचालित कर रही है ।

गांधीधाम और बम्बई के बीच विमान सेवा

9262. **श्री अनन्त दवे** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गांधीधाम और बम्बई के बीच विमान सेवा के बारे में गांधीधाम वाणिज्य मण्डल से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या यह सच है कि यह मांग उनके विभाग में काफी समय से विचाराधीन है; और

(ग) क्या सरकार के समक्ष पिछड़े क्षेत्रों में नई विमान सेवायें आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) विमानों की अत्यधिक तग स्थिति के कारण, काडला के लिय एक विमान सेवा की व्यवस्था करना संभव नहीं हुआ है। इसके अलावा, कांडला भुज से केवल थोड़ी सी ही दूरी पर है और भुज बम्बई के साथ विमान सेवा से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तथापि, कांडला के लिये विमान सेवा की व्यवस्था करने के बारे में टर्बो प्रॉप विमान उपलब्ध होने की स्थिति में ही विचार किया जायेगा।

(ग) देश में 'थर्ड लेविल फीडर" विमान सेवाओं का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सिक्किम में पर्यटन सुविधाएं

9263. **श्री छत्र बहादुर छेत्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिक्किम राज्य में इस समय पर्यटन की क्या सुविधायें विद्यमान हैं;

(ख) क्या परिवहन सुविधाओं की भारी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने पर्यटन के बारे में कोई ठोस नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या विदेशी पर्यटकों को सिक्किम के दौरे के लिये आकर्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) गंगटोक में कुल 420 शय्यायें उपलब्ध हैं और पता चला है कि अगले दो वर्षों में 300 शय्याओं की वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट उद्यमियों को ऋण मंजूर किये गये हैं। राज्य सरकार भी एक 78 शय्याओं वाले पर्यटक होटल का निर्माण कर रही है जिसके कि जल्दी ही चालू हो जाने की आशा है। पैमायाँग्त्से में एक 50 शय्याओं वाले पर्यटक लॉज की व्यवस्था की गई है तथा सांगयो में एक कैफैटीरिया खोला गया है। जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है, सिक्किम राष्ट्रीयकृत परिवहन के पास बसों का बहुत बड़ा बेड़ा है जिसमें से 30 सीट वाली 6 बसें सिलीगुड़ी/गंगटोक मार्ग पर, 3 बसें गंगटोक/कालीपौंग मार्ग पर, तथा 10 सीट वाली 3 मिनी बसें गंगटोक/दार्जिलिग मार्ग पर परिचालन कर रही हैं। इनके अतिरिक्त, निजी परिवहन परिचालक भी सड़क यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये वाहन चलाते हैं। राज्य के पर्यटन विभाग के पास 10 सीटों वाली एक मिनी बस है जिसका प्रयोग दर्शनीय स्थलों की संदर्शित यात्राओं के लिये किया जाता है।

(ख) से (घ) सिक्किम में पर्यटन के विकास के लिये कोई स्कीमें नहीं बनाई गई हैं जिसका मुख्य कारण यह है कि सिक्किम में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध है। तथापि, सिक्किम में पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिये केन्द्र द्वारा पूंजी निवेश करने के प्रश्न पर राज्य की 1978-83 की पंचवर्षीय योजना पर विचार विमर्श करते समय उनकी पर्यटन योजना को अन्तिम रूप देते समय राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जायेगा।

6—222LSS/78

जहां तक पर्यटन सुविधाओं का सम्बन्ध है, पर्यटकों द्वारा प्रयोग करने के लिये वाहनों की **खरीद के लिये राज्य की** 1978-79 की वार्षिक योजना के पर्यटन क्षेत्र में 5 लाख रुपये की **व्यवस्था की गई है।**

(ङ) पश्चिमी सिक्किम में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के प्रवेश को अधिक उदार बनाने के परिणामस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये उस क्षेत्र में राज्य सरकार के परामर्श से 'ट्रेकिंग' कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रस्ताव है।

निर्यात-आयात बैंक स्थापित किया जाना

9264. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आर्गेनाइजेशन्स एसोसिएशन ने निर्यात-आयात बैंक खोलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ऐसा लगता है कि सरकार को, आल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स अर्गेनाइजेशन्स एसोसियेशन द्वारा निर्यात-आयात बैंक की स्थापना के लिए कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरसों का समर्थन मूल्य निर्धारित करना

9265. **श्री डी० बी० चन्द गौडा : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने चालू वर्ष के लिये औसत अच्छे किस्म की सरसों का समर्थन मूल्य हाल में निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) उचित औसत किस्म की सरसों का समर्थन मूल्य 1977-78 के मौसम के लिये 225/- रुपये प्रति क्विटल नियत किया गया है। समर्थन मूल्य कार्य भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को सौंपा गया है।

राज्यों का बकाया केन्द्रीय ऋण

9266. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1978 को विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों पर वकाया केन्द्रीय ऋण की पृथक पृथक मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने मूलधन और ब्याज के रूप में केन्द्रीय कितनी धनराशि वसूल की; और

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान राज्यों और संघ क्षेत्रों को दिये गये केन्द्रीय ऋण और अनुदान की पृथक पृथक मात्रा कितनी है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1977-78 के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें बिल्कुल हाल की उपलब्ध सूचना की गई है।

(ख) और (ग) वास्तविक आंकड़े, जिसमें राज्यवार ब्यौरे भी शामिल हैं, तभी प्राप्त होंगे जब 1977–78 के लेखों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। परन्तु 1977-78 के संशोधित अनुमानों (जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तैयार नहीं किये जाते) के अनुसार वर्ष की संबंधित सूचना इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपयों में)

(i)	राज्यों का संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से केन्द्रीय ऋणों की वसूली	860
(ii)	केन्द्रीय ऋणों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा की सभी ब्याज की अदायगियां	524
(iii)	राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय ऋणों का सकल भुगतान	2020
(iv)	राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदानों की अदायगियां	2032

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य	31-3-76 को बकाया ऋण की रकम
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	770
2.	असम .	443
3.	बिहार	836
4.	गुजरात	393
5.	हरियाणा .	242
6.	हिमाचल प्रदेश	168
7.	जम्मू और कश्मीर	411
8.	कर्नाटक .	486
9.	केरल	409
10.	मध्य प्रदेश .	483
11.	महाराष्ट्र	743

12. मणिपुर	58
13. मेघालय	20
14. नागालैंड	29
15. उड़ीसा	560
16. पंजाब	253
17. राजस्थान	820
18. तमिलनाडु	485
19. त्रिपुरा	48
20. उत्तर प्रदेश	1,073
21. पश्चिम बंगाल	946
22. सिक्किम	1
	9,677

संघ राज्य क्षेत्र

1. अरूणाचल प्रदेश	4
2. गोआ, दमन व दीव	74
3. मिजोराम	13
4. पांडिचेरी	15
जोड़	106
जोड़---राज्य व संघ राज्य क्षेत्र	9,783

टिप्पणी: 1976-77 और 1977-78 के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में लेखा परीक्षकों के बैरक में सीधी भर्ती

9267. **डा० बी० ए० सैय्यद मोहम्मद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कुछ फील्ड कार्यालयों में लेखा परीक्षकों के कैडर में सीधी भर्ती के लिये स्नातक न्यूनतम योग्यता के रूप में नहीं मानी जाती है जबकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिये जाने वाली अखिल भारतीय सेवा की सभी परीक्षाओं के लिये यह न्यूनतम योग्यता है;

(ख) क्या कुछ कार्यालयों में विज्ञापन में दी गई योग्यतायें जैसे प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में स्नातक अथवा द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उम्मीदवारों की उपेक्षा की जाती है और उनमें जिनके सबसे अधिक अंक होते हैं उन्हें लिखित परीक्षा के लिये चुन लिया जाता है और अन्य उम्मीदवारों को छोड़ दिया जाता है; और

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा ग्रुप डी क्लर्क/टाइपिस्ट और विभाग में लेखा परीक्षकों के कैडर के इण्टरव्यू को और इण्टरव्यू के बाद भर्ती के लिये चुने गये उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित नहीं की जाती है जबकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के लिये की जाने वाली भर्ती की ऐसी सूचियां प्रत्येक अवस्था में प्रकाशित की जाती हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता 'विश्वविद्यालय की डिग्री' है और तदनुसार इसका उल्लेख विज्ञापन में किया जाता है।

कभी-कभी विज्ञापन के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या काफी अधिक होती है और इसलिये आवेदन-पत्रों की संख्या व्यवस्थित स्तर तक लाने के लिये भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में केन्द्रीय भर्ती एजेन्सियों द्वारा उनकी अनुवीक्षा की जाती है। ऐसा अनुवीक्षण, अंकों के ऊपर से नीचे की ओर प्रतिशतता के क्रम में आवेदन-पत्रों का ग्रुप बनाकर तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के मामले में प्रत्याशित रिक्त पदों के सात गुना तक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के मामले में दस से बारह गुना तक उच्चतर ग्रुप के आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिये बुलाकर किया जाता है।

लेकिन, भर्ती के मामले में एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में सभी केन्द्रीय भर्ती एजेन्सियों के प्रयोग के लिये नमूने के तौर पर विज्ञापन का एक फार्म निर्धारित किया गया है।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किये गये पैनलों और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में केन्द्रीय भर्ती एजेन्सियों द्वारा तैयार किये गये पैनलों की स्थिति एक जैसी नहीं है। भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में केन्द्रीय भर्ती एजेन्सियों द्वार तैयार किया गया पैनल सामान्यतः एक वर्ष के लिये वैध होता है और पैनल में उम्मीदवारों की संख्या सामान्य तौर पर पैनल वाले वर्ष के लिये प्रत्याशित पदों की संभावित संख्या से दुगुनी होती है, और इस प्रकार पैनल के एक वर्ष तक चालू रहने के दौरान पैनल से निकल जाने वाले उम्मीदवारों के लिये पूरी गुंजाइश रखी जाती है। वास्तविक रूप में उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर हो सकता है कि पैनल में रखे गये सभी व्यक्तियों को पैनल के चालू रहने की अवधि के दौरान नियुक्त न किया जा सके और इसलिये पैनल में किसी भी व्यक्ति की स्थिति के बारे में उन्हें नहीं बनाया जाता। केवल ऐसे व्यक्तियों को तथ्य के बारे में बताया जाता है जिनके आगामी दो मास में नियुक्त किये जाने की आशा हो ताकि उन्हें नियुक्ति-पत्र जारी किये जाने पर वे कार्यक्रम करने के लिये तैयार रहें।

जनता होटलों के निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा सहायता

9268. श्री डी० जी० गवई : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनता होटलों के निर्माण के लिये केन्द्र ने कुल कितने नियतन पर स्वीकृति दी है;

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान कितने जनता होटेल बनाये जायेंगे और वे कहां कहां पर बनाये जायेंगे;

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक जनता होटल का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(घ) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ङ) पर्यटकों के लिये वहां दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार उन गैर-सरकारी पार्टियों को जनता होटल बनाने के लिये कहने का है जो 5 स्टार वाले होटल बनाने के कार्य में लगी हुई हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के महानगरों में जनता होटल बनाने का प्रस्ताव है और इनके साथ-साथ कुछ और चुने हुए ऐसे स्थानों पर भी छोटे जनता होटल बनाने का प्रस्ताव है जिनका निर्धारण एक सर्वेक्षण कर लेने के बाद किया जायेगा। इन विभिन्न स्कीमों के लिये निधियों के आवंटन तक किये जायेंगे जब इनमें से प्रत्येक के विस्तृत ब्यौरों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

(ख) सरकार ने 300 लाख रुपये की अनुमानित लागत से नई दिल्ली में एक 1250 शय्याओं वाले जनता होटल (अशोक यात्री निवास) के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है जिसके लिये 1978—79 के दौरान 50 लाख रुपये के आबंटन की मांग की गई है।

(ग) और (घ) नई दिल्ली में जनता होटल का शिलान्यास 4 मई, 1978 को किया गया तथा इस होटल के 1980-1981 के दौरान क्रमिक चरणों (फेज़िज़) में चालू हो जाने की आशा है।

(ङ) नई दिल्ली में जनता होटल (अशोक यात्री निवास) में 505 डबल बैड वाले कमरे तथा 60 चार बैड वाले फेमिली रूम होंगे। जिनके साथ टॉयलेट लगे होंगे और जिन्हें सस्ती दरों पर किराये पर दिया जायेगा। इनके अतिरिक्त एक रेस्टारैंट-व-कॉफी शॉप, एक-स्पेशियलिटी रेस्टोरैंट, एक शॉपिंग आर्केड, पर्यटन सूचना कार्यालय तथा एक मनोरंजन कक्ष भी होगा।

(च) सरकार जनता होटल स्थापित करने के लिये प्राइवेट पार्टियों को हर संभव प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मुकद्दमों पर खर्च की गई राशि

9269. **श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमों पर कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायालयों सम्बन्धी मामलों पर किये गये व्यय में हुई वृद्धि के क्या विधि कारण हैं; और

(ग) उक्त स्थिति और विशेषकर 11 मार्च, 1978 के साप्ताहिक बिल्ट्ज में 'बैंक स्कवन्डिरम पब्लिक मनी ग्रोन लिटिगेशन एगेन्स्ट स्टाक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) यथासम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

9270. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 में राज्यों ने केन्द्र से अतिरिक्त सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां तो प्रत्येक राज्य ने तथा संघ राज्य क्षेत्र ने कितनी सहायता की मांग की ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक को कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), से (ग) : राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने 1977-78 के दौरान, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और अन्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को, संसाधनों के अन्तरालों को पूरा करने के लिए, प्राकृतिक प्रकोपों के कारण हुए आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए, सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के कुछ अनुरोध किये थे। ऐसे अनुरोधों के ब्यौरे और इन अनुरोधों के आधार पर दी गई राशियों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद जीवन बीमा प्रीमियमों का भुगतान

9271. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा की शर्तों में संशोधन होने के बाद वर्ष 1974 और 1978 के बीच कितने व्यक्तियों ने पांच वर्ष की निरन्तर अवधि निकल जाने के बाद जीवन बीमा प्रीमियमों का भुगतान किया ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : कुछ समय पहले जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी की शर्तों में जो परिवर्तन किया गया था वह अभिदत्त मूल्य की अदायगी के संबंध में था, न कि व्यपगत पालिसियों को फिर से चालू करने के संबंध में पहले की इस शर्त में संशोधन कर दिया गया, जिसके अनुसार तीन वर्ष तक प्रीमियम अदा करने के बाद जीवन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत अभिदक्ष मूल्य अदा कर दिया जाता था। इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि 1-1-76 को या उसके बाद जारी की गई पालिसियों के बारे में अभिदत्त पालिसी तभी सुरक्षित रहेगी यदि पालिसी के प्रीमियम की रकम 5 वर्ष तक या प्रीमियम अदा करने की कुल अवधि के एक चौथाई भाग तक, इनमें से जो भी कम हो, अदा की गई हो, बशर्ते कि प्रीमियम कम से कम तीन वर्ष तक अवम्य दिया गया हो। जहां तक व्यपगत पालिसियों को फिर से चालू करने का संबंध है उनके बारे में यह शर्त बराबर लागू रहेगी कि व्यपगत पालिसी बीमाकृत व्यक्ति के जीवन काल में (अनिवार्य शर्तों

को पूरा करने पर) फिर से चालू की जा सकती है परन्तु ऐसा अदान किए गए पहले प्रीमियम की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के अन्दर अन्दर और पालिसी की परिपक्वता की तारीख से पहले ही हो सकता है। जो पालिसियां 5 वर्ष से अधिक समय तक व्यपगत रहती हैं, उन्हें केवल खास मामलों में ही फिर से चालू करने पर विचार किया जाता हैं ।

2. अभिदत्त मूल्य देने के लिए संशोधित शर्त केवल 1-1-76 को अथवा उसके बाद जारी की गई पालिसियों पर ही लागू होगी जो सारी की सारी 5 वर्ष से कम की है। इसलिए इस संशोधन के परिणामस्वरूप उन पालिसियों के अन्तर्गत जो 5 वर्ष से अधिक अवधि से व्यपगत हैं, कोई प्रीमियम देने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण अकादमी के बारे में अध्ययन

9272. **श्री चित बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की अन्तर्राष्ट्रीय ऋण अदायगियों के बारे में विभिन्न समस्याओं का इस बीच गहराई से अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) हालांकि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों की वापसी अदायगी से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं का औपचारिक रूप से गहराई से कोई अध्ययन नहीं किया है लेकिन इस पर बराबर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

9273. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1978 में खाद्य तेलों के मूल्यों में पुनः वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका मूल्य फरवरी और मार्च, 1978 में कम हो गया था ;

(ग) यदि हां, तो अप्रैल, 1978 में इनके मूल्यों में पुनः वृद्धि होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त वृद्धि के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उनको बढ़ने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं। अप्रैल, 1978 के पहले चार सप्ताहों में खाद्य तेलों का थोक मूल्य सूचकांक मार्च, 1978 की इसी अवधि की तुलना में 1.2 प्रतिशत कम रहा है।

(ख) खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में कुल मिलाकर फरवरी, 1978 और मार्च, 1978 के महीनों में पूर्वगत महीने की तुलना में क्रमशः 2.9 प्रतिशत और 0.3 प्रतिशत तक की कमी भी हुई है।

(ग) से (ङ) : ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

INCREASE IN PRICE OF POLYESTER FILAMENT DUE TO INCREASE IN EXCISE DUTY

9274. SHRI RAMANAND TIWARY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a result of the 'excise duty' announced in the budget the producers of Polyester Filament propose to increase its price from Rs. 3 per kilogram to Rs. 4 per kilogram; and

(b) if so, whether Government propose to take some steps to give relief to the consumers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) As a result of levy of special duties of excise at the rate of 1/20th of the basic excise duties, the pre-budget rates of excise duty on polyester filament yarn will go up by Rs. 2.45 to Rs. 3.85 per kg. It is not known whether the producers of polyester filament yarn propose to pass on this increase in excise to the consumers in full or in part.

(b) In view of what is stated in reply to part (a), the question of giving relief to consumers does not arise for consideration at present.

EXPORT OF POPPY HUSK TO CZECHOSLOVAKIA

9275. DR. LAXMINARAIN PANDEYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether poppy husk is available in abundance in the country;

(b) whether it is exported to Czechoslovakia and other countries;

(c) whether its exports can be increased also; and

(d) if so, the steps taken in the direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) During the crop year 1977-78, the area under poppy cultivation was about 65,000 hectares and the estimated production of poppy husk is likely to be 39,000 M. Tons.

(b) Yes, Sir. During the year 1977, the total quantity of poppy husk exported was 3,886 tons out of which 1,444 tons were exported to Czechoslovakia.

(c) and (d). The Indian poppy husk (straw) is facing stiff competition from Turkish poppy husk which not only has a higher morphine content but because of the proximity of Turkey to the importing countries which are in Europe the element of freight in the price of Turkish straw is comparatively lower. However, with a view to increase the foreign exchange earnings from poppy husk, it has been decided to set up a plant with a capacity to process 12,000 tons of poppy husk for extraction of morphine, codeine and other alkaloids from poppy husk for the purpose of export.

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दो और एयर बसें खरीदा जाना

9276. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार दो और एयर बसें खरीदने का है, यदि हां, तो क्या इस बीच इस उद्देश्य के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन एयर बसों का उपयोग किन मार्गों पर किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां, इंडियन एयरलाइंस ने दो और ए 300 बी 2 एयरबस विमान खरीदने के लिए अप्रैल, 1978 में फ्रांस की मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इन विमानों का दिल्ली/बम्बई सेक्टर पर और अधिक संख्या में सेवाओं का परिचालन करने तथा बम्बई/त्रिवेन्द्रम सैक्टर पर एयरबस परिचालनों को आरंभ करने के लिये उपयोग करने का प्रस्ताव है। नवम्बर, 1978 से, गल्फ के लिए सेवाओं में वृद्धि करके दैनिक सेवा प्रारंभ कर देने तथा दिल्ली/ हैदराबाद/बंगलौर और बम्बई /गोवा मार्गों पर भी एयरबस सेवाएं चालू कर देने का प्रस्ताव भी इंडियन एयरलाइंस के विचाराधीन है।

पर्यटन से राजस्व में कमी

9277. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन से राजस्व में काफी कमी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं, पर्यटन से 1976 में 225 करोड़ रुपए की तुलना में 1977 में 283 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम

9278. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच यह है कि सरकार बाहरी एजेंसी के द्वारा राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच करा रही है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम उत्तरी क्षेत्र के लिये शाखा कार्यालयों का गठन करके अपने कार्यालयों का पुनर्गठन कर रहा हैं;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के मुख्य कार्यालय में अधिक कर्मचारी हैं और आपात काल के दौरान कितने मैनेजरों की भर्ती की गई थी और क्या उस समय इस भर्ती के लिये कोई औचित्य था ;

(घ) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम का प्रबन्धक-वर्ग दिल्ली से बाहर मैनेजरों को नियुक्त करने का प्रयास कर रहा है और इन्हें दिल्ली से बाहर नियुक्त करने के लिये क्या मानदंड रखे गये हैं; और

(ङ) राज्य व्यापार निगम के प्रबंधकों द्वारा कितने नये शाखा कार्यालय खोलने का विचार हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां। भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद से कहा गया था कि वह राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और उनके अनुषंगी निगमों के कार्यचालन की समीक्षा करें।

(ख) जी हां। उसने उत्तर क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिल्ली में पहले ही एक सांख्य कार्यालय स्थापित कर लिया है।

(ग) जी नहीं। 1-6-1975 से 31-3-1977 तक के दौरान भर्ती किये गये प्रबंधकों की संख्या 89 है।

निगमों के निर्यात/आयात संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि के कारण प्रधान कार्यालय में बढ़ी हुई मात्रा में काम को निपटाने के लिए भर्ती करना आवश्यक हो गया था।

(ग) प्रबंधक काडरों के पद स्थानांतरणीय हैं। स्थानांतरण निगम के हित को ध्यान में रखते हुए प्रबंधक मंडल द्वारा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किये जाते हैं। प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों में प्रबंधकों की नियुक्ति कार्य के बदलते रूप और समय-समय पर शाखा कार्यालयों में काम के भार के आधार पर की जाती है।

(ङ) निगम विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात संभाव्यताओं का लगातार अध्ययन करता रहा है। जब कभी किसी विशेष क्षेत्र में संभाव्यता की अच्छी तरह से पुष्टि की जाती है, तब निगम उस क्षेत्र में शाखा कार्यालय खोलता है।

तोरिया के तेल के निर्गम मूल्य में कमी करने में असफलता और राज्यों को उसकी सप्लाई

9279. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तोरिया के तेल के निर्गम मूल्य में कितनी कमी की गई है और देश में राज्यों को उसकी कितनी सप्लाई की गई है।

(ख) क्या यह सच है कि अशोधित तोरिया तेल, जिसे गरीब वर्गों के लोगों द्वारा शोधित करके उपयोग में लाया जाता है का निर्गम मूल्य नहीं घटाया गया है और वनस्पति निर्माताओं द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अन्य आयातित तेलों का मूल्य घटा दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि वनस्पति के घटक के रूप में प्रयुक्त ये आयातित तेल समान के उपेक्षाकृत अधिक सम्पन्न वर्गों द्वारा उपयोग में लाये जाते हैं ; और

(घ) अशोधित तोरिया तेल के निर्गम मूल्य को घटाने में सरकार की असफलता के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) (क) से (घ) राज्य सरकारों को सप्लाई किये जाने वाले अशोधित रेपसीड तेल का निर्गम मूल्य शुरु में 6300/- रु० प्रति मीटरी टन नियत किया गया था। राज्य सरकारों को यह तेल साफ करना था और उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा 8.50 रु० प्रति किलोग्राम के अंतिम खुदरा मूल्य पर वितरित करना था। बाद में 25-8-77 से अशोधित तेल का निर्गम मूल्य घटाकर 5300/- रु० प्रति मीटरी टन किया गया, ताकि राज्य सरकारें साफ किये गये तेल को ज्यादा से ज्यादा

7.50 रु० प्रति किलोग्राम के भाव से वितरित कर सकें। इसके बाद पुनर्विलोकन करने पर पहली मई, 1978 से इसका निर्गम मूल्य और घटाकर 4800 रु० प्रति मीटरी टन किया गया है, ताकि यह तेल 7/- रु० प्रति किलोग्राम के अंतिम खुदरा भाव पर वितरित किया जा सके। वनस्पति उत्पादकों को दिये जा रहे सोयाबीन तेल तथा रेपसीड तेल का निर्गम मूल्य इस समय 5,950/- रु० है, जो कि राज्य सरकारों को दिये जा रहे अशोधित रेपसीड तेल के निर्गम मूल्य से अधिक है।

PURCHASE OF LOCKHEED AIRCRAFT FOR AIR INDIA

9280. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether it has been proposed to purchase Lockheed aircraft for Air India;

(b) if so, the decision taken in this regard; and

(c) the action being taken in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क डिवीजनों का पुनर्गठन

9281. **श्री राजाराम शंकरराव माने** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के डिवीजनों का पुनर्गठन करने और नागपुर डिवीजन में नासिक, जलगांव, धुलिया और औरंगाबाद को शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) (क) और (ख) : महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव, धुलिया और औरंगाबाद जिलों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, नागपुर में शामिल करने का, सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

APPOINTMENT OF COMMISSION TO GO INTO THE WORKING OF REGIONAL RURAL BANKS

9282. SHRI UGRASEN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether regional rural banks were set up by the Central Government and whether a Commission was appointed to go into working and management thereof as also giving incentive to such banks and when a copy of the recommendations of the Commission will be laid on the Table of the House; and

(b) whether Government will consider the question of giving pay scales, Dearness allowance and other facilities to the Branch Managers of these banks in accordance with the national policy regarding equal pay for equal work ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) A Committee under the Chairmanship of Prof. M. L. Dantwala was appointed by the Reserve Bank of India to review the working of existing 48 Regional Rural Banks in the country.

The report of the Committee has been received by the Reserve Bank of India and is at present under their active consideration.

(b) The question of revision of pay scales and other allowances of the staff will be considered by the Government in the light of the recommendations of the Committee and the comments of the Reserve Bank of India which are awaited.

DEMAND FOR INDIAN HANDLOOM GARMENTS

9283. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether demand for Indian handloom garments has increased in foreign countries;

(b) whether contracts have been signed with many countries; and

(c) if so, the total amount of foreign exchange earned thereby during 1976-77 and 1977-78 and efforts being made by Government to earn more of it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) and (b) The demand for handloom garments which were facing sluggish market conditions in USA and unilateral restrictions in EEC countries during 1977, has revived since January, 1978. The export trade is reported to have entered into contracts with their counterparts in USA, EEC, Scandinavia, Australia, Japan etc.

(c) The total amount of foreign exchange earned during 1976-77 and 1977-78 (April, '77—January, 78) by export handloom garments was Rs. 155.15 crores and Rs. 71.34 crores respectively. Apart from cash compensatory support and import replenishment licensing against exports of handloom garments, participation in specialised textile fairs abroad, sales-cum-study teams to explore new markets and to introduce new items in the existing markets, intensive publicity campaigns, establishment of export production projects in the important handloom centres under the Central Plan, establishment of Apparels Export Promotion Council are some of the efforts being made to increase exports of handloom garments.

TAX EXEMPTION ON IMPORTED CEMENT

9284. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to exempt the imported cement from tax; and

(b) if so, the reasons therefor on which this exemption is applicable?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) Yes, Sir. Imported cement has been exempted from basic, auxiliary and countervailing duties of customs.

(b) Import of cement has been necessitated by shortage of indigenous cement. However, the c.i.f. price of imported cement is higher than the cum-duty price of indigenous cement. Imported cement was exempted from the whole of the basic, auxiliary and additional duties of customs so that it does not become unduly costly in the domestic market.

ALUMINIUM STOCKS SEIZED BY EXCISE AUTHORITIES IN HINDUSTAN ALUMINIUM CORPORATION, MIRZAPUR

9285. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether aluminium stocks were seized by the Excise authorities in 1975 in the Hindustan Aluminium Corporation, Renukoot, Mirzapur; and

(b) if so, the action taken against the management of the corporation under the provisions of the new law?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) and (b). Yes, Sir. There were two cases of seizure of aluminium stock by the Central Excise authorities in 1975. In one case, the party filed a writ petition against the seizure in the High Court at Delhi and the High Court quashed the seizure of the goods and the Show Cause Notice. The second case was adjudicated departmentally for violation of Rule 52(A) of the Central Excise Rules, 1944.

मंत्रालय के बारे में दिये गये ठेके/लाइसेंस

9286. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय सार्वजनिक उपक्रमों सहित उससे सम्बद्ध तथा उसके अधीन कार्यालयों के बारे में जनता शासनकाल की अवधि में कुल कितने ठेके/लाइसेंस मंजूर किये गये और उनमें से अ० जा० तथा अ० ज० जा० को यदि कोई ठेके/लाइसेंस दिये गये तो उनकी संख्या कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

किसी अन्य हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में शामिल करना और तदनुरूप उसका विकास करना

9287. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किसी अन्य हवाई अड्डे का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करने और उसकी सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इस समय भारत में चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं । ये हवाई अड्डे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं।

(ख) जी, नहीं । फिलहाल नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के स्टॉक एक्सचेंज में हुई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें

9288. **श्री बलदेव सिंह जसरोतिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में किये जा रहे गम्भीर कदाचारों और अनियमितताओं और कुछ शेयरों के बारे में किये जा रहे सट्टे के बारे में उनके मंत्रालय को कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी शिकायतों की कोई जांच की गई है; और

(ग) उनके क्या निष्कर्ष निकले और ऐसी अनियमितताओं और कदाचारों को भविष्य में रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में हो रहे गम्भीर कदाचार, अत्यधिक भीषण अनियमितताओं अथवा सट्टेबाजी का कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। लेकिन एक शिकायत मिली है, कि दिल्ली स्टाक एक्सचेंज का कारबार कार्यकारी निदेशक के द्वारा स्टाक एक्सचेंज संबंधी उपनियमों, नियमों और

विनियमों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा है। इसकी जांच की गई है और इस आरोप में कोई सचाई नहीं पायी गई है।

विशेष बैंक नोटों का मूल्य

9289. श्री बी० सी० काम्बले : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय संविधान के लागू होने से अब तक कुल कितनी कीमत के विशेष बैंक नोट जारी किये गये;

(ख) ऐसे विशेष बैंक नोट किन प्रयोजनों के लिए जारी करने पड़े थे;

(ग) भारतीय संविधान के लागू होने से अब तक सरकार ने कुल कितने मूल्य के एक रुपये के विशेष नोट जारी किये; और

(घ) एक रुपये के विशेष नोट किन प्रयोजनों के लिए जारी करने पड़े थे ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) लगभग 53.59 करोड़ रुपए।

(ख) उपर्युक्त आंकड़ों में से लगभग 53.53 करोड़ रुपये खाड़ी के राज्यों में उपयोग के लिए 'विशेष खाड़ी नोटों' के रूप में जारी किए गए थे और 5.58 लाख रुपए, हज करने वाले यात्रियों के उपयोग के लिए "विशेष हज नोटों" के रूप में जारी किए गए थे।

(ग) 39.45 लाख रुपए।

(घ) ये खाड़ी के राज्यों में उपयोग किए जाने के लिए "विशेष खाड़ी नोटों" के रूप में जारी किए गए थे।

कंट्रोल के प्रभाव सम्बन्धी समिति की बैठकें

9290. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कंट्रोल के प्रभाव और मूल्य, उत्पादन वितरण, लाइसेंस और आयात के सम्बन्ध में राजसहायता के प्रभाव के अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा हाल में नियुक्त समिति की कोई बैठकें हुई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : जी, हां। समिति की अब तक दो बैठकें हुई हैं। पहली 5 मार्च और दूसरी 14 अप्रैल 1978 को।

पोलिस्टर रेशे के लिये आयात लाइसेंस देना

9291. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ बड़े कपड़ा उद्योगपतियों को पोलिस्टर रेशे के लिये आयात लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और कितनी राशि के लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त लाइसेंसधारियों ने अपने लाइसेंस 4 करोड़ रुपये के लाइसेंसों के वास्तविक मूल्य से 300 प्रतिशत लाभ पर बेच दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) पोलिएस्टर रेशा 22 नवम्बर, 1976 को वस्त्र उद्योग में लगे वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा आयात के लिये मुफ्त लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत लाया गया। यह नीति 1977-78 में जारी रही। आयात लाइसेंसों के विवरण आयात व निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिज, एक्सपोर्ट लाइसेंसिज एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज में प्रकाशित किये जाते हैं । बलेटिन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। 1978-79 के दौरान वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत इस मद के आयात की अनुमति है।

(ग) ऐसा कोई दृष्टांत भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता सहकारी स्टोर

9292. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के कार्यकरण के बारे में जांच आरम्भ की है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के उपभोक्ता स्टोरों में भी जांच की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इसके क्या परिणाम निकले ;

(ङ) दोषी स्टोरों के विरुद्ध तथा कार्यवाही की गई है; और

(च) राजधानी में काम कर रहे ऐसे स्टोरों की संख्या कितनी है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा -55 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उपभोक्ता सहकारी भंडारों की कोई जांच नहीं की जाती है।

(ग), (घ) व (ङ) दिल्ली प्रशासन को पीछे कुछ उपभोक्ता सहकारी भंडारों के विरुद्ध आयात और निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक द्वारा जारी किए गये सूखे मेवे के लाइसेंसों का उपयुक्म उपयोग न करने की शिकायतें मिली थीं। इस संबंध में, प्रशासन ने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 1972 के अन्तर्गत 19 दोषी भंडारों के विरुद्ध जांच के आदेश जारी किये थे। चार मामलों में, जिनमें भंडारों की प्रबंध समिति अथवा भंडारों के कार्यकरण के बारे में गम्भीर शिकायतें मिली थीं, की भी जांच के आदेश दिये गये थे। सूखें मेवों के लाइसेंसों का उपयोग न करने के बारे में शिकायतें मिलने पर प्रशासन ने अस्तित्व प्रमाण-पत्र न जारी करने का निर्णय किया है जो सूखे मेवे का लाइसेंस जारी करने की एक शर्त हैं। 5 भंडारों की जांच

रिपोर्ट पूरी कर ली गयी है और एक मामले में दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

(च) राजधानी में कार्य कर रहे ऐसे 23 दोषी भंडार हैं।

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटों को लोकप्रिय बनाना

9293. **श्री डी० बी० देसाई :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की यूनिटें अर्द्ध-नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों से यूनिटों में कितने प्रतिशत निवेश हो रहा है; और

(ग) क्या इन यूनिटों को और अधिक लोकप्रिय बनाने की कोई योजनायें हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) [अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिटों को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने देश के चुने हुए जिलों में मुख्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए जुलाई, 1977 में एक योजना शुरू की है। प्रत्येक जिले के लिए यूनिटों की बिक्री के लिए 12 लाख रुपए वार्षिक से लेकर 70 लाख रुपए वार्षिक तक का लक्ष्य निर्धारित है। लोगों को यूनिटों के बारे में और इनके लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए इन जिलों में व्यवस्थित और गहन प्रचार तथा बिक्री संवर्द्धन कार्यक्रम बनाये जाते हैं और क्रियान्वित किऐ जाते हैं। आरम्भ में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात तथा चण्डीगढ़ के 15 जिलों में मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे। जनवरी से मार्च 1978 तक के बीच योजना का विस्तार किया गया और गुजरात के एक और जिले, बिहार के दो जिलों और प० बंगाल तथा केरल के एक-एक जिले में मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किये गये हैं।

2. सभी अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त हो रहे व्यापार का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है। किन्तु यह कहा जा सकता है कि ट्रस्ट के चालु लेखा वर्ष के पहले नौ महीने (जुलाई, 1977 से जून, 1978) के दौरान चुने हुए जिलों से, जहां मुख्य प्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं; प्राप्त किये गये कारोबार की कुल राशि लगभग 3 करोड़ रुपए बैठती है जबकि इन जिलों के लिए पहले वर्ष का लक्ष्य 3.67 करोड़ रुपए का था।

मैसर्स कोर्स इंडिया से सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया राशि की वसूली

9294. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स कोर्स इण्डिया से सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के बकाया के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई;

(ख) उक्त अवधि में उन पर वास्तव में कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ग) उन से पूरी राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) सरकार को देय राशि का भुगतान न करने के लिए उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जहां तक सीमाशुल्क की बकाया रकमों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्धी आंकड़े जिंसवार रखे जाते हैं और आयातकर्ता निर्यातकर्ता-वार नहीं। इसलिये सीमाशुल्क की बकाया रकमों से संबंधित मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय उत्पादनशुल्क से संबंधित स्थिति नीचे दी गयी है :—

गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स कोर्स इंडिया लि० से वसूल हुई केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की कुल रकम नीचे दिये अनुसार बतायी गयी है:—

1975-76 . . .	11,89,105.37 रु०
1976-77	14,81,312.10 रु०
1977-78	12,15,841.17 रु०
(फरवरी, 1978 तक)	

(ख) जहां तक केन्द्रीय उत्पादनशुल्क का संबंध है बकाया की रकमें वही हैं जो ऊपर दी गयी हैं। इस कम्पनी से संबंधित केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के दो मामलों में न्याय निर्णय होना बाकी है जिनमें ग्रस्त शुल्क की रकम लगभग 25,000 रु० है। मामलों में न्याय निर्णय हो जाने पर ही यह बताया जा सकता है कि कम्पनी की ओर बकाया रकमें हैं अथवा नहीं।

(ग) और (घ) जहां तक केन्द्रीय उत्पादनशुल्क का संबंध है, ये प्रश्न नहीं उठते ।

काजू के कारखानों का बन्द होना

9295. **श्री वयालार रवि :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय काजू निगम द्वारा आयातित काजूओं की सप्लाई न होने से काजू कारखाने बन्द हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन कारखानों को आयातित काजू उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) आयातित काजू के रूप में कच्चे माल की पहले से ही कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नये कारखानों के खोले जाने को बढ़ावा न देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) तथा (ख) पूर्व अफ्रीकी देशों के पास, जो भारत को कच्चे काजू की पूर्ति करने वाले प्रमुख देश हैं, निर्यात योग्य बेसी माल कम उपलब्ध होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से कच्चे काजू के आयात कम होते जा रहे हैं। परिणामतः भारतीय काजू निगम द्वारा आयातित कच्चे काजू के प्रति एकक आबंटनों में भी कमी हो गई है।

आयातित कच्चे काजू का वितरण लागू आयात व्यापार नियंत्रण नीति में रखी गई वितरण नीति के अनुसार किया जाता है। सभी पात्र फैक्टरियों को आयातित कच्चे काजू आबंटित किए जाते हैं, किन्तु आबंटन की वास्तविक मात्रा कच्चे काजूओं की प्राप्यता पर निर्भर है।

(ग) विवरण नीति के अनुसार, कच्चे काजू के आबंटन के लिए केवल वही फैक्टरियां पात्र हैं जिन्होंने 1968, 1969 तथा 31-8-1970 तक के कैलेंडर वर्षों में से किसी भी वर्ष में काजूओं के निर्यात व्यापार में भाग लिया और काजू साधित करने की फैक्टरियां चलाई हो। अत: 31-8-1970 के बाद फैक्टरियां खोलने वाले आयातित कच्चे काजू के आबंटन के पात्र नहीं होंगे।

सरकारी उपक्रमों में प्रशिक्षुओं को दिया गया प्रशिक्षण

9296. **श्री जी० एस० बनतवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी उपक्रम प्रशिक्षुओं की भर्ती करते हैं और अपने यहां भविष्य में होने वाले रिक्त स्थानों को भरने के लिए इन प्रशिक्षुओं को लगभग एक वर्ष का प्रशिक्षण देते हैं;

(ख) क्या इन प्रशिक्षुओं को इन्हें प्रशिक्षण देने के बहाने से विभिन्न शाखाओं में उतना ही कार्य दिया और कराया जाता है जितना वहां के नियमित कर्मचारी करते हैं;

(ग) प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर कितने प्रतिशत प्रशिक्षु निकाले गये और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जो सरकारी उपक्रम उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हैं, उनके नाम क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) प्रशिक्षुओं की भर्ती प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है। प्रशिक्षुओं की भर्ती उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये की जाती है, न कि भावी रिक्तियों को भरने के लिये।

(ख) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण, प्रशिक्षु नियमों के अधीन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाता है। प्रशिक्षुओं से उतना कार्य न तो लिया जाता है और न लिया ही जा सकता है जितना कि नियमित कर्मचारी करते हैं। किन्तु जाब प्रशिक्षण के समय वे कुछ हद तक काम तो करते ही हैं।

(ग) जितने प्रशिक्षु भर्ती किए जाने होते हैं, उनकी संख्या प्रशिक्षु सलाहकार बताता है और यह संख्या प्रशिक्षु अधिनियम में निर्धारित अनुपात के अनुसार संयंत्र सर्वेक्षण पर आधारित होती है। प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर प्रशिक्षुओं को हटा दिया जाता है। उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाता है।

(घ) सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के लिए आवश्यक है कि वे उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करें।

फैथेलिक एनाहाइड्राइड का आयात

9297. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों के पास फैथेलिक एनहाईड्राइड का भारी मात्रा में भण्डार जमा हो गया है;

(ख) क्या इस सामग्री का आयात करने का सरकार का प्रस्ताव है जिससे फैथेलिक एनहाइड्राइड के लिए देश में पहले ही सीमित बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) फैथेलिक एनहाईड्राइड आयात नीति 1978-79 के परिशिष्ट 4 में पूर्ण रोक लगी सूची में है तथा तदनुसार विनियमित किया जायेगा।

MORNING AIR SERVICE FROM JAIPUR TO DELHI

9298. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether morning air service from Jaipur to Delhi has been discontinued as a result of which Jaipur people are experiencing great difficulty; and

(b) if so, whether Government propose to restore the said service ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b). In Indian Airlines' schedule effective 20th December, 1977, a change in the timings of service IC-492 (Bombay-Aurangabad-Udaipur-Jaipur-Delhi) was made with a view to providing additional capacity, needed on the Bombay-Trivandum sector. This change in timing has created some dissatisfaction among passengers, but due to lack of aircraft resources, re-scheduling of the timings of this flight would not be feasible in the near future. However, it will be considered as and when the position of aircraft resources improves.

चाय के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय और उस पर निर्यात शुल्क

9299. **श्री पूर्णनारायण सिन्हा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को 1 अप्रैल, 1971 से पिछले लेखा वर्ष तक इस देश से चाय के निर्यात पर वर्ष-वार निर्यात शुल्क के रूप में और विदेशी मुद्रा आय के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ख) उपरोक्त अवधि में उत्पादन शुल्क एवं सरचार्ज सहित निर्यात शुल्क तथा विदेशी मुद्रा आय का कितना अंश आसाम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को दिया गया ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त अवधि में चाय बोर्ड की सिब्बंदी पर तथा चाय बागान संवर्धन की प्रगति, अनुसंधान और उत्पादन पर कुल कितना व्यय किया ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1971-72 से चाय के निर्यात से होने वाली आय का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	करोड़ रु०
1971-72 . . .	160.92
1972-73 . . .	147.29
1973-74 . . .	144.85
1974-75 .	223.54
1975-76 .	238.29
1976-77 . . .	295.26
1977-78	550.00(अनन्तिम)

1971-72 से लेकर 1976-77 के दौरान चाय पर कोई निर्यात शुल्क नहीं था। 9 अप्रैल, 1977 से चाय पर 5 रुपये प्रति किग्रा की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया था। 1977-78 के दौरान चाय पर निर्यात शुल्क से जितनी राशि अर्जित की गई उस के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) निर्यात शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा अधिभार के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी मुद्रा की आय भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों का भाग नहीं है **और** अतः राज्य सरकार के साथ उसका हिस्सा बंटाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्व व्यय के लिए सरकार द्वारा चाय बोर्ड को रिलीज की गई राशि नीचे दी जाती है :—

	करोड़ रु०
1971-72	1.45
1972-73 .	1.76
1973-74 .	1.95
1974-75	2.33
1975-76 . . .	2.85
1976-77	2.66
1977-78	3.13

स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया के मद्रास सर्किल में रिक्त पड़े पदों की संख्या

9300. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया के मद्रास सर्किल में वर्ष 1976 ग्रौर 1977 में स्वीकृत की गई विभिन्न श्रेणियों (ग्रधिकारी, सहायक क्लर्क ग्रौर मैसेंजर) के ग्रनेक पद ग्रभी रिक्त पड़े हैं ;

(ख) इतनी बड़ी संख्या में पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पदों को भरने के लिए कोई सामान्य भर्ती परीक्षायें ग्रौर विभागीय पदोन्नति परीक्षायें की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; ग्रौर

(ङ) बिना ग्रौर विलम्ब किए उक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ङ) जी नहीं। यद्यपि वर्ष 1978 के लिए स्वीकृत सभी वर्गों के सभी पदों को भर दिया गया है, वर्ष 1977 के लिये स्वीकृत किये गये ग्रधिकारियों के पदों में से केवल 8 पदों को नहीं भरा जा सका है। उपर्युक्त ग्रधिकारियों के 8 पदों को भरने के लिये मार्च, 1978 में एक पदोन्नति परीक्षा ली जानी थी, परन्तु इसे तब तक के लिए स्थगित कर दिया गया जब तक कि बैंक पदोन्नतियों के मामले में ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित जनजातियों के लिये ग्रारक्षण सम्बन्धी नीति तैयार न कर ले। बैंक ने सूचित किया है कि इस बारे में उसकी नीति ग्रब तैयार है ग्रौर उसे ग्राशा है कि शीघ्र ही पदोन्नति परीक्षा ग्रायोजित हो सकेगी।

सिगारो पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

9301. **श्री नटवरलाल परमार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगारो पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क को दो बार हटाया गया है;

(ख) इस शुल्क को हटाने के क्या कारण हैं; ग्रौर

(ग) इसे पुनः लगाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश ग्रग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) सन् 1965 के बजट में सिगारों ग्रौर चुरटों पर शुल्क इस ग्राधार पर हटा लिया गया कि उक्त शुल्क से मात्र नगण्य राजस्व प्राप्त होता था। सन् 1966 में पुनः शुल्क लगाया गया, किन्तु 26 जुलाई 1971 से दोबारा हटा लिया गया था, क्योंकि उस समय यह पता लगा था कि यह उद्योग समाप्त होता जा रहा था।

(ग) हाथ से बनी ब्राण्ड-युक्त बीड़ियों पर, प्रति 1000 पर 2 रु० 10 पैसे की दर से शुल्क लगा हुग्रा है। सिगरेटों पर भी शुल्क ग्रपेक्षाकृत ऊंची दरों से लगता है। इस संदर्भ में यह सोचा गया कि ब्राण्ड-युक्त सिगारों तथा चुरटों पर भी कुछ शुल्क लगाना चाहिए।

28 फरवरी 1978 तक सिगारों तथा चुरटों पर शुल्क केवल उस हालत में लगता था जब उनका मूल्य प्रति 100 पर 50/- रु० अथवा इससे अधिक हो। इसे शुल्क की क्रमिक दरों के साथ एक खण्ड-संरचना में परिवर्तित किया गया, जिसे सन् 1978 के बजट प्रस्तावों के अंग के रूप में लागू किया गया था।

प्याज का निर्यात पुनः शुरू करना

9302. **श्रीमती पार्वती कृष्णन:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्याज का निर्यात पुनः शुरू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) विगत की तरह, अब भी प्याज के निर्यात के लिए मार्गीकरण अभिकरण नेफेड ही है। नेफेड मात्रा, क्वालिटी तथा इकाई-मूल्य प्राप्ति के रूप में निर्यातों पर कड़ा नियंत्रण रखेगा। प्याज की अच्छी फसल, उत्पादक क्षेत्रों में कीमतों में गिरावट, उपभोक्ताओं के लिए कीमतों के वर्तमान उचित कीमत स्तर, प्याज की अवधि अल्प भण्डारण तथा उन मित्र देशों की, जो भारत से प्याज के परम्परागत आयातक रहे हैं, मांग को देखते हुए प्याज का निर्यात फिर से आरंभ किया गया है। उपभोक्ताओं तथा उपजकर्ताओं के हितों पर निगरानी रखने के लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं।

नई दिल्ली में हशीश पकड़ा जाना

9303. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व आसूचना निदेशालय ने नई दिल्ली में लगभग 1.5 करोड़ रुपये के मूल्य की हशीश पकड़ी है;

(ख) क्या इस तस्करी के बारे में कुछ यात्रियों सहित कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यात्रियो के नाम क्या हैं और वे किस किस देश के रहने वाले हैं; और

(ङ) इस बारे में आगे और क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने, 20-4-78 को, पालम हवाई अड्डे पर 32 फोर्कलिफ्ट ट्राली टायर पकड़े थे। जांच करने पर, उनमें प्रत्येक टायर में कोई 2.5 किलो ग्रा० चरस छिपी पाई गई थी। इसके अलावा, दिल्ली स्थित दो भिन्न-भिन्न गोदामों से 22-4-78 को इसी प्रकार से 157 टायर पकड़े गये थे। इन सभी 189 टायरों को खोलने पर, अमेरिका में लगभग 1.5 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य की लगभग 480.350 कि० ग्रा० चरस बरामद की गयी और पकड़

ली गयी। इस सिलसिले में दो व्यक्ति एक भारतीय तथा एक इजराइली गिरफ्तार किये गए थे।

(घ) इस बाबत किसी यात्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ङ) कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है। इस अपराध में ग्रस्त दोनों व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाक्लाप निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन नजरबन्द रखा गया है।

वेतन, आय एवं मूल्यों पर भूतलिंगम अध्ययन समूह का प्रतिवेदन

9304. **श्री सुभाष चन्द्र बोस एलूरी**
श्री अमर सिंह बी० राठवा } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री भूतलिंगम की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेतन के कब तक मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ग) लगभग मई, 1978 के मध्य तक।

बीमा कम्पनियों का सामान्य बीमा निगम में मिलाया जाना

9305. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कम्पनियों को सामान्य बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों में विलय के बाद कोई श्रेणीकरण किया गया था,

(ख) यदि हां, तो नीचे के स्तर के अधिकारियों के बारे में जिन मार्गदर्शी सिद्धान्तों और शर्तों के आधार पर श्रेणीकरण किया गया था, उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) विभिन्न कम्पनियों के उन अधिकारियों की संख्या और नाम क्या हैं जिन्हें गैर अधिकारी पदों में परिवर्तित कर दिया गया था और उनके नाम तथा संख्या क्या हैं जिनको गैर अधिकारी पद से अधिकारी पद में परिवर्तित किया गया?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम के बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक सहायक कम्पनी के लिए सहायक प्रबन्धकों, प्रशासनिक अधिकारियों और सहायक प्रशासनिक अधिकारियों जैसे नीचे के प्रबन्ध स्तर के पदों के वर्गीकरण और उनके लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने के लिए निम्न प्रबन्ध सेवा समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने पदों के वर्गीकरण और उन व्यक्तियों को नीचे के प्रबन्ध स्तर पर नियुक्त करने के लिए कर्मचारी

द्वारा धारित पद, काम के स्वरूप, दृष्टिगत पद के लिए उपयुक्तता, योग्यताएं, वेतन और भूतपूर्व बीमा कम्पनी के कार्य का आकार जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखा था।

(ग) शायद माननीय सदस्य के मन में उन कर्मचारियों के मामले हैं जो अधिकारी होने का दावा करते थे परन्तु जिनका समिति ने अधिकारियों के रूप में वर्गीकरण नहीं किया। चूंकि प्रारम्भिक वर्गीकरण से प्रभावित कर्मचारियों से इसके खिलाफ बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, इसलिए ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए साधारण बीमा निगम की प्रत्येक सहायक कम्पनी में अपील समितियां बना दी गई थीं। अपील समितियों ने सभी तत्संबंधी तथ्यों को ध्यान में रख कर इनमें से बहुत से मामलों का फैसला कर दिया है।

उन अपीलकर्ताओं के सम्बंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है, जिन्हें अब अधिकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसे अपीलकर्ताओं के सम्बन्ध में भी सूचना इकट्ठी की जा रही है जिनकी अपीलें रद्द कर दी गई हैं।

तिलहनों का उत्पादन

9306. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार खाद्य तिलहनों का कुल कितना उत्पादन हुआ और उनका कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) क्या देश में खाद्य तेल की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) व (ग) खाद्य तेलों की मांग तथा उत्पादन के बीच निरन्तर अन्तर रहा है। तुरंत उपाय के रूप में खाद्य तेलों की कमी राज्य व्यापार निगम तथा निजी व्यापारियों दोनों के माध्यम से आयात द्वारा पूरी की जा रही है। इसके अलावा, देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष	तिलहनों का उत्पादन (हजार टनों में)
1974-75 . . .	10,538
1975-76	11,585
1976-77	9,523

वर्ष	तिहलहनों का आयात (मीटरी टनों में)
1974-75 . . .	19,039
1975-76	18,105
1976-77	8,212

YUVAK KENDRAS IN THE COUNTRY

9307. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number and locations of Yuvak Kendras (Youth hostels) in the country;

(b) the annual expenditure incurred on their maintenance;

(c) whether Government propose to open some more Yuvak Kendras; and

(d) if so, the full details thereof ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) A statement is attached.

(b) No expenditure on the annual maintenace of Youth hostels is incurred by the Central Department of Tourism as it becomes the responsibility of the State Governments concerned once they are handed over to them for management on their completion. However, the Central Department of Tourism gives an annual subsidy of Rs. 12,000/- to the State Governments concerned for meeting the expenditure on the salary of the Warden and Assistant Wardn of the youth hostel.

(c) There is no proposal for the present to construct more youth hostels in the Central sector.

(d) Does not arise.

STATEMENT

YOUTH HOSTELS

Name of the Youth hotel	Date of commissioning	Bed capacity	Tariff rates
1. Amritsar . . .	20-7-1975	46	
2. Aurangabad . . .	10-1-1976	46	
3. Bhopal . . .	20-6-1975	46	
4. Dalhousie . . .	20-5-1975	44	Rs. 5/- per bed pernight in plain areas.
5. Darjeeling	2-11-1975	44	AND
6. Gandhinagar	21-5-1976	46	Rs. 6/- per bed pernight
7. Hyderabad	8-5-1976	46	in hill areas.
8. Jaipur	-9-1973	46	
9. Madras	1-7-1975	46	
10. Nainital	23-5-1976	44	
11. Panaji	27-9-1976	46	
12. Panchkula	15-3-1975	46	
13. Patnitop	1-4-1976	44	
14. Puri	14-11-1975	46	
15. Trivandum	Will be comissioned shortly	46	
16. Pondicherry .	Underconstruction	46	
17. Mysore .	Underconstruction	46	

भारतीय मानक संस्थान की मोहर वाले सामान और शेविंग ब्लेडों की किस्म में गिरावट

9308. श्री एम० अरुणाचलम : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि भारतीय मानक संस्थान का मार्क लगे सामान की किस्म में सामान्यतया और शेविंग ब्लेडों की किस्म में विशेषतया गिरावट आई है;

(ख) क्या मंत्रालय की दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एशियाई देशों के साथ संयुक्त उद्यम

9309. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री

(क) विभिन्न एशियाई देशों के साथ भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कितने संयुक्त उद्यम स्थापित किये गये हैं; और

(ख) क्या इन देशों के साथ कुछ और ऐसे संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के वचाराधीन हैं।?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) विभिन्न एशियाई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित संयुक्त उद्यमों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

विवरण

विभिन्न एशियाई देशों में विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित संयुक्त उद्यम।

क्रमांक	देश का नाम		संयुक्त उद्यमों की संख्या	सहयोग का क्षेत्र
1	2		3	4
1.	मलेयशिया	25	लाइट इंजीनियरी	6
			तिलहनों को पेरना, परिष्करण करना तथा प्रभाजन	3
			वस्त्र	3
			रसायन तथा भेषज	2
			ग्लास तथा ग्लास का सामान	2
			अलौह धातु उत्पाद	2
			आटो अनुषंगी सामान	1
			वाणिज्यिक वाहन	1

1	2		3	4
			सूक्ष्म औजार	1
			चीनी फैक्ट्री	1
			प्लास्टिक उत्पाद	1
			परामर्शी सेवा	1
			रबड़ उत्पाद	1
2.	इंडोनेशिया .	7	वस्त्र	3
			लौह तथा इस्पात उत्पाद	2
			कागज	1
			लाइट इंजीनियरी	1
3.	थाइलैंड .	5	वस्त्र	3
			लौह तथा इस्पात उत्पाद	1
			ऐक्सी ब्लेड	1
4.	सिंगापुर . .	4	आटो अनुषंगी सामान	1
			परामर्शी सेवा	1
			सूक्ष्म औजार	1
			ताम चीनी चढ़ा तार	1
5.	संयुक्त अरब अमीरात	4	परामशा सेवा	1
			अलौह धातु उत्पाद	1
			एल ० पी० जी० मामलों के लिए सिलिंडर तथा टैंक	1
			रसायन	1
6.	फिलीपीन्स .	3	लाइट इंजीनियरी	1
			वस्त्र	1
			खोपड़ा पेरना	1
7.	श्रीलंका	3	लाइट इंजीनियरी	1
			ग्लास तथा ग्लास का सामान	1
			चमड़ा उत्पाद	1
8.	हांगकांग .	2	परामर्शी सेवा	1
			लेखान-सामग्री	1
9.	ओमन . .	2	परामर्शी सेवा	1
			व्यापार तथा विपणन	1
10.	ईरान .	2	आटो अनुषंगी सामान	1
			इंजीनियरिंग कन्ट्रेक्ट	1
11.	अफगानिस्तान .	1	नालीदार बक्से	1

निर्यातकर्ताओं के अनिवार्य पंजीकरण सम्बन्धी योजना का लागू करना

9310. श्री विजय कुमार मलहोत्रा : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यातकर्ताओं के अनिवार्य पंजीकरण की योजना को किस लिये तथा कब लागू किया गया था तथा इस योजना की क्रियान्विति के प्रयास वर्ष में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में तथा 1 जनवरी, 1978 को पंजीकरण करने वाले प्रत्येक अधिकारी के पास पंजीकृत निर्यातकर्ताओं की संख्या कितनी थी; और

(ख) ऐसे निर्यातकर्ताओं की अनुमानित संख्या कितनी है जो पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में भारत से भारतीय उत्पादों का निर्यात कर रहे थे?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरीफ बेग)
(क) निर्यातकों के पंजीकरण से संबंधित योजना निर्यात संवर्धन योजनाओं के साथ-साथ आरम्भ हुई, जिसके अंतर्गत निर्यातों के बदले आयात हकदारियां जारी की गई थीं। भूतपूर्व निर्यातहैं संवर्धन योजनाएं 1966 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के बाद समाप्त कर दी गई थीं। उसके बाद पंजीकृत निर्यातकों के लिए नीति आरंभ की गई, जिसमें केवल पंजीकृत निर्यातकों के लिए आर० ई० पी० लाभ की व्यवस्था भी हैं। पंजीकृत निर्यातकों के लिए इस प्रकार की कोई अनिवार्य योजना नहीं है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में तथा 1-1-1978 को योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष में पंजीकरण प्राधिकारियों के पास पंजीकृत निर्यातकों की संख्या से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) यह जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

DELEGATIONS SENT ABROAD

9311. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the number and names of members of each delegation sent abroad during 1977-78, country-wise and date-wise ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्तों का मूल वेतन में मिलाया जाना

9312. श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला
श्री माधवराव सिन्धिया } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एक भाग को उनके मूल वेतन में मिलाने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा। और

(ग) यदि नहीं, तो बढ़ते हुए मूल्यों से बुरी तरह प्रभावित पेंशन-प्राप्तकर्ताओं को देखते हुए, इस बात के क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते के एक अंश को वेतन के साथ मिलाए जाने के प्रश्न पर संयुक्त परामर्शदाता तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष के साथ विचारविमर्श किया जा रहा है। बात-चीत अभी चल रही है और आशा है कि यह जून, 1978 के अन्त तक पूरी को जाएगी।

विश्व मंडी में अन्य देशों के सूती कपड़ों की तुलना में भारतीय सूती कपड़ों का महंगा होना

9313. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मंडी में अन्य देशों के सूती कपड़ों की तुलना में भारतीय सूती कपड़े महंगे होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संदर्भ में नकद सहायता योजना अथवा इसी प्रकार के कुछ अन्य उपाय करने का है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) हमारे सूती वस्त्रों की विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने की दृष्टि से भारतीय सूती मिल परिसंघ नकद सहायता योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत सूती वस्त्रों के निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती है। सरकार निर्यात किये जाने वाले सूती वस्त्रों पर लगने वाले तथा छूट न दिये जा सकने योग्य भारतीय करों के भार के संबंध में तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू रूई कीमतों के बीच अंतर को पूरा करने के लिए इस योजना में अंशदान देती रही है। परिसंघ ने 1978-79 की योजना पहले ही घोषित कर दी है।

CONSTITUTION OF HINDI ADVISORY COMMITTEE IN THE MINISTRY OF FINANCE

9314. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE pleased to state :

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constiutted in his Ministry; and

(b) if so, the names of the members thereof and the names of members among them appointed on the recommendations of the Department of Official Language?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) Yes, Sir.

(b) A list of the Members of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Finance is laid on the Table of the House, as annexure 'A', Of these a list of the Members appointed on the recommendation of the Department of Official Language is placed on the Table of the House as annexure 'B'.

STATEMENT I

1. Finance Minister	Chairman
2. Minister of State in the Ministry of Finance (Excise & Customs)	Vice Chairman
3. Minister of State in the Ministry of Finance (Direct Taxes)	Vice Chairman
4. Shri Mohan Lal Pipil Member, Lok Sabha	Member
5. Shri U .S. Patil, Member, Lok Sabha	Member
6. Shri D. N. Dwivedi, Member, Rajya Sabha	Member
7. Shri Janardhana Reddy, Member, Rajya Sabha	Member
8. Shri Sudhakar Pande, Kashi Nagari Pracharini Sabha, Varanasi.	Member
9. Dr. Srinivas Misra, Professor, Institute of Economic Growth, New Delhi.	Member
10. Dr. Krishna Nath Sharma, Economics Department, Kashi Vidya Peeth, Varanasi (He has declined to serve on the Committee).	Member
11. Prof. G. Sundara Reddi, Vidya Nagar, Visakhapatnam (Andhra Pradesh),	Member
12. Shri Raghuvir Sahai, Editor 'Dinman', New Delhi.	Member
13. Shri Kamlesh, D/4, Kalindi Colony, New Delhi.	Member
14. Hindi Advisor and Secretary, Department of Official Language	Member
15. Finance Secretary	Member

16. Secretary (Economic Affairs)	Member
17. Secretary (Expenditure)	Member
18. Governor, Reserve Bank of India	Member
19. Chairman, Central Board of Excise & Customs.	Member
20. Chairman, Central Board of Direct Taxes.	Member
21. Chairman, Life Insurance Corporation.	Member
22. Chairman, General Insurance Corporation.	Member
23. Director General, Bureau of Public Enterprises.	Member
24. Additional Secretary, Department of Economic Affairs (Banking Wing).	Member
25. Joint Secretary, Department of Official Language.	Member
26. Additional Secretary (Administration) Department of Revenue.	Member-Secretary

STATEMENT II

OFFICIAL MEMBERS

(1) Additional Secretary (Banking)

(2) Joint Secretary, Department of Official Language

NON-OFFICIAL MEMBERS

(1) Shri Sudhakar Pande, Kashi Nagari Pracharini Sabha, Varanasi;

(2) Dr. Srinivas Misra, Professor, Institute of Economic Growth, New Delhi;

(3) Prof. G. Sunder Reddy. Vidhya Nagar, Visakhapatnam, (Andhra Pradesh);

(4) Shri Raghuvir Sahai, Editor, 'Dinman', New Delhi;

(5) Shri Kamlesh, D/4. Kalindi Colony, New Delhi;

(6) Dr. Krishna Nath Sharma, Department of Economics, Kashi Vidya Peeth, Varanasi.

(He has since declined to serve on the Samiti).

सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन का विकास

9316. **श्री राम किशन :** क्या **पर्यटन और नगर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विदेश में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यटन का विकास करने का है ; और

(ख) इस कार्यक्रम में शामिल किये जाने वाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक तीर्थ स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी , हां।

(ख) सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व के बहुत से केन्द्रों के विकास कार्य को विभिन्न योजनावधियों में किया गया है। सांस्कृतिक महत्व के नये केन्द्रों के विकास के लिए, 1978-83 की केन्द्रीय पर्यटन योजना में निम्नलिखित मान-दंडों का सुझाव दिया गया है :—

(i) अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्देशीय दोनों ही प्रकार के पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए स्थान विशेष की वर्तमान तथा भावी पर्यटन संभावनाएं;

(ii) इस तक सुगमता से पहुंचने की स्थिति

(iii) इस के भीतर पर्यटकों के वर्तमान तथा/अथवा भावी ट्रेवल पेटर्न या सर्किट की दृष्टि से इस का विकास

(iv) विभाग की समूची पर्यटन आयवृद्धि विषयक नीति तथा विकास कार्यक्रम के साथ इसका संबंध; और

(v) पूंजी निवेश , जोकि संबंधित राज्य सरकार सड़कों, पानी तथा बिजली सप्लाई एवं परिवहन सुविधाओं जैसे आधारभूत उपादानों के विकास के लिए करेगी (यह आवश्यक नहीं है कि सब व्यय पर्यटन सैक्टर के अन्तर्गत ही किए जाएं)।

उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर, सांस्कृतिक महत्व के नये केन्द्रों का विकास के लिए चयन राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाएगा । जहां तक तीर्थ स्थलों के विकास का संबंध है, "सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत एक सोसाइटी बनाने का प्रस्ताव है जोकि तीर्थ स्थलों के चयन तथा वहां पर धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिरखानों के रख रखाव/सुधार/विस्तार करने के लिए निधियों का विमोचन करने के लिए उत्तर दायी होगी।

GRANTS GIVEN AS FINANCIAL ASSISTANCE TO STATES

9317. SHRI GANGA BHAKT SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that due to higher ratio of loans as compared to grants given as financial assistance to the States/Union Territories the debt burden thereon is increasing every year;

(b) if so, the debt burden on the various States/Union Territories of the Centre Government by the end of 1977-78 separately;

(c) the amount and the interest thereon which will be paid by each State and Union Territories to the Central Government during 1978-79; and

8—222LSS/78

(d) whether some States have requested the Central Government to exempt them from the payment of loans and if so, the names thereof and the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) There has been no change in the pattern of Central assistance to States in the recent past. The debt burden of States is increasing mainly because loans paid to State Governments by the Government of India every year are more than the repayments made by them.

(b) The accounts for 1977-78 have not yet been finalised. A statement giving the latest available information is laid on the Table of the House.

(c) According to the Budget Estimates for 1978-79, (which are not prepared State/Union territory-wise) the relevant information for the year is as follows :—

(Rupees in crores)

(i) Recovery of Central loans from States and Union Territory Governments.	1030
(ii) Interest payments by State and Union Territory Governments on Central loans.	575

(d) Loans are sanctioned by the various Ministries/Departments of the Government of India. No request from any State Government for exemption from the payment of loans has been brought to the notice of the Ministry of Finance in the recent past.

Statement

(Rupees in crores)

Sl. No.	States	Ammount of Loan outstandine on 31-3-76
1.	Andhra Pradesh	770
2.	Assam	44
3.	Bihar	836
4.	Gujarat	393
5.	Haryana	242
6.	Himachal Pradesh	168
7.	Jammu & Kashmir	411
8.	Karnataka	486
9.	Kerala	403
10.	Madhya Pradesh	489
11.	Maharashtra	743
12.	Manipur	358
13.	Meghalaya	20
14.	Nagalanad	29
15.	Orissa	560
16.	Punjab	253
17.	Rajasthan	820
18.	Tamil Nadu	485
19.	Tripura	48
20.	Uttar Pradesh	1,073
21.	West Bengal	946
22.	Sikkim	1
		9,677
	Union Torritories	
1.	Arunachal Pradesh	4
2.	Goa, Daman and Diu	74
3.	Mizoram	13
4.	Pondicherry	15
	Total	106
	Total States & Union torritories	9,783

Note : Accounts for 1976-77 and 1977-78 have not yet been finalised.

HEADING : REPRESENTATION BY CHAMBER OF COMMERCE, JUNAGADH

SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether he had visited Junagadh city in Saurashtra, Gujarat on 11th February, 1978 and whether a representation was given to him by the Chamber of Commerce, Junagadh on this occasion and if so, the nature of demands made in the representation and the details thereof;

(b) the demands, among them, fulfilled so far and the demands remaining to be fulfilled; and

(c) when and how each of these demands will be fulfilled ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) to (c). Details of the memorandum and action taken thereon are being collected and a reply will be placed on the Table of the House.

भारत, मिश्र, यूगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीय करार

9319. **श्री यशवन्त बोगले :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत, मिस्र और युगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीय करार की अवधि पांच वर्ष और बढ़ा दी गई है जबकि सिद्धांत रूप में सहमत सीमाशुल्क टेरिफ के सम्बन्ध मैं अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला ;

(ख) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों में इस दिशा में क्या नये कदम उठाने का विचार है; और

(ग) जिन वस्तुओं का अब व्यापार किया जाना है उनमें कौन-सी नई वस्तुएं शामिल की गई हैं और उनकी मात्रा कितनी होगी ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) त्रिपक्षीय करार की अवधि 31 मार्च, 1983 तक 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। तीनों साझेदारों के बीच व्यापार के लिये नये तथा अतिरिक्त अवसरों के सृजन में करार का साधारण प्रभाव पड़ा है। ऐसी आशा है कि करार की अवधि बढ़ाये जाने से व्यापार का और अधिक संवर्धन होगा तथा भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक सहयोग सुदढ़ होगा ।

(ग) जो 134 मदें करार में पहले से ही सम्मिलित की जा चुकी है उनके अतिरिक्त कोई नई मद अब तक अवधि बढ़ाये गये करार में शामिल नहीं की गई है।

प्राइवेट परिचालकों को इंडियन एयरलाइंस द्वारा शामिल न किये गये मार्गों पर विमान सेवाओं को चलाने के लिये अनुमति देना

9320. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मार्गों पर जिन पर इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाएं नहीं हैं प्राइवेट परिचालकों को विमान सेवाएं चालू करने की अनुमति देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, नहीं।

उन मार्गों पर जिन पर इंडियन एयरलाइन्स अपनी विमान सेवाएं परिचालित नहीं करती, प्राइवेट परिचालकों को विमान सेवाएं चालू करने की अनुमति देने के लिये सरकार द्वारा हर प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। फिलहाल प्राइवेट परिचालकों से प्राप्त कोई प्रस्ताव सरकार के विचार करने के लिए शेष नहीं है।

BRANCHES OF NATIONALISED BANKS IN BIHAR

9321. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of branches of nationalised banks in Bihar, bank-wise;

(b) bank-wise number of employees; and

(c) the number of employees out of them belonging to Bihar and those are from outside ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

AID NEGOTIATED WITH WORLD BANK

9322. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 251 on 2nd December, 1977 regarding foreign aid negotiated with World Bank and State :

(a) whether Government of India have received U.S. dollar aid worth Rs. 110 crores for the financial year 1st July 1977 to 30th June, 1978 and if so, when; and

(b) whether this amount is being spent for the purpose for which it has been received and if so, the amount spent so far and where this amount has been spent ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) In the India Consortium meeting held in July 1977, the World Bank and International Development Association group committed an amount of US dollar 1100 million as aid to India during their fiscal year from July 1, 1977 to June 30, 1978. Of this, assistance amounting to US dollar 879 million has already been approved for specific projects. The balance amount is also expected to be approved before June 30, 1978.

(b) According to the standard procedures, aid for the projects assisted by the World Bank group is released by way of reimbursement of expenditures as and when incurred. Since aid approvals for these projects have issued only recently, no disbursement have been made by the Bank group for these projects upto March 31, 1978.

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत शेयर पूंजी कम करने के लिये विचाराधीन पड़े स्टर्लिंग ग्रुप की टी कम्पनियों के आवेदन

9323. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न चाय बागानों को चला रही और नियन्त्रण कर रही स्टर्लिंग ग्रुप टी कम्पनियों के विदेशी मुद्राविनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संबंधित कम्पनियों में उनका शेयर पूंजी कम करने के मामले में विचाराधीन आवेदन पत्रों पर क्या और कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या अधिकांश आवेदन पत्रों में जनता को शेयरों की पेशकश किये बिना खरीदारी के विशेष ग्रुप को शेयरों के अन्तरण और नियन्त्रण की अनुमति सरकार से मांगी गई हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन मालिकों के नाम क्या है जिनका इस प्रकार शेयर अन्तरित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है कि विदेशी मुद्रा के गुप्त सौदे नहीं हों और आम जनता को शेयरों की बिक्री की पेशकश समाचार पत्रों के माध्यम से की जाये?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) स्टर्लिंग टी कम्पनियों के भारतीय व्यापार के मूल्यांकन का कार्य इस समय प्रगति पर है।

(ख) जी नहीं। अधिकांश मामलों में विवरणिका के माध्यम से जनता को शेयरों को पेश का प्रस्ताव है।

(ग) यह जश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) भारतीयकरण की योजना और भारतीय निवासियों को शेयरों की पेशकश की विधि इस प्रकार की है कि विदेशी मुद्रा के गुप्त सौदों में निजी प्रबंध की कोई गुंजाइश नहीं है। सामान्य जनता को शेयरों की पेशकश निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक विवरणिका के माध्यम से की जाएगी।

कछार में चाय बागान

9324. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आसाम के कछार के बहुत से चाय बागान लगभग गत दो वर्षों से सहायता और राज्य सरकार द्वारा देय उनकी राशि और बकाया राशि की वसूली के मामले में सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रहे हैं ताकि वे वित्तीय स्थिरता म सुधार कर सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और ऐसे चाय बागानों के नाम क्या ह;

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा उन्हें देय कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(घ) कछार में ऐसे चाय बागानों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एक सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष द्वारा निर्मित मकान

9325. श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री मदन लाल शुक्ल
श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी
श्री विजय मंडल
: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम के अध्यक्ष द्वारा निर्मित मकान के बारे में 7 जनवरी 1975 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समाचार के बारे में जांच पड़ताल की है और उक्त अध्यक्ष का पता लगाया है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय उस पुरानी रिपोर्ट से है जिसमें सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर भूतपूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा दिए गए भाषण के उद्धरण दिये गये हैं। इस रिपोर्ट में किसी सरकारी उपक्रम के अध्यक्ष द्वारा मकान बनाने का नहीं, बल्कि सरकारी उपक्रम के एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मकान सुसज्जित करने का ही उल्लेख किया गया था। इस मामले की जांच करने क बाद समुचित कार्रवाई की गई थी।

CONTRACT SIGNED BY EXPORT CORPORATION OF GUJARAT GOVERNMENT WITH A MALAYSIAN FIRM

9326. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether a contract was signed by the Export Corporation of the Government of Gujarat with a firm of Malaysia for the supply of 10 thousand tonnes coconut oil after receiving a payment of Rs. 52 lakhs, and

(b) if so, the outcome of the inquiry made into this case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

OPENING OF JANTA SHOPS IN RAJASTHAN

9327. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the names of villages in Rajasthan where Janta shops have been opened or are proposed to be opened this year for the distribution of consumer goods;

(b) the names of consumer items sold at these shops together with the price, item-wise; and

(c) the authority entrusted with running these shops?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) No Janata shops have been opened nor proposed to be opened in any of the villages of Rajasthan. However, about 50 Janata shops are to be set up by consumer cooperative institutions in urban areas during the year 1978-79.

(b) The Janata shops to be set up by consumer cooperatives are to deal in essential commodities and sell controlled and non-controlled articles.

(c) Consumer cooperative institutions are to set up Janata shops in the urban areas.

वित्त मंत्रालय में हिन्दी

श्री आई० पी० गुप्त, सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की आपातस्थिति के दौरान पदोन्नति

9328. श्री मोहन लाल पिपिल
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही हो तो उनकी पदोन्नति के बारे में सरकारी अनुदेश क्या हैं ;

(ख) क्या महत्वपूर्ण पदोन्नतियों के समय सतर्कता सम्बन्धी निपटारा आवश्यक है ;

(ग) क्या यह सच है कि जब आपात स्थिति के दौरान श्री आई० पी० गुप्त की केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के सदस्य के रूप में पदोन्नति की गई थी तो उनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही थी और तत्कालीन वित्त सचिव ने उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की थी ;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तथा विभागीय अधिकारी द्वारा सतर्कता जांच के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है और यदि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की तो ऐसी जांच पूरी करने में औसतन कितना समय लगता है; और

(ङ) क्या उनके विरुद्ध 1975-76 में प्रारम्भ की गई जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो उन जांचों के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वर्तमान आदेश किसी अधिकारी की पदोन्नति पर तब तक रोक नहीं लगाते जब तक जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर उसे अपराध-पत्र जारी करने का निर्णय नहीं किया जाता अथवा उसके खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाही करने की मंजूरी नहीं दी जाती ।

(ख) पदोन्नति के लिये विचार किये जाने के निमित्त पात्र अधिकारियों के नाम तथा ब्यौरे तैयार तथा प्रस्तुत करते समय मंत्रालय/विभाग को सम्बन्धित अधिकारियों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित करनी होती है।

(ग) और (ङ) जिस समय श्री आई० पी० गुप्त केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड के सदस्य नियुक्त किये गये थे उस समय उनके विरुद्ध कोई सतर्कता जांच नहीं चल रही थी । गोपनीय जांच करने के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके खिलाफ खुली जांच के लिये कोई मामला दर्ज नहीं किया था। यह कहना सही नहीं है कि वित्त सचिव ने ऐसा कोई मत व्यक्त किया था जिसका अर्थ श्री आई० पी० गुप्त की सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी के रूप में लगाया जा सकता था।

(घ) सतर्कता जांच पूरी करने के लिये इस प्रकार की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, जो मामला विशेष के तथ्यों और पेचीदगियों तथा जांच पड़ताल की गुंजाइश पर निर्भर करती है। लेकिन, अपने अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अन्तरिक प्रशासनिक आदेश हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि खुली जांच के लिये उन्होंने जो मामले दर्ज किये हैं उनमें जांच शीघ्रता से पूरी की जाती है।

TRANSFERS IN INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION, DELHI DURING EMERGENCY

9329. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of transfers made in the Industrial Finance Corporation, Delhi during Emergency and the reasons therefor and whether there were number of complaints against those employees who were posted back in the said corporaiton and if so, the number of employees who were transferred on account of allegations but were brought back;

(b) whether employee Shri K. K. Gopalaswami and Shri L. D. Mundukar had died in the compound of the said Corporation and if so, the reasons therefor; and

(c) whether any post mortem was conducted and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The Industrial Finance Corporation (IFC) has reported that during Emergency (from June, 1975 to March, 1977), 56 officers of various ranks were transferred amongst its different offices. All these transfers were made according to the exigencies of work and to meet the requirements of the IFC. Out of the above, 20 transfers were made on promotion, 4 consequent to retirement etc., 9 on their representations on compassionate grounds and 23 were normal transfers according to the requirements of the Corporation. None of the employees was transferred from one place to another place for reasons of complaints or allegations nor were transfers back made for any such reason.

(b) The deceased Shri L. D. Mundkur, Manager did not die in the office of the IFC or in its compound. He died on 10-2-1977 at his residence. His was a known case of diabetes for several years and he had been practically an invalid

The deceased Shri K. Gopalaswamy, Asstt. Manager came to office on 6th August, 1977 in his usual manner and was working in the office till about 6 p.m. Thereafter, he suddenly collapsed. A Doctor who arrived within a few minutes to render medical help, pronounced him to be dead. According to the Doctor, Shri Gopalaswamy had died of heart faliure (instant cardiac arrest).

(c) As Shri Mundkur expired in his own house and had not come to the office on that day, the question of IFC sending his body for post mortem did not arise. Shri Gopalaswamy died a natural death in the circumstances explained above and the members of his family, who took charge of the body, did not consider it advisable, to get the post mortem done.

विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए अमरीकी सहायता दल का राज्यों का दौरा

9330. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च में तीन सदस्यों वाले अमरीकी सहायता दल ने देश के कछ राज्यों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये उनका दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटल) : (क) शायद माननीय सदस्य अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के अध्ययन दल का जिक्र कर रहे हैं जिसने 6 मार्च से 24 मार्च, 1978 तक भारत का और कुछ राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार) का भी दौरा किया था। इस दल ने भारत सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विनिमय किया और देश के विख्यात अर्थशास्त्रियों, समाज शास्त्रियों और प्रमुख लोगों से मुलाकात की थी।

(ख) इस दल का प्रयोजन भारत को 1980 और उसके बाद के वर्षों में अमरीकी सरकार के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता की किस्म, स्वरूप और मध्यावधिक नीति की सिफारिश करने के लिए दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में भाग लेना था। इस अध्ययन दल के पांच सदस्य थे जिसके नेता प्रोफेसर चार्ल्स ई० लिंडब्लोम थे। दिल्ली और उपर्युक्त राज्यों में विचार विमर्श करने के बाद दल के सदस्य 25-3-1978 को भारत से चले गए। यह दल यथासमय अमरीकी अधिकारियों को अपनी रपोर्ट पेश करेगा।

महाराष्ट्र से बाहर दालें ले जाने पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक

9331. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा उन्हें दिये गये पत्र में यह कहा गया है कि महाराष्ट्र द्वारा राज्य से बाहर दालें ले जाने पर लगाई गई रोक का कर्नाटक जैसे राज्यों, जहां दालों की कमी है, के उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार से अनुरोध भी किया गया है कि वह खाद्यान्नों को निर्बाध रूप से लाने-ले जाने और किसी राज्य को इनके लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध न लगाने देने जैसाकि महाराष्ट्र ने शायद केन्द्रीय सरकार की सहमति से किया है, की अपनी घोषित नीति को लागू करे?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि उन्होंने दालों को राज्य से बाहर ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार पश्चिम बंगाल के कानूनी राशनिंग क्षेत्र के अलावा देश भर में खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। दालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना है।

SUPERSESSION OF COOPERATIVE SOCIETIES BY MADHYA PRADESH GOVERNMENT

9332. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Central Government have received a complaint that Madhya Pradesh Government has dissolved all the cooperative societies by violating the cooperative societies rules and whether the State Government have entrusted the power of deciding the dates for the election to those societies and the management of some of them to their own persons; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL) : (a) Under first proviso to sub-clause 7-A of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Ordinance 1977. now replaced by an Act, 7173 different categories of cooperative societies have been taken over by the Government of Madhya Pradesh and Government servants appointed as officers-in-charge to look after these societies.

(b) According to the provisions of the law, as amended, elections are to be conducted by or before 24th November, 1978.

RAIDS BY CENTRAL EXCISE AND INCOME TAX AUTHORITIES IN ETAWAH

9333. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the extent to which goods were entered in the documents seized in the raids by the Central Excise and Income Tax Authorities in Etawah town in March/April, 1969 and the reasons for returning those papers without completion of action;

(b) whether value of entire marble and immovable properties were taken into account during the raids by the above authorities and if so, the details thereof;

(c) whether ornaments seized have been treated as property mortgaged by businessmen or as the property of the family of the above person whose premises were raided and the action taken under the provisions of the Gold Control Act together with the amount of income-tax recovered so far and that is yet to be recovered; and

(d) whether arrangement has been made to return the mortgaged articles to their owners and to recover the income tax arrears and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL) : (a) to (d). During the course of search and seizure operations conducted in April 1969 in the premises of M/s. Ram Narain and Badri Prasad and their family members in Purvia Tola, Etawah District, the Income-tax authorities seized gold and silver ornaments worth over Rs. 18.52 lakhs besides books of account and documents relating to assessment years 1948-49 and 1954-55 to 1969-70. On the basis of the material seized, information furnished by the aassessee and the investigations made by the Department assessments for the assessment years 1954-55 to 1969-70 were completed. The concealed income was determined at Rs. 26 lakhs and was assessed in the assessment years 1956-57 to 1969-70, resulting in a demand of over Rs. 23 lakhs. While completing the assessments the investment in the seized assets representing pawned articles was also taken into account. The pawned articles were accounted for in the seized papers. No paper was returned without taking proper action.

Over Rs. 13 lakhs has already been paid towards the demand raised. Some of the seized assets have been released to the assessee from whom the seizure was made. The remaining assets have been kept as security against the outstanding demand, including penalty and interest levied subsequent to the assessments. As per information presently available the outstanding demand under the Income-tax and Wealth-tax Acts is Rs. 17.56 lakhs.

Primary gold weighing 3838 gms. valued at Rs. 66,400/- and gold ornaments weighing 91,955.75 gms. valued at Rs. 11,85,600/- were seized under the Gold (Control) Act. The seized ornaments were those which had been pawned with Shri Badri Prasad by other pawn brokers as well as individuals. In the adjudication order of the case under the Gold (Control) Act dated 16-2-1974, the Collector of Central Excise, Kanpur, on being satisfied that the ornaments belonged to persons other than Shri Badri Prasad, who had themselves not contravened any provision of the Gold (Control) Act, did not order the confiscation of the pawned ornaments, in terms of the proviso to section 71 of the Gold (Control) Act but ordered their release to Badri Prasad, from whom the ornaments were seized by the Department. Out of 8 boxes containing the seized ornaments with the Central Excise Department, 4 boxes were released after reweighment on 15th and 16th March 1978, in the presence of the Income-tax authorities. The ten commission agents, who had pawned more than 2000 gms. of ornaments with Shri Badri Prasad, were given intimation about the date and place of the release. The remaining 4 boxes are under attachment by the Income-tax authorities for recovery of income-tax dues from M/s. Ram Charan Lal Ram Narain.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ता मिलाया जाना

9334. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई भत्ता मिलाने के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिले, वित्त सचिव, 3 अप्रैल, 1978 को संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था (राष्ट्रीय स्तर) की स्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों से मिले थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई समझौता हुआ था; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंहगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाये जाने का प्रश्न मंहगाई भत्त से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ा हुआ है जिन पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। संयुक्त परामर्शदाता तंत्र के कर्मचारी पक्ष के साथ विभिन्न मामलों पर अभी बातचीत चल रही है और आशा है कि यह जून, 1978 के अन्त तक पूरी हो जाएगी।

सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्रिटेन से वस्तुओं की खरीद

9335. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के व्यपगत हो जाने के कारण भारत ब्रिटेन से ऐसी वस्तुएं, सेवाएं खरीदने के लिये बाध्य है जो चाहे प्रतियोगितात्मक न हो;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी वर्षों के दौरान सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को जो वस्तुएं और सेवाएं खरीदनी हैं उनका काफी पहले पता लगा लेने की योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस समय जितनी सहायता मिलती है उसे किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) यूनाइटेड किंगडम भारत को अनुदान के रूप में सहायता देता है। अनुदान, ब्रिटेन से खरीदारी करने के लिये होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमारी कोशिश रहती है कि हम इन अनुदानों से ही सामान और सेवाएं खरीदें जो हमारे लिये आर्थिक महत्व की हों और जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक मूल्यों पर उपलब्ध हैं। लेकिन हमेशा ही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक मूल्यों के आधार पर खरीदना संभव नहीं होता है और खास करके इसलिये कि ब्रिटेन काफी अधिक सहायता देता है। चालू वर्ष के लिये सहायता की राशि लगभग 1440 लाख पौंड अथवा लगभग 225 करोड़ रुपये हैं। ऐसी स्थिति में, कई बार हमें ब्रिटिश माल और सेवाएं ही खरीदनी पड़ती हैं हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितात्मक कीमतों पर उपलब्ध नहीं होती। लेकिन आर्थिक दृष्टि से उनका हमें कुछ भी मूल्य देना नहीं पड़ता। चूंकि उनके लिये वित्त व्यवस्था इन अनुदानों से ही की जाती है।

(घ) सहायता की वर्तमान राशि, अर्थात् 1440 लाख पौंड की राशि इस प्रकार खर्च की जाएगी :

(i) 300 लाख पौंड	परस्पर सम्मत अधिक मूल्य वाली परियोजनाओं के लिये मशीनों तथा उपस्करों का आयात करने के लिये।

(ii)	200 लाख पौंड	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा पूंजीगत उपकरणों तथा सेवाओं का आयात करने के लिये जिसमें भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा निधिकरण वित्त व्यवस्था करना शामिल है।
(iii)	200 लाख पौंड	भारतीय अर्थव्यवस्था के पावर के क्षेत्र की आयात संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये।
(iv)	700 लाख पौंड	विभिन्न किस्मों के अनुरक्षण सामान, जिसमें संघटक, फालतू पुर्जे, कच्चा माल और वस्तुएं शामिल हैं, का आयात करने के लिये।
(v)	40 लाख पौंड	ऋण राहत ।

प्रथा यह है कि उन वस्तुओं और सेवाओं को पहले ही चुन लेना होता है जो इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत ब्रिटेन से खरीदी जा सकें। इसी प्रकार उन परियोजनाओं को भी पहले से चुन लिया जाता है जिनके लिये लाभकारी आधार पर ब्रिटेन से मशीनों तथा उपस्करों का आयात किया जा सकता है; इसका उद्देश्य यह है कि ब्रिटेन से तरजीही आधार पर उस सामान का आयात किया जा सके, जिनके मूल्यों में उन वस्तुओं के दूसरे देशों में पाए जाने वाले मूल्यों में ज्यादा अन्तर न हो।

सरकारी उपक्रमों के लिए 'प्रबन्ध परिषदें'

9336. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न सरकारी उपक्रमों और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिये 'प्रबन्ध परिषदें स्थापित' करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या ऐसी परिषदें ऐसे संगठनों में वैज्ञानिक पद्धतियों, उत्तरदायित्व और सहायता के प्रश्न पर विचार करेंगी; और

(ग) इस प्रकार की कितनी प्रबन्ध परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं तथा सरकार कौन से एककों के लिये ऐसी परिषदों की योजना बना रही है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) निजी, सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में संयंत्र, शाप और निगम आदि विभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी के संपूर्ण प्रश्न पर प्रबन्ध एवं सामान्य शेयर पूंजी में कामगारों की भागीदारी विषयक त्रिपक्षीय समिति जिसे सितम्बर, 77 में गठित किया गया था, द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है।

(ख) यह समिति ऐसे सभी मामलों पर विचार करेगी ।

(ग) यद्यपि त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रबन्ध परिषदें अभी गठित की जानी हैं, फिर भी अक्तूबर, 1975 में शाप एवं संयंत्र स्तरों पर उद्योग में कामगरों की भागीदारी की योजना चालू कर दी गई थी। यह योजना फरवरी, 1978 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 545 एककों में चालू कर दी गई है ।

भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यकरण के बारे में निर्णय

9337. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत तथा विदेशों में स्थित बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में कोई परामर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) भारत में उनके कार्यकरण के बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य का तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका के बिजनेस इंटरनेशनल द्वारा 29 जनवरी और पहली फरवरी, 1978 के बीच आयोजित गोलमेज बैठक से है। गोलमेज बैठक का स्वरूप व्यापार, विकास और पूंजीनिवेश के संबंध में अनौपचारिक चर्चा का था। सरकार की नई औद्योगिक नीति और नई नीति में विदेशी पूंजीनिवेश की भूमिका के दायित्व के संदर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण किया गया था।

CONCESSION TO NON-SMOKERS BY L.I.C.

9338. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to introduce a scheme in Life Insurance Corporation to give special concession to those persons who do not smoke cigarettes; and

(b) if so, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No, Sir. Life Insurance Corporation's mortality tables are based on the experience of lives accepted at ordinary rates who include smokers also. However, any excessive smoking coupled with adverse conditions like high blood pressure, heart condition, etc., as brought out by medical examination of the proposer, is noted by the Corporation and appropriate extra premium is charged in such cases.

(b) Does not arise.

विमानों में मच्छर

9339. **श्री केशवराव धोंडगे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमानों में मच्छरों की समस्या के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। विमानों में मच्छरों की तकलीफ की शिकायतें आई हैं। विमानों को मच्छर रहित बनाने के लिये, एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स विमानों के रवाना होने से पहले उनके केबिनों में कीड़े मारने वाली दवाई का काफी छिड़काव करते हैं।

यह समस्या विमानक्षेत्र/टर्मिनल भवन के आस-पास दलदली जमीन/स्थानों के होने के कारण है। स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता से इस उत्पात का उन्मूलन अथवा उसे न्यूनतम करने के लिये प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

स्टेनलेस स्टील की चादरों के आयात पर सीमाशुल्क में कमी किये जाने के कारण राजस्व की हानि

9340. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनलेस स्टील की चादरों के आयात पर सीमा-शुल्क में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप राजकोष को अनुमानतः प्रति वर्ष राजस्व की कितनी हानि होगी; और

(ख) आयात शुल्क में कमी के कारण स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के मूल्य में किस सीमा तक कमी हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) दिनांक 18 जून, 1977 को स्टेनलेस स्टील प्लेटों, चादरों और कतरनों पर शुल्क की दर मूल्यानुसार 320 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से 120 प्रतिशत के बीच की गई थी। इस कटौती से राजस्व की कुल हानि प्रतिवर्ष 14.65 करोड़ रुपये होने का अनुमान था। दिनांक 15 जुलाई, 1977 को, स्टेनलेस स्टील प्लेटों, चादरों और कतरनों की किन्हीं किस्मों पर आयात शुल्क की दरें बढ़ाकर मूल्यानुसार 220 प्रतिशत की गई थीं, यह वृद्धि कतिपय शर्तों के अधीन की गई थी; इस वृद्धि से राजस्व में होने वाले संभावित लाभ का आसानी से अनुमान लगा पाना संभव नहीं है।

(ख) स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निर्माण, चूंकि देश में स्टेनलेस स्टील की देशी तथा आयातित चादरों से किया जाता है, जो विभिन्न आकारों और क्वालिटियों की होती हैं, इसलिये यह सही-सही अनुमान लगाना संभव नहीं है कि आयात शुल्क में कटौती के परिणामतः स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की कीमतों में किस हद तक कमी हुई है।

FOREIGN AID

9341. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total foreign aid expected against the amount envisaged in the budget during the current year;

(b) whether a shortfall is expected in the amount envisaged and if so, the reasons therefor; and

(c) its likely impact on the plan schemes of the country?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) The total foreign aid expected during the current year is the amount estimated in the 1978-79 budget.

(b) As of now, no shortfall is expected.

(c) The question does not arise.

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन और एयर इंडिया में उच्च पदों पर नियुक्त किये गये पदाधिकारियों को अधिक काम दिया जाना

9342. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया के उच्च पदों पर एक अथवा अधिक नियुक्तियां की हैं जिससे इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और

एयर इंडिया के निदेशक मंडल के वर्तमान सदस्यों को एक या अधिक कार्य/जिम्मेदारी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं तथा ऐसी परिपाटी से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल को एयर इण्डिया तथा इंडियन एयर लाइन्स के निदेशक मंडल का सांझा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा एयर इंडिया के प्रबन्ध निदेशक, श्री के० जी० अप्पूस्वामी को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

(ग) दोनों निदेशक मंडलों के सांझे अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति दोनों कारपोरेशनों के बीच और अधिक समन्वय स्थापित करने तथा आधारभूत उपादानों का दोनों कारपोरेशनों के अधिकतम लाभ के लिये उपयोग करने की दृष्टि से की गई है।

वाणिज्य मंत्री का विदेशों का दौरा

9343. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी काम पर हाल ही में लंदन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे का प्रयोजन तथा उसकी अवधि क्या थी;

(ग) क्या जिस समय यह विदेश में थे उन्होंने अन्य देशों अथवा अन्य राजधानियों का भी दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो किन देशों का और किस प्रयोजन से?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) जी हां। वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री के लन्दन के दौरे का उद्देश्य सामान्य फंड पर समीक्षा करने के लिये 13 तथा 14 अप्रैल, 1978 को हुई राष्ट्रमंडलीय मंत्रियों की बैठक में भाग लेना था। वे 12 को लंदन पहुंचे तथा 15 अप्रैल, 1978 को उन्होंने लंदन से प्रस्थान किया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजकोट स्थित लेखापरीक्षक तथा महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

9344. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राजकोट स्थित लेखापरीक्षक की तथा महालेखाकार कार्यालय के एक अथवा अधिक कर्मचारियों को वर्ष 1974 की रेल हड़ताल के दौरान परेशान किया गया था। ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या जनता सरकार ने अब उनकी मुअत्तिली आदि के आदेशों को समाप्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, कब और किस प्रकार ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार के आदेशों के अनुसार मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी।

अपर महालेखाकार, राजकोट के कार्यालय में, मई 1974 की हड़ताल में भाग लेने तथा हड़ताल के बाद प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण 10 स्थायी/अर्द्ध स्थायी कर्मचारी निलम्बित किये गये थे तथा 266 अस्थायी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की सूचना दी गई थी।

(ग), (घ) और (ङ) 9 कर्मचारियों के खिलाफ जारी किए गए निलम्बन के आदेश जनवरी, 1976 में और एक कर्मचारी के निलम्बन के आदेश, दिसम्बर, 1976 में निरसित किए गए थे।

252 अस्थायी कर्मचारियों के मामले में, सेवा समाप्ति के नोटिस, नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले, जुलाई, 1974 में वापस ले लिए गए। अन्य 9 कर्मचारियों के मामले में, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अधीन उनके मामलों की समीक्षा करने के बाद नोटिस वापस ले लिए गए।

शेष 5 कर्मचारियों की नौकरी बहाल करने के लिए भी 17 अप्रैल, 1978 को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

छोटी और लम्बी उड़ानों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं और अल्पहार से परिवर्तन

9345. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा प्रति दिन संचालित विभिन्न छोटी और लम्बी उड़ानों में उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं और अल्पाहार और पेय पदार्थों की वस्तुओं में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में हाल में सुधार/परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन परिवर्तनों के प्रति यात्रियों की यदि कोई प्रतिक्रिया हुई है तो वह क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां।

(ख) 1 जनवरी, से, यात्रियों को उनकी पसंद के अनुसार सभी उड़ानों पर शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन परोसे जाते हैं। ठंडे पेयों के रूप में दिये जाने वाले स्क्वैशों के स्थान पर अब फलों के रस दिए जाते हैं। जहां कहीं संभव होता है, चाय तथा काफी उड़ान में ही ताजा तैयार की जाती है।

(ग) ये परिवर्तन यात्रियों को अधिक संतुष्टि प्रदान करने की दृष्टि से किए गए हैं।

(घ) इन सुधारों का यात्रियों ने मोटे तौर पर काफी स्वागत किया है।

अहमदाबाद में कपड़ा मिलों पर बकाया आयकर

9346. **श्री अहसान जाफरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद नगर में कपड़ा मिलों और उनके निदेशकों पर अब तक आयकर की राशि बकाया है ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी बकाया राशि को वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, इसे एकत्रित किया जा रहा है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

OFFICIAL LANGUAGES IMPLEMENTATION COMMITTEE

9347. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Official Languages Implementation Committee has been constituted in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which it held its meetings in 1977 and the decisions taken therein;

(c) the number of decisions, out of them, fully implemented; and

(d) the reasons for delay in regard to the decisions which have not been fully implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) Yes, Sir.

(b) Two meetings of Official Languages Implementation Committee of the Department of Commerce were held on 18-3-1977 and 3-9-1977 and one meeting of the Department of Civil Supplies & Cooperation was held on 30-9-1977. Decisions taken in these meetings are briefly given in Annexures 1 & 2 respectively.

(c) 17 out of a total 29 recommendations have been implemented.

(d) Recommendations taken in these meetings were brought to the notice of all concerned for compliance and efforts are being made to implement the same.

STATEMENT I

The meetings of Official Language Implementation Committee of the Department of Commerce were held on 18th March, 1977 and 3rd September, 1977 during 1977. The decisions taken in these meetings are as under :—

DECISIONS TAKEN IN THE MEETING OF O.L.I.C. HELD ON 18-3-1977

1. To identify certain files in every section of the Department of Commerce for noting and drafting in Hindi.
2. Provision of at least one Hindi Translator, one Typist and one Hindi typewriter in every Office under the Department of Commerce.
3. To introduce a scheme for giving incentives for using Hindi in offices of all Corporations and Companies under the Department of Commerce.
4. To ask all Offices to purchase "Karyalaya Sahayika".
5. To circulate the definition of "General Orders" once again so that they may be issued bilingually.
6. To issue a comprehensive circular letter in advance giving general information about all training courses of 1977.
7. To issue a comprehensive circular indicating how Hindi typewriters could be procured.

DECISIONS TAKEN IN THE MEETING OF O.L.I.C. HELD ON 3-9-1977

1. To extend the scheme at (1) above to all the attached and subordinate Offices and Offices of Companies and Corporations etc. under the Department of Commerce.
2. To ensure that addresses on all envelops meant for Hindi speaking areas are written in Hindi only.
3. To encourage persons doing their work in Hindi in the Department of Commerce by giving incentives, prizes and good entries in Confidential Reports.
4. To arrange to impart training to typists and stenographers, who are well qualified in Hindi, in Hindi typing and shorthand respectively.
5. Senior Hindi Officer and Hindi Officer to visit all the Sections to ensure the identification of files for noting and drafting in Hindi.
6. To arrange meetings of Section Officers for explaining to them the need for working in Hindi.
7. To prepare a list of typists and stenographers who are bilingual.
8. Hindi Section should not entertain Hindi typing work of such Section as have bilingual typists.
9. Senior Hindi Officer and Hindi Officer should visit every Section to ensure that a Register was maintained in every Section for keeping record of the work done in Hindi.
10. Cash award scheme to be circulated again and implemented.

STATEMENT II

Decisions taken in the meeting of the Official Language Implementation Committee of the Department of Civil Supplies & Cooperation held on 30-9-1977.

1. Sections which have not yet sent their standard drafts for Hindi translation may be reminded.
2. Vanaspati Directorate to send the list of the English terminology used in the Directorate immediately, so that a compilation of Hindi-English terminology may be prepared.

3. Immediate action be taken to fill up the vacancy caused by posting the Hindi Stenographer of the Ministry in the Personal Section of the Minister.

4. The organisations, which have not yet created posts for Hindi work as per the decisions arrived at in the meeting held on 1st February, 1977 should take immediate action in this regard. Posts of Hindi Officer and Translators may also be created in Super Bazar.

5. To remind the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India, National Cooperative Union of India, National Consumers Cooperative Federation and Super Bazar for furnishing quarterly progress report on the progressive use of Hindi.

6. The Official Language Department may again be requested to relax, as a special case, condition of 500 employees prescribed in the scheme of awarding cash prizes for promoting use of Hindi in noting and drafting in the case of Directorate of Vanaspati, Vanaspati Oils and Fats, Forward Markets Commission and National Cooperative Development Corporation.

7. Letters received in Hindi to be replied in Hindi only. To recognise the efforts of the National Council for Cooperative Training for sending cent per cent replies in Hindi to letters received in Hindi, a commendatory letter from the Chairman may be sent to the Council.

8. The Committee was of the opinion that to start with it would not be possible to send all letters to the Hindi speaking States in Hindi. To achieve this, a phased programme may be prepared.

9. The documents required to be issued in both Hindi and English may be issued in both the languages.

10. Hindi knowing employees may be encouraged to use Hindi in their noting and drafting.

11. The Official Language Implementation Committee may also be constituted in Super Bazar, NAFED and NCCF. All offices to ensure that the quarterly meetings of their respective Committees are convened regularly.

12. Copies of the booklet titled 'SANGH KI RAJBHASHA' published by the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad be purchased and distributed to the members of the Official Language Implementation Committee and all offices/organisations etc. connected with this Department.

CONSTITUTION OF OFFICIAL LANGUAGES IMPLEMENTATION COMMITTEE

9348. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Official Languages Implementation Committe has been constituted in his Ministry/Department;

(b) if so, the dates on which its meetings were held in 1977 and the decisions taken thereat;

(c) the number of decisions out of them implemented fully; and

(d) the reasons for delay in the implementation of the rest of them ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) In the Ministry of Finance, Official Languages Implementation Committees have been constituted in the following Departments/Organisations :

(i) Department of Economic Affairs (excluding Banking Division);
(ii) Department of Economic Affairs (Banking Division);
(iii) Department of Revenue (Central Division);
(iv) Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes);
(v) Department of Revenue (Central Board of Excise & Customs);
(vi) Department of Expenditure (Establishment Division);
(vii) Department of Expenditure (Bureau of Public Enterprises);
(viii) Department of Expenditure (Defence Division);

(b) A statement is laid on the Table of the House showing the dates on which these Committees held their meetings during 1977.

(c) & (d) Detailed information is being collected regarding the decisions taken in these meetings, the implementation of the same and the reasons for delay, if any, and the same will be placed on the Table of the House.

Statement

The dates on which meetings of the official languages Implementation Committees of the Ministry of Finance were held during the year 1977.

The Department/Wing of the Ministry of Finance which the Official Languages Implementation Committee relates.	Dates of the meetings
(1)	(2)
Department of Economic Affairs (excluding Banking Division)	19-3-1977, 27-6-1977 and 17-10-1977.
Department of Economic Affairs(Banking Division)	9-3-1977 and 2-11-1977.
Department of Revenue (Central Division)	7-5-1977 and 27-9-1977.
Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)	7-4-1977. 25-6-1977 and 26-9-1977.
Department of Revenue (Central Board of Excise & Customs)	10-5-1977, 21-9-1977 and 30-11-1977.
Department of Expenditure (Establishment Division)	23-3-1977 and 15-11-1977.
Department of Expenditure (Bureau of Public Enterprises)	28-4-1977 and 8-9-1977.
Department of Expenditure (Defence Division)	25-4-1977.

TYPISTS AND STENOGRAPHERS TRAINED IN HINDI TYPING AND STENOGRAPHY IN MINISTRY OF FINANCE

9349. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number of the typists and stenographers trained in Hindi typing and stenography, respectively in his Ministry/Department at present.

(b) the number of typists and stenographers among them who are fully utilised for Hindi work;

(c) the reasons for not utilising the services of the remaining Hindi typists and stenographers; and

(d) whether any scheme has been formulated for their utilisation and if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (d) There are 103 typists and 102 stenographers trained in Hindi typing and stenography respectively. in the Secretariat of the Ministry of Finance. Out of them, 23 typists and 6 stenographers are fully utilised for Hindi work. The services of the remaining typists and stenographers (who are trained in both English and Hindi) are also utilised for Hindi work. besides their English work as and when the necessity arises.

केरल में कालीकट के निकट करीपुर में हवाई अड्डे का निर्माण

9350. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट के निकट करीपुर में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) हवाई अड्डे के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख) और (घ) जी, हां। कालीकट में एक विमानक्षेत्र के निर्माण के लिए छठी योजना में 90 लाख रुपए का प्रावधान है। 1978–79 के दौरान 0.50 लाख रुपए की प्रतीकस्वरूप व्यवस्था की गयी है। भूमि पहले ही ली जा चुकी है। पुनरीक्षित योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

CHANGES IN IMPORT AND EXPORT CONCEPTS

9351. SHRI SUKHENDRA SINGH : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether the Foreign Trade Institute of India has suggested changes in the import and export concepts in order to increase the trade;

(b) if so, whether efforts have been made by Government to find new markets for Indian commodities, besides traditional markets; and

(c) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise. However, an important element in the Government's export strategy relates to the finding of new markets by strengthening of the bargaining power of our exporters through the support of state trading organisations and other infrastructural facilities in terms of better international marketing and information system.

अर्द्ध परिष्कृत अभ्रक को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी योजना

9352. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक के निर्यातकर्ताओं द्वारा बहुत के कदाचार किये जा रहे हैं, यदि हां, तो इन कदाचारों को खत्म करने के लिये क्या कारगर कदम उठाये जाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार की अर्थ परिष्कृत अभ्रक को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई योजना है ; यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अभ्रक व्यापार निगम स्वयं को प्राइवेट निर्यातकर्ताओं के सामने निःसहाय समझता है और इसीलिये इसका आमूलचूल परिवर्तन करने और पुनर्गठन करने की आवश्यकता है : यदि हां, तो इस दिशा में प्रस्ताव क्या है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अभ्रक सलाहकार समिति की 27 जनवरी, 1978 को हुई तीसरी बैठक में न्यूनतम मंजूरी का भुगतान न किए जाने, अभ्रक की दुर्लभ किस्मों को उन कीमतों से कम कीमत पर बेचने, जिनको बाजार बर्दाश्त कर सकता था, "प्राप्ति" के लिये कठिन अभ्रक को बिना कैश मीमों के बेचने तथा बड़े निर्यातकों द्वारा अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों की मार्फत मिटकों को अभ्रक की सप्लाई किये जाने के बारे में कुछ आरोप लगाये गये थे। इन आरोपों की, जो सामान्य रूप के हैं, जांच की जा रही है और विशिष्ट शिकायतों के मिलने पर इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

(ख) अर्द्धसाधित अभ्रक सामान्यता अपरिष्कृत अभ्रक साधित करने के क्रम में एक अवस्था है। अतः इस मद के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं हो सकती।

(ग) जी नहीं।

राज्यों द्वारा लिये गये ओवरड्राफ्ट्स की समीक्षा करने के लिए एक स्थायी वित्त आयोग की नियुक्ति

9353. **श्री अधन सिंह ठाकुर :**
श्री रामानन्द तिवारी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी
: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्टस तथा योजनेत्तर मामलों का अध्ययन और समीक्षा करने के लिये सरकार का विचार एक स्थाई वित्त आयोग नियुक्त करने का है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने इस बारे में अनुरोध किया है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि प्रश्न में उक्त भाग (क) के उत्तर नकारात्मक हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस संबंध में समय समय पर सुझाव प्राप्त होते रहते हैं ; हाल ही में केरल सरकार ने ऐसा सुझाव दिया है।

(ग) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि एक स्थायी वित्त आयोग की आवश्यकता है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क, विभाग, मध्य प्रदेश और विदर्भ समाहर्ता कार्यालय, नागपुर में पदोन्नतियां

9354. **डा० रामजी सिंह**
श्री रामकिशन
: क्या : **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी गोपनीय रिपोर्टों में 'बहुत अच्छी' टिप्पणी पाने वाले अधिकारियों के लिये उप कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए कितनी प्रतिशतता निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या आपात काल के दौरान एक ही विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उच्च श्रेणी लिपिक से उपर्युक्त पद पर पदोन्नति की गई थी और यदि नहीं, तो कितनी विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा और प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अतिलंघन किये गये मामलों की वास्तविक संख्या क्या है ;

(ग) क्या उच्च श्रेणी लिपिकों की, जिनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है/थी, उप कार्यालय अधीक्षकों स्तर II और स्तर I तथा कार्यालय अधीक्षकों के रूप में कोई पदोन्नतियां/अतिलंघन किये गये हैं ;

(घ) यदि हां तो ऐसे सभी मामलों पर शीघ्र ही पुनर्विलोकन न करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इन पदोन्नतियों/अतिलंघन के मामलों पर इस बीच पुनर्विलोकन किया गया है और इससे प्रभावित हुए वरिष्ठ उच्च श्रेणी लिपिकों को पिछली तारीख से उनको देय पदोन्नितयां दी गई हैं ; यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या इस बारे में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग मध्य प्रदेश और विदर्भ समाहर्ता-कार्यालय, नागपुर में अब तक तात्कालिक कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) अपनी गोपनीय रिपोर्ट में 'बहुत अच्छी' टिप्पणी पाने वाले कर्मचारियों के लिए उप-कार्यालय अधीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए कोई खास प्रतिशत मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड से उप कार्यालय अधीक्षक के पदों पर पदोन्नतियां आपात स्थिति के दौरान की गयीं थीं। 17 जुलाई, 1977 को ही केवल एक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी, लेकिन उसके निष्कर्षों के आधार पर वरिष्ठता के अधिलंघन का कोई मामला नहीं हुआ। लेकिन, आपात स्थिति लागू होने के एकदम पहले 12 जन, 1975 को एक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी जिसके आधार पर 10 उच्च श्रेणी लिपिक विचार-सीमा के अन्दर अपने से वरिष्ठ 37 सहयोगियों से ऊपर चले गये।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) छः उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड से उप-कार्यालय अधीक्षक, लेवल II ग्रेड में पदोन्नति उनका सामान्य पदोन्नति-क्रम है; यह चयन द्वारा की जाती है। जिन अधिकारियों का विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्षों के आधार पर अधिलंघन होता है, उनके मामलों की बाद की सभी विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा उनके फिर से समीक्षा की जाती है और जिन्हें उपयुक्त पाया जाता है, उन्हें पदोन्नत कर दिया जाता है। ऐसी पदोन्नतियां, पदोन्नति-आदेश जारी होने की तारीख से ही की जाती हैं, पिछली तारीखों से नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए, आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग मध्य प्रदेश और विदर्भ समाहर्ता कार्यालय, नागपुर में जूनियर उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति

9355. **डा० राम जी सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल के दौरान तत्कालीन केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, मध्य प्रदेश और विदर्भ समाहर्ता कार्यालय, नागपुर में जूनियर उच्च श्रेणी के लिपिक, बहुत से सीनियर उच्च श्रेणी के लिपिकों का अतिलंघन करके, वर्ष 1975 में उप कार्यालय अधीक्षक स्तर-II (वेतनमान 425–700 रुपये) के ग्रेड में पदोन्नत किये गये थे और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

(ख) क्या उप कार्यालय अधीक्षकों के रिक्त पदों की प्रत्याशित संख्या के आधार पर अथवा उप कार्यालया अधीक्षकों के रिक्त पदों की वास्तविक संख्या को देखते हुए उच्च श्रेणी के लिपिकों की पदोन्नति पर विचार किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इन पदोन्नतियों को गैर-कानूनी न मानने और आपात काल के दौरान की ज्यादतियों के रूप में इस मामले का पुनर्विलोकन न करने/पुनरीक्षण न करने के कारण हैं।

(घ) क्या आपात काल के दौरान गोपनीय रिपोर्टों में केवल एक अथवा दो बहुत अच्छी टिप्पणी और न कि पांच सतत टिप्पणियों के आधार पर अतिलघंन के इन मामलों की अनुमति दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। कुछेक उच्च श्रेणी लिपिकों को, 12-6-75 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के निष्कर्षों के आधार पर वर्ष 1975 में उनके वरिष्ठ सहयोगियों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए उप कार्यालय अधीक्षक (लेवल-II) के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। उपकार्यालय अधीक्षक (लेवल-II) का संवर्ग, उच्च श्रेणी लिपिकों और आशुलिपिकों (सामान्य ग्रेड) की योग्यता के अनुसार चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। जिन मामलों में उच्चतर श्रेणीकरण किये जाने का औचित्य होता है, उनमें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संबंधित व्यक्तियों की सेवा के समग्र रिकार्ड को ध्यान में रखकर किया जाता है। उच्चतर ग्रेड वाले अधिकारियों को प्रतीक्षा-सूची में निम्नतर ग्रेडिंग वाले अधिकारियों के ऊपर रखा जाता है और जब कभी स्थान खाली होते हैं, उन्हें उन पर पदोन्नत कर दिया जाता है। योग्यता आधार पर चयन के मामले में पदोन्नत की कार्यविधि में, अधिलंघन की सभावना रहती ही है।

(ख) उप कार्यालय अधीक्षक (लेवल-II) के रूप में पदोन्नति के लिए जिन उच्च श्रेणी लिपिकों के नाम पर विचार किया गया उनकी संख्या उपकार्यालय अधीक्षक (लेवल-II) के संवर्ग में, दोनों विद्यमान और प्रत्याशित खाली स्थानों के आधार पर सरकार की सामान्य नीति के अनुसार ही थी;

(ग) ये पदोन्नतियां विद्यमान नियमों और कार्यविधियों के अनुसार की गई थीं। वे गैर-कानूनी नहीं हैं और न ही उन्हें आपात स्थिति के दौरान ज्यादतियों के मामलों के रूप में ही समझा जा सकता है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

लाख के उत्पादकों को मूल्य समर्थन देना

9356. **श्री राम किशन**
श्री राम कवार बेरवा } : क्या **वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाख के मूल्य में भारी गिरावट के कारण इसके उत्पादक अत्यन्त निराश हैं; और

(ख) सरकार का विचार मूल्य समर्थन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) इस समय लाख की कीमत लगभग पिछले वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतों के ही समान चल रही है।

(ख) सरकार ने राज्य व्यापार निगम को आदेश जारी किये हैं कि वह 1978–79 के दौरान 50 प्रतिशत लाख दाने वाली स्टिक लाक 2.25 रुपये प्रति कि० ग्रा० की दर से 5,500 टन लाख दाने की खरीद करें।

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS FROM EXPORT OF GOLD ORNAMENTS

9357. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether orders for export of gold ornaments from India were received from foreign countries in 1977; and

(b) if so, the value thereof and the amount of foreign exchange earned thereby?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) The value of the orders for export of gold ornaments from India received from foreign countries in 1977 was Rs. 2,03,80,000. This amount has been fully realised in free foreign exchange.

OVERTIME PAID TO GOVERNMENT EMPLOYEES

†9358. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the Department-wise total amount of overtime allowance paid to Government employees in 1976-77 and 1977-78;

(b) whether these figures in respect of overtime allowance are lower to that of previous years; and

(c) if so, the extent thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) A statement showing Department-wise the amount of overtime allowance paid to Central Government employees during 1976-77 and the first six months of 1977-78 is annexed. Information for the remaining period of 1977-78 is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) & (c) The expenditure on overtime allowance during 1976-77 which was Rs. 49.15 crores was less by Rs. 12.6 crores as compared to the expenditure on overtime allowance of Rs. 61.75 crores during 1975-76, and less by Rs. 5.85 crores as compared to the expenditure on overtime allowance of Rs. 55 crores during 1974-75.

Statement

Department-wise Expenditure incurred on Overtime Allowance by Central Government

Departments	1976-77	First 6 Monts of 1977-78
(1)	(2)	(3)
	(Rupees in thousands)	
1. C. G. D.A. (DAD)	3102	1760
—Do —(DSE)	148634	71697
2. Railways	103421	66759
3. Min. of Communications	117668	62078
4. I & B	5464	3180
5. Eco. Affairs.	65334	28231

(1)	(2)	(3)
6. Revenue & Insurance	15461	7558
7. Space	2083	1192
8. Atomic Energy	5196	3265
9. Works & Housing	848	610
10. Civil Aviation	10068	5613
11. Commerce	427	192
12. External Affairs	1049	441
13. I. A. & A. D.	980	452
14. Supply	306	194
15. Home Affairs	1641	592
16. Agriculture	2874	1452
17. Industrial Dev.	599	250
18. Mines	599	507
19. Culture	384	259
20. Education	291	79
21. Labour & Employment	425	241
22. Personnel	634	278
23. Health	315	153
24. Irrigation	198	104
25. Food	90	76
16. Rural Development	49	26
27. Agr. Res. & Edu.	—	—
28. Power	331	155
29. Shipping & Transport	673	345
30. Social Welfare	32	9
31. Planning	181	50
32. Parliamentary Affairs.	52	18
33. U. P. S. C.	124	81
34. President's Sect-.	36	16
35. Tourism	27	16
36. Heavy Industry	98	49
37. Expenditure	136	72
38. Family Welfare	55	60
39. Defence	184	19
40. Electronics	36	16
41. Vice President's Sectt.	9	3
42. Statistics	62	29
43. Coal	28	13
44. Steel	122	65
45. Rehabilitation	61	36
46. Cabinet Affairs	36	18
47. Petroleums	73	38
48. Prime Minister's. Sectt.	131	63
49. Law & Justice	325	166
50. Company Affairs	117	44
51. Science & Tech.	354	209
52. Chemical & Fert.	59	34
53. Civil Supplies & Coop.	50	37
Total	491532	259098
	(Rs. 49.15 crores)	(Rs. 25.91 crores)

SICK TEA PLANTATIONS IN ASSAM

9359. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the total number of sick tea plantations in Assam;

(b) the total strength of workers and labourers thereof; and

(c) whether Government propose to absorb them elsewhere; and if so, where and how ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BAIG) : (a) The number of sick gardens varies from time to time. In exercise of the powers assumed under Tea (Amendment) Act, 1976, the Government have so far looked into the affairs of the sick gardens in Assam.

(b) The total number of workers in the aforesaid five sick gardens is 4470.

(c) The gardens are still running and hence the question of absorption of the workers elsewhere does not arise at this stage.

ब्रांड वाली बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क खत्म करने के लिए केरल सरकार का अनुरोध

9360. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल राज्य सरकार से बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क को खत्म करने अथवा ब्रांड वाली बीड़ियों की बजाए बीड़ी तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क लगाने संबंधी कोई वैकल्पिक प्रस्ताव के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केरल सरकार के उद्योग मंत्री ने सुझाव दिया है कि ब्रांड युक्त बीड़ी पर यदि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क हटाना सम्भव नहीं हो, तो ब्रांड युक्त बीड़ीयों पर शुल्क लगाने की बजाय बीड़ी तम्बाकू पर शुल्क लगाया जाय।

(ख) तम्बाकू उत्पादनशुल्क टैरिफ समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, ब्रांडयुक्त बीड़ियों पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क लगाया गया था और बीड़ी तम्बाकू पर शुल्क की दर में कटौती की गई थी। समिति ने यह अभिमत व्यक्त किया था कि अन्ततः वित्तीय और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से आदर्श स्थिति यह होगी कि अनिर्मित तम्बाकू पर लगाये जाने वाले कर के स्थान पर यह तैयार निर्मित उत्पादों पर लगाया जाएगा। इस प्रकार ब्रांड-युक्त बीड़ियों की बजाय बीड़ी तम्बाकू पर कर लगाना पीछे हटने वाली बात होगी।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा कलकत्ता शेयर बाजार के माध्यम से शेयरों में पूंजी लगाया जाना

9361. **डा० बापू काल दाते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता शेयर बाजार में कुछ प्राइवेट कम्पनियों के शेयर खरीदने के लिये संस्थागत पूंजीनिवेशकर्ताओं की वित्तीय संस्थाएं सहायता करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1978 में कलकत्ता शेयर बाजार के माध्यम से इन संस्थागत पूंजीनिवेशकर्ताओं द्वारा शेयरों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया गैर-सरकारी कम्पनियों के शेयर नहीं खरीदते।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

केरल में पर्यटन केन्द्र

9362. **श्री जार्ज मैथ्यु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसे कितने पर्यटन केन्द्र हैं, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है और जिनके लिए विकास योजनायें बनाई गई हैं और प्रस्तावित विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केरल के इदुक्की जिले में ठेक्कडी के विकास के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है अथवा केन्द्रीय सरकार की अपनी कोई योजना में हैं; और

(ग) केन्द्र द्वारा आगामी वर्षों में केरल में कितने और पर्यटन केन्द्रों का विकास किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) चौथी योजना के आरम्भ से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को समाप्त कर देने के परिणामस्वरूप केरल सरकार को किसी भी पर्यटन स्कीम के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि, कोवालम का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को और बड़ी संख्या में आकृष्ट करने की दृष्टि से एक समुद्र-तटीय बिहार-स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है।

(ख) थेक्कड़ी के विकास के लिए राज्य सरकार से कोई विस्तृत योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वन्य जीवों को देखने के लिए झील पर परिचालन करने के लिए एक मोटर लाँच खरीदने के लिए राज्य सरकार को 2.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की है।

(ग) कोवालम में और अधिक सुविधाओं के विकास को जारी रखा जाएगा। जहां तक केरल में विकास किये जाने वाले नये केन्द्रों का संबंध है, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि इनका निर्धारण राज्य सरकार के परामर्श से उस समय किया जाएगा जब पर्यटन विकास संबंधी इसके पस्सर्पेक्टिव प्लान पर, राज्य की 1978–83 की पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय, विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में पर्यटन विकास के बारे में एक समन्यात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, इस पर्यटन विकास का स्वरूप तथा क्षेत्र 1978–83 की पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों पर निर्भर करेगा।

सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ का निर्यात समाप्त करने का प्रस्ताव

9363. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी एजेंसी के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ का निर्यात समाप्त करने का है;

(ख) प्राकृतिक रबड़ के निर्यात के लिये अब किन-किन न्यूनतम औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम की भांति गैर-सरकारी व्यक्ति प्राकृतिक रबड़ का निर्यात कर सकते हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ बेग) : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) सरकार समय-समय पर राज्य व्यापार निगम को देश में वेशी रबड़ खरीदने तथा निर्यात करने के लिए प्राधिकृत करती रहती है। राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले निर्यातों के लिए किन्हीं विशेष औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती।

(ग) इसके अतिरिक्त, उपजकर्ताओं अथवा उपजकर्ता साथ संघ को राज्य व्यापार निगम के संरक्षण में विशिष्ट प्राधिकारों के अन्तर्गत रबड़ के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबड़ के भारत में आयात पर रोक

9364. श्री जार्ज मैथ्यू : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में प्राकृतिक रबड़ उद्योग के संर्वधन के लिये 10 वर्ष की अवधि तक प्राकृतिक तथा कृत्रिम रबड़ के भारत में आयात पर रोक लगाने का है; और

(ख) क्या प्राकृतिक रबड़ के न्यनतम मूल्य को कम रखने और उत्पादों को अलाभकर मूल्य देने से उत्पादकों के हितों में बाधा पड़ती है और केरल जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था भी नष्ट होती है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1 अप्रैल, 1973 से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर रोक लगाई जा चुकी है। केवल एक प्रकार के संश्लिष्ट रबड़ अर्थात साइट्रीन बूटाडीन रबड़, जिसका इस देश में विनिर्माण होता है, के आयात पर पिछले बारह वर्ष से रोक लगाई गई है। एक अन्य प्रकार के संश्लिष्ट रबड़ नाइट्रेट का विनिर्माण अभी शुरू किया गया है और प्रतिबन्धित आधार पर इसके आयात की अनुमति दी जा रही है। बुटील, न्योपिरीन, थिकोल आदि जैसी संश्लिष्ट रबड़ की अन्य किस्म के, जिनका भारत में विनिर्माण नहीं होता, प्रतिबन्धित आधार पर आयात किये जाने की अनुमति दी जाती है।

(ख) सरकार ने 6 अगस्त, 1977 से आर० एम० ए० 1 प्राकृतिक रबड़ की न्यूनतम कीमत भिन्न ग्रेडों के लिए अन्तर रखते हुए 520 रु० से बढ़ा रकर 655 रु० प्रति क्विन्टल कर दी गई है। ये कीमतें 31 मई, 1978 तक प्रभावी हैं। इस बीच स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

सरकार कीमतों के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार करते समय किसानों को उचित लाभ दिए जाने तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को समीचीन स्तर पर बनाए रखने की जरूरत का उचित ध्यान रखेगी।

कोचीन हवाई अड्डे का रनवे का विस्तार

9365. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि इस वर्ष कोचीन हवाई अड्डे के रनवे आदि का विस्तार करने के लिए उपलब्ध किया गया धन इस वर्ष कार्य को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन (मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) कार्य को पूरा करने के लिए इसी वर्ष पर्याप्त निधियां उपलब्ध करा दी जाएंगी।

राज्य व्यापार निगम के फालतू अधिकारी एवं कर्मचारी

9366. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में उसकी आवश्यकता से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं;

(ख) क्या कर्मचारी एवं अधिकारी निगम के व्यापार में कमी हो जाने के कारण फालतु हो गए हैं; और

(ग) इस समय कितने अधिकारी एवं कर्मचारी फालतु हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। चालू वर्ष के लिए कारोबार लक्ष्य को विगत वर्ष के लक्ष्य की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर रखने की योजना बनाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा गोआ के गैर-सरकारी निर्यात-कर्ताओं द्वारा लौह-अयस्क का निर्यात

9367. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाने वाला लौह अयस्क का निर्यात गत तीन वर्षों में घटा है;

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम में तथा गोआ के गैर-सरकारी निर्यात-कर्ताओं ने पृथक-पृथक कितनी-कितनी मात्रा में और कितने-कितने मूल्य के लौह अयस्क का निर्यात किया है; और

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कम निर्यात किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :
(क) जी नहीं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान खनिज व धातु व्यापार निगम तथा गोवा के गैर-सरकारी निर्यातकों द्वारा निर्यात किये गये लौह अयस्क की मात्रा और मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:-

(मात्रा—दस लाख मे० टन में)
(मूल्य : करोड़ रु० में)

वर्ष	खनिज व धातु व्यापार निगम		गोआ के निर्यातक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1975–76	11.618	128.90	10.896	79.81
1976–77 .	11.738	148.85	11.360	90.19
1977–78 .	12.297	164.04	9.518	86.89

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

RESTRICTIONS ON LOANS BY NATIONALISED BANKS

9368. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India has made a suggestion to the Government to restrict loans by the nationalised banks;

(b) if so, details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) While no specific suggestion has been made by the Reserve Bank of India to the Government regarding restriction on loans by nationalised banks, in his letter dated March 2, 1978, to the chief executives of the scheduled commercial banks, the Governor, Reserve Bank had indicated that the general frame in which the monetary and credit policies will operate would continue to be one of overall restraint.

(b) & (c) Does not arise.

श्रमिक सहकारी समितियां

9370. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संगठित/असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सहकारी समितियों के गठन और प्रोत्साहन के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978–79 के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और राज्य वार श्रमिक सहकारी समितियों के गठन और प्रोत्साहन के बारे में विभिन्न योजनाओं में क्या प्रगति प्राप्त हुई ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिक सहकारी समितियों का विस्तार करें तथा उन्हें मजबूत बनायें, ताकि निर्माण गतिविधियों, विशेषकर सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों में श्रमिक सहकारी समितियों की सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। मध्यावधि योजना 1978–83 में उनके विकास के लिए योजना तैयार की जा रही है।

(ख) वर्ष 1978–79 में श्रमिक सहकारी समितियों के विकास के लिए राज्यवार अस्थायी परिव्यय अनुबन्ध-I में दिया गया है। अनुबध-II में 30 जून, 1977 को विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा की गई प्रगति दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1979-79 के दौरान श्रमिक सहकारी समितियों के विकास के लिए राज्यवार अस्थायी वित्तीय परिव्यय दर्शाने वाला विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	रु० लाखों में
1	2
आन्ध्र प्रदेश	8.40
असम	—
बिहार	5.80
गुजरात	1.90
हरियाणा	4.25
जम्मू तथा कश्मीर	1.00
हिमाचल प्रदेश	—
कर्नाटक	10.00
केरल	0.20
मध्य प्रदेश	—
महमराष्ट्र	10.19
मणिपुर	—
मेघालय	1.00

1	2
नागालैण्ड	—
उड़ीसा	5.00
पंजाब	0.50
राजस्थान	0.02
सिक्किम	—
तमिलनाडु	3.57
त्रिपुरा	1.80
उत्तर प्रदेश	0.80
पश्चिम बंगाल	19.43

विवरण-II

30 जून, 1977 को श्रमिक सहकारी समितियों की राज्यवार प्रगति दर्शाने वाला विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सहकारी समितियों की संख्या	सदस्यता (संख्या में)	निष्पादित निर्माण कार्य का मूल्य (रु० हजारों में
आन्ध्र प्रदेश	894	53,532	4385
असम	37	1,056	4246
बिहार	718	24,535	2567
गुजरात	807	1,06,500	126550
हरियाणा	484	34,594	36637
हिमाचल प्रदेश	20	1,333	141
जम्मू व कश्मीर	5	906	—
कर्नाटक	217	17,875	4689
केरल	67	10,617	13290
मध्य प्रदेश	345	24,280	13653
महाराष्ट्र	2506	1,63,624	168147
मणिपुर	410	1,78,00	9947
मेघालय	18	950	—
नागालैण्ड	192	शून्य	शून्य
उड़ीसा	198	22,578	6363
पंजाब	814	60,964	37608
राजस्थान	1023	33,845	23590
सिक्किम	—	—	—
तमिलनाडु	116	23,917	11310
त्रिपुरा	10	522	79
उत्तर प्रदेश	363	17,663	4917
पश्चिम बंगाल	939	26,146	49660
कुल/संघ शासित क्षेत्र	102	8,952	6824
योग	10,093	6,52,189	521093

10—222LSS/78

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	रु० लाखों में
केन्द्र शासित क्षेत्र	
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	
अरुणाचल प्रदेश	
चण्डीगढ़	—
दादरा तथा नागर हवेली	0.10
दिल्ली	0.45
गोवा, दीव तथा दमन	0.10
लक्षद्वीप	0.51
मिजोरम	—
पांडिचेरी	0.03
सम्पूर्ण भारत	75.01

वर्ष 1978-79 के लिये महाराष्ट्र में हवाई अड्डों का दोबारा माडल बनाना और इन में सुधार करना

9371. **श्री वसन्त साठे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के लिये महाराष्ट्र राज्य के हवाई अड्डों में से प्रत्येक हवाई अड्डे के लिये दोबारा माडल बनाने और उसमें सुधार करने हेतु मंत्रालय द्वारा कार्यान्वियन के लिये स्वीकृत किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को नागपुर के लिए विमान उड़ानों के समय तथा इससे सम्बद्ध मामलों के बारे में महाराष्ट्र के कुछ संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 1978-79 के दौरान, महाराष्ट्र में विमानक्षेत्रों के बड़े रूप से विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । तथापि बम्बई विमानक्षेत्र पर नये अन्तर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्यो टर्मीनल काम्प्लेक्स (चरण-1) की चालू परियोजना के लिए 1978-79 के दौरान 495 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रतिवेदन में कहा गया है कि दिल्ली/नागपुर सेवा के समय को पहले करके इसके प्रस्थान का समय प्रातः काल कर दिया जाए। यह प्रस्ताव अन्य विमानक्षेत्रों अमृतसर/श्रीनगर—पर हो रहे मरम्मत/विकास कार्यों के कारण लगी पाबन्दियों के कारण फिलहाल व्यवहार्य नहीं है तथापि, दिल्ली/नागपुर सेवा के समय में परिवर्तन करना तभी संभव होगा जब ये सिविल निर्माण-कार्य पूरे हो जाएंगे तथा अमृतसर और श्रीनगर की सभी सेवाओं को प्रातःकाल में ही पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

विपणन सहकारी समितियों का बड़े पैमाने पर विस्तार का समाचार

9372. श्री वसन्त साठे
केशर सिंह } : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1978 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "एक्सपेन्शन आफ मार्केटिंग कोपरेटिब्ज इन बिग वे" (विपणन सहकारी समितियों का बड़े पैमाने पर विस्तार) शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) वर्ष 1978-79 में विपणन सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्तावित यह बनाई गई केन्द्र-प्रायोजित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए की गई व्यवस्था, सहायता के सिद्धान्तों, इन समितियों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र और राज्यवार और विशेष रूप से महाराष्ट्र के लिए किये गये अस्थायी नियतन के बारे में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी हां।

(ख) यह समाचार राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा आयोजित किये गये तथा नई दिल्ली में 11 व 12 अप्रैल, 1978 को हुये विपणन सहकारी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन और 11 अप्रैल, 1978 को हुई नेफेड की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक के पूर्वेक्षण के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डाला गया था जो सम्मेलन में चर्चा के लिए परिचालित किये गये आधार लेखों में शामिल थे। सम्मेलन के कार्यवृत्त को इसके संयोजक, नेफेड, द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को देश में सहकारी विपणन, संसाधन, आपूर्ति तथा भण्डारण का विकास करने के कार्यक्रमों को बढ़ावा तथा वित्तीय सहायता देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह विभिन्न राज्यों को इन गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सहायता देता है। वर्ष 1978-79 के दौरान जिन केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है उनका ब्यौरा वित्तीय प्रावधानों के साथ नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	योजना	1978–79 के लिए प्रस्तावित परिव्यय (लाख रु० में)
1.	अल्प विकसित राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में सहकारी विपणन, संसाधन तथा भण्डारण कार्यक्रमों का विकास। . . .	650
2.	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) को सहायता देना।	20

क्रम संख्या (1) पर दी गई योजना केवल सहकारिता की दृष्टि से अल्प-विकसित असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा नागालैण्ड के राज्यों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह अरुणाचल प्रदेश लक्षद्वीप तथा मिजोरम के केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिये है। इस योजना का मूल उद्देश्य इन क्षेत्रों में सहकारी विकास के क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक करना और कृषि उपज के सहकारी विपणन, संसाधन तथा भण्डारण के विभिन्न कार्यक्रमों की गति तेज करना है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों की सहकारी विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिये सहायता दी जा रही है। ताकि वे अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार कर सकें तथा उनके द्वारा जिन विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया जाता है उनके भण्डारण के लिये गोदामों का निर्माण कर सकें। तथापि, महाराष्ट्र राज्य इस योजना के अन्तर्गत नहीं आता है, क्योंकि यह सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य है। राज्यवार अस्थायी आबंटन अभी तैयार किये जा रहे हैं। सहकारी विपणन समितियों को सहायता देने के मानक अनुबन्ध-1 के विवरण में दिये गये हैं।

ऊपर के क्रम सं० 2 पर दी गई योजना में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, मर्यादित, जो अखिल भारतीय स्तर पर सभी सहकारी विपणन समितियों का संघ है, को सहायता देने की व्यवस्था है, ताकि वह कृषि उपज तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात तथा अन्तर्राज्यी व्यापार, कृषि संसाधन तथा कृषि सेवाओं का और अधिक विकास कर सके।

विवरण

सहकारी विपणन समितियों को सहायता देने के मानक दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	सहकारी विपणन का विकास करने की योजनाओं के विभिन्न उद्देश्य	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से सहकारी विपणन समितियों को
1	2	3	4
	विपणन		
1.	विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार को मजबूत बनाना	सहायता की मात्रा प्रत्येक मामले की जरूरत पर निर्भर करेगी।	वह क्लीन अथवा लौटायी जाने वाली अंशपूंजी के रूप में दी जाती है।
2.	परिवहन वाहन	(क) आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्र 50 प्रतिशत ऋण 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता ——— 75 प्रतिशत	(i) 75 प्रतिशत जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत ऋण के रूप में; तथा (ii) 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में।

1	2	3	4
		(ख) अन्य क्षेत्र : 50 प्रतिशत ऋण	
3.	**संसाधन** लघु तथा मध्यम, आकार की संसाधन यूनिटें (जिनमें फल तथा सब्जी, शीत भंडार तथा डेरी यूनिटें भी शामिल हैं)	(क) आदि वासी तथा दुर्गम क्षेत्र 60 प्रतिशत ऋण 20 प्रतिशत आर्थिक सहायता ———— 80 प्रतिशत ————	55 प्रतिशत ऋण 20 प्रतिशत अंशपूंजी 20 प्रतिशत आर्थिक सहायता ———— 95 प्रतिशत सदस्य : 5 प्रतिशत ————
		(ख) अन्य क्षेत्र : 80 प्रतिशत ऋण	60 प्रतिशत ऋण $32\frac{1}{2}$ प्रतिशत अंश पूंजी ———— $92\frac{1}{2}$ प्रतिशत (सदस्य : $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत)
4.	**भंडारण** **गोदामों का निर्माण**	(क) राज्य : 50 प्रतिशत ऋण 25 प्रतिशत ऋण ———— 75 प्रतिशत ऋण ————	50 प्रतिशत ऋण 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता ———— 100 प्रतिशत ————
		(ख) केन्द्र शासित क्षेत्र 50 प्रतिशत ऋण 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता ———— 100 प्रतिशत ————	

तेल के आयात के लिये मलयेशिया से समझौता

9373. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने मलेशिया से 60,000 टन तेल आयात करने का समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयात की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) कच्चे ताड़ के तेल के आयात के लिए संविदा की मुख्य शर्तें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(क) संविदा अवधि—फरवरी, 78 से जनवरी, 79 तक।

(2) मात्रा—60,000 मे० टन ½ प्रतिशत प्रति पचांग तिमाही 15,000 मे० टन की दर से।

(3) साख पत्र द्वारा भुगतान।

(4) कीमत निर्धारित फार्मूले के अनुसार मलेशियाई सरकार की गजेटेड कीमत पर आधारित होगी।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं उसके सहायक बैंकों का पुनर्गठन

9374. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठन ने एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा उसके सहायक बैंकों के पुर्नगठन की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये क्या कारण बताये गये हैं तथा सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) न तो सरकार की और न ही भारतीय रिजर्व बैंक को कोई ऐसा ज्ञापन मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद बैंक में सम्पर्क अधिकारी के नये पद का बनाया जाना

9375. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहबाद बैंक में एक सम्पर्क अधिकारी का नया पद बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पद पर 61 वर्षीय व्यक्ति की नियुक्ति की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इसकी परिलब्धियों सहित सेवावधि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) इलाहबाद बैंक ने सूचित किया है कि जमा राशियां जुटाने, सम्पर्क और जनता से सम्बद्ध स्थापित करने के क्षेत्र में कुछ विशेष कर्त्तव्यों को निभाने के लिए तथा क्षेत्रीय कार्यालय और जोनल स्तर पर समय समय पर सौंपे गये कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बैंक द्वारा दिल्ली में एक विशेष अधिकारी का पद बनाया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) बैंक ने सूचित किया है कि बैंक में संबंधित क्षेत्रों में उपयुक्त अनुभव रखने वाले और इस अस्थायी स्थिति के लिये अपेक्षित आवश्यक विशेषज्ञता और जान सम्पर्क रखने वाले वरिष्ठ कार्य अधिकारियों को पर्याप्त संख्या न होने के कारण, पदोन्नति व्यवहारिक नहीं थी और इसलिये राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया था।

(ङ) बैंक ने एक वर्ष की अनुबंधित नियुक्ति के लिये इस अधिकारी को 2500/- रुपये मासिक समेकित वेतन देना तय किया है। इसे पिल्ले समिति की रिपोर्ट के उपबन्धों के अनुसार ही अनुलाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

लखनऊ में इलाहाबाद बैंक का भवन

9376. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य को जानती है कि लखनऊ में इलाहबाद बैंक का भवन कुछ वर्षों से खाली पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस कारण कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(ग) क्या यह सच है कि बैंक कलकत्ता में एक भवन किराये पर ले रहा है ;

(घ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ङ) भवन के मालिकों को बैंक एक साल में कुल कितना किराया देता है ;

(च) क्या भवन को अनुचित रूप से बहुत ऊचे किराये पर लेने और उसके मालिकों को ऋण देने के बारे में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ; और

(छ) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) ठेकेदार द्वारा नवम्बर, 1977 में लखनऊ का भवन इलाहबाद बैंक को सौंप दिया गया था। पार्टीशन और अन्य अपेक्षित प्रबंध पूरे हो जाने के बाद, बैंक ने अप्रैल, 1978 में इस पर कब्जा कर लिया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अपने प्रधान कार्यालय के लिये स्थान की अतिरिक्त आवश्यकता के वास्ते, बैंक कलकत्ता में लगभग 10,400 वर्ग फुट के फ्लोर एरिया वाला एक भवन बनाने पर विचार कर रहा है।

(ङ) वर्ष, 1977 के दौरान बैंक ने देश भर में अपने कार्यालयों और अपने कर्मचारियों के लिए आवासों, दोनों के लिये किराये पर लिये गये भवनों के मालिकों को, किराये के रूप में 79.55 लाख रुपये की कुल राशि अदा की है।

(च) और (छ) : जी, हां। दिसम्बर, 1977 में सरकार को एक शिकायत मिली थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इलाहबाद बैंक ने, विशेष रूप से कलकत्ता में अपनी स्टीफन हाऊस और वैलेजली स्ट्रीट शाखाओं के लिये बहुत अधिक किराये के स्थान किराये पर लिये हैं। पूछताछ करने पर बैंक ने सूचित किया है कि ये स्थान इसके बोर्ड की अनुमति से किराये पर लिये गये थे और तय हुए किराये की दरें ये हैं—स्टीफन हाउस शाखा के ग्राउन्ड और मैंजनीन फ्लोरों का 3.37 रुपये प्रति वर्ग फुट और वैलेजली स्ट्रीट शाखा के ग्राउन्ड फ्लोर के लिये 2.50 रुपये प्रति वर्ग फुट। ये दरें इन स्थानों में प्रचलित दरों को देखते हुए बहुत अधिक नहीं मालूम होतीं।

ताड़ के तेल का आयात

9377. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितनी मात्रा में ताड़ के तेल का आयात किया गया ;

(ख) गत एक वर्ष में किन किन तारीखों को आयात की अनुमति दी गई थी और किन किन तारीखों को आयात रोक दिया गया था ;

(ग) किन-किन देशों से इस तेल का आयात किया गया था;

(घ) क्या सरकार को इस तेल के आयात के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) आयातों के बारे में जानकारी अक्तूबर, 1977 तक उपलब्ध है। जनवरी, 1977 से अक्तूबर, 1977 तक आयात की गई कुल मात्रा 323829 मे० टन थी।

(ख) 17 जनवरी, 1977 को ताड़ का तेल आयात सम्बन्धी मुक्त लाइसेंस योजना में रख दिया गया है। 20 सितम्बर, 1977 को सीधे मानव उपभोग के लिए उक्त योजना में से

परिष्कृत ताड़ का तेल पृथक कर दिया गया था। 13 जनवरी, 1978 को पामोलीन को छोड़ कर सभी किस्मों का ताड़ का तेल मुक्त लाइसेंस योजना से पृथक कर दिया गया था।

(ग) इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा सिंगापुर।

(घ) से (च) मुक्त लाइसेंस योजना के अधीन प्राइवेट पार्टियों ने भारी मात्रा में परिष्कृत विरंजित तथा निर्गन्धीकृत ताड़ का तेल आयात किया और उसे वनस्पति के रूप में बेच दिया। अत: इस किस्म का ताड़ का तेल मुक्त लाइसेंस योजना से पृथक कर दिया गया। बाद में अन्य किस्मों के आयातित ताड़ के तेल के सम्बन्ध में उठने वाली ऐसी ही संभावनाओं को समाप्त करने के लिए पामोलीन को छोड़कर अन्य सभी किस्मों के ताड़ के तेल इस योजना से निकाल दिए गए हैं। 1978-79 की आयात नीति में इसे भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है।

इलाहाबाद बैंक के प्रतिभूति रहित ऋण

9378. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 18 मार्च, 1978 के ब्लिटस में इलाहाबाद बैंक के बारे में "अनसिक्योर्ड लोन्स पाइल अप ह्यूज लूट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक ऐसा टेप रिकार्ड मिला है जिसमें संजय और कमलनाथ के बीच हुई वार्ता का टेप रिकार्ड है और जिसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का उल्लेख है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक स्वतन्त्र प्राधिकरण के माध्यम से बैंक के कार्यकरण की पूर्ण जांच करवाने का है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक 18 मार्च, 1978 के ब्लिट्ज में छपे एक लेख में लगाये गये आरोपों की जांच कर रहा है।

निर्यात प्रयोजनों के लिए चीनी की खरीद

9379. श्री अनन्त दवे : क्या वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की जाने वाली चीनी काण्डला पत्तन पर रखी गई थी;

(ख) क्या कुछ चीनी का निर्यात नहीं किया गया था और उसे कम कीमत पर बेचा गया था; और

(ग) विलम्ब शल्क देने से कितनी हानि हुई;

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) 1977-78 में 12,116 मे० टन चीनी, कांडला पत्तन में स्थित राज्य-व्यापार निगम के गोदामों में स्टाक करनी पड़ी, जिसका निर्यात नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार ने हानि पर चीनी निर्यात न करने का निश्चय किया था। बाद में कांडला तथा अन्य पत्तनों में पड़ा हुआ चीनी का स्टाक घरेलू बाजारों में बिक्री के लिए सी व डी ग्रेड की चीनी 345/- रु० प्रति क्विन्टल एक्स गोदाम की कीमत पर और ई ग्रेड की चीनी 335/- रु० प्रति क्विन्टल की कीमत पर प्राइवेट पार्टियों को तथा क्रमशः 335/- रु० एवं 325/- रु० प्रति क्विन्टल की कीमत पर सहकारी समितियों को सरकार ने रिलीज किया। यह कीमत प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से कहीं अधिक थी।

(ग) 1977-78 के दौरान कांडला पत्तन से पोत लदानों पर विलम्ब शुल्क के कारण होने वाली किसी भी हानि की सूचना नहीं मिली है।

चाय उद्योग का विकास करने के लिए प्रस्ताव

9380. श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री जी० एम० बनतवाला : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश में चाय उद्योग का विकास करने का है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त क्षेत्र में चाय की खेती करने के लिये कोई योजना भी बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिय कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) तया (ग) अगले पांच वर्षों के दौरान चाय की खेती के अन्तर्गत प्रति वर्ष लगभग चार हजार हैक्टेयर का अतिरक्त क्षेत्र लाने की प्रस्थापना है।

(घ) पुनर्रोपण के लिए चाय के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए ऋणों के वास्ते वित्त व्यवस्था हेतु 4.60 करोड़ रु० की एक परिक्रामी निधि चाय बोर्ड को उपलब्ध की गई है। चाय बोर्ड द्वारा ये ऋण उन की चाय बागान वित्त व्यवस्था योजना के अंतर्गत मंजूर किये जाते हैं। कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम जैसे संस्थागत स्रोतों से भी ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं। जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि मांगी गई मात्रा कितनी है और उत्पादन कार्यक्रम की जीवन क्षमता कितनी है।

भारतीय तम्बाकू के निर्यात में कमी

9382. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तम्बाकू के लिये निर्यात की मांग में कमी हुई है ; और

(ख) सरकार का तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1976-77 के दौरान 96.62 करोड़ रु० मूल्य की 801.0 लाख किग्रा की मात्रा के निर्यात की तुलना में अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 के दौरान 105.37 करोड़ रु० मूल्य का 711.9 लाख किग्रा अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1978—79 के दौरान, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा जापान जैसे हमारे प्रमुख खरीदारों से फिलहाल निर्यात मांग कुछ कम रहेगी।

(ख) तम्बाकू बोर्ड, सोवियत संघ, इराक, ब बलगारिया, इटली, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, आदि जैसे एकाधिकार खरीदारों पर, भारत से अपने आयातों में वृद्धि करने के लिये जोर डाल रहा है। बोर्ड विदेश में होने वाले व्यापार मेलों में भी भाग ले रहा है। ऐसी संभावना है कि वह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को व्यापार, प्रतिनिधि मंडल भी आयोजित करेगा।

मलेशिया की उस फर्म को दिवालिया घोषित किया जाना जिसके साथ ताड़ का तेल खरीदने के लिए राज्य व्यापार निगम ने करार किया था

9383. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम मलेशिया की उस फर्म द्वारा स्वयं को दिवालिया घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप काफी बड़ी धनराशि खोने वाला है, जिस के साथ इसने ताड़ तेल खरीदने का ठेका किया था ;

(ख) उक्त राशि की क्षति पूर्ति करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने अकेली फर्म के साथ ताड़ तेल की सप्लाई करने का बड़ा ठेका किन कारणों से किया ; और

(घ) इसका अब ताड़-तेल की खरीद के लिए किन अन्य स्रोतों का पता लगाने का विचार है और ताड़-तेल की कुल 30,000 टन की मात्रा पर मूल्य में क्या सम्भावित अन्तर होगा ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम ने 30,000 मे० टन ताड के तेल की सप्लाई के लिये

किसी विदेशी फर्म के साथ किसी सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। तथापि, मैसर्स पाम एंड वेजिटेबल ग्रायल नामक मलयेशियाई फर्म से राज्य व्यापार निगम द्वारा अपरिष्कृत ताड़ के तेल के लिए तीन पृथक खरीद सौदे किये गये हैं जो इस प्रकार हैं —

(i) 10,000 मे० टन दिसम्बर, 1977 में पोत लदान के लिए।

(ii) 5,000 मे० टन फरवरी, 1978 में पोत लदान के लिए।

(iii) 5,000 मे० टन मार्च, 1978 में पोत लदान के लिए।

साख पत्र दिसम्बर, 1977 के पोत लदान के लिए केवल 10,000 मे० टन के लिए खोला गया है। पार्टी के व्यतिक्रम को देखते हुए अन्य दो सौदों के लिए साख पत्र न खोलने का निश्चय किया गया है। फर्म राज्य व्यापार निगम की पंजीकृत पूर्तिकर्ता फर्म थी और उसने विगत में उसके साथ की गई संविदाओं को संतोषजनक रूप से पूरा किया। उपर्युक्त संविदाएं फर्म के साथ राज्य व्यापार निगम की विश्वव्यापी प्रस्ताव मांगने की सामान्य खरीद प्रक्रिया के आधार पर की गई थी । राज्य व्यापार निगम ऐसे सौदों पर लागू होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों के उपबन्धों के अनुसार इस मामले को विवाचन के लिए ले जा रहा है। राज्य व्यापार निगम के पास ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है कि फर्म ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है।

इस फर्म के साथ संविदा करने के बाद राज्य व्यापार निगम ने मैसर्स फेलडा से, जो मलयेशियाई सरकार की कम्पनी है, फरवरी, 1978 से लेकर जनवरी, 1979 तक की अवधि में दीर्घावधि आधार पर 60,000 मे० टन अपरिष्कृत ताड़ तेल की खरीद को अंतिम रूप दिया है। जिस पार्टी ने व्यतिक्रम किया है उससे जिन कीमतों पर खरीद की गई थी, उनके मुकाबले राज्य व्यापार निगम को शुद्ध लाभ हुआ है। इसके अलावा ऐसी कोई खरीद ऊंचे दरों पर नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम को हानि हुई हो।

संयुक्त उपक्रम की संभावनाओं का पता लगाने के लिए वार्ता करने हेतु कनाडा से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

9384. श्री जनार्दन पुजारी
श्री यशवन्त बोरोले
श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1978 में कनाडा से कोई व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आया था और संयुक्त उपक्रमों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) कनाडा के प्रतिनिधिमण्डल ने, जिसमें बस्तुतः कनाडा के व्यापार विभाग के विपणन अधिकारी थे, भारत सरकार के विभिन्न विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों

से वार्ताएं कीं। इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप, औद्योगिक सहयोग तथा तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने की संभावनाओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने तथा कार्यवाही करने के केन्द्र बिन्दुओं का पता लगाया गया है। इन केन्द्र बिन्दुओं के माध्यम से इन वार्ताओं के अनुसरण में सम्बन्धित पार्टियां और आगे कार्यवाही करेंगी।

एयर इंडिया द्वारा समूचे विश्व में विभिन्न मार्गों पर अपनी उड़ानें किया जाना

9385. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया द्वारा समूचे विश्व में कितने मार्गों पर उड़ानें की जाती हैं;

(ख) कितने मार्ग अलाभप्रद हैं;

(ग) इन अलाभप्रद मार्गों पर विमान चलाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल ही में कुछ नई उड़ानें शुरू करने के लिए ब्रिटिश एयरवेज के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 1977-78 के दौरान, एयर इंडिया ने अपने विश्व-व्यापी मार्ग तन्त्र पर 14 मार्गों पर परिचालन किया, जिनमें दो मार्गों पर फ्रेटर विमानों के परिचालन भी सम्मिलित थे।

(ख) और (ग) : एयर इंडिया द्वारा अप्रैल, 1977 से अक्तूबर, 1977 तक परिचालित किया गया केवल मात्र भारत-बैंकाक मार्ग ही अलाभकारी साबित हुआ और उसे नवम्बर, 1977 से बन्द कर दिया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा सरकार को आबंटित धनराशि

9386. श्री प्रद्युमन बल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान उड़ीसा सरकार के लिए नियत धनराशि को विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि दी है; और उड़ीसा सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है?

वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल (क) और (ख) : राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आबंटन एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में समग्र राज्य आयोजना के लिए किया जाता है और विकास, परियोजना अथवा विभाग के किसी विशेष क्षेत्र से इसका संबंध नहीं होता। 1977-78 के लिए उड़ीसा के वार्षिक आयोजनागत परिव्यय से संबंधित रकम 163.67 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें बाढ़ संबंधी राहत का अतिरिक्त परि-

व्यय शामिल है। इस परिव्यय का वित्त पोषण करने के लिए 83.52 करोड़ रुपये की रकम की केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई थी। राज्य सरकार ने 164.69 करोड़ रुपये के प्रत्याशित व्यय की सूचना दी। व्यय के परीक्षित आंकड़ों के मिलने पर समायोजन की शर्त के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को अनन्तिम रूप में 82.25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

डालमिया डेरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर आयकर की बकाया राशि की वसूली

9387. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आय कर प्राधिकारियों ने 25 जनवरी, 1978 को डालमिया डेरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर आयकर की बकाया राशि बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली से जबरदस्ती वसूल की;

(ख) क्या आयकर प्राधिकारियों के दबाव के कारण बैंक ने यू० के० में कम्पनी के लेखे से राशि अन्तरित की और बैंक के काम करने के समय के खत्म हो जाने के बाद 25 जनवरी, 1978 की शाम को आयकर प्राधिकारियों को इस राशि का भुगतान किया गया था;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा, जिसने इस मामले में कम्पनी द्वारा दायर की गई अपील के निपटान के लिए 27 जनवरी, 1978 निर्धारित की थी, किसी प्रतिकूल निर्णय से बचने के लिए यह कार्यवाही की गई थी; और

(घ) इस मामले की जांच-पड़ताल करने और आयकर विभाग तथा बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) कर-निर्धारण वर्ष 1964-65, 1965-66 तथा 1973-74 के लिए कर की मांग की बकाया के सम्बन्ध में मैसर्स डालमिया डेयरी इण्डस्ट्रीज लि० ने 42.52 लाख रु० की रकम की अदायगी के लिए बैंक आफ इंडिया, जनपथ शाखा, नई दिल्ली से एक गारंटी दी थी। बैंक ने यह गारंटी कम्पनी के विशेष अनुरोध पर दी थी, जिसके लिए बैंक ने अपनी लन्दन स्थित शाखा में कम्पनी के जमा-खाते में तदनुरूपी रकम पर धारणाधिकार निश्चित किया था। कम्पनी ने निश्चित समय के भीतर रकम अदा नहीं की, इसलिए आयकर अधिकारी ने 25 जनवरी 1978 को बैंक को कहा कि वह गारंटी के अधीन अपने दायित्व को निभाये। बैंक ने सामान्य कारोबार के तहत 25 जनवरी 1978 को सरकार के खाते में 42.52 लाख रु० जमा कर दिये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) ऊपर भाग (क), (ख) तथा (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग तथा बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों की वित्तीय स्थिति

9388. **श्री अण्णा साहिब गोटखिडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा कि करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977–78 में बिहार, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने अपना काम चलाने के लिए केन्द्र से 700 करोड़ रुपये की राशि के ऋण तथा अनुदानों की मांग की थी; और

(ख) यदि हां तो, इस बारे में राज्यवार पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वार्षिक योजना 1977–78 को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद, कर सम्बन्धी रियायतों और कर्मचारियों को राहत की मंजूरी देने, अतिरिक्त आयोजना-भिन्न वित्तीय दायित्वों का भार लेने तथा अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में कमी होने जैसे विभिन्न कारणों से इन राज्यों के संसाधनों में गम्भीर क्षय हो गया था । इन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह अनुमान लगाया गया कि 1977–78 के लिए आयोजना परिव्यय का वित्त पोषण करने के लिए उनके संसाधनों में 650 करोड़ रुपये के अन्तराल के होने की आशा थी। इन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से न केवल संसाधनों में अन्तराल को पूरा करने के लिये बल्कि विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भी अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया।

(ख) संसाधनों में आये अन्तराल को पूरा करने के लिए 1977–78 में उपर्युक्त राज्यों को अग्रिम आयोजनागत सहायता की निम्नलिखित राशियां दी गई थीं :—

राज्य	संसाधनों में अन्तराल को पूरा करने के लिए 1977–78 में दी गई अग्रिम आयोजनागत सहायता
	(करोड़ रुपये)
1. बिहार	19.50
2. गुजरात	9.50
3. हरियाणा	15.50
4. राजस्थान	23.00
5. मध्य प्रदेश	6.00
6. उड़ीसा	29.50
7. उत्तर प्रदेश	102.50

इन राज्यों को, किफायत करने और वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन करने तथा अपने प्रयत्नों द्वारा शेष अन्तराल को पूरा करने के लिए कहा गया था।

IMPLEMENTATION OF PILLAI COMMITTEE RECOMMENDATIONS

9389. SHRI ANANT RAM JAISWAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether nationalised banks have failed to implement the recommendations of Pillai Committee on standard pay scales of Bank employees;

(b) the name of those banks which have implemented the recommendations of Pillai Committee;

(c) whether Government are considering making some changes in this recommendation; and

(d) the time by which this recommendation is likely to be implemented by all nationalised banks ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL) : (a) No, Sir. Steps are being taken to implement the Report by nationalised banks.

(b) Indian Bank, Indian Overseas Bank and Bank of Maharashtra.

(c) Some changes suggested in February, 1977 by a Study Group of Bankers have already been accepted by Government. No other changes at present are under consideration.

(d) Steps are being taken by Indian Banks Association, in consultation with the remaining 11 nationalised banks, so that these banks implement the recommendations as quickly as possible.

रंगीन फिल्मों के लिए कच्चे माल का आयात

9390. श्री गणनाथ प्रधान : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फिल्म-निर्माताओं ने भारत में रंगीन फिल्में बनाने के लिए कितनी मात्रा में रंगीन कच्चा माल आयात किया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से कितनी और कौन-कौन सी रंगीन फिल्में निर्यात की गईं और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) रंगीन फिल्मों के लिए कच्चे माल का आयात बन्द करने और उसे स्वदेशी स्रोतों से उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) रंगीन फिल्मों के कच्चे माल का आयात फिल्म वित्त निगम के माध्यम से मार्गीकृत है। 1975–76, 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान आयात किये गये रोलों (निगेटिव तथा पोजिटिव) की संख्या क्रमशः 1,94,600, 2,12,400 तथा 2,13,300 थी।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) घरेलू आवश्यकताओं के प्रमुख भाग की पूर्ति आयातित जम्बो रोलों से हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि० के उत्पादन द्वारा की गई है। यह सरकारी क्षेत्र की कम्पनी इस प्रकार के कच्चे माल के विनिर्माण की संभाव्यताओं का भी पता लगा रही है।

निर्यात और आयात

9391. श्री एस० आर० दामाणी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष की अंतिम तिमाही सामान्यतया निर्यात और आयात के लिये अत्यधिक कार्य वाली अवधि होती है;

(ख) 1 जनवरी से 31 मार्च, 1978 तक देश से किये गये निर्यात और देश में किये गये आयात के आंकड़े क्या हैं और गत दो वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुई प्रत्येक तिमाही के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1977–78 को अंतिम तिमाही में निर्यात में गिरावट आने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां।

(ख) 1977–78 (अर्थात् जनवरी-मार्च, 1978) की विगत तिमाही के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

तिमाही	निर्यात	आयात
	(करोड़ रु०)	(करोड़ रु०)
जनवरी-मार्च, 1976	1328	1354
जनवरी-मार्च, 1977	1510	1302

(ग) अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित विदेश व्यापार की तिमाही प्रवृत्ति नीचे दर्शायी जाती है :—

तिमाही	निर्यात	आयात
	(करोड़ रु०)	(कराड़ रुपये)
अप्रैल-जून, 1977	1224	978
जुलाई-सितम्बर, 1977	1361	1438
अक्तूबर-दिसम्बर, 1977	1367	1502

(घ) वर्ष 1977–78 के दौरान निर्यातों की वृद्धि दर विभिन्न कारणों से धीमी रही है, जैसे विश्व बाजार में मन्दी, विकसित देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षणात्मक नीतियां, डालर के मूल्य में गिरावट तथा आम खपत की कतिपय मदों के मामले में सरकार की यह सुविचरित नीति कि घरेलू बाजार के हित में अपने निर्यातों का विनियमन किया जाए।

11—222 LSS/78

कृषि आय को प्रत्यक्ष कराधान के अन्तर्गत लाना

9392. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कृषि आय को प्रत्यक्ष कराधान के अन्तर्गत लाने के लिए फिर से विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया गया है और उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) पंचवर्षीय आयोजना 1978–83 के प्रारूप में यह बताया गया है कि विभिन्न किस्म के कृषि तथा ग्रामीण निर्माण कार्यों में किये जाने वाले प्रस्तावित भारी निवेशों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी क्षेत्र में पुन निवेश करने के लिए वर्धित ग्रामीण आय के एक अंश को वसूल करने के लिए अब तत्पर प्रयत्न करने चाहिएं। आगे यह बताया गया है कि ग्रामीण परिसम्पत्तियों (विशेष कर के भूमि) के असमान वितरण के प्रमाण को ध्यान में रखते हुए, इसको करने का न्यायोचित तरीका कृषि आय पर अथवा भू-राजस्व पर क्रमिक अधिभारों के संबंध में करों के उपयुक्त रूप से बनाए गए ढांचे के माध्यम से होगा। आयोजना का प्रारूप राज्यों को परिचालित किया गया था और इस पर 18 तथा 19 मार्च, 1978 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। यह सहमति हुई कि प्रारूप के विवरणों, विशेष करके राज्य की आयोजनाओं तथा संबंधित मामलों के बारे में योजना आयोग राज्यों के साथ विचार विमर्श करेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा आयकर का भुगतान

9393. **श्री मनोहर लाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व मंत्री के मामले में आयकर, अग्रिम कर और अनिवार्य जमा योजना के सम्बन्ध में विवरण विलम्ब से प्रस्तुत करने पर आयकर अधिनियम, धन-कर अधिनियम और कानून के अन्य उपबंधों के अधीन दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि भूतपूर्व मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिन्होंने वास्तव में वर्ष 1974–75 से 1977–78 तक के विवरण 4 जुलाई, 1977 को प्रस्तुत किये थे; और

(ख) तथ्यों का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) तथा (ख) श्री कमलापति त्रिपाठी ने कर-निर्धारण वर्ष 1974–75 से 1977–78 तक की आय की विवरणियां "व्यष्टि" की हैसियत में 4-7-77 को दाखिल कीं।

कर-निर्धारण वर्ष 1975–76 के कर का निर्धारण हो चुका है, जिससे नतीजे में कर की वापसी होनी है। इसलिए विवरणी दाखिल करने में विलम्ब के लिए कोई दण्ड नहीं लगना था। लेकिन, अनिवार्य जमा की रकम अदा नहीं की थी, इसके लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कर-निर्धारण वर्ष 1974–75 की विवरणी निर्धारित समय के बाद दाखिल की गई है, इसलिए कर-निर्धारण की कार्यवाही शुरू करते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अधीन एक नोटिस जारी किया गया है। कर-निर्धारण वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 के कर-निर्धारण अभी होने हैं। सम्बन्धित कर-निर्धारणों की कार्यवाही को पूरा करते समय इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या कोई दण्ड कानूनन लगता है।

केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के इन्स्पैक्टरों से ज्ञापन

9394. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के उन इंस्पैक्टरों में भारी असंतोष व्याप्त है जो 25 वर्षों से अधिक समय से इन्स्पैक्टर के संवर्ग में काम कर रहे हैं।

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के इंस्पैक्टरों ने 2 जनवरी, 1978 से 7 जनवरी, 1978 तक काले बिल्ले लगाकर, जिस पर उनकी मांगें दी गई थीं, "मांग सप्ताह" मनाया था और अपने-अपने कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है और उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिए निकट भविष्य में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के किसी निरीक्षक को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधीक्षक (समूह-ख) के रूप में पदोन्नति हेतु पैनल में आने में जो समय लगता है वह इस समय विभिन्न समाहर्तालियों में कोई $19\frac{1}{2}$ वर्ष से 31 वर्ष तक के बीच है। केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के निरीक्षकों में इस वजह से कुछ असन्तोष है, विशेषकर उन समाहर्तालियों में जिनमें पदोन्नति में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है।

(ख) जी, हां।

(ग) निरीक्षकों में पदोन्नतिरोध समाप्त करने में जो उपाय कुछ हद तक सहायक सिद्ध हुआ है, वह है—स्व-निकासी कार्यविधि (समीक्षा) समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के कार्यान्वियन के लिए पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (समूह-ख) के पद मंजूर करने का सरकार का निर्णय। इन पदों में से 545 पद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षकों की पदोन्नति करके पहले ही भरे जा चुके हैं तथा अन्य 383 पदों को भरने का प्रस्ताव है। निरीक्षकों और उनके महासंघ की दरख्वास्तों के आधार पर सरकार द्वारा जो एक अन्य उपाय किया गया है, वह यह है कि अधीक्षकों (समूह-ख) के अतिरिक्त पदों के 30 प्रतिशत पदों को सीमित प्रतियोगी परीक्षा के जरिये भरने का विचार छोड़ दिया गया है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के अधीन निदेशालयों में प्रतिनियुक्ति पर विशेष वेतन के मामले में सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के अधिकारियों के बीच भेद-भाव हटाना, एक अन्य उपाय है।

उपर्युक्त से देखा जाएगा कि सरकार, अपेक्षित हमदर्दी के साथ निरीक्षकों की शिकायतों पर विचार करती रही है और जहां कहीं संभव हुआ है उपचारी उपाय करती रही है।

REPRESENTATION FROM SARDAR VALLABHBHAI PATEL SUGAR INDUSTRIES COOPERATIVE SOCIETY LTD., DHORAJI, (GUJARAT)

9395. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4350 on 16th December, 1977 and state:

(a) whether it is a fact that Sardar Vallabhbhai Patel Sugar Industries Cooperative Society Ltd., Dhoraji, District Rajkot, Gujarat has again sent a representation supported by arguments and facts to the National Cooperative Development Corporation, New Delhi on 21st January, 1978 for grant of a loan of Rs. 2 crore, free of interest or on a lower rate of interest, for the development and functioning of the sugar mill;

(b) if so, the salient feature of the representation;

(c) whether it has been mentioned in the representation that in the event of the closure of the sugar mill, there will be loss on six counts and if so, the nature of these 6 counts; and

(d) the action taken so far or proposed to be taken in regard to the demands referred to in para (a) above and when and how?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI K. K. GOYAL): (a) Yes, Sir.

(b) In its representation to the National Cooperative Development Corporation (NCDC), the Society has stressed that:

(i) since during the last two years there has been a good rainfall, drought is not feared for at least 2 more years and adequate water would be available for sugarcane irrigation;

(ii) presently the Khandsari units surrounding the factory cannot stand as competitors as 30% of these units are sick and the Society is paying Rs. 141 per tonne of sugarcane as against Rs. 110 being paid by the khandsari units; and

(iii) the economics of the sugar mill has since been revised on the basis of the comments received from the NCDC.

(c) The repercussions in the event of the closure of the sugar mill have been indicated as under:—

(i) at least 1000 workers would be rendered jobless;

(ii) Government of India would lose nearly Rs. 60 lakhs annually otherwise accruing as Excise Duty;

(iii) State Government of Gujarat would lose every year about Rs. 12 lakhs on account of purchase tax on sugarcane;

(iv) thousands of farmers would lose large sums of money on account of low price of sugarcane supplied to Khandsari units;

(v) large quantity of sugarcane would be diverted to gur (jaggery) manufacturing. Farmers would not then be able to realise even the bare cost of production of sugarcane and they would be totally ruined; and

(vi) there would be loss of production of lakhs of quintals of sugar to the nation.

(d) The matter was referred by the NCDC to the Government of Gujarat. The State Government have decided to appoint a Committee to examine the various difficulties faced by the sugar mill and submit its report within a period of 6 months. On receipt of the report, final decision in regard to the future of the sugar mill would be taken by the State Government. The request for financial assistance to the sugar mill through the State Government would be considered by the NCDC only on receipt of the recommendations of the State Government based on the said report.

PAYMENT OF MONEY BY GOVERNMENT AS SUBSIDY

9396. SHRI JASWANT BOROLE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the total amount of money which the Government had to pay as subsidies on different counts in the last one year;

(b) what are the various areas where subsidies are given and the reasons for the same; and

(c) whether there are certain areas where subsidies have come to stay and rather have increasing trends and the action that is being considered to reduce the same?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H. M. PATEL): (a) & (b) Information about the subsidies given by Central Government is available in the Annual Budget Documents of the Central Government and Railways.

(c) Not all subsidies have shown increasing trends. It is the Government's policy to review all subsidies and to reduce them progressively. In doing so, the effects of such economies on commodity prices and the cost of living would be borne in mind.

भारत से निर्यातकों को निदेशिका में सम्मिलित निर्यातक

9397. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निर्यात संगठन महासंघ द्वारा प्रकाशित भारत के निर्यातकों की निदेशिका (डायरेक्टरी) में कितने निर्यातक सम्मिलित किये गये हैं और इस निदेशिका में नाम शामिल करने का आधार क्या है और इस में शामिल निर्यातकों में कितने व्यापारी, लघु उद्योग और बड़े उद्योग हैं;

(ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी की गई डायरेक्टरी आफ एक्सपोर्ट्स (निर्यातक-निदेशिका) में शामिल निर्यातकों [दिनांक 17-3-78 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3414 के भाग (ग) के उत्तर के अनुसार] में से पहली और तीसरी योजनाओं के अन्त में और 1-1-78 को कितनी (एक) भारतीय फर्में (दो) विदेशी फर्में (तीन) व्यापारी (चार) लघु उद्योग (पांच) बड़े उद्योग थे; और

(ग) दिनांक 17-3-78 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3414 के भाग (ङ) के उत्तर में जिस जानकारी को सभा पटल पर रखने का वचन दिया गया था, उसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ़ बेग) : (क) भारतीय निर्यात संगठन फैडरेशन की "एक्सपोर्ट्स फ्राम इंडिया" डायरेक्टरी के नवीनतम संस्करण में शामिल किये गये निर्यातकों की कुल संख्या 1189 है।

भारतीय निर्यात संगठन फैडरेशन की डायरेक्टरी में शामिल की गई निर्यातक फर्मों में (1) भारतीय निर्यात संगठन फैडरेशन (एफ० आई० ई० ओ०) के सदस्यों अथवा भारतीय निर्यात संगठन फैडरेशन के घटकों के सदस्यों तथा (2) निर्दिष्ट फीस के भुगतान पर सदस्य बनने की इच्छुक फर्मों के नाम हैं।

डायरेक्टरी में नामों का वर्गीकरण व्यापारी लघु उद्योगों के आधार पर नहीं किया जाता है।

(ख) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन विभाग यह जानकारी नहीं रखता।

(ग) 1-1-1978 को मान्यताप्राप्त निर्यात सदनों में व्यापारी निर्यातकों, विनिर्माता निर्यातकों तथा लघु उद्योग एककों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूनाइटिड कर्मशियल बैंक के चेयरमैन पर आरोप

9398. **श्री विजय कुमार मण्डल**
श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मार्च, 1975 के हिन्दी साप्ताहिक 'पांच जन्य' में यूनाइटिड कर्मशियल बैंक के चेयरमैन के विरुद्ध छपे आरोपों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उसी अवधि में कई संसद सदस्यों ने यूनाइटेड कर्मशियल बैंक के चेयरमैन के विरुद्ध कुछ आरोप तत्कालीन प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को दिये थे;

(ग) क्या उन आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार अब कोई जांच करने का है;

(च) क्या यह सच है कि इन सब आरोपों के बावजूद उक्त बैंक के चेयरमैन की 1 अप्रैल, 1975 से तीन वर्ष के लिए सेवावधि बढ़ाई गई थी;

(छ) क्या सेवावधि में यह वृद्धि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कुछ राजनीतिक नेताओं की सिफारिश पर की गई थी; और

(ज) यदि हां, तो सरकार का इस अनियमितता को अब कैसे दूर करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) से (ङ) : सरकार ने, माननीय सदस्य द्वारा जिक्र किए गए समाचार को देखा है। उस अवधि के दौरान, यूनाइटेड कर्मशियल बैंक के अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ आरोप, सरकार के ध्यान में लाए गये थे। इन आरोपों की जांच की गई थी और उन्हें निराधार पाया गया।

(च) से (ज) 1 अप्रैल, 1975 से, केन्द्रीय सरकार ने कानूनी उपबन्धों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के बाद, श्री वी० आर० देसाई को पुनः यूनाइटेड कर्मशियल बैंक का अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया था।

भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम को विदेशों से प्राप्त क्रयादेश

9399. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे डीजल इंजन वर्कशाप में निर्मित डीजल इंजनों की सप्लाई के लिए भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम को वर्ष 1976–77 और 1977–78 में जिन देशों से क्रयादेश प्राप्त हुए, उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन देशों में से प्रत्येक देश को कितने इंजन सप्लाई किये गये?

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) :

(क) तथा (ख) 1976–77 तथा 1977–78 के दौरान किसी भी देश ने भारतीय रेलवेज द्वारा विनिर्मित डीजल इंजनों की सप्लाई के लिए भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम को कोई आर्डर नहीं दिया। भारतीय रेलवेज द्वारा विनिर्मित 15 डीजल विद्युत रेल इंजनों की सप्लाई के लिए एक संविदा सितम्बर, 1975 में तंजानिया के साथ की गई थी। इस संविदा के आधार पर तंजानिया को की गई सुपुर्दगियां निम्नोक्त प्रकार हैं :

1975–76	दो अदद
1976–77	चार अदद
1977–78	नौ अदद

राष्ट्रीयकृत बैंकों केचेयरमैनों की पदावधि

9400. श्री धीरेन्द्रनाथ बसु
श्री के० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ ऐसे चेयरमैनों की पदावधि या तो पहले ही समाप्त हो चुकी है या शीघ्र ही समाप्त होने वाली है जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात करने, भाई भतीजावाद तथा कुप्रशासन के लिए मुकदमे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे चेयरमैनों के नाम क्या हैं और सम्बद्ध बैंक कौन-कौन से हैं; और

(ग) गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैनों की सेवावधि बार-बार बढ़ाये जाने के बारे में सरकार की नीति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1978 से 30 जून, 1978 की अवधि के दौरान निम्नलिखित गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों की सेवावधि समाप्त हो चुकी है या होने की आशा है :—

1. श्री के० एस० एन० आडीगा .	कर्नाटक बैंक लि०
2. श्री के० सी० जैन .	नैनीताल बैंक लि०
3. श्री सुन्दर राम शेट्टी .	विजया बैंक लि०
4. श्री इन्द्रजीत सिंह .	पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि०
5. श्री डी० वर्धमानन	लक्ष्मी विलास बैंक लि०

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद तथा कुप्रशासन के बारे में उसे समय समय पर, सभी गैर-सरकारी बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं तथा उनकी जांच की जाती हैं।

(ग) गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्षों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति निजी निदेशक बोर्ड द्वारा की जाती है। कानून के अनुसार, प्रत्येक नियुक्ति के लिए रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार के अनुमोदन की स्वीकृति देने से पहले, रिजर्व बैंक सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करता है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं नियम 222 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैंने अब यह कहा था कि डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र, शिक्षा मंत्री ने यह कह कर सदन को गुमहराह किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्वरूप को पुनः बनाने की मांग नहीं हैं ......।

अध्यक्ष महोदय : आप मामले रहे तथ्यों की बात कर हैं। मैंने इस मामले पर अभी विचार नहीं किया है अतः आप इसे यहां नहीं उठा सकते।

श्री बनतवाला : मैं इस मामले को नियम 222 के अन्तर्गत उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं अनुमति न दूं, आप इस मामले को नियम 222 के अन्तर्गत नहीं उठा सकते। मैं यह विनिर्णय दे रहा हूं कि आप इस मामले को उठा नहीं सकते ..... **(व्यवधान)****

सभा पटल पर रखे गये पत्र
Papers Laid on the Table

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं श्री एच० एम० पटेल की ओर से करों की बकाया राशि को वसूल करने के उपायों के बारे में श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के तारांकित प्रश्न संख्या 66 के अनुपूरक प्रश्न के 24 फरवरी, 1978 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने तथा (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल. टी० संख्या 2232/78

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) क अन्तर्गत चाय (व्यापारियों का पंजीकरण तथा स्टाक की घोषणा) आदेश, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 271 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 2233/78

(2) भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० संख्या 2234/78

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID *on the Table.*

सभा पटल पव रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्र सम्बधी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले
Matters Under Rule 377

(i) *Central Sponsored Rural Link Roads Scheme*

DR. LAXMI NARAIN PANDEYA (Mandsaur) : Mr. Speaker Sir, I want your permission to raise this important subject under rule 377. Government have started rural link roads scheme for 1977-78. But it is matter of regret that the Central Government have refused to give further grants for the scheme. This has created difficulties for the state Government. The Central Government have issued directive that this scheme should be undertaken by the Public Work Departments of the respective State Governments. But these departments have their own works. Therefore, it is not justified to entrust the responsibility of the rural link road to the Public works Departments of the respective State Governments. Though the Central Government have given concession that the allocations for the year 1977-78 could be utilised upto June, 1978 but that does not solve the problem.

Due to the decision of the Central Government, there is a danger that the construction work already undertaken will not be completed. It is, therefore, imperative that the Central Government reconsider the decision, and the Agriculture Minister will give a statement announcing that the scheme of rural link roads will be implemented properly.

(ii) *Reported Sharp Fall in price of Short Staple Cotton in Gujarat.*

SHRI MOTI BHAI R. CHAUDHARY (Banas Kantha) : Some fifteen days ago. I wanted to raise a matter under rule 377. I want to raise this matter now with your permission.

अध्यक्ष महोदय : मैं ने आपको पिछले सप्ताह यह मामला उठाने की अनुमति दी थी किन्तु आप अनुपस्थित थे। अब आप हमें इसके लिये दोष नहीं दे सकते।

SHRI MOTI BHAI R. CHAUDHARY : That was about cement. That was not about cotton. I gave you in writing about my absence on 2nd May—and I requested you to permit me to raise the matter on 3rd June. This matter is about cotton. Due to fall in prices of short special cotton in Gujarat, the products of the farmers are not being sold and the farmers are put to heavy economic loss. Therefore, Government should stop forwith the import of viscose fibre or the cotton corporation should purchase the products from the farmers at fair price so that they do not suffer economic loss.

इन्स्ट्रूमेंटेश लिमिटेड के कर्मचारियों हड़ताल के द्वारा समाचार

श्री ए० के० राय (धनबाद) **:** मैं सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार की संस्था इन्स्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड में 46 कुशल श्रमिक तथा तकनीशनों ने हड़ताल कर दी है और 10-4-78 से भूख हड़ताल पर हैं क्योंकि वहां तीन साल से अधिक अवधि से कार्य कर रहे 30 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है। यह छंटनी का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सारे देश में इस संस्था में काम है और इस संस्था का सारे देश में विस्तार हो रहा है और यह व्यक्ति नौकरी के लिये कहीं भी जाने को तैयार हैं। यदि इस सम्बन्ध में कुछ न किया गया तो यह विरोध इस संस्था के अन्य स्थानों पर भी फैलने की आशंका है। अतः सरकार को मामले में शीघ्र ही हस्तक्षेप

करके छंटनी ग्रादेश वापस लेने की चाहिये ग्रौर भूख हड़ताल से उत्पन्न संकट का समाधान करना चाहिये।

गंगा प्रिंटिंग इंक फैक्टरी लिमिटेड, हावड़ा, (पश्चिमी बंगाल)

प्रो० दलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी ग्रनुमति से नियम 377 के ग्रन्तर्गत सरकार से ग्रनुरोध करता हूं कि वह गंजिस प्रीटिंग इन्क फैक्टरी लिमिटेड का प्रबंध ग्रपने हाथों ले लेवें। यह फैक्टरी पिछले सात महीनों से बन्द पड़ी है ग्रौर ग्रक्तूबर, 1977 से वहां के श्रमिकों को वेतन नहीं दिया गया। ग्रतः सरकार इस फैक्टरी को पुनः चालू करने के लिये ग्रावश्यक कदम उठाये।

(v) *Reports Deterioration in Law and Order situation in Delhi.*

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni) : Sir, I would like to draw the attention of the House as well as of the Government under Rule 377 towards the deteriorating position of law and order in Delhi. On 2-5-7 alone six cases of robbery were reported to Police. These robberies have been committed in important and densely populated Colonies.

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं ग्रापको ग्रापकी जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि विभिन्न दलों के नेताग्रों के साथ सलाह करने के बाद ऐसा निदेश दिया गया है कि जो सदस्य नियम 377 के ग्रधीन वक्तव्य देना चाहें वे केवल लिखित विवरण ही पढ़ेंगे . . . .

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मैं केवल इसका हिन्दी में ग्रनुवाद कर रहा हूं। यदि ग्राप कहें तो मैं इसे ग्रंग्रेजी में पढ़ देता हूं। These are not small incidents. These are of very serious nature. Proper action should be taken in this regard.

पंचवर्षीय योजना के प्रारूप 1978-83 के सम्बन्ध में प्रस्ताव

[Motion re. Draft Five Year Plan 1978-83].

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रब सभा श्री मोरार जी देसाई द्वारा 3 मई को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : ग्रध्यक्ष महोदय, हमेशा से यही परम्परा चली ग्रा रही है कि पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को ग्रंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से प्रारम्भिक बातचीत की जाती है। इस वर्ष जल्दी जल्दी में राज्य सरकारों के साथ प्रारम्भिक बातचीत नहीं की गई है। पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि भी एक वर्ष कम कर दी गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि योजना ग्रायोग इस वर्ष ऐसी योजना पेश कर रहा है जिससे देश में विद्यमान कई समस्याग्रों को हल किया जा सकेगा। योजना सम्बन्धी दस्तावेज को पढ़ने से मुझे खुशी हुई कि योजना ग्रायोग ने समस्याग्रों को समझ लिया है ग्रौर साथ ही उनको हल करने की सम्भावनाग्रों का पता लगा लिया है। किन्तु जब मैंने शेष दस्तवेजों को देखा तो मुझे बहुत निराशा हुई।

योजना ग्रायोग इस बात को स्वीकार करता है कि जो ग्रर्थव्यवस्था पिछले 27 वर्षों में स्थिर रही है ग्रब वह प्रगति करने लग गई है। हमने ग्रपने क्रियाकलापों का विविधीकरण कर लिया है। हमारे उद्योग के हर क्षेत्र में विकास हुग्रा है। हमारी विदेशी मुद्रा ग्रौर खाद्य

की स्थिति भी बहुत सुधर गई है । इस के बावजूद भी लोगों की हालत खराब होती जा रही है। यदि पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धनता की रेखा से रहने वाले लोगों की संख्या 40 प्रतिशत थी तो वह अब बढ़ कर 47 प्रतिशत हो गई है । प्रति व्यक्ति आय भी 1951 की तुलना में 1 रुपया कम हो गई है। कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के बावजद भी कृषि कर्मकार और किसान निर्धन होते चले जा रहे हैं । तथा भूमिहीन श्रमिकों की संख्या 19 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई है।

औद्योगिक क्षेत्र में भी श्रमिकों की मजदूरी कम हो गई है तथा उद्योगपतियों का लाभ और कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि हो गई है। अतः जब तक हम इस सारी प्रक्रिया को बदल नहीं देते तब तक कृषि क्षेत्र में चाहे कितना भी पूंजीनिवेश क्यों न कर दिया जाये निर्धनता को दूर नहीं कर सकते ।

जिन वित्तीय संसाधनों पर योजना आयोग निर्भर कर रहा है उनको देखने से पता चलता है कि देश की स्थिति सुधरने की बजाये और खराब होने वाली है । चाहे धनी लोगों से 1000 रुपये की आयकर की बकाया राशि की वसूली की जानी है पर सरकार उस पर निर्भर नहीं करती है । 24,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों के लिये सरकार 13,000 करोड़ रुपये के अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर करती है । इससे लोगों की क्रय शक्ति और कम होती जा रही है।

सरकार के लिये योजना हेतु संसाधन जुटाने का दूसरा तरीका यह है कि इस समय जो राजसहायता दी जा रही है उसे समाप्त कर दिया जाये, योजना के लिये संसाधनों का पता लगाने के लिये सरकार ने जो तरीके अपनाये हैं उनको उदार बनाया जाये तथा नये तरीकों का पता लगाया जाये। आवश्यक संसाधन जुटाने का एकमात्र तरीका यह है कि धनी लोगों से पैसा निकाला जाये ।

सीमित लोक वितरण प्रणाली के बावजूद लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है । हमें आवश्यक वस्तुओं के लिए एक समुचित वितरण प्रणाली बनानी चाहिए । इससे हम इस देश के गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें देश के भीतर के व्यापार का और देश के बाहर के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना होगा। इस के लिये हम सहकारी समितियों का उपयोग भी कर सकते हैं।

जहां तक मूल्यों और मजदूरी के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति का सम्बन्ध है जब तक हम उत्पादन के हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ाते तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती। अतः हमें इस बारे में समुचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

अब हमारे देश ने इतना विकास कर लिया है कि हम अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं करते। पूंजीपतियों ने हमारे विकास में योगदान दिया है मैं इस बात को समझता हूं परन्तु यदि अब हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें समाजवाद लाना होगा।

SHRI TEJ PRATAP SINGH (Hamirpur) : The party which has remained in power for thirty long years had made tall promises to the people but could not fulfil those promises. Now people have great expectations from this Government. All know that ours is a poor country and therefore the first object of our planning here will be that poverty be eradicated from our country and unemployment removed. The second object will be to see that the living standard of all is the same.

By going through the draft plan I have found that twenty per cent people in our rural areas are such who are able to consume only 9.5 per cent of the total consumption of consumer goods in the country. Our 25 to 30 person people are such who, what to say of balanced diet, do not get even adequate food. They are not in a position to meet even their basic necessities of life such clothes and houses. The persons who live in the slum areas of cities their position is no better than of that of such persons. For every kind of planning whether of the house or of the country three things are of primary importance—information, sincerity and infrastructure for implementation.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब दो बजे तक के लिये स्थगित होती है।

(इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock).

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा मध्याह्न पश्चात् दो बजे कर नौ मिनट पर पुनः समवेत हुई)।

(The Lok Sabha reassembled after lunch at nine minutes past fourteen of the clock).

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*

पंचवर्षीय योजना के प्रारूप 1978-83 के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION Re. DRAFT FIVE YEAR PLAN 1978-83—*Contd.*

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

SHRI TEJ PRATAP SINGH : I was saying that at the time of formulating a plan three main points should be kept in view. The first thing that we should know is as to what information is essential to meet our objectives. Then we should ensure that that information is actually collected. The second thing is that there should be full sincerity to achieve that objective. The third important point is that there should be infrastructure for its proper inplementation.

You will see that the funds allocated in the former plan for constructing dams were to the tune of six thousand crores but we have not been able to utilised it. Thus we should ensure that the funds allocated for a particular purpose do not remain unutilised.

The main aim before us is that there should be a fair distribution of income and that the gap between the rich and the poor should be bridged. But what are the views of our planners in this regard. At page 7 in the plan document they have stated that the trends in the distribution of income and wealth are difficult to discern. It is very strange that our planners do not know what are trends that are prevailing in the country. They do not know that the rich are becoming richer and the poor pooorer. How then they would be able to formulate a proper plan and meet our objectives ? In this way we will never be able to remove our difficulties.

There are figures in the plan document. It is clear from those figures that in rural areas 20 per cent people have only one per cent assets. In other wards they have only one per cent of the total amount i.e. they are very poor. There are four per cent people who have about 30 per cent assets. There is a big gap. But the planners still say that they are not aware of the trends. Therefore I feel that whatever growth rate we might achieve, unless there is fair distribution of our income our entire plan would be worth nothing.

The attention of Janata Government has gone towards rural areas. I think poverty can be removed from rural areas if two things are done properly. The first thing that we should ensure is that irrigational facilities are provided in villages to such an extent that the farmers could get irrigation water whenever they need and whatever quantity they want.

During 1950-51, 23 million hectares of land was irrigated. Then in 1976, 45 million hectares of land was irrigated. But there are thousand millions hectares of land where there is no provision for irrigation. In this plan document it has been stated that further provision will be made for irrigating 17 million hectares of land. This is good. But if we want to

make this country prosperous then we will have to provide irrigational facilities in the villages to the extent the villagers need them.

My second point is in regard to cottage industries. Thirty per cent people of rural areas are such who do not have any work to do. Thus we should take effective steps to ensure that cottage industries are developed speedily in rural areas so that none remains unemployed there.

In regard to agriculture there is one more point to be taken note of. We are using here chemical fertilisers. The result of these chemical fertilisers have been that the agriculture products are less tasty today. It should, therefore, be ensured that more use of chemical fertilisers does not convert our land into waste land.

In our country cattle waste is utilised as a fuel. We should therefore create alternative means of fuel. The cattle waste thus saved could be utilised as manure in increasing quantity. We should also try to utilise solar energy. Use of Gobar Gas plants should be propagated. Those plant are very costly. They should be made cheeper.

The lot of the farmers cannot be improved even though production is increased unless proper arrangements for marketing the same are made. Thus proper arrangements for marketing of agricultural products should be made. Efforts should also be made to remove intermediaries. Cooperative marketing societies should be encouraged and made successful. The allocation for cooperatives has been increased from Rs. 376 crores to Rs. 500 crores. This increase is too inadequate.

Last year there was a total export of Rs. 5000 crores. Our of this total export Cooperative sector made exports of Rs. 72 crores only. The remaining export remained in the hands of a few big business house. Thus the whole profit remained in the hands of a few people only. Government should take steps to see that the export trade does not remain in the hands of a few business houses and cooperative sector is encouraged in this field.

In our country many crore acres of land is unlevelled. Such a land is lying idle. It is not being utilised for agricultural purposs nor it is beng utlsed for forestration. All such land should be levelled and distributed among the landless. They will utilise it for agricultural purpose. Irrigation facilities should also be provided there.

It has been said that District Committees should be constituted for industries. But there is no use of such committees. Some powers should be vested in Block Committees and Village Panchayats. Unless there is public participation in planning its effective implementation wculd not take place.

We should set up industries as such places where raw material is available for them.

SHRI RAMJIWAN SINGH (Balia) : The debate on the draft plan is going on for the last two days. Some hon. Members have said that this draft plan has been prepared in haste and it should have been sent at village level or panchayat level. I am not one with them on this score. The Members are also not showing any interest in this debate. While it should have been better had the Members of the Planning Commission were present here to hear the views of the M.Ps.

The opposition claims that the progress that has been made hitherto is the result of efforts made by Congress regime. But the amount of loan that they had taken from 27 foreign countries till 31st December amounted to Rs. 10,41,600 crores. Not only that our place of production of steel in 1951, when the plan had just started, was 8th in the world but today it has gone down to 13th. In 1951 our trade was 2.1 per cent of the world trade which has reduced to 0.6 per cent in 1973 despite all these plans. When the Englishmen left they had left here Rs. 350 crores. But later on we lost efficiency as well as sincerity. Therefore, we cannot achieve any progress despite our plans. During the first five year plan we spent on irrigation Rs. 200 crores, during the 2nd Plan we spent Rs. 235 crores and during the third plan we spent Rs. 1152.3 crores, during the 4th plan we spent Rs. 2448 crores and during the fifth plan we spent Rs. 7293 crores. But we could not get required success in the field of generation of electricity.

Similarly, we could not get success in providing irrigation facilities and population control. Thus during 30 years of their regime the congress had emptied our treasure of honestry, sincerity and efficiency.

While formulating a plan it should be carefully seen as to what are the reasons on account of which the targets and objectives fixed in the previous plans could not be achieved and how they can be removed. This thing should also be kept in mind as to what are our problems and what action would be proper in our democratic system.

It is not necessary that we should make equal developments in all the fields at one time. First we should give priority to essential items and leave aside less important items. But we should see that the targets fixed for such item are achieved in full and within the prescribed limit.

After many years peaceful revolution has come in our country. We should therefore make use of this time. After 1967 it is now that people have shown interest in democratic set up. Thus we should try to solve our problems without any consideration for party affiliation we have to keep all the aspects inview. It is said that we have prepared the biggest plan and we have to spend huge amount thereon but the plan should not be considered the biggest one by seeing the amount of the plan. We have to set right the machinery through which the plan is to be implemented. I would therefore, like to say that responsibility should be fixed. The Santhanam Committee had also made certain suggestions. The chairman of the Administrative Reforms Commission had recommended that promotion should be made on the basis of efficiency instead of the length of service.

Demand is also made for nationalisation. We have adopted a mixed economy for our country. I admit that we have paid much attention towards public sector in our last four plans, and also spent huge amount thereon but thereafter private sector gained momentum. Today in the country and number of companies with a capital of Rs. 1 crore is about 370. Government purchase most of goods from private sector.

I would also like to make certain suggestions. My first suggestion is this that responsibility should be fixed. Government shauld popularise the plan. The information regarding the plan should be given to them for whom the plan has been prepared. There should be ceiling on expenditure. The production of luxurious goods should be stopped completely for a few years. Unemployment should be eradicated on the basis of 'one man one job'. It will help in solving this problem.

Bihar is rich in minerals. But Bihar is backward in respect of electricity, roads and education. The per capita expenditure incurred in Bihar is the lowest. Nationalised Banks have advanced lesser amount of loans in Bihar as compared to other States. Keeping these facts in view I will request the Government to provide maximum assistance to Bihar.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० एन० बसु आप 10 मिनट के भीतर अपनी बात कहें।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : योजना का यह प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस योजना प्रारूप में नौवहन और पत्तनों के विकास के लिये 625 करोड़ रुपये का प्रावधान 5 वर्षों के लिये किया गया है। परन्तु इसमें पत्तनवार ब्यौरे नहीं दिये गये हैं। कलकत्ता पत्तन और हल्दिया पत्तन की स्थिति गंगा के पानी के बहाव में कमी के कारण खराब है। पूर्वी क्षेत्र में वाणिज्य और उद्योग का विकास कलकत्ता पत्तन पर निर्भर करता है परन्तु पानी की नियमित सप्लाई में कमी के कारण स्टीमर और जलयान कलकत्ता पत्तन नहीं पहुंच सकते। सरकार को गंगा के पानी की सप्लाई में वृद्धि करनी चाहिये।

ऊर्जा के लिये प्रारूप योजना में बहुत कम राशि रखी गई है। बिजली पैदा करने के काम को सब से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये। बिजली की कमी के कारण बहुत से उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण केवल 50 से 60 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो पाता है। जहां तक कि सरकारी उपक्रमों की क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाता है हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का भी लगभग 50 प्रति क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। इस्पात संयंत्रों के कुछ अनुभाग तो बन्द कर दिये गये हैं। वहां केवल 30 से 40 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जाता है। यह सब बिजली की कमी के कारण ही हो रहा है। अतः बिजली के उत्पादन के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी चाहिये थी।

फरक्का तापीय विजलीघर काफी समय से काम नहीं कर रहा है। किन्तु प्रारूप योजना में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके लिये कोई धन नहीं रखा गया है।

बिजली न होने पर उद्योग कैसे चलेंगे यदि उद्योग नहीं चलेंगे तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। बिजली की कमी होने के कारण लाखों लोगों की छंटनी कर दी गई है जिस कारण बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाना असम्भव सा हो गया है। अतः बिजली के लिये अधिक धन जुटाया जाना चाहिये ताकि उद्योग अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें और कर्मचारियों की भी छंटनी करने की नौबत न आये। दो बर्ष तक हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन मुनाफे पर चल रहा था फिर अब इसे क्यों घाटा होने लग गया है? इसका कारण बिजली की कमी और कुप्रबन्ध ही है। अतः हमें इस समस्या को दूर करना होगा।

निरक्षरता को दूर करने के लिये पांच वर्ष के लिये केवल 200 करोड़ रुपये रखे गये हैं। दूसरे शब्दों में एक वर्ष के लिये केवल 40 करोड़ रुपया का उपबन्ध किया गया है। अभी भी 65 प्रतिशत लोग, अनपढ़ हैं। अतः निरक्षरता को दूर करने के लिये हमें कम से कम 1000 करोड़ रुपये का प्रबन्ध करना चाहिये था। सभी स्कूलों एवं कालेजों में शिक्षा कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। सभी गांवों में टेलीविजन और रेडियो सैटों का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इससे वहां के लोगों को कुछ तो शिक्षा मिल सकेगी। जब तक निरक्षरता दूर नहीं होती तब तक देश उन्नति कैसे कर सकता है।

प्रारूप योजना में पैट्रोलियम रसायन का उल्लेख तो किया गया है किन्तु हल्दिया में पैट्रोलियम रसायन कारखाना लगाने का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी क्या स्थिति है। उसमें इसके लिये धन जुटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

यह बड़ी खुशी की बात है कि ग्राम सुधार के लिये 40 प्रतिशत धन रखा गया है। किन्तु इसके लिये कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। फिर उसे कार्यान्वित कैसे किया जायेगा।

कृषि अनुसन्धान संस्थान में बहुत से उपकरण पड़े हैं जो बिक नहीं रहे हैं। इन उपकरणों को बेचने के लिये कोई विक्रय संवर्धन संगठन नहीं है। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिये। योजना दस्तावेज के साथ साथ परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक ढांचा भी तैयार किया जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल की मांगों पर भी विचार किया जाना चाहिये क्योंकि वह भी भारत का एक अंग है।

SHRIMATI KAMALA BAHUGUNA (Phulpur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it appears that the Draft Plan has been prepared in haste. It also appears that there are serious lacunae in it. I am not hesitant to say that it is vague and contains neither positive guidelines nor positive programmes. The most glaring defect in it is that there is no chapter on labour in it. Not only this, there is no indication in it as to how minimum wages of crores of agriculture workers in the country would be implemented. For this, mere legislation is not enough. How it will be implemented this should have been mentioned in the Plan. The lot of the agricultural labourers has not improved for the last thirty years. Keeping all these things in view I think a chapter on labour should be included in the Plan and positive effort must be indicated as to how the labour problem is going to b tackld in the years to come.

Another point is that the problem of women has been dealt with in a callous manner. The number of women in our country is fifty per cent. A slogan was raised that women should also take part in socio-economic development of the country. It is not that they are not taking part in it. About three crore women are working in factories, fields, mines and tea gardens. They are in services too. There is no mention in the plan as to how they will participate in the socio-economic development of the country in future. If we can engage this women force in cottage industries it will benefit the country. This is my firm conviction that if cottage industries are to be encourage in the villages then the only agency which can help them is the Panchayat. No other organisation can help them.

It appears from the plan that the same persons who have been getting the benefit of the plans for the last thirty years will now be getting the benefit. Even today thirty per cent of the people are possessing 82 p.c. of the country's wealth. The remaining seventy per cent people are in possession of 18 p.c. of the country's wealth. Out of 70 p.c. 30 p.c. persons are such who do not possess even 2 p.c. wealth. Therefore the question arises whether we would be able to improve the lot of small farmers, poor farmers and marginal farmers. Uptill now the benefits of the improved technology in agricuture have gone to 30 p.c. big farmers. Now we should make efforts to ensure that this benefit reaches the remaining seventy per cent small farmers. We must go by the greatest good for the greatest number.

I would also like to draw your attention towards animal husbandry. Proper attention should be paid towards animal husbandry.

What has been done for Harijans during the last thirty years is no enough. What we have done is not sufficient. We should have done more. A few jobs or some land here and there is not going to solve their problem. Serious attention has not been paid to these problems in the Plan. Therefore all these matters' should be carefully considered in the Plan. I may tell you that mere outlay is not going to achieve anything. Increase in production is also not going to keep much. What is more important is the distribution of production. We should also see that Harijans are not merely helped in economic field. They should also be properly educated.

Who are the persons to whom the benefit of commercial banks and cooperative banks is going. It is only the rich persons who are enjoying this benefit. If we want to help the Harijans and small farmers then we should ensure that the benefit of these commercial banks and cooperative banks goes to them.

I would also like to suggest that there should be a financial corporation in each State. This corporation will help them developed. It will provide assistance to them for their betterment. A federation of all these corporation should be made at the all-India level. This will help them to a great extent.

With these words I close my speech.

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं प्रधान मंत्री को शुकरिया अदा करता हूं और बधाई देता हूं कि वह हर सदस्य को सुनने के लिये यहां बैठे रहे हैं । उन्होंने दूसरों के लिये यह एक उदाहरण कायम कर दिया है। अब हमने यह देखना है कि योजना से हम अपने सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सके हैं या नहीं। योजना क्या है? योजना वास्तव में मानवीय एवं भौतिक राष्ट्रीय संसाधनों को लोगों के कल्याण के लिये जुटाने की एक प्रक्रिया है । यदि योजना का यही अभिप्राय है तो आओ देखें जब हमने यह सम्पूर्ण कार्यक्रम आरम्भ किया था हमारा लक्ष्य क्या था और हमें उसमें कहां तक सफलता मिली है। कांग्रेस सरकार ने समाजवादी दृष्टिकोण अपनाया था। ऐसा कोई विकासशील देश नहीं था जो इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था । हमने मिली जुली अर्थव्यवस्था इस लिये अपनाई थी ताकि चन्द एक लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोका जा सके। अब हमने देखना है कि क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाये हैं? मिली जुली अर्थव्यवस्था की संकल्पना का यह परिणाम निकला है कि अमीर तो और ज्यादा अमीर हो गया है तथा गरीब पहले से भी अधिक गरीब हो गया है। गरीबी के स्तर से नीचे स्तर पर जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या और ज्यादा हो गई है? इसका क्या कारण है? यह इस लिये हुआ है क्योंकि हमारे देश में पूंजीवाद का ढांचा बिगड़ता जा रहा है । उत्पादन आधिक्य कुछ लोगों के हाथ में ही है! हमारी सारी योजना का यही दुर्भाग्य रहा है । हमने जो प्रयास किये हैं उनसे तथा जो पूंजीनिवेश किया है उससे कुछ ही गृहों को सहायता मिली है। इस सभा में तथा इस योजना में यह बताया गया है कि 1958 में बीस गृहों की आस्तियां 650 करोड़ रुपये की थी जो 1978 में बढ़ कर 4,000 करोड़ रुपये की हो गई है। अत: मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक यह असमानता बाकी रहेगी तब तक हम चाहे कितना

ही पूंजी निवेश क्यों न करलें, योजनाओं में कितना अधिक धन क्यों न लगा दें, हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

यह भी बताया गया था कि सरकार अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर रही है। यह भी बताया गया था कि सरकार कृषि क्षेत्र में अधिक पूंजीनिवेश करेगी जिससे खेतिहर गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे संभव है क्योंकि पहले जो कुछ भी पूंजीनिवेश किया गया है वह कुछ ही ऐसे बड़े लोगों तक सीमित रहा है जिनके हाथ में व्यापार और पूंजी है। ये सब चीजें इसी प्रणाली में अन्तर्निहित हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष का कसूर नहीं है। यह तो इस प्रणाली का कसूर है। अतः मेरी प्रार्थना है कि जब तक हम इस प्रणाली को नहीं बदलेंगे तब तक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

यह कहना भी सही नहीं है कि सरकार कृषि पर अधिक पूंजीनिवेश कर रही है। यह बात सभी पंचवर्षीय योजनाओं को देखने से सिद्ध हो जाती है। प्रथम योजना से पांचवीं योजना तक कृषि पर कुल योजना परिव्यय का क्रमशः 14.8 प्रतिशत, 11.7 प्रतिशत, 12.7 प्रतिशत, 14.7 प्रतिशत और 11.8 प्रतिशत आबंटन किया गया था। अब हम 8600 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। जो कुल योजना परिव्यय का 12.4 प्रतिशत है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि हम कृषकों के लिए कोई असाधारण चीज कर रहे हैं। हम उनके लिये कोई असाधारण चीज नहीं कर रहे हैं।

हमारे देश में 1975 में अघोषित आय 20,000 करोड़ रुपये थी। अब यह और भी ज्यादा हो गई होगी। कराधान विधि (संशोधन) विधेयक सम्वन्धी प्रवर समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था। मुझे भी उस समिति का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका समाधान नहीं कर पाया है क्योंकि देश में कराधान ऐसी व्यवस्था है जिससे अधिशेष को समाप्त किया जाता है। यह पूंजीवाद ढांचे का एक अंग है। इससे देश में अधिशेष को समाप्त करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। अतः मैं एक और बात अर्ज करना चाहूंगा। योजना आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन व्यक्तियों की प्रतिमास आय 200 रुपये और 1000 रुपये के बीच है उनकी संख्या कुल संख्या की 1.71 प्रतिशत है। 1000 रुपये मासिक से अधिक आय वाले लोग केवल 0.4 प्रतिशत हैं। आपको पता ही है कि प्रतिमास 200 रुपये से कम आय वाला व्यक्ति, अपने जीवन की आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर सकता। अतः आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में कितनी असमानता है। हमारे देश नें संसाधनों या उत्पादन गतिविधियों या वितरण प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः हमारी ऐसी योजना से क्या लाभ यदि हम उत्पादन और वितरण इन दोनों मूलभूत आर्थिक प्रणालियों को नियमित नहीं कर सकते। अतः मेरा आप से निवेदन है कि आप इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। सरकार को मूलभूत ढांचे अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इससे ऐसी बुराईयां पैदा हो गई हैं जिन पर काबू नहीं पाया जा सकता। इससे काला धन और समान्तर अर्थव्यवस्था पनप रही है। योजना की सारी संकलपना ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्पादन और वितरण प्रणाली को नियमित किया जा सके। ऐसा लोकतंत्रीय प्रणाली के अन्तर्गत किया जा सकता है।

12—222LSS/78

1971–72 के आयकर सम्बन्धी आंकड़ों के अनुसार 21,09,108 निर्धारितियों में, जिनकी आय 20,000 रुपये से कम थी लगभग 17,45,078 थे तथा जिनकी आय 20,000, और 1,00,000 के बीच थी वे 3,35.988 थे। जिनकी आय 1,00,000 रुपये से अधिक थी। वे केवल 27,442 थे। यह बात भी रुचिकर है कि इन निर्धारितियों में जिनकी आय 1,00,000 से अधिक थी उन्होंने जो कर दिया है, वह कुल कर का 70 प्रतिशत भाग था अतः मेरा निवेदन है कि यदि सरकार इन असमानताओं को दूर करना चाहती है तो उसे योजन के सारे संकल्पनों को नियमित करना होगा।

इसी तरह से थोक तथा खुदरा व्यापारियों की भी विपणन गतिविधियां एक विपणन संगठन के अन्तर्गत लाई जानी चाहिये तथा इसे राष्ट्रीय अनुशासन का एक अंग बनाया जाये। प्रत्येक उत्पादन कार्य के लिये उत्पादन के तीनों प्रमुख अंगों का प्रबन्ध पर नियंत्रण होना चाहिये। ये तीनों अंग श्रमिक. वित्तीय संस्थायें और उद्यमी होते हैं। इन तीनों का उत्पादन पर समान नियंत्रण होना चाहिये। यदि प्रबन्ध बोर्ड में श्रमिकों और उद्यमियों का कानून समान अनुपात हो तब श्रमिकों को वास्तविक शेष को सम्बन्ध में धोखा नहीं दिया जा सकता। इसी तरह से वित्तीय संस्थाओं का सरकारी प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों के माल को बेचने के लिए भी कठिनाई होती है। अतः विपणन गतिविधियों को तभी नियमित किया जा सकता है जबकि केवल एक ही राष्ट्रीय विपणन संगठन हो। जब कि सरकार मांग और पूर्ति की सभा पर निर्भर करेगी तब तक वह देश के करोड़ों लोगों के कल्याण के लिये कोई योजना नहीं बना सकती है क्योंकि वह पूंजीवादी संकल्पना है। पूंजीपति नौकरशाहों से मिल कर समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रही है। वास्तव में शासन की बागडोर उनके हाथ में ही है। वे समझते हैं कि ये लोग तो आपस में लड़ते रहेंगे और बाद में वे प्रशासन पर नियंत्रण कर लेंगे? अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसो परिस्थितियों में इस मूलभूत ढांचे को बदल सकती है। मैं समझता हूं कि योजना सम्बन्धी इन सभी पहलुओं पर वर्तमान व्यवस्था के सन्दर्भ में फिर से विचार किया जाना चाहिए। लोकतंत्रीय ढांचे के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे सभी उत्पादन गतिविधियों, विपणन तथा वितरण प्रणाली को नियमित किया जा सकता है। अतः मैं प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

SHRI CHANDRA PAL SINGH (Amroha): Five Year Plans have already been completed. So, while discussing the draft of this Sixth Five Year Plan we have to see whether the benefits of the earlier plans have reached the people of the country or not. In the present Draft Plan, special emphasis has been given to provide facilities to rural people. But the people of rural areas have become indifferent to these plans. They have become indifferent because the benefits of earlier Plans have not gone to them. The reason why the benfits of earlier plans have not reached item is that corruption has been rampant in our country.

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरः स्थापित किये जायेंगे।

श्री कंवर लाल गुप्त : (दिल्ली सदर) इससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको तभी निवेदन करना चाहिये था। यह उचित बात नहीं है। अब आप पहला विषय नहीं ले सकते। अब कार्यवाही वृत्तान्त में गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सिवाय और कोई बात नहीं जायेगी।

(व्यवधान)** विधेयक

पुरःस्थापित किये गये विधेयक

BILLS INTRODUCED

श्री आर० डी० गट्टानी का मोटर यान (संशोधन) विधेयक (धारा 95 का संशोधन)

श्री आर० डी० गट्टानी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं मोटरयान अधिनियम, 1939 में और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"कि मोटर यान अधिनियम, 1943 का और संशोधन करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री आर० डी० गट्टानी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री तेज प्रताप सिंह का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा 40 क का अन्तःस्थापन)

SHRI TEJ PRATAP SINGH : Mr. Deputy Speaker, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend further the code of Criminal Procedure, 1973.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI TEJ PRATAP SINGH : I introduce the Bill.

श्री कंवर लाल गुप्त का व्यापार तथा पण्य चिह्न (संशोधन) विधेयक (धारा 78 79 आदि का संशोधन)

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम 1958 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये।

****कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।**

**Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री कंवर लाल गुप्त : श्रीमान् मैं विधेयक पेश करता हूं।

श्री जी० एम० बनतवाला का संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 30 का संशोधन)

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं विधेयक पेश करता हूं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन का न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक (धारा 2 और 3 का संशोधन)

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं प्रस्ताव करती हूं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती पार्वती कृष्णन : श्री मान्, मैं विधेयक पेश करती हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन का बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) संशोधन विधेयक (धारा 2, 17 आदि का संशोधन)

श्रीमती पार्वती कृष्णन : मैं प्रस्ताव करती हूं कि बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने कि अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का और संशोधन करने वाला, विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्रीमती पार्वती कृष्णन श्रीमान् मैं विधेयक पेश करती हूं।

श्री आर० डी० गट्टानी का संविधान (संशोधन) विधेयक

अनुच्छेद 48 और सातवीं अनुसूची का संशोधन

श्री आर० डी० गट्टानी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक, पेश करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री आर० डी० गट्टानी : श्रीमन् मैं विधेयक पेश करता हूं।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया का भारतीय ट्रस्टीशिप विधेयक

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of Trust Corporations and for matters connected therewith.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ट्रस्ट निगमों की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Sir. I introduce the Bill.

श्री हरि विष्णु कामत का संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 51 का संशोधन)

[CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL]
(AMENDMENT OF ARTICLE 51)
BY SHRI HARI VISHNU KAMATH

परिचालित करने के लिये प्रस्ताव

श्री पी० के० देव (कालाहंडी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 75(2) को जहां तक वह इस संशोधन को पेश करने के लिये अपेक्षित है

श्री हरि विष्णु कामत के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (अनुच्छेद 51 का संशोधन) पर शीघ्र राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये को निलम्बित करती है।"

मेरी अन्तरात्मा ने यह प्रस्ताव पेश करने के लिये मुझे बाध्य किया है। भारत अपनी पुरातन संस्कृति तथा आध्यात्मिक ज्ञान के कारण अन्धकार में भी लोगों का सदा मार्ग दर्शन करता रहा है, चाहे वह मार्गदर्शन भगवान बुद्ध ने किया हो, गांधी जी ने या स्वामी विवेकानन्द ने किया हो। आज 20वीं शताब्दी के सातवें दशक में भला हम इस प्रकार के विधेयक को समाप्त होने दे सकते हैं। हमें विधेयक को परिचालित करना चाहिये ताकि देश तथा विदेश दोनों में ही इसके बारे में लोगों की राय जानी जा सके तथा उन्हें शिक्षित किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 75(2) को, जहां तक वह इस संशोधन को पेश करने के लिये अपेक्षित है कि श्री हरि विष्णु कामत के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (अनुच्छेद 51 का संशोधन) पर शीघ्र राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये, को निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI SHANKAR DEO (Beedar) : The Minister of State in the Ministry of External Affairs had stated that it was not an appropriate time to move for a world Government. It is regretful because nowadays when there is piling up of arms and ammunition the world is at stake. But the message of world peace has always been given by India. It is cur country which have always pleaded for world peace. It is, therefore, that India can initiate such move.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): जो प्रस्ताव किया गया है उसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विधेयक के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

श्री पी० के. देव: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री हरि विष्णु कामत के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (अनुच्छेद 51 का संशोधन) पर राय जानने के लिये उसे 10 अगस्त, 1978 तक परिचालित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि श्री हरि विष्णु कामत के संविधान (संशोधन) विधेयक, 1977 (अनुच्छेद 51 का संशोधन) पर राय जानने के लिये उसे 10 अगस्त, 1978 तक परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री हरि विष्णु कामत : आज वास्तव में बहुत ही खुशी का दिन है। भारत विश्व भर में पहला देश है जिसकी संसद ने विश्व सरकार बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया है। आज का दिन इतिहास में स्मरणीय रहेगा।

आयकर (संशोधन) विधेयक
INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL
विचार करने का प्रस्ताव

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I feel that there is nothing controversial in my Bill and hence it will be supported by all the political parties. The Bill seeks that the income of any political party should be exempted from income tax. Section 10 of the Act provides for tax exemptions but political parties have not been included for that purpose. Political education is an important part of our educational system. Unless the people are given political education our country cannot make any progress. For the development of our country it is necessary that political parties do have as much resources as they can propagate their ideologies to the people.

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई ।
DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair*]

Political parties should be required to maintain their accounts properly. They should get their accounts audited and place these audited accounts before the people.

During the emergency and 30 years preceding it we have seen the increasing influence of money power on political life and it increased to that extent that the capitalists completely plagued the politics. Therefore there should be evolved some arrangements to avoid such situation.

There should also be provision for punishment to those who indulge in misuse of funds of a political party.

If we want to check the influence of money on elections the restrictions on companies denotions and advertisements should continue. In case these restrictions are lifted, the money of shareholders would be passed on to political parties and thus it would be misused there.

I have to make two-three suggestions. Firstly a comprehensive legislative proposal should be brought forward. Secondly the Ministers should not in any case be allowed to collect funds for their party. The persons found misusing funds of political parties should be liable to punishment.

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Just now our friend Shri Kanwar Lal Gupta moved a proposal to amend the Income Tax Act and expressed his feelings in that regard. I stand by him in this matter but as he has already admitted this Bill is not a comprehensive measure. He actually wanted that Government should bring forward a comprehensible Bill. On this subject so that many mere points might be discussed here.

If we want to eradicate corruption, we will have to initiate if from political life. As such I have also moved an amendment of similar nature, that is for proper maintaining of accounts by political parties.

I am raising this point just not in reference to any political party. But as I know any honourable Member did not come forward with a Bill seeking that political parties like other institutions should keep their accounts clearly and properly and placed them for public scrutiny.

I would like the hon. Member Shri Kanwar Lal Gupta to accept my amendment as it would enhance his dignity.

If we want that others should not evade taxes and maintain their accounts properly the political parties will have to adhire to the rules and law and also to evolve their code of conduct. When we want to control the income of the voluntary institutions we must have control on the political parties, otherwise it will lead to corruption. I, therefore, request you that this Bill be referred to the Select Committee and thereafter Government should bring forward a comprehensive Bill containing provisions regarding political parties.

If the Government earnestly want to root out corruption, an Anti Defection Bill may be brought forward in this very Session. The political parties should also be asked to maintain the account of their income and expenditure and a Bill in this respect also should be brought forward. Not only this a low should be enacted in regard to the disclosure of

income, assets by every member of the political parties only then we may be able to root out corruption. Every Member of the political parties should declare their income and liabilities and assets and somebody should be authorised to verify them. Thus political corruption can be rooted out and corruption in administration and trades can also be minimised.

This Bill should, therefore, be reconsidered and a comprehensive Bill should be introduced in this regard.

SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir. It should be verified as to how the political parties spend the money collected by them. Until and unless it is done, political corruption will not be rooted out from the country. In a Souvenior case one party collected a sum of Rs. 3 crores. How much income-tax was paid thereon ? If political corruption is rooted out, corruption from all over the country will be rooted out.

In our country political leaders, Bureaucrats and traders indulge in corrupt practices. Political leaders provide protection to bureaucrats and traders and the bureaucrats and traders become faithful to the leaders.

Political parties collect money. Money is spent for elections but from where this money comes ? People spend money in elections beyond the limit fixed in the peoples Representation Act but the actual amount spent thereon is not shown.

If we Janata party people, who want to root out corruption, like that the donotions made to the political parties should be tax free then it is not proper. But it should be clear and the political party, which collects money, should deposit the money in the banks and withdraw of and spend. Thus the political parties will have to point out as to from where they got it and where it was spent. When the voluntary organisations are taxed why not it should be imposed on political parties also ? I oppose this Bill and request the Government not to adopt it. The property of all political workers and leaders whether they are M. Ps. or M.L.As. should be verified and a stringent law should be enacted to have a control over political parties and their workers and leaders.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : इस देश में लोकतन्त्र की जड़े मजबूत नहीं हुई हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए यह जरूरी है कि वे जनता को प्रशिक्षण दें और अपने समुचित कार्य जारी रखे निस्सन्देह इसके लिए उन्हें कुछ धन की जरूरत होती है और यह धन सदस्यता शुल्क के रूप में आसानी से उन्हें मिल सकता है। उन्हें दल के सदस्यों से चंदे के रूप में भी यह धन प्राप्त हो सकता है। परन्तु चुनावों के दौरान जिस तरह से पैसा बहाया जाता है, उससे लोगों के दिमाग में यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि यह धन कहा से आया। संसद सदस्य जो चुनाव विवरणी भरकर देते हैं प्रायः सही नहीं होती हैं।

इस सभा में कई बार सी० आई० ए० और के० जी० बी० आदि के भ्रष्टाचार पूर्ण प्रभाव के बारे में चर्चायें हुई हैं यह गम्भीर चिन्ता का विषय है क्योंकि इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। देश के भीतर भी राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता कई प्रकार से गुप्त रूप से मिलती है। बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं स्मारिकाओं में विज्ञापन चंदे और जीपों आदि के रूप में राजनीतिक दलों को पैसा देती हैं। बड़े व्यापारिक घराने या एकाधिकारी संस्थाएं राजनीतिक दलों को काले धन से चंदा देती हैं। इस देश में इसी प्रकार की समानान्तर अर्थ व्यवस्था चलती है। सारा चुनाव एक मजाक है। गरीबी और अज्ञानता के कारण मतदाताओं का शोषण किया जाता है :

यह सही समय है कि जब जनता को राजनीतिक दलों से आय श्रोतों और व्यय के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। यदि इस सम्बन्ध एक सही विधान पारित कर दिया जाये तभी राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले धन पर रोक लग सकेगी और चुनाव भी सस्ते हो जायेंगे वैसे यह हर भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह राजनीतिक दलों पर नजर रखे कि उनकी गतिविधियां क्या हैं। आज की स्थिति के अनुसार कोई भी गरीब व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके लिये किसी पैसे वाले राजनीतिक दल का दामन थामना पड़ता है। इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मेरे सुझाव यह हैं कि सभी राजनीतिक दलों का सोसाइटीइज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण होना चाहिए। सभी को अपनी आय और व्यय सम्बन्धी विवरण तैयार करके चुनाव आयोग को प्रति वर्ष भेजने चाहिये। यह लेखे बाकायदा परीक्षत हो और चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित किए हुए हों। इन लेखों को चुनाव आयोग राजपत्र में प्रकाशित करे। यदि राजनीतिक दल इस नियम का उल्लंघन करें तो चुनाव आयोग उन्हें अमान्य घोषित कर दे और उनका चुनाव चिह्न वापस ले लें।

यदि इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जाएंगे, चाहे श्री कंवर लाल गुप्त का विधेयक पारित भी हो जाए तो इसका काफी दुरुपयोग होगा और इससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जायेगा अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

SHRI MANORANJAN BHAKT (Andaman and Nicobar Islands) : Mr. Chairman Sir. The imposition of income-tax on the income of political parties is alright but if you want to cover the property of the political parties within its ambit, it is not just because all parties are not rich. All parties do not have money. So if a political party manages to acquire property and wants to incur day-to-day expenditure for its income—that income should not be taxable. If Government want to eliminate corruption prevailing among the political parties, it should take suitable steps for the purpose.

Moreover, I do agree with the fact that all the political parties should maintain their accounts in a proper way duly audited and certified by a chartered accountant. But I do not agree that even the name of small donors, such as persons donating Re. 1 or 1.50 should be included in it. There should a limit say names of persons donating more than 1000 should be included. If we do it like this, black money will be curbed to a great extent.

It has been suggested that the bill should be referred to a select committee. I want to suggest that as the matter concerns the entire country, Government should study all the aspects and then from a comprehensive bill with a view to ensure elimination of corruption prevailing among the political parties.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि इस देश में राजनीतिक दल तभी तक चलते हैं जब तक लोगों का समर्थन उनका मिलता रहता है, जब यह समर्थन समाप्त हो जाता है तभी वह राजनीतिक दल भी समाप्त हो जाता है। ब्रिटेन में भी ऐसे राजनीतिक दल हुए हैं जो कभी सत्ता में थे अब जनता के समर्थन के अभाव में समाप्त प्रायः हो गए हैं। आज चुनाव लड़ना बड़ा ही कठिन कार्य है और जो दल सत्ता में होता है उसके मुकाबले में भी चुनाव लड़ना बड़ा ही कठिन कार्य है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि राजनीतिक गतिविधियों 1969 के पश्चात् ही महंगी हुई हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महा विभाजन के पश्चात् भारतीय राजनीतिक की नैतिकता और नीति को ताक पर रख दिया गया है। पिछले चुनाव में भी पैसा पानी की तरह बहाया गया और जनता पार्टी पर भी यह आरोप है कि उसने भी कांग्रेस की तरह ही पैसा इकट्ठा किया। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी दल इस आरोप से बच नहीं सकता।

पैसा इकट्ठा करना बड़ा ही कठिन कार्य है विशेष कर विरोधी पक्ष के लिए। जब भी विरोधी पक्ष का कोई व्यक्ति पैसे के लिये कहता है तो देने वाला व्यक्ति आना कानी करता है किन्तु जो दल सत्ता में होता है उसे सभी लोग मिलना चाहते हैं।

मन्त्री महोदय ने बिरलाओं द्वारा दिये जाने वाली कर की बकाया राशि सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि बिरला उद्योग समूह हमेशा से बचता आ रहा है। बिरलाओं को 30 वर्ष से कर की बकाया राशि देनी है यह सब जानते थे कि बिरला पिछली सरकार पर काफी प्रभाव डाल रहे थे और इस प्रकार वह कर की बकाया राशि न देने में सफल हो गए हैं और सजा से बच रहे हैं। बिरला के विरुद्ध सी० बी० आई० द्वारा जांच करायी गई थी और कई न्यायालयों में उनके विरुद्ध मामले

दर्ज किए गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यह मत सोचिए कि बिरला निर्दोष हैं मौका मिलते ही वह आपकी सरकार पर भी अपना प्रभाव डालेगा।

इन सब बातों का एक ही समाधान है कि सरकार मतदान के साधन पर दलों को वित्त प्रदान करे। नहीं तो छोटे और व्यावसायिक गृह राजनीतिक दलों पर अपना प्रभाव डाल कर उन्हें भ्रष्ट करते रहेंगे। वर्तमान ढांचे में राजनीतिक दलों का कार्य करना सम्भव नहीं है अतः सरकार को कोई तरीका अपनाना चाहिए इसके लिये जर्मनी की तरह सरकार को दलों को वित्त प्रदान करना चाहिए।

कराधान के लिए सभी राजनीतिक दलों को लेखे रखने होते हैं। किन्तु यह दल बोगस लेखे रखते हैं। वह काला धन बनाते हैं और सरकर के सामने (आधारहीन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देते हैं। यहां तक कि सत्तारुढ़ दल जिसे इमानदार होना चाहिए और जिसे जनता का नेतृत्व करना होता है वह भी कर अधिकारियों के सामने गलत लेखे प्रस्त करते हैं। इन सबका एक ही समाधान है कि सरकार राजनीतिक दलों की सहायता करे।

महोदया, राजनीतिक दल न तो एक संघ होता है न ही लाभ कमाने वाली संस्था और न ही यह व्यवसायिक संस्था होती है यह तो जनता के चंदे के आधार पर जनता की सेवा करता है अतः जिस कानून को सरकार पिछले 30 वर्ष में लागू नहीं कर सकी उसका बने रहना अनुचित है।

अतः मेरा यह अनुरोध है कि इस विधेयक में यह भावना निहित है कि राजनीतिक दल स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सके और बड़े व्यापारी गृहों के प्रभाव से मुक्त रहें। यदि आप उन्हें कर देने के लिए कहेंगे तो काला धन पैदा होगा अतः इसका समाधान यह हो सकता है कि उन्हें कर न देना पड़े।

श्री पी० के० देव: चर्चा के लिए दो घंटे दिए गए हैं। बैलट में श्री यमुना प्रसाद शास्त्री का विधेयक आया है। अतः आप उन्हें पांच मिनट का समय दीजिए ताकि वह अपना विधेयक प्रस्तुत करे।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा और मतदान हों जाएं, उसके पश्चात् शास्त्री का विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। अतः सभा 6 बजे तक कार्यवाही चलायेगी। इस प्रकार श्री शास्त्री को उनका विधेयक प्रस्तुत करने का अवसर मिल जायेगा।

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA (Salempur) : Madam, A grave danger emerges if there is collusion between power, priest and money. That is what happened during the last regime Indira Gandhi declared herself to be the daughter of a Brahmin—Pandit Jawahar Lal Nehru and she was in power and then she established Maruti Limited. Thus she contracted the three—power, priest and money into her own hands. Then came the emergency and in its wake the excesses. All the powers were concentrated into single hand, so it was possible to put in jail anybody. But now, there is no emergency. But some of the evils are still going on. There is law but still untouchability is practised. Who practice it ? A Harijan enters a temple but the priest does not allow him. It is the priest who practices untouchability but the Harijan is arrested. The workers struck work and he is arrested. Management is not touched. The worker is arrested under sections 107, 116, 147, and 148 reking to riots. This is the system we are living in. We should ensure that the country did not pass through the conditions though which it passed during emergency for 20 months. Otherwise the country will be destroyed. It is imperative that with a view to clearise the political atmosphere of the country, corruption should be eliminated.

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं यह कहना चहता हूं कि विधेयक में निहित सिद्धांत स्पष्टतयः मान्य है। वास्तव में सरकार एक विधेयक इसी अधिवेशन के दौरान सभा में प्रस्तुत करेगी। श्री कंवर लाल गुप्त के विधेयक में यह व्यवस्था है कि राजनीतिक दलों की आय को कर से छूट होगी? किन्तु प्रश्न यह है कि यह आय कौन-सी होगी? अतः यह

विधेयक में स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन से स्रोतों से आय पर कर नहीं लगेगा। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों पर विचार करके इस प्रकार का विधेयक लाया जायेगा। अतः मैं श्री कंवर लाल गुप्त से इस विधेयक को वापस लेने के लिये कहूंगा।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Madam Chairman, I thank you the honourable Minister that he has accepted my bill in principle and he has announced that Government have taken a decision in this regard. So, Government deserve my congretulations. It has rightly been said that money collected in the name of contributions, Salami or nazrana is not taxable and it is simply pocketed. It should not be like this. The body politic should not be pollured with the influence of money. I agree with the honourable Minister that the Bill presented by me is not a comprehensive Bill. It was presented to ask Government to do thinking on the subject.

मैं मंत्री महोदय से इस बात से भी सहमत हूं कि राजनीतिक दलों द्वारा उचित लेखे रखे जाने चाहिए और उनकी लेखा परीक्षा भी हो। इससे अधिक बढ़ कर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लेखे जनता के देखने के लिये भी रखें जाए ताकि जनता जान सकें कि किस ने कितना पैसा दिया है।

I want to say that there should be political education of the masses. Awakening of political consciousness among the masses is very essential.

I do not agree with the view that Government should give financial assistance to political parties. A political party which does not have support of the people should not remain in existence. Government will give money to revive it. This proposition does not sound good. I agree that during elections, individual candidates should be helped. But if political parties are given Government aid, many of them will crop up.

The conviction that political parties win or get defeared with the influence of money— is not correct. Indian masses have political maturity. We remained in Jails for 17 months and we tried to educate the masses from there. We made them aware that how the ruling party was suppressing the people, the press and the opposition. We told them that if they did not vote for the Janata Party, suppression will go on. In fact, this Bill is like this that if the income of the temple, mosque and gurudwara is not taxed, why income of the political parties should be taxed. It should not be taxed as the political parties give education to the people.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदया, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुदेश 23 क, 23 ख और 23 ग का अन्तः स्थापन्न

Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new articles 23A, 23B and 23C)

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवां) : महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

While bringing the proposal before the House, I consider this day the happiest day of my life. This amendment of the constitution is not only concerned with the present generation but will be concerned with the innumerable generations which will be born on the earth of India. It was enshrined in the constitution of India 28 years ago that the right to work will be given to the citizens as far as possible. It was also stipulated in the Directive

principles that Government will strive to help the old, handicapped and the poor. When the founders of the constitution framed the constitution, they thought that Government would provide work to the unemployed throughout the country or alternatively will provide unemployment allowance.

It was their dream. But when the Governments were formed, big promises were made but the directive principls enshrined in the constitution were not followed and the persons forming the Governments betrayed the trust of the people. The constitution of the country remained lifeless. But my belief is that if democracy is to be established in any country, you have to ensure employment—right to work to the sons of the country. If employment is not provided to the unemployed, democracy will be in danger and the history will not forgive us for that.

After the formation of Janata Government, Janata Party has fulfilled some of the promises it made in its election manifesto. The Janata party has re-established democracy, freedom of the press and ended legal inequalities. But that is not enough. Till the people get bread, the democracy will be lifeless. In this world, there are countries which have enough opportunties for earning livelihood but they do not have democracy. So here, the people should not feel that in a democratic set-up, opportunities are very less and, so the faith in the system may be eroded. India is the biggest democracy in the world and she should prove to the world that opportunities for earning one's livelihood can be generated in a democratic set up also so we have to create a sense among the poeple that every person will have gauranteed opportunities for work. So it is imperative that we should grant right to work to our citizens. Even in the small countries of the world, right to work has been given to the people.

There is a great discontentment prevailing among the people. There is student unrest. A number of incident have taken place. The students are resorting to violence etc. It is said that it is because of indiscipline among the students. But we have to go into the root cause of the indiscipline. I think that the situation is because there is a sense of uncertainty among the youth about their future. They feel that their future is not bright even though they may get education.

The discussion is taking place on the sixth five year plan. It has been said that it will be an employment oriented plan. But now it will be possible ? It is said that whenever a person attains the age of 18 years, he will be provided with work and if work is not provided, he will be provided with employment allowance. If this is done, the cause of discontentment will disappear. This measure will be a panacea. Because this discontentment will not be eliminated by the use of bullets and lathis.

What happened in Bailadila ? It was the workers there who felt that what would happen to them after they were retrenched. If the constitution is amended by incorporating the provision of right to work in it. such things will not happen because if the workers are retrenched. it will be the responsibility of Government to provide them with alternative work or they would be given unemployment allowance. What has happened in Pant Nagar is the same story. If right to work is given as a fundamental right, such incidents will not recur.

Some of the State Government have taken steps in the direction. West Bengal, Punjabs and Maharashtra have introduced a scheme under which persons registered with the employment exchanges for the last more than 5 years will be either given employment or unemployment allowance. At least these states have accepted the responsibility that nobody will be allowed to die in the absence of food. The Maharashtra Government have formulated an employment gaurantee scheme and the same is with the Central Government for their approval. The Central Government should give approval to this scheme and should think over this subject and bring out a measure for the entire country.

The Prime Minister has said that unemployment allowance cannot be given became it constitutes doles. donation and it will not have good effect. But I will say that we have made promise to the people that we will make provision for this. Shrimati Indira Gandhi used to say that conditions prevailing before 26th June. 1975 would not be allowed to return. But the people have decided that those conditions would return. They voted out the Congress party. So Janata Party should learn the lessons for history Otherwise. the people will decide the fate of the Janata Party the Congress way. So. care should be taken to fulfil the promises given to the people.

I would request that if the right to work is given. it will have far-reaching impact. Craze for property will be finished. Because the reason for which the people accumulate wealth by fair or unfair means is that they think that the future is uncertain. If they come to know that the future of their children is certain. they will not accumulate wealth. So,

there is a talk that the right to property will be taken out from the chapter of fundamental rights. Even if that is done, the greed for property will not go. It is necessary to introduce right to work and that will solve most of the problems.

By enforcing prohibition we are going to lose revenue to the tune of Rs. 400—600 crores then why a sum of Rs. 400—600 crores cannot be spent on providing right to work to young persons. People will pay tax gladly and there is no tax evasion. In U.K., People pay tax gladly because they know that their children will get unemployment benefit and there is no use of saving money.

Primary education should be made compulsory. There should not be any objection to it.

There should be an old age pension scheme. This pension should be given to them who have no means of livelihood. The Members of Parliament are entitled to get pension then why the old poor, Harijans, Adivasis should be deprived of it.

I am sure that this House will support this Bill unanimously.

DR RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Mr. Chairman, Sir, the right to livelihood is our birth right but nothing has been done so far in this regard. It is very necessary that right to work should be provided in the constitution. It is said that this is good thing but it is not practicable. In the constitutions of U.S.S.R. Japan, Rumania, G.D.R. and China right to work has been provided. So it can be made practicable here also. Now it is the moral duty of the Janata Government to provide right to work and make it practicable. It is a matter of pleasure that Janata Government are determined to remove the right to property from the fundamental rights.

सभापति महोदय : इसे आगे के दिन पर जारी रखें । सभा कल तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोकसभा शनिवार, 6 मई, 1978/ 16 वैशाख, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday, May 6, 1978/ *Vaisakha* 16, 1900 (*Saka*).

L222LSS/78—GIPF